

# शुद्धाशुद्धि-पत्र



पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२०	१६	डीप्	डीप्
२०	१६	टीप्	टाप्
२१	२६	पद्त्रायं	यद्त्रायं
२६	१३	वह पुरुष मदीन्मत्त	वे पुरुषस्त्व-मदीन्मत्त
२८	=	में	के लिये
३४	१७	वृपाल	वृपल
३८	४	निमय	नियम
४१	१६	सिंहों	सिंहों
४१	२०	यात्यानश्च	यात्यनिश्च
४१	२२	स एष	स एव
४६	२१	सुद ही	सुद
४८	१७	चाहियें	चाहिये
४६	११	छेदक	छेदक
७१	१८	भोक्ती	भोक्त्री
१३३	४	युक्ति से जीतने पर	युक्ति से न जीतने पर
१७६	१५	सन्धेर	अन्धेर
१८०	२५	क	को
१८२	=	नावरी	नवावी

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१८२	२३	मूलाकार	मूलाचार
१८२	२७	मूलापार	मूलाचार
१८३	६	मूलापार	मूलाचार
१८५	७	कुमि	कुंगि
१८८	५	आदि	अनादि
१९३	१	व्यभिचार नहीं है	व्यभिचार भी नहीं है
२०४	१३	अपतिरन्या	अपतिरन्यां
२०६	१	प्रयोग	प्रयोग
२११	१	व्याख्यास्यायः	व्याख्यास्यामः
२१३	२०	सुखावस्थैर्विमुक्ता	सुखावस्थैर्विमुक्ता
२१४	१२	जिसका	जिसका
२२७	१२	रुद्धा	रुद्धा
२२६	=	निरोग	नीरोग
२२६	६	निरोग	नीरोग

# \* आवश्यक निवेदन \*



जैन समाज और हिन्दू समाज की घटी का मुख्य कारण विधवाविवाह से घृणा करना व उसको व्यभिचार या पाप समझना है। लाखों ही संतान विन विवाहे कुमारे रह जाते हैं, क्योंकि उनको कन्याएँ नहीं मिलती; इसलिये वे जब मरते हैं तब अपने घरों में सदा के लिये ताले लगा जाते हैं। उधर विधुग पुरुष अपने एक जीवन में कई २ बार शादियाँ करते हैं, वृद्ध होने पर भी नहीं चूकते हैं; जिसका फल यह होता है कि बहुत सी युवान विधवाएँ बिना संतान रह जाती हैं। कोई जो धनवान होती है वे गोद ले लेती हैं शेष अनेक निःसंतान मरकर अपने घरमें नाला देजानी हैं। इन तरह कुयारे पुरुषोंके कारण व बहुसंख्यक विधवाओं के कारण जैन समाज तथा हिन्दू समाज बड़े वेग से घट रहा है। जहां २५ वर्ष पहले १०० घर थे वहां अब ४०-५० ही घर पाए जाते हैं। जैपुर में २५ व ३० वर्ष पहले जैनियों के ३००० घर थे, अब मात्र १००० ही रह गए हैं। उधर युवान विधवाओं को अनेकों गुप्त पापों में फँसकर और व्यभिचार व हिंसा के पाप में सनना पड़ता है। ये ब्रह्मचर्य के मार का न सह सकने के कारण पतित हो जाती हैं।

यह सब वृथा ही कष्ट व हानि उठाई जा रही है, केवल

इस ही विचार से कि विधवाविवाह की इजाज़त जैन सिद्धांत व हिन्दू शास्त्र नहीं देता । हिन्दू शास्त्रों में तो अथर्ववेद व स्मृतियों में पुनर्विवाह का स्पष्ट कथन है । जैन सिद्धान्त द्वारा यह सिद्ध है या असिद्ध इस प्रश्न को माननीय वैष्ण्वर चम्पतराय जी ने उठाया था । उसका समाधान 'सव्यसाची' महोदय ने बड़ी ही अकाट्य व प्रौढ़ युक्तियों के द्वारा देकर यह सिद्ध कर दिया था कि विधवाविवाह कन्या-विवाह के समान है व इससे गृहधर्म में कोई बाधा नहीं आती है । यह सब समाधान 'जैनधर्म और विधवाविवाह' नामक सूक्ति में प्रकाशित हो चुका है । इस समाधान पर परिचित श्रीलालजी पाटनी अली-गढ़ तथा पं० विद्यानन्द शर्मा ने आक्षेप उठाए थे—उनका भी समाधान उक्त सव्यसाचीजी ने 'जैन जगत' में प्रकाशित कर दिया है । वही सब समाधान इस पुस्तक में दिया जाता है, जिसे पढ़कर पाठकगण निःशंक हो जावेंगे कि विधवाविवाह न तो व्यभिचार है और न पाप है—मात्र कन्याविवाह व विधुर-विवाह के समान एक नीति पूर्ण लौकिक कार्य है—इतना ही नहीं—यह उस अपला को व्यभिचार व हिंसा के घोर पापों से बचाने वाला है । सत्य ही जैन व हिन्दू भाइयों को उचित है कि इस पुस्तक को आदि से अन्त तक पढ़ें । उनका चित्त पितृकुल मानलोगा कि विधवाविवाह निषिद्ध नहीं है किन्तु विधेय है ।

पाठकों को उचित है कि भारत में जो गुप्त व्यभिचार व हिंसा विधवाओं के कारण हो रही है, उसको दूर करावें—

उसका उपाय यही है कि हर एक कुटुम्ब अपने २ घर में जो कोई विधवा हो जाय उससे एकान्त में बात करें । यदि उस की बातचीत से व उसके रहन सहन के ढंग से प्रतीत हो कि यह ब्रह्मचर्य व्रत को पाल लेगी तब तो उसे वैराग्य के साधनों में रख देना चाहिये और जो कोई कहे कि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकती है तब जो उसके संरक्षक हों—चाहे पिता घर वाले चाहे श्वसुर घर वाले—उनका यह पवित्र कर्तव्य है कि उसको कन्या के समान मानकर उसका विवाह योग्य पुरुष के साथ कर दें । श्री लज्जा के कारण अपने मनका हाल स्पष्ट नहीं कहती हैं । उसके संरक्षकों का कर्तव्य है कि उसकी शक्ति के अनुसार उसके जीवन का निर्णय कर दें ।

समाज की रक्षा चाहने वाला—

मन्त्री

## \* धन्यवाद \*

इस द्रुकृ के छपवाने के लिये निम्नलिखित महानुभावों ने सहायता प्रदान की है, जिनको सभा हाँदिक धन्यवाद देती है, साथ ही समाज के अन्य छी पुरुषों से निवेदन करती है कि वे भी निम्न धीमानों का अनुकरण करके और अपनी दुखित बहिनों पर तरस खाकर इसी प्रकार सहायता प्रदान करने की उदारता दिखलावें :—

- २५) ला० धनकुमार जी जैन कानपुर ।
- २५) गुप्तदान ( एक जैन ) कानपुर ।
- २०) गुप्तदान ( एक वकील ) लखनऊ ।
- १०) ला० रामजीदास सदर बाजार देहली ।
- १०) बा० उलफतराय इंजीनियर देहली ।
- १०) बा० महावीर प्रसाद देहली ।
- १०) ला० किशनलाल देहली ।
- १०) ला० गुलाबसिंह बजोरीमल देहली ।
- १०) ला० भोलानाथ मुखतार बुलन्दशहर ।
- १०) बा० मारिदयाल घी० ए० आनर्स अस्पताल ।
- १०) ला० केशरीमल धीराम देहली ।
- १०) ला० ललताप्रसाद जैन अमरोहा ।
- १०) बा० पंचमलाल जैन तहसीलदार जयलपुर ।
- १०) ला० विशम्भर दाम गार्गीय भाँसी ।
- १०) गुप्तदान ( एक बाबू साहय ) देहली ।
- १०) गुप्तदान ( एक बाबू साहय ) काना ।
- १०) गुप्तदान ( एक टेकेदार साहय ) देहली ।
- १०) गुप्तदान ( एक रईस साहय ) विजनौर ।
- ५) गुप्तदान ( एक सराफ़ ) देहली ।
- ५) गुप्तदान ( एक जैन ) मोहाना ।

# विधवाविवाह और जैनधर्म<sup>VIBRANT</sup>!

## आक्षेपों का मुंह तोड़ उत्तर

सबसे पहिली और मुद्दे की बात मैं पाठकों से यह कह देना चाहता हूँ कि मेरे खयाल से जैनधर्म पारलौकिक उन्नति के लिये जितना सर्वोत्तम है उतना ही लौकिक उन्नति के लिये सुविधाजनक है। समाज की उन्नति के लिये और समाज की रक्षा के लिये ऐसा कोई भी रीतिरिवाज नहीं है जोकि जैनधर्म के प्रतिकूल हो। जैनधर्म किसी घूसखोर व अन्यायी मजिस्ट्रेट की तरह पक्षपात नहीं करता जिससे पुरुषों के साथ वह रियायत करे और स्त्रियों को पीस डाले। स्त्रियों के लिये और शूद्रों के लिये उसने वही सुविधा दी है जो कि पुरुषों के लिये और द्विजों के लिये। जैनधर्म को अनेक स्त्रियों में ये

‡ इस पैराग्राफ़ के प्रत्येक वाक्य को मैं अच्छी तरह विचार कर लिख रहा हूँ। इसमें मैंने उत्तेजना या अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया है। इसके किसी वाक्य या शब्द के लिये अगर कोई नया आन्दोलन उठाना पड़े तो मैं उसके लिये भी तैयार हूँ। अगर कोई महाशय आक्षेप करने का कष्ट करे तो थड़ी कृपा होगी, क्योंकि इस यद्दाने से एक आन्दोलन को खड़ा करने का मौका मिल जायगा।

दोनों खूबियाँ बहुत बड़ी खूबियाँ हैं। सामाजिक-रक्षा और उन्नतिके साथ आत्मिक-रक्षा और उन्नतिके लिये सुविधा देना और किसीके अधिकारको न छीनना, ये दोनों बातें अगर जैन-धर्म में न होंगी तो किस धर्म में होंगी ? अगर किसी धर्म में ये दोनों बातें नहीं हैं तो यह इन दोनों बातों का दुर्भाग्य नहीं है, किन्तु उस धर्मका ही दुर्भाग्य है। यह स्मरण रखना चाहिये कि धर्मग्रन्थों में न लिखी होने से अच्छी बातों की कीमत नहीं घटती, किन्तु अच्छी बातें न लिखी होने से धर्मग्रन्थों की कीमत घटती है।

प्रत्येक लो पुरुष को किशोर अवस्था से लेकर युवा अवस्था के अन्त तक विवाह करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। पुरुष इस अधिकार का उपयोग मात्रा से अधिक करता रहे और स्त्रियोंको ज़रूरत होने पर भी न करने दे, इतना ही नहीं किन्तु वह अपनी यह नादिरशाही धर्म के नाम पर—उसमें भी जैनधर्म के नाम पर—चलाये, इस अन्धेर का कुछ ठिकाना है ! मुझे तो उनकी निर्लज्जता पर आश्चर्य होता है कि जो पुरुष अपने दो दो चार चार विवाह कर लेने पर भी विधवाओं के पुनर्विवाहको धर्मविरुद्ध कहने की भ्रष्टता करते हैं। जिस काम-दंड के आगे वे नङ्गे नाघते हैं, वृद्धायुष्यामें भी विवाह करते हैं, एक कन्या की तरह कन्याएँ खरीदते हैं, उसी 'काम' के आकर्षणसे जब एक युवती विधवा दुखी हानो है और अपना विवाह करना चाहती है तो ये श्रुता और निर्लज्जता के अयतार धर्म-विरुद्धता का डर दिखलाते हैं ! यह कौसी बेशरमी है !

विधवाविवाह के विरोधी कहते हैं कि पुरुषों को पुनर्विवाह का अधिकार है और स्त्रियों को नहीं। ऐसे आयाचार-



पूर्ण अहङ्कार के ये लोग शिकायत हो रहे हैं, जब कि विधवा-विवाह के समर्थक इस विषय में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देना चाहते हैं। विधवाविवाह के समर्थक, पुरुष होने पर भी अपने विशेषाधिकार, बिना स्त्रियों की प्रेरणा के, छाड़ना चाहते हैं। स्त्रियों के दुःख से उनका हृदय द्रवित है; इसीलिये स्वार्थी पुरुषों के विरोध करने पर भी वे इस काम में लगे हैं। अपमान तिरस्कार आदि की बिलकुल पर्वाह नहीं करते। विधवाविवाह-समर्थकों की इन्म निस्वार्थता, उदारता, त्याग, दया, महनशीलता, कर्तव्यपरायणता और धार्मिकता का विधवाविवाह के विरोधी कोटजन्म तब तबने पर भी नहीं पा सकते। ये स्वार्थी के पुतले जब विधवाविवाह समर्थकों का स्वार्थी कह कर "उल्टा चोर कांतवाल को डाँटे" की कहावत चरितार्थ करते हैं तब इनकी घृणता को पराकाष्ठा हो जाती है। शैतान जब उलट कर ईश्वर से ही शैतान कहने लगता है तब उस की शैतानियत की सीमा आजाती है। विधवाविवाह के विरोधी शैतानियत की ऐसी ही सीमा पर पहुँचे हैं।

समाज के भीतर छिपी हुई इन्म शैतानियत को दूर करने के लिये मैंने विधवाविवाह के समर्थन में वैरिष्टर चंपतरायजी के प्रश्नों के उत्तर दिये थे। उसके खंडन का प्रयास जैनगुजट द्वारा दो महाशयों ने किया है—एक तो पं० श्रीलाल जी अलीगढ़, दूसरे पं० विद्यानन्दजी रामपुर। उन दोनों लेखों को अनावश्यक रूपसे बढ़ाया गया है। लेख में व्यक्तित्व के ऊपर बड़ी असभ्यता के साथ आक्रमण किया गया है। असभ्यता से पेश आने में कोई बहादुरी नहीं है। इसलिए असभ्य शब्दों का उत्तर मैं इस लेख में न दूँगा।

उन दोनों लेखकों से जहाँ कुछ भी खंडन नहीं बन पाया है वहाँ उन्होंने "छिछि.", "धिक् धिक्", "यह तो शृणित है",

आदि शब्दों की भरमार की है। ऐसे शब्दों का भी उत्तर न दिया जायगा। विद्यानन्दजी ने मेरे लेख के उद्धरण अधूरे अधूरे लिये हैं और कहीं कहीं अत्यावश्यक उद्धरण छोड़ दिया है। इस विषय में तो मैं पं० श्रीलाल जी को धन्यवाद दूँगा जिन्होंने मेरे पूरे उद्धरण लेने में उदारता दिखलाई। उद्धरण अधूरा होने पर भी ऐसा अवश्य होना चाहिये जिससे पाठक उल्टा न समझलें।

दोनों लेख लम्बे लम्बे हैं। उनमें बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिनका विधवाविवाह के प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है, परन्तु दोनों महाशयों के सन्तोषार्थ मैं उन बातों पर भी विचार करूँगा। इससे पाठकों को भी इतना लाभ जरूर होगा कि ये जैनधर्म की अन्यान्य बातों से भी परिचित हो जायेंगे। मेरा विश्वास है कि वह परिचय अनावश्यक न होगा।

चम्पतरायजी के ३१ प्रश्नों के उत्तर मैं जो कुछ मैंने लिखा था उसके खण्डन में दोनों महाशयोंने जो कुछ लिखा है, उसका सार मैंने निकाल लिया है। नीचे उनके एक एक आक्षेप का अलग अलग समाधान किया जाता है। पहिले श्रीलालजी के आक्षेपों का, फिर विद्यानन्दजी के आक्षेपों का समाधान किया गया है। मैं विरोधियों से निवेदन करता हूँ या चेतोद्वेष्टा हूँ कि उनसे जितना भी आक्षेप करते घने, खुशीसे करें। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ।

### पहला प्रश्न

आक्षेप (अ)—सम्यक्तय की घातक सात प्रकृतियों में चार अनन्तानुबन्धी कयायें भी शामिल हैं। विधवाविवाह के लिये जितनी तीर्थ कयाय की जरूरत है वह अनन्तानुबन्धी के उदय के बिना नहीं हो सकती। जैसे परस्त्रीमेयन अनन्तानुबन्धी

के उदय के बिना नहीं हो सकता। इसलिये जब विधवाविवाह में अनन्तानुबन्धी का उदय आ गया तो सम्यक्तत्व नष्ट होगया।

समाधान (अ)—जब स्त्री के मर जाने पर, पुरुष दूसरा विवाह करता है तो तीव्र रागी नहीं कहलाता, तब पुरुष के मर जाने पर स्त्री अगर दूसरा विवाह करे तो उसके तीव्र राग कामान्धता क्यों मानी जायगी? यदि कोई पुरुष एक स्त्री के रहते हुए भी ६६ हजार विवाह करे या स्त्रियाँ रक्षते तो उस का यह काम बिना तीव्र रागके नहीं हो सकता। लेकिन ६६ हजार पत्नियों के तीव्रराग से भी सम्यक्तत्वका नाश नहीं होता, यहिक वह ब्रह्मचर्याणुव्रती भी रह सकता है। जब इतना तीव्र राग भी सम्यक्तत्व का नाश नहीं कर सकता तब पति मर जाने पर एक पुरुष से शादी करने वाली विधवा का सम्यक्तत्व या अणुव्रत कैसे नष्ट होगा? और अणुव्रत धारण करने वाली विधवा ऐसी पतित क्यों मानी जायगी कि जिससे उसे ग्रहण करने वाले का भी सम्यक्तत्व नष्ट हो जाये? विधवाविवाह से व्यभिचार उतना ही दूर है, जितना कि कुमारी विवाह से। जैसे विवाह होने के पहिले कुमार और कुमारियों का संभोग भी व्यभिचार है, किन्तु विवाह होने के बाद उन दोनों का संभोग व्यभिचार नहीं कहलाता, उसी तरह विवाह होने के पहिले अगर विधवा सम्भोग करे तो व्यभिचार है, परन्तु विवाह के बाद होने वाला सम्भोग व्यभिचार नहीं है। गृहस्थों के लिये व्यभिचार की परिभाषा यही है कि—“जिसके साथ विवाह न हुआ हो उसके साथ सम्भोग करना”। यदि विवाह हो जाने पर भी व्यभिचार माना जायगा तो विवाह की प्रथा बिलकुल निरुत्तरी हो जायगी और आजन्म ब्रह्मचारियों को छोड़ कर सभी व्यभिचारी साधित होंगे।

तीव्रता मन्दता की दृष्टि से सकपाय प्रवृत्ति छः भागों में बाँटी गई है, जिन्हें कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल शब्दों से कहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तीव्र कृष्ण लेश्या है। लेकिन कृष्ण लेश्या के हो जाने पर भी सम्यक्तत्व का नाश नहीं होता। इसीलिये गोम्मटसार में लिखा है—

“अयदोत्ति छ लेस्साद्यो”

अर्थात् अविरत सम्यग्दृष्टि जीव तक छहों लेश्याएँ होती हैं। अगर विधवाविवाह में कृष्ण लेश्यारूप परिणाम भी होते तो भी सम्यक्तत्व का नाश नहीं हो सकता था। फिर तो विधवाविवाह में शुभ लेश्या रहती है, तब सम्यक्तत्व का नाश कैसे होगा ?

आक्षेपक ने परस्त्रीसेवन अनन्तानुबन्धी के उदय से बतलाया है। यह बात भी अनुचित है। मैं परस्त्रीसेवन का समर्थन नहीं करता, किन्तु आक्षेपक की शास्त्रीय नास-मभी को दूर कर देना उचित है। परस्त्री सेवन अपत्याख्या-नाघरण कर्मायके उदयसे होता है। क्योंकि अपत्याख्यानाघरण कर्माय देशमत-अणुमत की घातक है और अणुमत के घात होने पर ही परस्त्री सेवन होता है। आक्षेपक को यह जानना चाहिये कि अणुमती, पाँच पापों का त्यागी होता है न कि अविरत सम्यग्दृष्टि। और ! मुझे व्यभिचार की पुष्टि नहीं करना है। व्यभिचार और विधवाविवाह में बड़ा अन्तर है। व्यभिचार अपत्याख्यानाघरण और विधवा विवाह ७ प्रत्याख्यानाघरण कर्माय के उदय से होता है। ऐसी दालत में विधवा

मेरे पहिले लेखमें इस जगह अपत्याख्यानाघरण रूप गया है। पाठक सुधारकर प्रत्याख्यानाघरण करें। —लेखक

विवाहको अनन्तानुबन्धीके उदयसे मानना और उससे सम्य-  
क्त्य नाश की बात कहना बिलकुल मिथ्या है ।

आक्षेप (आ)—परस्त्री सेवन सप्त व्यसनों में है । सम्य-  
क्त्वी सप्त व्यसन सेवी नहीं होता । विधवाविवाह परस्त्री-  
सेवन है । इसलिये त्रिकालमें सम्यक्त्वोके नहीं हो सकता ।

समाधान—परस्त्री-सेवन व्यसनों में शामिल ज़रूर है,  
परन्तु परस्त्री सेवी होने से ही कोई परस्त्री व्यसनी नहीं हो  
जाता । परस्त्री-सेवन व्यसन का त्याग पहिली प्रतिमामें माना  
जाता है, परन्तु परस्त्री सेवन पहिली प्रतिमामें भी हो सकता  
है, क्योंकि परस्त्रीसेवन का त्याग दूसरी प्रतिमा में माना गया  
है । यहां आक्षेपक को व्यसन और पाप का अन्तर समझना  
चाहिये । अविरत सम्यग्दृष्टि को पहिली प्रतिमा का धारण  
करना अनिवार्य नहीं है । इस लिये सप्तव्यसन का त्याग भी  
अनिवार्य न कहलाया । हाँ, अभ्यास के रूप में वह बहुत सी  
घातों का त्याग कर सकता है, परन्तु इस से वह त्यागी या  
घती नहीं कहला सकता । और, सम्यक्त्वो परस्त्री-सेवा रहे  
या परस्त्री त्यागी; परन्तु सम्यक्त्व का विधवा विवाहमें कोई  
विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि विधवा-विवाह परस्त्री सेवन  
नहीं है । यह बात में “अ” नम्बर के समाधान में सिद्ध  
कर चुका हूँ ।

आक्षेप (इ)—यह नियम करना कि सातवें नरक में  
सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता, लेखक की अज्ञता है । क्या वहाँ  
ज्ञापिक सम्यक्त्व हो जाता है ? नरकों में नारकी अपने किये  
हुए पापों का फल भोगते हैं । यदि वहाँ भी वे विधवाविवाह  
से अधिक पाप करने वाले ठहर जायँ तो उस किए हुए पाप  
का फल कहाँ भोगें ?

लाया हुआ विधान क्या फल भोगने के लिए कम है ? हाँ तो सातवें नरक के नारकी जीवन भर मार काट करते हैं और उनका पाप यहाँ तक बढ़ जाता है कि नियम से उन्हें तिर्यञ्च गति में ही जाना पड़ता है और फिर नियम से उन्हें नरक में ही लौटना पड़ता है । ऐसे पापियों में भी सम्यक्त्व कुछ कम तेतीस सागर अर्थात् पर्याप्त होने के बाद से मरण के कुछ समय पहिले तक सदा रह सकता है । वह "सम्यक्त्व विधवा-विवाह करने वाले के नहीं रह सकता" ! बलिहारी है इस समझदारी की !

आक्षेप ( ६ )—नारकियोंके सप्त व्यसन की सामग्री नहीं है जिससे कि उनके सम्यक्त्व न हो और होकर भी छूट जावे । अतः यह सातवें नरक का दृष्टांत विधवाविवाह के विषय में कुछ भी मूल्य नहीं रखता ।

समाधान—आक्षेपक के कहनेसे यह तात्पर्य निकलता है कि अगर नरकों में सप्त व्यसन की सामग्री होती तो सम्यक्त्व न होता और छूट जाता (नष्ट होजाता) । वहाँ सप्त व्यसन की सामग्री नहीं है; इसलिए सम्यक्त्व होता है और होकर के नहीं छूटता है ( नष्ट नहीं होता है ) । नरक में सम्यक्त्व के नष्ट न होने की बात जय हमने कही थी, तब आप विगड़े थे । यहाँ वही बात आपने स्वीकार करली है । कैसी अद्भुत संतर्कता है ! सातवें नरक के दृष्टांत से यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि जय परम कृष्ण लेश्या वाला क्रूर कर्मा, और पापी नारकी सम्यक्त्वों रह सकता है तो विधवा-विवाह वाला—जो कि अणुप्रती भी हो सकता है—सम्यक्त्वों क्यों नहीं रह सकता ?

आक्षेप ( ७ )—पाँचों पापों में एक है संकल्पी हिंसा,

सो संकल्पी हिंसा करने वाला आखेट वालों की तरह सत-  
व्यसनी है। उसके कभी सम्यक्त्व नहीं हो सकता। भला जहाँ  
प्रशम-संवेग हो गये हों वहाँ संकल्पी हिंसा होना विकाल में  
भी सम्भव नहीं है।

समाधान—यहाँ पर आक्षेपक व्यसन और पापके भेद  
को भूल गया है। प्रत्येक व्यसन पाप है, परन्तु प्रत्येक पाप  
व्यसन नहीं है। इसलिये पापके सद्भाव से व्यसनके सद्भाव  
की कल्पना करना आचार शास्त्र से अनभिज्ञता प्रगट करना  
है। आक्षेपक अगर अपनी पार्टी के धिद्रानों से भी इस व्याप्य  
व्यापक सम्यन्त्रको समझने की चेष्टा करेगा तो समझ सकेगा।  
आक्षेपक के मतानुसार सतव्यसन का त्याग दर्शन प्रतिमा के  
पहिले है, जब कि संकल्पी हिंसा का त्याग दूसरी प्रतिमा में  
है। इससे सिद्ध हुआ कि दर्शन प्रतिमा के पहले और साति-  
चार होने से दर्शन प्रतिमामें भी सतव्यसन के न होने पर भी  
संकल्पी हिंसा है। क्या आक्षेपक इतनी मोटी बात भी नहीं  
समझता? 'प्रशम संवेग होजाने से संकल्पी हिंसा नहीं होती'  
यह भी आक्षेपक की समझ की भूल है। प्रशम संवेगादि  
तो चतुर्थ गुणस्थान में हो जाते हैं, जबकि संकल्पी ब्रह्म हिंसा  
का त्याग पाँचवें गुणस्थानमें होता है। इससे सिद्ध हुआ कि  
चतुर्थ गुणस्थान में—जहाँ कि जीव सम्यन्त्र होता है—प्रशम  
संवेगादि होने पर भी संकल्पी ब्रह्म हिंसा होती है। खैर,  
आक्षेपक यहाँ पर बहुत भूला है। उसे गोम्मटसार आदि  
ग्रन्थों से अविरतसम्यग्दृष्टि और देशधरत के अन्तर को  
समझ लेना चाहिये।

आक्षेप (ऊ)—जब पुरुष के स्त्री वेद का उदय होता  
है, तब विवाहादि की मूर्च्छा है। भला अप्रत्याख्यानारण्य  
कपाय वेदनीय से क्या सम्यन्त्र है ?

समाधान—स्त्रीवेद के उदय से विवाहादि की मूर्झती है—आक्षेपक की यह बात पाठक ध्यान में रखें क्योंकि आगे इसी वाक्य के विरोध में स्वयं आक्षेपक ने बकवाद किया है। और, स्त्रीवेद के उदय से विवाह की नहीं, सम्भोग की इच्छा होती है। सम्भोग की इच्छा होने पर अगर अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय होता है तो वह अणुव्रत धारण कर किसी कुमारी से या विधवा से विवाह कर लेता है। अगर अप्रत्याख्यानावरण का उदयाभावी क्षय न होकर उदय ही होता है तो वह व्यभिचारी होने की भी पर्वाह नहीं करता। वेद का उदय तो विवाह और व्यभिचार दोनों के लिये समान कारण है, परन्तु अप्रत्याख्यानावरण का उदयक्षय, अथवा प्रत्याख्यानावरण का उदय, व्यभिचार से दूर रख कर उसे विवाह के बन्धन में रखता है। इसलिये विवाहके लिये अप्रत्याख्यानावरणके उदयाभावी क्षय का नाम विशेष रूप में लिया जाता है। येचारा आक्षेपक इतना भी नहीं समझता कि किस कर्म प्रकृतिका कार्य क्या है ? फिर भी सामना करना चाहता है ! आश्चर्य !

आक्षेप (अ)—राजधानिकके विवाह लक्षण में जैसे कन्या का नाम नहीं है वैसे ही स्त्री पुण्यका नाम नहीं है। फिर स्त्री पुण्य का विवाह क्यों लिखा ? स्त्री स्त्री का क्यों न लिखा ?

समाधान—राजधानिकके विवाह लक्षणमें चारित्रमोह के उदय का उल्लेख है ! चारित्रमोह में स्त्रीवेद पुण्यवेद भी है। स्त्रीवेद के उदयसे स्त्री, स्त्री को नहीं चाहती—पुण्य को चाहती है। और पुण्यवेद के उदय से पुण्य, पुण्य को नहीं चाहता—स्त्री को चाहता है। इसलिये विवाहके लिये स्त्री और पुण्य का होना अनिवार्य है। योग्यता की दुहाई देकर यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्रीवेद के उदय से कुमार के ही साथ रमण



करने की इच्छा होती है और यह कुमारी को ही होती है । इसी तरह पुरुषवेद के उदय से यह नहीं कहा जा सकता कि पुरुष को कुमारी के साथ ही रमण करने की इच्छा होती है—विधवा के साथ नहीं होता । मतलब यह कि स्त्रीपुरुष वेदोदय के कार्य में स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है, कुमार कुमारी का होना आवश्यक नहीं है । इसीलिये राजवातिक के लक्षण के अर्थ में स्त्रीपुरुष का नाम लिया—कुमार कुमारी का नाम नहीं लिया ।

आक्षेप ( ए )—स्त्री वेद के उदय से तो स्त्री मात्र से भोग करने की निर्गल प्रवृत्ति होती है । वह विवाह नहीं है—व्यभिचार है । जहाँ मर्यादा रूप कन्या पुरुष में स्वीकारता है वही विवाह है । कामसेवन के लिये दोनों यत्न होते हैं । 'मैं कन्या तुम ही पुरुष से मैथुन करूँगी और मैं पुरुष तुम ही कन्या से मैथुन करूँगा' यह स्वीकारता किस की है? जयन्त कि कुमार अवस्थामें दोनों ब्रह्मचारी हैं । यहाँ समयकी अवधि नहीं है, अतः यह कन्या पुरुष की स्वीकारता यावज्जीव है ।

समाधान—सिर्फ स्त्रीवेद के उदय को कोई विवाह नहीं कहता । उससे तो काम लालसा होती है । उस काम लालसा को मर्यादित करने के लिये विवाह है । इसलिये स्त्रीवेद के उदय के बिना विवाह नहीं कहा जा सकता और स्त्रीवेदके उदय होने पर भी काम लालसा को मर्यादित न किया जाय तो भी विवाह नहीं कहा जा सकता । काम लालसा को मर्यादित करने का मतलब यह है कि संसारकी समस्त ग्रियोंसे काम लालसा हटाकर किसी एक स्त्रीमें नियत करना । यह स्त्री चाहे कुमारी हो या विधवा, अगर काम लालसा वहीं यत्न हो गई है तो मर्यादा को रक्षा हो गई । मैकड़ों कन्याओं के साथ विवाह करने रहने पर भी काम लालसा मर्यादित कहलानी रहे और

ममन्त स्त्रियों का त्याग करके एक विधवा में काम लालसा का यत्न करने से भी काम लालसा मर्यादित न मानी जावे, इस नामममन्त का कुछ ठिकाना भी है ? आक्षेपक के कथनानुसार जैसे कन्या 'तुम ही पुरुष' से मैथुन करने की प्रतिज्ञा करती है, उन्ही तरह पुरुष भी तो "तुमही कन्या" से मैथुन करने की प्रतिज्ञा करता है। पुरुष तो विधुर हो जाने पर या सपत्नीक होने पर भी अनेक स्त्रियों के साथ विवाह करता रहे—फिर भी उसको 'तुम ही कन्या' की प्रतिज्ञा बनी रहे और स्त्री, पति के मर जाने के बाद भी किसी एक पुरुष से विवाह करे तो इनमें ही 'तुम ही पुरुष' वाली प्रतिज्ञा नष्ट हो जावे ! बाहरे 'तुमही' !

यह 'तुम ही' का 'ही' तो बड़ा विचित्र है जो एक तरफ तो सैकड़ों बार मारे जाने पर भी बना रहना है और दूसरी तरफ ज़रा सा धक्का लगते ही समाप्त हो जाता है ! क्या आक्षेपक इस बात पर विचार करेगा कि जब उसके शब्दों के अनुसार ही स्त्री और पुरुष दोनों की प्रतिज्ञा यावज्जीव थी तो पुनर्विवाह से स्त्री, प्रतिज्ञाच्युत क्यों कही जाती है और पुरुष क्यों नहीं कहा जाता है ? यहाँ आक्षेपक को अपने 'यावज्जीव' और 'ही' का बिलकुल ग़याल ही नहीं रहा। इसीलिये अपना धुन में मस्त होकर वह एक तरफ़ा डिगरी देता हुआ कहता है—

आक्षेप ( ए )—जब यावज्जीव की प्रतिज्ञा कन्या करती है तो फिर पति के मर जाने पर वह विधवा हुई तो यदि पुरुषान्तर ग्रहण करती है तो अकलङ्कदेव प्रणीत लक्षण से उसका विवाह नहीं कहा जा सकता। यह व्यभिचार है।

समाधान—ठीक इसी तरह आक्षेपक के शब्दानुसार कहा जा सकता है कि जब यावज्जीव की प्रतिज्ञा पुरुष करता है तो फिर पत्नी के मर जाने पर वह विधुर हुआ। सो यदि

वह दूसरी कन्या ग्रहण करता है तो अकलङ्क देव प्रणीत लक्षण में उसका विवाह नहीं कहा जा सकता । वह व्यभिचार है ।

यदि इतने पर भी पुरुष का पुनर्विवाह विवाह है, व्यभिचार नहीं है, तो स्त्रीका पुनर्विवाह भी विवाह है, व्यभिचार नहीं है । आक्षेपक के शब्द ही पूर्वापरविरुद्ध होने से उसके वक्तव्य का खंडन करते हैं । वे काने की दृष्टि के समान एक तरफ़ा तो हैं ही ।

आक्षेप ( ऐ )—राजवार्तिक के भाष्यमें विवाह के लिए कन्या शब्द का प्रयोग किया गया है । यह बात लेखक स्वयं मानते हैं ।

समाधान—कन्या शब्द का अर्थ 'विवाह योग्य स्त्री है—विवाह के प्रकरणमें दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता । यह बात हम पहिले लेखमें सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ भी आगे सिद्ध करेंगे । परन्तु "तुष्यतु दुर्जनः" इस न्याय का अवलम्बन करके हमने कहा था कि कन्या शब्द, कन्या के अन्य विशेषणों की भाँति आदर्श या बहुलता को लेकर ग्रहण किया गया है । इसीलिए वार्तिक में जो विवाह का लक्षण किया है उस में कन्या शब्द नहीं है । टीका में कन्या-विवाह का दृष्टान्त दिया गया है, इस से कन्या का ही धरण विवाह कहलायेगा, यह बात नहीं है । अकलङ्क देव ने अन्यत्र भी इसी शैली से काम लिया है । वे वार्तिक में लक्षण करते हैं और उसकी टीका में बहुलता को लेकर किसी दृष्टान्तको इस तरह मिला देते हैं जैसे यह लक्षण ही हो । अकलङ्क देव की इस शैली का एक उदाहरण और देखिये—

संगृह्य प्रकाशनम् रदोभ्याप्यार्त्तं ( वार्तिक ) स्त्री पुंसाभ्यां एवान्तेऽनुष्ठितस्य क्रियाविशेषस्य प्रकाशनं यन् रदो-

भ्याख्यानं नद्वेदितव्यं ( भाष्य ) । धार्मिक में ' रहोभ्याख्यान ' का अर्थ किया गया है 'किसी की गुप्त बात प्रगट करना' परन्तु भाष्य में बहुलता की अपेक्षा लिखा गया है कि 'स्त्री पुरुष ने जो एकान्तमें कार्य्य किया हो उसका प्रकाशित करना' रहोभ्याख्यान है । भाष्य के अनुसार 'स्त्री पुरुष' का उल्लेख आचार्य्य प्रभाचन्द्रने रत्नकरगडकी टीकामें, आशाधरजीने अपने सागार-धर्माभृत में भी किया है । आचार्य्य पूज्यपाद भी इसी तरह लिख चुके हैं । इस विवेचनसे आज्ञे एक सरीखे लोग तो यही अर्थ निकालेंगे कि 'स्त्री-पुरुष' की गुप्त बात प्रगट करना रहोभ्याख्यान है । अन्य लोगों की गुप्त बात प्रगट करना रहो-भ्याख्यान नहीं है । परन्तु विद्यानन्दि स्वामी ने श्लोक धार्मिक में जो कुछ लिखा है उससे बात दूसरी ही हो जाती है ।

"संवृतस्य प्रकाशनं रहोभ्याख्यानं, स्त्री पुरुषानुष्ठित गुप्त क्रिया विशेष प्रकाशनवत्" अर्थात् गुप्त क्रिया का प्रकाशन, रहोभ्याख्यान है । जैसे कि स्त्री-पुरुष की गुप्त बात का प्रकाशन । यहाँ स्त्री पुरुष का नाम उदाहरण रूपमें लिया गया है । इससे दूसरों की गुप्त बात का प्रकाशन करना भी रहोभ्याख्यान कहलाया । यही बात रायचन्द्र ग्रन्थमाला से प्रकाशित नत्वार्थ भाष्य में भी मिलती है—"स्त्री पुंसयोः परस्परेणान्यस्यवा"

मेरे कहने का सार यह है कि जैसे रहोभ्याख्यान की परिभाषा में बहुलता के कारण दृष्टांत रूप में 'स्त्री पुरुष' का उल्लेख कर दिया है उसी तरह विवाह की परिभाषा में मूलमें कन्या-शब्द न होने पर भी, बहुलता के कारण उदाहरण रूप में कन्या-शब्दका उल्लेख हुआ है । जिसका अनुकरण रहोभ्याख्यान की परिभाषा के 'स्त्री पुरुष' शब्द की तरह दूसरों ने भी किया है । परन्तु विद्यानन्दि स्वामी के शब्दोंसे यह बात साफ़

ज़ाहिर होती है कि गृहोभ्याख्यान का 'रहः' स्त्री पुरुष में ही कैद नहीं है और न विवाह का 'घरण' कन्या में ही कैद है। इसीलिये श्लोक चार्तिक में विवाहकी परिभाषा में 'कन्या'शब्द का उल्लेख ही नहीं है।

इस ज़रासी घात को समझाने के लिये हमें इतनी पंक्तियाँ लिखनी पड़ी हैं। पर करें क्या ? ये आक्षेपक लोग इतना भी नहीं समझते कि किस ग्रन्थ की लेखन शैली किस ढङ्ग की है। ये लोग 'धर्म-विरुद्ध, धर्म-विरुद्ध' चिह्नाने में जितना समय बरबाद करते हैं उतना अगर शास्त्रों के मनन करने में लगावें तो योग्यता प्राप्त होने के साथ सत्य की प्राप्ति भी हो। परन्तु इन्हें सत्य की परचाह हो तय तो !

आक्षेप—( श्री ) जो देने के अधिकारी हैं वे सब उपलक्षणसे पितृ सदृश हैं। उनके समान कन्याके स्थानमें विधवा जोड़ना सर्वथा असंगत है। क्योंकि विधवा के दान करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर पुरुष किसी के नाम वसीयत कर जाय तो यह कल्पना स्थान पा सकती है।

पिता ने कन्या जामाता को दी, अगर जामाता फिर किसी दूसरे पुरुषको देना चाहे तो नहीं देसकता है; फिर दूसरा कौन दे सकता है ?

समाधान—जिस प्रकार देने के अधिकारी उपलक्षण से पितृ सदृश हैं उसी प्रकार विवाह योग्य सभी स्त्रियाँ कुमारी सदृश हैं; इस में न कोई विषमता है न असङ्गतता। आक्षेपक का हृदय इतना पतित है कि वह स्त्रियों को गाय, भैंस आदि की तरह सम्पत्ति या देने लेने की चीज़ समझता है। इसीलिये वह लिखता है "कन्या पिता की है, पिता नहीं तो जो कुटुम्बी हों वेही उसके स्वामी हैं" लेकिन जैन शास्त्रों के अनुसार पिता वैगैरह उसके संरक्षक हैं—स्वामी नहीं। स्त्री कोई सम्पत्ति नहीं

हैं यहाँ तक कि वह पति की भी सम्पत्ति नहीं है । सम्पत्ति, इच्छानुसार स्वामी को नहीं छोड़ सकती, जबकि स्त्री अपने 'पति' को छोड़ सकती है । यही कारण है कि अग्निपरीक्षा के बाद सीताजी ने राम को छोड़कर दीक्षा लेली । रामचन्द्र प्रार्थना करते ही रहगये । क्या सम्पत्ति इस तरह मालिक की उपेक्षा कर सकती है ? स्त्रियों को सम्पत्ति कहकर अपनी माँ यद्दिनों का घोर अपमान करने वाले भी जैनी कहलाते हैं, यह आश्चर्य की बात है ।

यदि स्त्रियाँ सम्पत्ति हैं तो स्वामी के मरने पर उन का दूसरा स्वामी होना ही चाहिये, क्योंकि सम्पत्ति लावारिस नहीं रहती है । स्त्रियों को सम्पत्ति मान लेने पर तो विधवा-विवाह की आवश्यकता और भी इयादः हो जाती है । हम पूछते हैं कि पति के मर जाने पर विधवा, लावारिस सम्पत्ति बनती है या उसका कोई स्वामी भी होता है । यदि आक्षेपक उसे लावारिस सम्पत्ति मानता है तब तो गवर्नमेन्ट उन विधवाओंको हथिया लेगी, क्योंकि 'अस्वामिकस्य द्रव्यस्य दायादो मेदिनी पतिः' अर्थात् लावारिस सम्पत्ति का उत्तराधिकारी राजा होता है । क्या आक्षेपक की यह मन्शा है कि जैनसमाज की विधवाएँ अंग्रेजोंको देदो जायँ ? यदि वे किसीकी संपत्ति हैं तो आक्षेपक बतलाये कि वे किसकी सम्पत्ति हैं ? जैसे थाप की अन्य सम्पत्ति का स्वामी उसका बेटा होता है, क्या उसी प्रकार वह अपनी माँ का भी स्वामी बने ? कुछ भी हो, स्त्रियों को सम्पत्ति मानने पर उनका कोई न कोई स्वामी अवश्य सिद्ध होता है और उसो को अधिकार है कि वह उस विधवा को किसी योग्य पुरुष के लिये देदे ।

इस तरह स्त्रियोंको सम्पत्ति मानने का सिद्धांत जंगली-पन से भरा होने के साथ विधवाविवाह-विरोधियों के लिये •

आत्मघातक है। एक तरफ तो आक्षेपक कहता है कि पिता की कन्या जामाता की सम्पत्ति है, दूसरी तरफ कहता है कि जामाता भी किसी को देना चाहे तो नहीं दे सकता। जब सम्पत्ति है तब क्यों नहीं दे सकता ? क्या इससे यह सिद्ध होता कि स्त्री किसी की सम्पत्ति नहीं है ? सम्पत्ति मागने वाले कन्या-विक्रय के साथ भार्या-विक्रय-मातृ-विक्रय की कुप्रथाओं का भी सूत्रपात करते हैं। स्त्रियाँ किसी की सम्पत्ति हों चाहे न हों, दोनों ही अवस्थाओं में विधवाओं को विवाह का अधिकार रहता है। इस तरह विवाह योग्य सभी स्त्रियाँ उपलक्षणसे कुमारी सदृश हैं; कन्या के सभी संरक्षक उपलक्षण से पितृसदृश।

आक्षेप (औ)—कन्या नाम स्त्री सामान्य का भी है, हम भी इसे स्वीकार करते हैं। विश्वलोचन कोप ही क्या, हेम और मेदिनी कोप भी ऐसा लिखते हैं, परन्तु जहाँ-जहाँ सम्बन्ध होगा, शब्द का अर्थ भी वहाँ वैसा मानना होगा।

समाधान—जब आक्षेपक कन्या का अर्थ स्त्री-सामान्य स्वीकार करता है और विवाह के प्रकरण में कन्या शब्द का अर्थ 'विवाह योग्य स्त्री' करता है तो इसमें सम्बन्ध-विरुद्धता या प्रकरणविरुद्धता कैसे हो गई ? विवाह के प्रकरण में विवाह योग्य स्त्री को प्रकरण-विरुद्ध कहना बुद्धि का अद्भुत परिचय देना है। भोजन करते समय सैन्धव शब्द का अर्थ घोड़ा करना प्रकरण-विरुद्ध है, क्योंकि घोड़ा पाने की चीज़ नहीं है, परन्तु विवाहयोग्य स्त्री तो विवाह की चीज़ है। यह विवाह के प्रकरण में प्रकरण-विरुद्ध कैसे हो सकती है ? आक्षेपक कहेगा कि

यह लिखता है "ये कुमारी की है, होता है, इसलिये कन्या का कुमारी" "येही उसके स्वामी हैं" लेकिन, परन्तु यह तो आक्षेपक की मक  
उपलक्षण संरक्षक हैं—स्वामी के अनुसार तो कुमारी और विधवा

दोनों का विवाह हो सकता है। इसलिये सुधारकों के लिये “विवाह योग्य स्त्री अर्थ” ही प्रकरण-सङ्गत है। आक्षेपक के समान सुधारक लोग तो जैनधर्म को तिलाञ्जलि दे नहीं सकते।

आक्षेप (अं)—साहसगति के मुँह से सुतारा की कन्या कहलाकर कवि ने साहित्य की छटा दिखलाई है। उसकी दृष्टि में वह कन्या समान ही थी। साहसगति के भावों में सुतारा की कामवासना सूचित करने के लिये कवि ने नारी भार्या आदि न लिखकर कन्या शब्द लिखा। यदि पेना भाव न होता तो कन्या न लिखकर गण्डा लिख देता।

समाधान—कविने गण्डा इसलिये न लिखा कि सुतारा तब राँड नहीं हुई थी। साहसगति सुप्रीधसे लड़कर या उसे मार कर सुतारा नहीं छीनना चाहता था—वह धोखा देकर छीनना चाहता था। इसीलिये उसने रूप-परिवर्तिनी विद्या सिद्ध की। आवश्यकता होने पर लड़ना पड़ा यह बात दूसरी है। खैर ! जब तक सुप्रीध मरा नहीं तब तक सुतारा को राँड कैसे कहा जा सकता था।

दध्यौचेतमि कामाग्निदग्धा निःसार मानसः ।

केनोपायेनतां कन्यांलप्स्ये निवृत्तिदायिनी ॥१०१४॥

यह श्लोक हमने यह सिद्ध करने के लिये उद्धृत किया था कि कन्याशब्द का ‘स्त्री सामान्य’ अर्थ भी है और इसके उदाहरण साहित्यमें मिलते हैं। आक्षेपक ने हमारे दोनों अर्थों को स्वीकार कर लिया है; तब समझमें नहीं आता कि वह उस अर्थ के समर्थन का क्यों अस्वीकार करता है। यह श्लोक विधवाविवाह के समर्थन के लिये नहीं दिया है। सिर्फ कन्या-शब्द के अर्थ का खुलासा करने के लिये दिया है, जो अर्थ आक्षेपक को मान्य है।

नारी, भार्या न लिखकर कन्या लिखने से कामवासना



कैसे सूचित हुई ? अगर कन्या शब्द का अर्थ कुमारी रक्खा जावे तब तो भार्याहरण की अपेक्षा कन्याहरण में कामवासना कम ही मालूम होती है ।

अमली घान तो यह है कि साहसगति विद्याधर दो पुत्रों की माता हों जाने पर भी सुतारा को प्रौढ़ा नहीं मानता था । उसकी दृष्टिमें उन समय भी वह परम सुन्दरी थी; उस में विद्याह योग्य स्त्री के सब गुण मौजूद थे । इसीलिये उसने सुतारा को कन्या कहा । सुतारा में इस समय भी विद्याहयोग्य स्त्री के समान सौंदर्यादि थे, इसलिये कविने उसे कन्या कहला कर यह बात और भी साफ़ करदी है कि विद्याहयोग्य स्त्रीको कन्या कहते हैं । अगर कवि का यह अर्थ अभिमत न होता तो इस जगह वह 'याला' शब्द का प्रयोग करता जिसमें साहसगति की कामानुरता का चित्र और अधिक खिल जाता ।

खैर, ज़रा व्याकरण की दृष्टिसे भी हमें कन्या शब्द पर विचार करना है । व्याकरण में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के कई तरीके हैं । कहीं डोप्, कहीं टीप्, कहीं इन ( हिंदी में ) आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं तो कहीं शब्दोंका रूप बिलकुल बदल जाता है । जैसे पुत्र पुत्री आदि शब्दों में प्रत्यय लगाये जाते हैं जबकि माता पिता, भाई बहिन में शब्द ही बदल दिया जाता है । भाई और बहिन दोनों शब्दों का एक अर्थ है; अन्तर इतना है कि भाई शब्द से पुरुष जातीय का बोध होता है जबकि बहिन शब्द से स्त्री जातीय का । इसी तरह घर और कन्या शब्द हैं । दोनों का अर्थ एक ही है; अन्तर इतना ही है कि एक से पुरुष का बोध होता है दूसरे से स्त्री का । अपने विवाह के समय प्रत्येक पुरुष घर कहा जाता है, चाहे उस का पहिला विवाह हो, चाहे दूसरा । ऐसा नहीं है कि पहिले विवाह के समय 'घर' कहा जाय और दूसरे विवाह के समय घर न

कहा जाय । तथा हर एक कुमार को घर नहीं कह सकते । इसी प्रकार अपने विवाह के समय प्रत्येक स्त्री 'कन्या' कही जाती है, चाहे यह उनका पहिला विवाह हो चाहे दूसरा । ऐसा नहीं हो सकता कि पहिले विवाह के समय वह कन्या कही जाय और दूसरे विवाह के समय न कही जाय । मनलव यह कि विवाह कराने वाली प्रत्येक स्त्री कन्या है और विवाह न कराने वाली कुमारी भी कन्या नहीं है । अन्य प्रकरण में कन्या शब्द के भले हो दूसरे अर्थ हों, परन्तु विवाह के प्रकरण में अर्थात् घरण करने के प्रकरण में कन्या शब्द का 'विवाह कराने वाली स्त्री' अर्थ ही हो सकता है । इसी अर्थ को ध्यान में रख कर कवि ने साहसगति के मुँह से सुनारा को कन्या कहलाया है । इसी प्रयोग से कवि ने थलला दिया है कि कवि को वाच्य वाचक सम्बन्ध का कैसा सूक्ष्म परिचय है ।

कविवर ने अपने इस सूक्ष्म ज्ञान का परिचय अन्यत्र भी दिया है कि जिस से सिद्ध होता है कि कविवर, कन्या शब्द का अर्थ 'विवाह कराने वाली स्त्री' या 'ग्रहण को जाने वाली स्त्री' करते हैं । यहाँ पर कविवर ने कन्या शब्द का प्रयोग किसी साधारण पात्र के मुँह से न कराके एक अविद्वानी मुनि के मुँह से कराया है ।

राजा कुण्डलमण्डित ने पिगल ब्राह्मण की स्त्री का हरण कर लिया था । जन्मान्तर की कथा सुनाते समय अविद्वानी मुनिराज इस घटना का उल्लेख इन शब्दों में करते हैं—

अहरतिपगलात् कन्यां तथा कुण्डल मंडितः ।

पद्मार्थं पुरा वृत्तः सम्बन्धः परिकीर्तितः ॥ ३०-१३३ ॥

अर्थात्—कुण्डलमण्डित ने पिगल ब्राह्मण की स्त्री

अङ्गरेज़ी में कन्या के बदले Miss ( मिस ) शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु कन्या शब्द का अर्थ जब कुमारी किया जायगा तभी उसका पर्याय शब्द Miss ( मिस ) होगा, जब नारी अर्थ किया जायगा तब Miss ( मिस. ) शब्द उसका पर्याय-वाची नहीं बन सकता। असली बात तो यह है कि 'घर' और 'कन्या' शब्दों का ठीक हिंदी अनुवाद होगा 'दूल्हा' और 'दुल्हन'। जिस प्रकार 'दूल्हा' को 'घर' कहते हैं उन्ही प्रकार दुल्हन को 'कन्या' कहते हैं। घर शब्द का अङ्गरेज़ी अनुवाद है Bride-groom ( ब्राइडग्रूम ); इसलिये कन्या शब्द का अनुवाद होगा Bride ( ब्राइड )। विवाह के प्रकरण में कन्या शब्द का दुल्हन अर्थात् Bride अर्थ लगाना ही उचित है। जिस प्रकार भोजन के समय सैन्धव शब्द का घोड़ा अर्थ करना पागलपन है, उसी प्रकार विवाह के प्रकरण में कन्या शब्द का कुमारी अर्थ करना पागलपन है। उस समय तो कन्या शब्द का दुल्हन अर्थ ही होना चाहिये। वह दुल्हन कुमारी भी हो सकती है, और विधवा भी हो सकती है। इसलिये कन्या शब्दके कारण विधवाविवाह का निषेध नहीं किया जा सकता।

आक्षेप—(क) सभी देवियों को दूसरे देवों के साथ नहीं रहना पड़ता। देवी जिसे चाहे उसी देव को अपना पति नहीं बना सकती, परन्तु अपने नियोगी को ही पति बना सकती है। देवियों के दृष्टान्त से विधवाविवाह को पुष्टि न करना चाहिये। दृष्टान्त जिस विषय का है पुष्टि भी वैसी करेगा। देवाङ्गना दूसरी गति है। वे रजस्वला नहीं होतीं, गर्भधारण नहीं करतीं, उन के पलक नहीं गिरते, जब कि मनुष्यनी की ये बातें होती हैं।

समाधान—सभी देवियों को दूसरा पति नहीं करना पड़ता, परन्तु जिन देवियों का पति मर जाता है वे पति के

स्थान पर पैदा होने वाले अन्य देव को पति बना लेती हैं, यह बात तो बिलकुल सत्य है। जैसा कि आदिपुराण के निम्नलिखित श्लोकों से मालूम होता है :—

भीमः साधुः पुरे पुंडरीकण्यां घातिघातनात् ।

—पर्व० ४६ । श्लो० ३४८ ।

रम्ये शिवं करोद्याने पञ्चमज्ञान पूजितः ।

तस्मिन्निर्वास्तं समागत्य चतस्रो देवयोपितः ॥ ४६ । ३४९ ॥

धंदित्वाधर्ममाकर्ण्य पापादस्मत्पतिमूर्तः ।

त्रिलोकेशवदास्माकं पतिः कोन्यो भविष्यति ॥ ४६।३५०॥

पुरांडरीकपुर के शिवंकर नामक बगीचे में भीम नामक साधु की घातिया कर्मों के नाश करने से केवल ज्ञान हुआ। उन के पास चार देवाङ्गनाएँ आईं। वन्दना की, धर्म सुना। फिर पूछा—हे त्रिलोकेश ! पापकर्म के उदय से हमारा पति मर गया है, इसलिये कहिये कि हमारा दूसरा पति कौन होगा ?

यह बात दूसरी है कि यहूतसो देवाङ्गनाओं को विधवा नहीं होना पड़ता, इससे दूसरा पति नहीं करना पड़ता। परन्तु जिन्हें करने की ज़रूरत होती है वे दूसरे पति का त्याग नहीं कर देंगीं। हाँ, देवाङ्गनाएँ दूसरे देव को नहीं पकड़तीं, अपने नियोगी को ही पकड़ती हैं; सो यह बात कर्मभूमि में भी है। मध्यलोक में भी नियोगी के साथ ही दाम्पत्यसम्बन्ध होता है। हाँ, देवगति में नियोगी पुरुष और नियोगिनी स्त्री का चुनाव (नियोग = नियुक्ति) देव ही कर देता है जबकि कर्मभूमि में नियोगी और नियोगिनी के लिये पुरुषार्थ करना पड़ता है। सो इस प्रकार का पुरुषार्थ विधवाओं के लिये ही नहीं करना पड़ता, कुमारियों के लिये भी करना पड़ता है। दैवरुत और प्रयत्नरुत नियोग की बात से हमें कुछ मतलब नहीं। देखना यह है कि देवगति में देवियाँ एक देव के मरने पर

दूसरा देव प्राप्त कर लेती हैं। इतना ही नहीं, दूसरे देव को प्राप्त करने की लालसा इतनी बढ़ जाती है कि वे थोड़ी देर भी शान्त न बैठ कर केवली भगवान के पास पहुँचने जाती हैं। केवली भगवान भी दूसरे पति के विषय में उत्तर देते हैं। अगर दूसरे पति को ग्रहण करना पाप होता तो वे देवियाँ धर्म श्रवण करने के बाद केवली भगवान से ऐसा प्रश्न न करतीं। और न केवली भगवान के पास से इस का उत्तर मिलता। जब केवली भगवान ने उन्हें धर्म सुनाया तो उसमें यह बात क्यों न सुनाई कि दूसरा पति करना पाप है? क्या इससे यह बात साफ नहीं हो जाती कि जैनधर्म में विधवा-विवाह को वही स्थान प्राप्त है जो कुमारीविवाह को प्राप्त है। इनके पर भी जो लोग विधवाविवाह को धर्मविरुद्ध समझते हैं वह पुरुष मदीमत्त, मिथ्यादृष्टि नहीं तो क्या हैं? देवांगना दूसरी गति में हैं और उनके शरीर में रस रक्तादि नहीं हैं, तो क्या हुआ? जैनधर्म तो सत्य जगह है। मिथ्यात्व और दुर्गचार शरीर के विकार नहीं, आत्मा के विकार हैं। इस लिये शरीर की गुणगथा से अधर्म, धर्म नहीं बन सकता। यहाँ धर्म अधर्म की मीमांसा करना है, हाड़ माँस की नहीं। हाड़ माँस तो सदा अपवित्र है, यह न तो पुनर्विवाह से अपवित्र होता है और न पुनर्विवाह के बिना पवित्र। अगर यह कहा जाय कि देवगति में ऐसा ही रिवाज है, इसलिये यहाँ पाप नहीं माना जाता; विधवा देवियों को ग्रहण करने वाले भी क्षायिक सम्यग्दृष्टि होते हैं और दूसरे देव को ग्रहण करने वाली देवियाँ, स्त्री होने से क्षायिक सम्यक्तव तो नहीं पा सकतीं, परन्तु बाकी दोनों प्रकार के सम्यक्तव प्राप्त कर सकती हैं। यदि रिवाज होने से देवगति में यह पाप नहीं है तो यहाँ भी पुनर्विवाह के रिवाज हो जाने पर पाप नहीं कहला सकता।

दुयारा विवाह नहीं होता' । यशस्तिलक में लिखा है कि 'एक-  
वार जो कन्या स्त्री बनाई जाती है वह विवाह द्वारा फिर दुबारा  
स्त्री नहीं बनाई जाती' । आदिपुराण में अर्ककीर्ति कहते हैं 'कि  
में उस विधवा सुलोचना का क्या करूँगा' । नीतिशास्त्रामृत में  
श्रेष्ठ शूद्रों में भी कन्या का एकवार विवाह माना जाता है ।

समाधान—जैनगज़ट में श्लोक नहीं छपते, इस की ओट  
लेकर पण्डित लोग खूब मनमानी गप्पें हाँक लिया करते हैं ।  
अगर श्लोक देने लगे तो सारी पोल खुल जाय । खैर, प्रयोध-  
सार में तो किसी भी जगह के ४४ नम्बर के श्लोक में हमें  
विधवाविवाह का निषेध नहीं मिला । यशस्तिलक के श्लोक  
के अर्थ करने में आक्षेपक ने जान बूझकर धोखा दिया है ।  
ज़रा वहाँ का प्रकरण और वह श्लोक देखिये ।

किस तरह की मूर्ति में देवकी स्थापना करना चाहिये,  
इसके उत्तर में सोमदेव लिखते हैं कि विष्णु आदिकी मूर्ति में  
अरहन्त की स्थापना न करना चाहिये । जैसे—जब तक कोई  
स्त्री किसी की पत्नी है तब तक उस में ( परपरिग्रहे ) स्वस्त्री  
का सङ्कल्प नहीं किया जा सकता । कन्याजन में स्वस्त्री का  
सङ्कल्प करना चाहिये ।

शुद्धेयस्तूनि सङ्कल्पः कन्याजन इवोचितः ।

नाकारान्तर संक्रान्ते यथा परपरिग्रहे ॥

मतलब यह कि मूर्ति का आकार दूसरा हो और स्था-  
पना किसी अन्य की की जाय तो वह ठीक नहीं । हनुमान की  
मूर्ति में गणेश की स्थापना और गणेश की मूर्ति में जिनेन्द्र की  
स्थापना अनुचित है । परन्तु मूर्ति का आकार बदलकर अगर  
स्थापना के अनुरूप बना दिया जाय तब वह स्थापना के प्रति-  
फल नहीं रहती । अन्य धर्मावलम्बियों में तो पत्थरों के ढेर और  
पहाड़ों तक को देवता की मूर्ति मान लेते हैं । इसलिये क्या

इतना तुफान मचाना किस काम का ? यदि अनमेल आदि विवाह धर्मविरुद्ध नहीं हैं तो विधवाविवाह भी धर्मविरुद्ध नहीं है । इसलिये जिस प्रकार 'निर्दोष' विशेषण सदापा के विवाह को धर्मविरुद्ध नहीं ठहरा सकता, उसी प्रकार 'कन्या' विशेषण विधवा के विवाह को धर्मविरुद्ध नहीं ठहरा सकता । इसके लिये हमने पहिले लेख में खुलासा कर दिया है कि 'कन्या और विधवा में करुणानुयोग की दृष्टि में कुछ अन्तर नहीं है जिससे कन्या और विधवा में जुड़ी जुड़ी का आशय बनाई जाय' । इस अनुयोग सम्यन्धी प्रश्न का आप कुछ उत्तर नहीं दे सके ।

आक्षेप ( घ )—जैन सिद्धान्त में कन्या का विवाह होता है, यह स्पष्ट लिखा है । विधवा को आर्यिका होने का या वैधव्य स्वीक्षा धारण करने का स्पष्ट विधान है । इसलिये विधवाविवाह का विधान व्यभिचार को पुष्टि है ।

समाधान—कन्या शब्द का अर्थ 'विवाह कराने वाली स्त्री' या 'दुल्हिन' है ( स्त्री सामान्य आपने भी माना है ) । दुल्हिन कुमारी भी हो सकती है और विधवा भी हो सकती है, इसलिये जैन सिद्धान्त को आतासे विधवाविवाह का कुछ विरोध नहीं । शास्त्रों में तो अनेक तरह की स्वीक्षाओं के विधान हैं, परन्तु जो लोग स्वीक्षा ग्रहण नहीं करते, वे धर्मभ्रष्ट नहीं कहलाते । जिनमें विरक्ति के भाव पैदा हुए हों, कपार्ये शांत होगए हों, वे कमी भी स्वीक्षा ले सकती हैं । परन्तु जब विरक्ति नहीं है, कपार्ये शांत नहीं हैं, तब जबरदस्ती उनमें स्वीक्षा नहीं लाया जा सकती । 'ज्यो ज्यो उपशमत् कपाया, स्यो स्यो तिन स्याग पताया' का सिद्धान्त आपको ध्यान में रखना चाहिये । इस विषय को प्रायः सभी पार्श्व पदिसं पही जा चुकी है ।

आक्षेप ( ङ )—प्रबोधनात् में लिखा है कि 'कन्या का

विधवाविवाह से सहमत न थे; परन्तु जब विधवाविवाह का वे खरगहन नहीं करते और विधवाविवाह आदि के समर्थक वाक्य को उद्धृत करते हैं तो मूर्ख से मूर्ख भी कह सकता है कि सोमदेव जी विधवाविवाह के पक्षपाती थे । दूसरी बात यह है कि स्मृति शब्द से अज्ञानों के धर्मशास्त्र ही ग्रहण नहीं किये जा सकते । जैनशास्त्र भी श्रुति स्मृति आदि शब्दों से कहे गये हैं, जैसाकि आदिपुगण के ४४ वें पत्र में कहा गया है—

सनातनोऽस्ति मार्गोऽयम् श्रुतिस्मृतिषु भाषितः ।

विवाहविधि भेदेषु चण्डिहोहि स्वयंवरः ॥४४॥३२॥

यहाँ पर जैन शास्त्रों का उल्लेख श्रुति स्मृति शब्द से हुआ है । और भी अनेक स्थानों पर ऐसा ही शब्द व्यवहार देखा जाता है । मनलब यह कि नीतिवाक्यामृत में जो स्त्री के पुनर्विवाह का समर्थक वाक्य पाया जाता है उससे सोमदेव जी तो पुनर्विवाह समर्थक ठहरते ही हैं, साथ ही अन्य जैनाचार्यों के द्वारा भी इसका समर्थन होता है । ऐसे सोमदेवाचार्य के यशस्तिहक के श्लोक से विधवाविवाह का विरोध सिद्ध करने की कुचेष्टा करना दुःसाहस नहीं तो क्या है ?

पाठक अब ज़रा अर्ककीर्ति के वाक्य पर विचार करें । जब सुलोचनाने जयकुमार को घर लिया तब अर्ककीर्तिके मित्र दुर्मर्षण ने अर्ककीर्ति को समझाया—

रत्नं रत्नेषु कन्यैव तत्राप्येवैव कन्यका ।

तत्त्वां स्वगृहमानीय दौष्ट्यं पश्यास्य दुर्मतेः ॥४४।५॥

रत्नों में कन्यारत्न ही श्रेष्ठ है; उसमें भी यह कन्या ( पाठक यह भी खयाल रखें कि जयकुमार को घर लेने पर भी सुलोचना कन्या कही जा रही है ) और भी अधिक श्रेष्ठ है । इसलिये तुम उसे अपने घर लाकर उस दुर्घुञ्जिकी दुष्टता देखो ( बदला लो ) ।



दुर्मर्षण की बातों में आकर अर्ककीर्ति जयकुमार को मार कर उसकी धरमाला छीनने को उतारू हो गया । इसी-लिये यह कहता है कि—

द्विधा भवतु धा मा धा बलं तेन किमाशुगाः ।

मालां प्रत्यानयिष्यन्ति जयवहो विभिद्यमे ॥ ४४ । ६६ ॥

अर्थात् सेना दो भागोंमें बट जाय चाहे नहीं, मेरा उस से क्या ? मेरे तो बाण जयकुमार का वक्षस्थल चीरकर धर-माला लौटा लावेंगे ।

पाठक विचार करें कि धरमाला को छीन सेना सुलो-चना को प्रहण कर लेना था, जिसके लिये अर्ककीर्ति तैयार हुआ था । निःसन्देह यह काम यह जयकुमारसे ईष्याके कारण कर रहा था । परन्तु अर्ककीर्ति का अनवद्यमति नामका मन्त्री जानता था कि सुलोचना सरोवरी राजकुमारी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी को नहीं धर सकती । इसीलिये तथा अन्य आप-सियों की आशङ्का में उसने अर्ककीर्ति को समझाया कि 'तम चक्रवर्ती के पुत्र होकर के भी क्या अनर्थ कर रहे हो ? तुम्हों में म्याय की रक्षा है और नम्ही ऐसे अन्याय कर रहे हो ! तुम इस युग के परम्प्रीगामियों में पहिले नम्पर के परम्प्रीगामो मत बनो' ।

परदारगभिलाषस्य प्राथम्यं मा वृथा हृथाः ।

अवश्यमादताप्येषा न कन्याते भविष्यति ॥ ४४ । ६७ ॥

अनवद्यमति कीशानें सुनकर अर्ककीर्ति लजित तो हुआ, परन्तु जयकुमार से बदला लेने का और सुलोचना छीनने का उसने पक्का निश्चय कर लिया था, इसलिये युद्ध का प्रोगाम न बदला । हाँ, अपनी मैतिक नकार देने के लिये उसने अपने मन्त्री को निम्नलिखित वाक्य बोल कर भान्वा अवश्य दिया :—

नाह सुलोचनाथर्मि मत्सगी मच्छरैरयम् ।

परासुरधुनैवस्यार्त्तिक मे विधवयातया ॥

मुझे सुलोचनासे कुछ मतलब नहीं, यह घमण्डी जय-कुमार मेरे बाणों से मर जाय । मुझे उस विधवा से क्या लेना है ?

वस, अत्याचारी अर्ककीर्तिकी यह बात ही श्रीलालजी के लिए आगम बन बैठी है । आक्षेपक प्रकरण को छिपा कर इस प्रकार समाज को धोखा देना चाहता है । दुर्मर्षण ने जय सुलोचना की, कन्या-रत्न कहकर प्रशंसा की, तब अर्ककीर्ति से नहीं कहा गया कि मैं उस विधवा का क्या करूँगा ? उस समय तो मुँह में पानी आ गया था । अनवद्यमति की फटकार से कहने लगा कि मैं विधवा सुलोचना को ग्रहण न करूँगा—मैं तो सिर्फ़ बदला लेना चाहता हूँ । अर्ककीर्तिकी यह कांगो चाल थी तथा उससे यह नहीं मालूम होता कि वह विधवा होने के कारण उसको ग्रहण नहीं करना चाहता था । उसने तो परस्त्रीहरण के अन्याय से निर्लज्ज रहने की सफ़ाई दी थी । प्रकरण को देखकर कोई भी समझदार कह सकता है कि इससे विधवाविवाह का खण्डन नहीं होता ।

नीतिवाक्यामृत के वाक्य से विधवाविवाह का विरोध करना यड़ी भारी धोखेबाज़ी है । नीतिवाक्यामृत उन्हीं सोम-देव का बनाया हुआ है जो विधवाविवाह का अनुमोदन करते हैं । तब सोमदेव के वाक्य से विधवाविवाह का विरोध कैसे हो सकता है ? जिस वाक्य से विधवाविवाह का विरोध किया जाता है उसे आक्षेपक ने समझा ही नहीं है, या समझ कर छिपाया है । वह वाक्य यह है—

सशृत्परिणयन व्यचहाराः सच्छूद्राः ।

अर्थात् सच्छूद्र शूद्र वं हैं जो एक ही बार विवाह करते

हैं, अर्थात् एक ही स्त्री रखने हैं। यह नियम उस समय के लिये था जब अनुलोम विवाह की पृथा जोर पर थी। उच्चवर्णी, शूद्र की कन्याएँ लेते थे, लेकिन शूद्रों को देते न थे। ऐसी हालत में शूद्र पुरुष भी अगर बहुपत्नी रखने लगते तब तो शूद्रों के लिये कन्याएँ मिलना भी मुश्किल हो जाता। इसलिये उन्हें अनेक पत्नी रखने की मनाई की गई। जो शूद्र अनेक स्त्रियाँ रखते थे वे असच्छूद्र कहे जाते थे। एक प्रकार से यह नियम भङ्ग करने का दण्ड था। आक्षेपक ने स्त्रियोंके पुनर्विवाह न करने की बात न मालूम कहाँ से खींच ली? उस वाक्य की संस्कृत टीका से आक्षेपक की यह भ्रान्ताकी स्पष्ट हो जाती है—

टीका—“ये सच्छूद्राः शोभनशूद्रा भवन्ति ते सकृत्पणि-  
ण्यनाः एकवारं कृतविवाहाः, द्वितीयं न कुर्वन्तीत्यर्थः । तथा  
च हारीतः द्विभार्योपोत्रशूद्रः स्याद्वृपालः स हिविश्रुतः ।  
महत्वं तस्य नो भावि शूद्र जाति समुद्भवम् ।”

अर्थात्—जो अच्छे शूद्र होते हैं वे एक ही बार विवाह करते हैं, दूसरा नहीं करते हैं। यही बात कही भी है कि दो पत्नी रखने वाला शूद्र वृपाल कहलाता है—उसे शूद्र जाति का महत्व प्राप्त नहीं होता।

‘शूद्रों को बहुत पत्नी न रखना चाहिये’, ऐसे अर्थवाले वाक्य का ‘किसी को विधवाविवाह न करना चाहिये’ ऐसा अर्थ करना सरासर धोखेबाज़ी है। यह नहीं कहा जा सकता कि आक्षेपक को इसका पता नहीं है, क्योंकि त्रिवर्णाचार की परीक्षा में श्रीयुत जुगलकिशोर जी मुद्गल ने इसका ग्रन्थ खुलासा किया है।

इस प्रकार पहिले आक्षेपक के समस्त आक्षेप मिलकुल निर्यत हैं। अब दूसरे आक्षेपक के आक्षेपों पर विचार किया जाता है।

आक्षेप ( च )—यदि विवाह शादी से सम्यक्त्व का कोई सम्बन्ध नहीं तो क्या पारसी, अंग्रेज़ लेडी, यवनकन्या आदि के साथ विवाह करने पर भी सम्यक्त्व का नाश नहीं होता ? यदि नहीं होता तो शास्त्रोंमें विहित समदक्षिका क्या अर्थ होगा ?

समाधान - पारसी अङ्गरेज़ आदि तो आर्य हैं; सम्यक्त्व का नाश तो म्लेच्छ महिलाओंके साथ शादी करने परभी नहीं होता । चक्रवर्ती की ३२ हज़ार म्लेच्छ पत्नियों के दृष्टान्त से यह बात विलकुल स्पष्ट है । चक्रवर्तियों में शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ, अग्नाथ, इन तीन तीर्थङ्करों का भी समावेश है । अन्य अनेक जैनी राजाओं ने भी म्लेच्छ और अनार्य स्त्रियों के साथ विवाह किया है । हां विवाह में इतनी बात का विचार यथासाध्य अवश्य करना चाहिये कि स्त्री जैनधर्मपालने वाली हो अथवा जैनधर्म पालन करने लगे । इस से धर्मपालन में सुभीता होता है । इसीलिये समदक्षि में माधर्मी के साथ रोट्टी वेटी व्यवहार का उपदेश दिया गया है । अगर कोई पारसी, अङ्गरेज़ या यवन महिला जैनधर्म धारण करले तो उसके साथ विवाह करने में कोई दोष नहीं है । पुराने जमानेमें तो ऐसी अजैन कन्याओंके साथ भी शादी होती थी, फिर जैनकी तो बात ही क्या है ? आचार शास्त्रों में लौकिक और पारलौकिक आचारों का विधान रहता है । उन का पालन करना सम्यग्दृष्टि की योग्यता और इच्छा पर निर्भर है । उन आचार नियमों के पालन करने से सम्यक्त्व आता नहीं है और पालन न करनेसे जाता नहीं है । इस लिए आचार नियमों के अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी महिलासे शादी करने से सम्यक्त्व का नाश नहीं होता ।

आक्षेप ( छ )—सराग सम्यक्त्व की अपेक्षा वीतराग सम्यक्त्व विशेष प्राह्य है । फिर भी वीतराग सम्यक्त्व में प्रथम

संवेग अनुकम्पा आम्तिक्रय गुण ज़रूर प्रकट होने चाहिये । निश्चय और व्यवहार दोनों का खयाल रखना चाहिये । व्यवहार, निश्चयका निमित्त कारण नहीं—उपादान कारण है ।

समाधान—सम्यग्दृष्टिमें प्रथम सम्वेगादि होना चाहिये तो रहें । सम्यग्दृष्टि विधवाविवाह करते हुए भी प्रथम सम्वेग अनुकम्पा आम्तिक्रयादि गुण रख सकता है । प्रथम से राग, द्वेष कम हो जाते हैं, सम्वेग से संसार से भय हो जाता है । इतने परभी वह हज़ारों म्लेच्छ कन्याओंसे विवाह कर सकता है, बड़े २ युद्ध कर सकता है और नरकमें हो तो परम कृष्ण लक्ष्या वाला रौद्रपरिणामी बनकर हज़ारों नारकियोंसे लड़ सकता है ! तबभी उस के सम्यक्त्वका नाश नहीं होता । उसके प्रथम संवेगादि बन सकते हैं, तो विधवाविवाह वाले के क्यों नहीं बन सकते ? व्यवहार निश्चय का कारण है । परन्तु विधवाविवाह भी तो व्यवहार है । जिस प्रकार कुमारी विवाह धर्म से दृढ़ रहने का कारण है उसी प्रकार विधवाविवाह भी है । व्यवहार तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से अनेक भेद रूप है । व्यवहार के एक भेद से उसी के दूसरे भेद की जाँच करना व्यवहारैकान्तयादी बन जाना है । निश्चय को कसौटी बना कर व्यवहार को पगीक्षा करना चाहिये । जो व्यवहार निश्चय अनुकूल हो वह व्यवहार है, जो प्रतिकूल हो वह व्यवहाराभास है । विधवा-विवाह निश्चय सम्यक्त्व के अनुकूल अथवा अविच्छेद है । इसलिये वह सच्चा व्यवहार है । व्यवहार सम्यक्त्व के अन्य चिन्हों के साथ भी उस का कोई विरोध नहीं है ।

व्यवहार को निश्चय का उपादान कारण कहना कार्य कारण भाव के ज्ञान का दिवाला निकाल देना है । व्यवहार पराश्रित है और निश्चय स्वाश्रित । क्या पराश्रित, स्वाश्रित का उपादान हो सकता है ? यदि व्यवहार निश्चय का उपादान

कारण है तो वह सिद्धों में भी होना चाहिये; क्योंकि उन के भी निश्चय-सम्यक्त्व है। परन्तु सिद्धों में रागादि परिणति न होने से सराग सम्यक्त्व हो नहीं सकता। तब वह उपादान कारण कैसे कहलाया? यदि व्यवहार निश्चय को पूर्वोत्तर पर्याय मान कर उपादान उपादेय भाव माना हो तो दोनों का सादृश्य (साध रहना) बतलाना व्यर्थ है। तथा इस दृष्टि से तो सम्यक्त्व के पहिले रहने वाली मिथ्यात्व पर्याय भी उपादान कारण कहलायगी। तब सम्यक्त्व की उपादानता में महत्व ही क्या रह जायगा? खैर, हमारा कहना तो यही है कि विधवाविवाह निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व के प्रथमादि गुणों के विरुद्ध नहीं है। इसलिये व्यवहार सम्यक्त्व की दुहाई देकर भी उस का विरोध नहीं किया जा सकता।

श्राक्षेप ( ज )—विवाहों की अष्ट प्रकार की संख्या से घाह्य होने के कारण और इसीलिये भगवत् प्रतिपादित न होने के कारण क्या आस्तिक्य सम्यग्दृष्टि विधवाविवाह को मान्य ठहरा सकता है?

समाधान—विवाह के आठ भेदों में तो बालविवाह, वृद्ध विवाह, पुषतीविवाह, सजातीयविवाह, विजातीयविवाह, अनुलोमविवाह, प्रतिलोमविवाह, सगोत्रविवाह, विगोत्र विवाह, कुमारीविवाह, विधवाविवाह, आदि किसी नाम का उल्लेख नहीं है, तब क्या ये सब आस्तिक्य के विरुद्ध हैं? तब तो कुमारी विवाह भी आस्तिक्य के विरुद्ध कहलाया, क्योंकि आठ भेदों में कुमारी विवाह का भी नाम नहीं है। अगर कहा जाय कि कुमारीविवाह, सजातीय विवाह आदि विवाहों के उपर्युक्त आठ आठ भेद हैं तो वस, विधवाविवाह के भी उपर्युक्त आठ भेद सिद्ध हुए। जैसे कुमारीविवाह

आठ तरह का हो सकता है उसी प्रकार विधवाविवाह भी आठ तरह का हो सकता है ।

आक्षेप (क)—सम्यग्दृष्टि जीव में राग द्वेष को उत्कटता का क्षयोपशम हो गया है । उस के वृत निमय न सही, परन्तु स्वरूपाचरण चारित्र तो है, जो संसार से भयभीत, मद्यमांस आदि से विरक्त, विधवाविवाह आदि राग-प्रवृत्ति से बचाता है । यदि उस के स्वरूपाचरण चारित्र न माना जाय तो वह दुनियाँ भर के सभी रौद्र कर्म करके भी सम्यक्स्वीयता रहेगा ।

समाधान—स्वरूपाचरण तो नारकियों के भी होता है, पाँचों पाप करने वालों के भी होता है, कृष्णलेप्यां वालों के भी होता है । तब विधवाविवाह से ही उस का क्या विरोध है ! सम्यग्दर्शन, भेद विज्ञान, स्वरूपाचरण चारित्र, ये सहचर हैं ? इसलिये जो बात एक के लिए कही गई है वही तीनों के लिये समझना चाहिये । अनन्तानुबन्धी के उदय क्षय से स्वरूपाचरण होता है । इस विषय में लेख के प्रारम्भ में आक्षेप नम्बर 'अ' का समाधान देखना चाहिये ।

आक्षेप (ख)—सातवें नरक में सम्यक्त्व नष्ट न होने की बात आप ने कहाँ से लिखी ?

समाधान—इसका समाधान पहिले कर चुके हैं । देखें आक्षेप नम्बर 'इ' का समाधान ।

आक्षेप (ग)—सम्यग्दृष्टि जीव पञ्च पापोपसेवी नहीं होता, किन्तु उपभोगी होता है अर्थात् उसको दृष्टिपूर्वक पञ्च पापों में प्रवृत्ति नहीं होती ।... पाप तो सदा सर्वथा घोर पाप-बन्धन का ही कारण है । फिर तो सम्यक्स्वी को भी घोर पाप बन्ध सिद्ध हो जायगा और सम्यक्स्वीको बन्धका होना कहने पर अमृतचन्द्र सूरि के "जिस दृष्टि से सम्यग्दृष्टि है उस दृष्टि से बन्ध नहीं होता" इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ?

समाधान—हमने सम्यक्तथी को पञ्चपापोपसेवी नहीं लिखा है, पाँच पाप करने वाला लिखा है। भले ही वह उपभोग हो। उसकी रुचिपूर्वक प्रवृत्तितो पाप में ही क्या, पुण्य में भी नहीं होती। वह तो दोनों को हेय और शुद्ध परिणति को उपादेय मानता है। उसकी रुचि न तो कुमारी-विवाह में है न विधवा-विवाह में, किन्तु अपत्याख्यानाचरणादि कपयों के उदय से वह अरुचिपूर्वक जैसे कुमारीविवाह करता है उसी प्रकार विधवाविवाह भी करता है। उसकी अरुचि विधवाविवाह को रोकें और कुमारी विवाह को न रोकें, यह कैसे हो सकता है? आक्षेपक का कहना है कि "पाप तो सदा सर्वथा घोर पाप-बन्धका कारण है", तब तो सम्यग्दृष्टि को भी घोर पापबन्ध का कारण होगा; क्योंकि वह भी पापोपभोगी है। लेकिन आक्षेपक सम्यग्दृष्टिको घोर पाप बन्ध नहीं मानता। तब उस का 'सदा सर्वथा' शब्द आपही खण्डित हो जाता है। अमृत-चन्द्र का हवाला देकर तो आक्षेपक ने बिलकुल ऊटपटाँग कहा है, जिस से विधवाविवाह विरोध का कोई ताल्लुक नहीं। सम्यक्त्व तो बन्ध का कारण है ही नहीं, किन्तु उसके साथ रहने वाली कपय बन्ध का कारण जरूर है। यही कारण है कि अविरत सम्यग्दृष्टि ७७ प्रकृतियों का बन्ध करता है जिन में बहुभाग पाप प्रकृतियों का है। सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण होने से उस के  $१६ + २५ = ४१$  प्रकृतियों का बन्ध रुकता है। सम्यग्दृष्टि जीव अगर विधवाविवाह करे तो उसके इन ४१ प्रकृतियों का बन्ध नहीं होगा। हाँ, बाकी प्रकृतियोंका बन्ध हो सकेगा। सो वह तो कुमारी विवाह करने पर भी हो सकेगा और विवाह न करने पर भी हो सकेगा। हमारा कहना तो यही है कि जब सम्यग्दृष्टि जीव—अरुचि पूर्वक ही सही—



पाँचों पाप कर सकता है, कुमारीविवाह कर सकता है, तब विधवाविवाह भी कर सकता है।

आक्षेप (ठ)—विधवाविवाह इसीलिए अधर्म नहीं है कि वह विवाह है बल्कि इस लिए अधर्म है कि आगम विरुद्ध है। “कोई प्रवृत्त्यात्मक कार्य धर्म नहीं है” यह लिखना सर्वथा असङ्गत और अज्ञानतापूर्ण है। विवाहको निवृत्त्यात्मक मानना भी व्यर्थ है। अगर निवृत्त्यात्मक होता तो पाँचवें गुणस्थान के भेदोंमें निवृत्तिरूप ब्रह्मचर्य प्रतिमाकी आवश्यकताही क्या थी?

समाधान—विधवाविवाह आगमविरुद्ध नहीं है, यह हम सिद्ध कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ हमारा कहना यही है कि अगर विवाह अधर्म नहीं है तो विधवाविवाह भी अधर्म नहीं है। अगर विधवाविवाह अधर्म है तो विवाह भी अधर्म है। सब पूछा जाय तो जैनधर्म के अनुसार कोई भी प्रवृत्त्यात्मक कार्य धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म का मतलब है रत्नत्रय या सम्यक्चारित्र्य। सम्यक्चारित्र्यका लक्षण शास्त्रकारों ने “घाह्याभ्यन्तर क्रियाओं की निवृत्ति” किया है; जैसे कि—  
“संसार कारण निवृत्तिप्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतः घाह्याभ्यन्तर क्रिया विशेषो परमः सम्यक्चारित्र्यम्” ( राजवार्तिक और सर्वार्थसिद्धि )

भवहेतु प्रहाणाय घहिरभ्यन्तरक्रिया—

घिनिवृत्तिः परं सम्यक्चारित्र्यम् ज्ञानिनो मतम् ।

—श्लोक धार्तिक ।

घहिरभ्यन्तर क्रिया रोहो भयकारण पणामद्वम् ।

णाणिस्स जं जिणुत्तं तं परमम् सम्मचारित्तम् ॥

—द्रव्यसंप्रद ।

चरणानुयोग शास्त्रों में भी इसी तरह का लक्षण है—

हिंसा नृतचौर्येभ्यो मैथुनसेवा परिग्रहाभ्यां च ।

पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् ॥ ४६ ॥

—रत्नकरण्डश्रावकाचार ।

इत्यादा प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं । प्रायः सर्वत्र चारित्र का लक्षण निवृत्त्यात्मक ही किया है । हाँ ! व्यवहारनय से प्रवृत्त्यात्मक लक्षण का भी उल्लेख मिलता है; जैसे—

असुटादो विणिविक्ती सुह पविक्तीय जाण चारित्तं ।

वदसमिदि गुत्तिरूव व्यवहारणयादुजिण भणियं ॥

—द्रव्यसंग्रह ।

यहाँ पर अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को व्यवहारनय से चारित्र कहा गया है । परन्तु व्यवहारनय से कहा गया चारित्र, वास्तविक चारित्र नहीं है । क्योंकि व्यवहारनय का विषय अभूतार्थ (अवास्तविक) है । अमृतचन्द्राचार्य ने इस का बहुत ही अच्छा खुलासा किया है—

निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्येभूतार्थम् ।

भूतार्थं बोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥

अबुधस्य बोधनाथं मुनीश्वराः वर्णयन्त्येभूतार्थम् ।

व्यवहारमेव कंचलमवेति यस्तस्य देशना नास्ति ॥

माणिक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीत सिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यानश्चयज्ञस्य ॥

व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुध्यतत्वेन भवति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति देशनायाः सपर्यफलमविकलमृशिस्यः ॥

अर्थात्—वास्तविकता को विषय करने वाला निश्चयनय है और अवास्तविकताको विषय करने वाला व्यवहारनय है । प्रायः समस्त संसार वास्तविकता के ज्ञान से रहित है । अल्प-बुद्धि वाले जीवों को समझाने के लिये व्यवहारनय का कथन किया जाता है । जो व्यवहारनय को ही पकड़ के रह जाता है

उसको उपदेश देना व्यर्थ है। जैसे जिसने सिंह नहीं देखा वह क्रूरता शूरता वाले व्यक्ति को ही सिंह समझ जाता है, उसी प्रकार जो निश्चय ( वास्तविक ) को नहीं जानता वह व्यवहार ( अवास्तविक ) को ही निश्चय समझ जाता है। जो व्यवहार और निश्चय इन दोनों को समझकर मध्यस्थ होता है, वही उपदेश का पूर्ण फल प्राप्त करता है।

मतलब यह कि व्यवहार चारित्र्य, वास्तव में चारित्र्य नहीं है—वह तो चारित्र्य के प्राप्त करने का एक जरिया है, जो कि अल्पबुद्धि वालों को समझाने के लिये कहा गया है। हाँ, यहाँ पर आचार्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य को एकान्तवादी न बनना चाहिये। यही कारण है कि हमने अनेकान्त रूप से विवाह का विवेचन किया है। अर्थात् वास्तविकता की दृष्टि से (निश्चयनय से) विवाह धर्म नहीं है, क्योंकि वह प्रवृत्तिरूप है और उपचार से धर्म है। परन्तु यह उपचरित, धार्मिकता सिर्फ कुमारी-विवाह में ही नहीं है विधवाविवाह में भी है। क्योंकि दोनों में परस्त्री अर्थात् अविवाहित स्त्रो से निवृत्ति पाई जाती है। पाठक देखेंगे कि हमारा विवेचन कितना शास्त्र-सम्मत और अनेकान्त से पूर्ण है, जबकि आक्षेपक बिल्कुल व्यवहारैकान्तवादी बन गया है। इसीलिये “प्रवृत्तारमक कार्य धर्म नहीं है” निश्चयनय के इस कथन को यह सर्वथा (?) असंगत समझना है ?

। हमने विवाह को उपचरित धर्म सिद्ध करने के लिये कथंचिद्विधृत्यात्मक सिद्ध किया था। जिस प्रकार किसी मनुष्य को शेर कहने से वह शेर नहीं हो जाता, किन्तु शेर के कुछ गुणों की कुछ समानता उसमें मानी जाती है, उसी प्रकार व्यवहार चारित्र्य, चारित्र्य न होने पर भी उनमें चारित्र्यको कुछ समानता पायी जानी है। चारित्र्यमें तो शुभ और अशुभ दोनों

से निवृत्ति पायी जाती है और व्यवहार चारित्र्य में अशुभ से ही निवृत्ति पायी जाती है । व्यवहार चारित्र्य की-चारित्र्य के साथ यही आंशिक समानता है । यही कारण है कि व्यवहार चारित्र्य भी चारित्र्य कहा गया । जब विवाह, व्यवहार धर्म है तो उसमें किसी न किसी रूपमें निवृत्यात्मकता होना चाहिये । इसीलिये हमने कहा है कि विवाह से परस्त्रीसेवन रूप अशुभ परिणति से निवृत्ति होती है । यह निवृत्ति-कुमारीविवाह से भी होती है और विधवाविवाह से भी होती है ।

“विवाह अगर निवृत्यात्मक है तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा क्यों बनाई !”—आज्ञेपकका यह कथन तो बड़ा विचित्र है । अरे भाई विवाह में जितनी निवृत्ति है उस से ज्यादा निवृत्ति ब्रह्मचर्य में है । पहली क्लासमें भी शिक्षा दी जाती और दूसरी में भी दी जाती है तो क्या यह कहा जा सकता है कि पहिली क्लास में शिक्षा दी जाती है तो दूसरी क्यों बनाई ? अगर कोई पूछे कि मुनि तो छठवें गुणस्थान में बन जाता है, फिर सातवाँ क्यों बनाया ? पाँच पापों का त्याग तो अणुवत्तो में हो जाता है फिर महावन क्यों बनाये ? सामायिक और प्रोपधोपवास तो दूसरी प्रतिमा में धारण किये जाते हैं फिर इन नामों की तीसरी चौथी प्रतिमा क्यों बनाई ? व्यभिचार और परिग्रह का त्याग तो ब्रह्मचर्याणुवत् और परिग्रह-परिमाण वन में हो जाता है फिर सातवाँ और दशमी प्रतिमा क्यों बनाई ? तो इन सब प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जायगा ?

उत्तर यही दिया जायगा कि पहिली अवस्थाओं में थोड़ा त्याग है और आगे की अवस्थाओं में ज्यादा त्याग है । यही उत्तर विवाह के विषय में है । विवाह में थोड़ा त्याग है-ब्रह्मचर्य में ज्यादा त्याग है ।

देव पूजा आदि प्रवृत्यात्मक हैं परन्तु जब वे धर्म कहे

जाते हैं तब निवृत्यात्मक भी होते हैं। उन में कुदेवपूजा तथा अन्य अशुभ परिणतियों से निवृत्ति पायी जाती है। इसी से वे भी व्यवहार-धर्म कहे गये हैं।

इस विवेचन से पाठक समझ गये होंगे कि विधवा-विवाह में कुमारीविवाह के बराबर निवृत्ति का अंश पाया जाता है। इसलिये दोनों एक ही तरह के व्यवहार धर्म हैं।

आक्षेप ( ड )—यह लिखना महाभूठ है कि विवाह के सामान्य लक्षण में कन्या शब्द का उल्लेख नहीं है। 'कन्या का ही विवाह होता है' क्या इस दलील को भूठ धोलकर यों ही उड़ा देना चाहिये ?

समाधान—हमने कन्या शब्द को उड़ाया नहीं है, बल्कि इस शब्द के ऊपर तो हमने बहुत जोरदार विचार किया है। राजवातिक तथा अन्य ग्रंथोंमें जो कन्या शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके विषय में हम श्रीलालजी के आक्षेपों के उत्तर देते समय लिख चुके हैं। इसके लिये आक्षेप नम्बर 'ऐ' का समाधान पढ़ लेना चाहिये।

आक्षेप ( ढ )—आप त्रिवर्णाचार को अप्रमाण मानकर के भी उसी के प्रमाण देते हैं, लेकिन जिस त्रिवर्णाचार में टट्टी पेशाब जाने की क्रिया पर भी कड़ी निगरानी रखी गई है, उसी में विधवाविवाह की सिद्धि कैसे हो सकती है ?

समाधान—त्रिवर्णाचार को हम अप्रमाण मानते हैं, परन्तु विधवाविवाह के विरोधी तो प्रमाण मानते हैं। इसलिये उन्हें समझाने के लिये उसका उल्लेख किया है। किसी ईसाईको समझाने के लिये बाइबिल का उपयोग करना, मुसलमान को समझाने के लिये कुरान का उपयोग करना, हिन्दूको समझाने के लिये वेद का उपयोग करना जिस प्रकार उचित है, उसी प्रकार स्थितिपालकों को समझाने के लिये त्रिवर्णाचार का

उपयोग करना उचित है। 'टट्टी पेशाब की निगरानी रखने वाला विधवाविवाह का समर्थन नहीं कर सकता'—यह तो बिलकुल हास्यास्पद युक्ति है। आज भी दक्षिण प्रान्त में टट्टी पेशाब तथा अन्य क्रिया-कांड पर उत्तर प्रान्त की अपेक्षा कई गुणी निगरानी रखी जाती है। फिर भी वहाँ विधवाविवाह और तलाक का आम रिवाज है। खैर, त्रिवर्णाचार्य में विधवा-विवाह का विधान है, यह बात २७ वें प्रश्न के उत्तर में सिद्ध की गई है। उसी प्रश्नके आक्षेप समाधानों में इस पर विचार किया जायगा।

आक्षेप ( ए )—कन्या शब्द का अर्थ "विवाह योग्य स्त्री" क्यों किया जाय ? पिता शब्द का अर्थ तो 'गुरुजन' होता है जैसा कि अमरकोष में लिखा है 'भ्यास्त्रिपेकादिकृद्गुरुः'; परन्तु कुमारी के अतिरिक्त कन्या शब्द का प्रयोग न तो हमारे कहीं देखने में आया है न सुना ही है। धनञ्जय नाममाला में 'कन्या पतिर्वरः' लिखा है; 'स्त्री पतिर्वरः' क्यों नहीं ?

समाधान—कन्या शब्द का 'विवाह योग्य स्त्री' अर्थ क्यों किया जाय, इस का समाधान आक्षेप 'स्त्री' के समाधान में देखिये। कन्या शब्द का कुमारी के अतिरिक्त अर्थ आप ने नहीं देखा सुना तो इस में हमारा क्या अपराध है ? यह आप के ज्ञान की कमी है। आप के सहयोगी प० श्रीलाल जी ने तो यह अर्थ देखा है। उन के कथनानुसार ही आप विश्रुतार्चन, हैम और मेदिनी कोष देख डालिये। परन्तु इसके पहिले कोष देखने की कला सीख लीजिये, क्योंकि इसी प्रकरण में अमरकोष देखने में आप ने बड़ी गलती की है। अमरकोष में लिखा है कि 'पित्रादिर्गुरुः' अर्थात् पिता, माता, भ्राता, मामा आदि गुरु हैं; परन्तु आप अर्थ करते हैं कि पिता माता, भ्राता आदि पिता हैं। आप को समझना चाहिये कि

पिता आदि को गुरु कह सकते हैं, परन्तु सब तरह के गुरुओं को पिता नहीं कह सकते। कन्या का विशेषण 'पितृदत्ता' है न कि 'गुरुदत्ता' जिससे कि अमरकोष के अनुसार आप विस्तृत अर्थ कर सकें। इसलिये यहाँ पितृशब्द उपलक्षण है। इसी प्रकार कन्या शब्द भी उपलक्षण है। नाममाला में 'स्त्री पतिवैरः' न कहने का कारण यह है कि प्रत्येक स्त्री का पति वर नहीं कहलाता, किन्तु जो कन्या अर्थात् जो विवाह योग्य स्त्री (दुलिन) होती है उसी के पति को वर (दुल्हा) कहते हैं। 'स्त्री पतिवैरः' कह देने से सभी सस्त्रीक पुरुष जीवन भर के लिये वर अर्थात् दुल्हा कहलाने लगते।

आक्षेप (त) — अमरकोष में 'पुनर्भू' शब्द का अर्थ किया है 'दुबारा विवाह करने वाली स्त्री' और कवि सम्राट् धनञ्जय ने पुनर्भू शब्द को व्यभिचारिणी स्त्रियों के नामों में डाला है। धनञ्जय, अकलङ्क और पूज्यपाद की कौटि के हैं, क्योंकि नाममाला में लिखा है "प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणं"। द्विसन्धान 'कथेः काट्यम् रत्नत्रयमपश्चिमम्'; नाममाला के प्रमाण से सिद्ध है कि स्त्री का पुनर्विवाह व्यभिचार है।

समाधान — धनञ्जयजी कवि थे, परन्तु उनका कोष संस्कृत साहित्य के सब कोषों से छोटा और नीचे के दर्जे का है। ऊपर जो इन की प्रशंसा में श्लोक उद्धृत किया गया है वह खुद हा इन्हीं का बनाया है। इस तरह अपने मुँह से प्रशंसा करने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। धनञ्जय को पूज्यपाद या अकलङ्क की कौटि का कहना उन लोगों आचार्यों का अपमान करना है। धनञ्जय यदि सर्वश्रेष्ठ कवि भी होते तो भी क्या अकलङ्कादि के समान मान्य हो सकते थे? गाँधी जी सब से बड़े नेता हैं, गामा सब से बड़ा पहलवान है और गोहर सर्व श्रेष्ठ गायिका है तो क्या गाँधीजी गामा और गोहर की इज्जत

बराबर हो गई ? मान्यता के लिये सिर्फ सर्वश्रेष्ठता नहीं देखी जाती, परन्तु यह भी देखा जाता है कि वह श्रेष्ठता किस विषय में है। धनञ्जय एक अच्छे परिहृत या कवि थे तो क्या वे पूज्यपाद और अकलङ्क के समान आचार्य और तत्वज्ञ भी थे, जिस से सिद्धान्त के विषय में उन का निर्णय माना जाय ?

हाँ! अब हम मूल विषय पर आते हैं। अमरकोषकार ने पुनर्भू शब्द का अर्थ किया है "दुबारा विवाह करने वाली स्त्री"। पुनर्भू का दूसरा नाम द्विधिपू भी है। जिस ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य की स्त्री, पुनर्भू होती है उसे अग्नेद्विधिपु कहते हैं ( इस से यह भी सिद्ध होता है कि पहिले जमाने में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में भी स्त्री पुनर्विवाह होता था )। अमरकोषकार ने पुनर्भू का 'दुबारा विवाह करने वाली स्त्री' अर्थ तो किया, परन्तु उसे व्यभिचारिणी नहीं माना। व्यभिचारिणी के उन्होंने पुंथली, धर्मिणी, मन्धकी, असती, कुलटा, इत्यरी आदि नाम तो बताये परन्तु पुनर्भू नाम नहीं बताया। जो कोषकार पुनर्भू शब्द का उपर्युक्त अर्थ करता है वह तो व्यभिचारिणी उसे लिखता नहीं, किन्तु जिसने ( धनञ्जय ने ) पुनर्भू शब्द का अर्थ ही नहीं बताया वह उसे व्यभिचारिणी कहता है। इससे मालूम होता है कि अमरकोषकार के अर्थ से धनञ्जय का अर्थ बिलकुल जुदा है। अमरकोषकार के मनसे पुनर्भू शब्द का अर्थ है 'दुबारा विवाह करने वाली स्त्री' और धनञ्जय के मत से पुनर्भू शब्द का अर्थ है व्यभिचारिणी। ये तो एक शब्द के दो जुदे जुदे अर्थ हुए। इससे दुबारा विवाह करने वाली स्त्री व्यभिचारिणी कैसे सिद्ध हुई ? गो शब्द का अर्थ गाय भी है, स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है, इत्यादि और भी अनेक अर्थ हैं। अब कोई कहे कि अनुक आदमी मर कर स्वर्ग गया, तो क्या इस का यह अर्थ होगा कि वह गाय में गया ?



क्योंकि स्वर्ग को गो कहते हैं और गो का अर्थ गाय है । जिस प्रकार गो शब्द के 'गाय' और 'स्वर्ग' ये दोनों अर्थ होने पर भी 'गाय' को स्वर्ग नहीं कह सकते उसी प्रकार पुनर्भू शब्द के 'दुबारा विवाह कराने वाली' और 'व्यभिचारिणी' ये दोनों अर्थ होने पर भी दुबारा विवाह करने वाली को व्यभिचारिणी नहीं कह सकते । दो ग्रन्थकारों की दृष्टि में पुनर्भू शब्द के ये जुदे जुदे अर्थ हैं । इन जुदे जुदे अर्थों को पर्यायवाची समझ जाना अशुभ की खुरी है । हाँ, अगर अमरकोष में लिखा हुआ पुनर्भू शब्द का अर्थ नाममाला में होता और फिर वहाँ उसे व्यभिचारिणी का पर्यायवाची यतलाया होता तो धनञ्जय के मत से पुनर्विवाह व्यभिचार सिद्ध होता । अथवा अमरकोशकार ने ही अगर पुनर्भू शब्द को व्यभिचारिणी शब्द का पर्यायवाची लिखा होता तो भी पुनर्विवाह को व्यभिचार कहने की शुंजाइश होती । परन्तु न तो अमरकोशकार पुनर्भू को व्यभिचारिणी लिखते हैं, न नाममालाकार अमरकोश सरीखा पुनर्भू का अर्थ ही करते हैं । इसलिये पुनर्भू शब्द के विषय में दोनों लेखकों के जुदे जुदे अर्थ ही समझना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि 'पुनर्भू' तीन तरह की होती है—  
 १. अक्षतयोनि, २. क्षतयोनि, ३. व्यभिचारिणी (देखो मिताक्षरा शब्द कल्पद्रुम, या हिन्दी शब्दसागर) । हो सकता है कि धनञ्जय कवि ने तीसरे भेद को ध्यान में रख कर पुनर्भू को व्यभिचारिणी का पर्यायवाची लिखा हो । इस प्रकार छोटी छोटी गलतियाँ नाममाला में बहुत पाई जाती हैं । जैसे—धानुष्क का अर्थ है धनुष चलाने वाला, परन्तु नाममाला में धानुष्क को भील का पर्यायवाची शब्द लिखा है । लेकिन न तो सभी भील, धानुष्क हो सकते हैं और न सभी धनुष चलाने वाले भील हो सकते हैं । अगर नाममालाकार के अर्थ के अनुसार

प्रयोग किया जाय तो धनुष चलाने वाले तीर्थङ्कर चक्रवर्ती आदि सभी राजा महाराजा भील कहलायेंगे। इसी प्रकार नौकर के पर्यायवाची शब्दों में शस्त्र-जीवी लिखा है। लेकिन सभी नौकर शस्त्रजीवी नहीं होते। शस्त्रजीवी तो सिर्फ सिपाहियों और सैनिकोंको कह सकते हैं परन्तु सैनिक और नौकर का एक ही अर्थ करना नाममाला की ही विचित्रता है। दूसरे कोषों में न तां पुनर्भू का पर्याय शब्द व्यभिचारिणी लिखा है, न धानुष्क का पर्याय शब्द भील लिखा है और न सैनिक का पर्याय शब्द सेधक लिखा है। इस प्रकार की झोटी मोटी भूल के नाममालामें दर्जनों उदाहरण मिल सकते हैं। जो नाममाला की इन धुष्टियों पर ध्यान न देना चाहते हों वे उपर्युक्त छेदक (पैग्राफ) के कथनानुसार पुनर्भू शब्द के अर्थ करने में अमरकोशकार और नाममालाकार का मतभेद समझें। इसलिये पुनर्विवाहिता को व्यभिचारिणी नहीं कहा जा सकता।

इस के बाद आक्षेपक ने माहसगति विद्याधर तथा 'धर्म संग्रह आचकाचार' के कन्या शब्द पर अज्ञानतापूर्ण विवेचन किया है, जिस का विस्तृत उत्तर आक्षेप 'अं' 'अः' और "क" में दिया जानुका है। इसी तरह दीक्षान्वय क्रिया के पुनर्विवाह का विवेचन आक्षेप नं० 'ख' में किया गया है। आक्षेपक ने यकवाद तो बहुत किया, परन्तु वह इतनी भी बात नहीं समझ पाया कि दीक्षान्वय क्रिया के पुनर्विवाह का उल्लेख क्यों किया गया था। दीक्षान्वय क्रियाके पुनर्विवाह से हम विधवा-विवाह सिद्ध नहीं करना चाहते, किन्तु यह बतलाना चाहते हैं कि विवाहिता स्त्री भी, अगर उसका फिर विवाह हो तो (भले ही अपने पति के ही साथ हो) कन्या कहलाती है। अगर कन्या शब्द का अर्थ कुमारी ही किया जायगा तो दीक्षान्वय क्रियामें

दोस्तीना स्त्रीका अपने पतिके साथ पुनर्विवाह कैसे हो सकेगा, क्योंकि आक्षेपक कन्या का ही विवाह मानना है।

आक्षेप (ध)—जैनाचार्यों की सम्पूर्ण कथनी नय विवक्षा पर है। उन्होंने (?) विश्वलोचन में "कन्या कुमारिका नार्यः" लिखा है। यद्यपि यह बिल्कुल सीधा सादा है और इसमें नय प्रमाणके चारों की कुछ आवश्यकता नहीं है फिर भी नीतिकार ने कहा है—'अर्था दोषं न पश्यति'। जो हो! जानि, अपेक्षा (गशिभेदोपधोभिदाः) नारि (?) के साथ कन्या, कुमारी का प्रयोग किया गया है। हमारे अर्थ को सिद्ध करने वाला अंश 'जगत्' में थड़े (?) चारोंक टाइप में छपा गया है। इनका छल! कुछ खोफ है?

समाधान—कोप के छोटी वाची कन्या शब्द का जब कुछ भी खराब न हो सका तो उपर्युक्त प्रस्ताव किया गया है। आक्षेपक का कहना है कि कन्या और स्त्री की जानि एक है, इसलिये दोनों को साथ लिख दिया है। ठीक है, मगर भार्या और भगिनी भी तो सजातीय हैं, बाप और बेटा भी तो सजातीय हैं, तो इन सबके विषय में छुटाला कर देना चाहिये। इस बकवाद से आक्षेपक ने अपने कोप देखने की कला के अमान का पुनः प्रदर्शन किया है। विश्वलोचन, एक अनेकार्थ कोश है। अन्य कोशों के समान उसमें पर्यायवाची शब्दों की लाइन खड़ी नहीं की जानी है। उसमें तो यह बनाया जाना है कि एक शब्द के जुदे जुदे कितने अर्थ हैं। कन्या शब्दके कुमारी, नारी, गशिभेद आदि जुदे जुदे अर्थ हैं। मगर आक्षेपक को कोश देखने का जरा भी ध्यान होता तो वह इनकी भूल न करना। टाइप की धान तो थड़ी विचित्र है। लेखक, जिस धान पर पाठकों का ध्यान ज्यादा आकर्षित करना चाहता है उसे वह अन्दर लाइन कर देना है और प्रेस वाले उसे प्लोक

[ मोटे ] टाइप में छापते हैं। इस बात में आक्षेपक को छुल ग्रीक आदि अनेक भूत नज़र आ रहे हैं। यह पागलपन नहीं तो क्या है ? बेचारा आक्षेपक ऐसे ऐसे ज़बरदस्त (?) तर्क (!) शस्त्रों से विधवाविवाह का खंगडन करने चला है।

कन्या शब्दके विषय में इतना लिखा जा चुका है कि अथ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। सागरधर्मामृत के निर्दोषा विशेषण पर जो आक्षेपक ने लिखा है उसका समाधान "ग" में किया गया है।

आक्षेप (द)—शायद सत्यमाचो को करुणानुयोग का लक्षण भी नहीं मालूम है। कहीं करुणानुयोग में गृहस्थ-चारित्र्य की आशाएँ भी देखने में आई हैं। करुणानुयोग में तो लोका-लोक विभाग आदि का वर्णन रहता है। करुणानुयोग और आज्ञा का क्या सम्बन्ध ?

समाधान—इस आक्षेप से मालूम होता है कि आक्षेपक का शास्त्रज्ञान अधूरा और तुच्छ है। पाठशालाओं के छोटे २ बच्चे जितना ज्ञान रखते हैं उतना ज्ञान बेचारे आक्षेपकों मिला है और उसी के बल पर वह अपने को सर्वज्ञ समझता है ! आक्षेपक को हम सलाह देते हैं कि वह मोक्षमार्गप्रकाश के आठवें अधिकार में "करुणानुयोग का प्रयोजन" और "करुणानुयोग के व्याख्यान की पद्धति" नामक विवेचनों का स्वाध्याय कर जाय। वहाँ के कुछ उद्धरण हम यहाँ नीचे देते हैं :—

"बहुरि करुणानुयोग विषे जीवनि की वा कर्मनि की विशेषता वा त्रिलोकादि की रचना निरूपण करि जीवन को धर्मविषे लगाये है। जे जीव धर्मविषे उपयोग नगाया चाहै, ते जीवनि का गुणस्थान मार्गणा आदि विशेष अरु कर्मनि का कारण अवस्था फल कौन कौन के कैसे कैसे पाइये, इत्यादि

विशेष अरु त्रिलोक विषै नरक स्वर्गादिक ठिकाने पहिचानि पाप नै विमुख होय धर्म विषै लागे हें” ।

“बहुरि करणानुयोग विषै छद्मस्थानि की प्रवृत्ति के अनु-  
स्मार (आचरण) वर्णन नाहीं । केवलज्ञान गम्य (आत्म परि-  
णाम) पदार्थनिका निरूपण हें । जैसे—कोई जीव तो द्रव्यादिक  
का विचार करे हें वा व्रतादिक पाले हें, परन्तु अंतरंग सम्यक्  
चारित्र नहीं ताते उनको मिथ्यादृष्टि<sup>†</sup> अव्रती कहिये है-  
बहुरि कैई जीव द्रव्यादिक का वा व्रतादिक का विचार-रहित  
हें अन्य कार्यानि विषै प्रवर्ते हें वा निद्रादि करि निर्विचार होय  
रहे हें, परन्तु उनके सम्यक्तादि शक्ति का सद्भाव है ताते उन  
का सम्यक्ता वा व्रती कहिये हें । बहुरि कोई जीव के कर्मायनि  
की प्रवृत्ति तो घनी है अरु वाके अन्तरङ्ग कर्माय-शक्ति थारी है  
तो वाकी मन्दकर्माई कहिये हें । अरु कोई जीव के कर्मायनि की  
प्रवृत्ति तो थारी है अरु वाके अन्तरङ्ग कर्माय-शक्ति घनी है तो  
वाकी तीव्र कर्मायी<sup>†</sup> कहिये है” ।

“बहुरि कहाँ जाकी व्यक्ति तो किन्तु न भासे तो भी मूढम  
शक्ति के सद्भावते ताका नहीं शक्तिवत् कथा । जैसे मुनि के  
अग्रह कार्य किन्तु नाहीं तो भी नवम गुणस्थान पर्यन्त मैथुन  
संज्ञा कही” ।

“बहुरि करणानुयोग सम्पद्दर्शन शान चारित्रादिक  
धर्म का निरूपण कर्म प्रवृत्तीनिका उपशमादिक की अपेक्षा  
निये मूढम शक्ति जैसे पाइये जैसे गुणस्थानादि विषै निरूपण  
करे हें” ।

इन उद्धरणों से पाठक समझ जायेंगे कि करणानुयोग  
में चारित्रादिक का भी निरूपण रहता है । हाँ, करणानुयोगका

† जैसे दक्षिण के शक्तिस्वाग्रभी ।

विवेचन भावों के अनुसार है और चरणानुयोग का विवेचन ब्राह्मिक्रिया के अनुसार । चरणानुयोग का मुनि घ श्रावक करणानुयोग का मिथ्याहृष्टि हो सकता है । भावों के सुधार के लिये क्रिया है अर्थात् करणानुयोग के धर्म के लिये चरणानुयोग का धर्म है । विवाह से पुरुषकी कामलालसा अन्य स्त्रियों से हट कर एक ही स्त्री में केन्द्रीभूत होजाती है । इस प्रकार इच्छा का केन्द्रीभूत होना कुमारी-विवाह से भी है और विधवा-विवाह से भी है, इसलिये करणानुयोग की अपेक्षा कुमारी-विवाह और विधवाविवाह में कुछ फर्क नहीं है । इसलिये कुमारी-विवाह और विधवाविवाहके लिये जुदी जुदी आश्रापें नहीं बनाई जासकती न बनाई गई हैं । अगर आक्षेपक करणानुयोग के स्वरूप को समझने की चेष्टा करेगा तो उसे अच्छी तरह यह बात समझ में आजायगी ।

आक्षेप (ध)—विधवा के लिये आचार-शास्त्र में स्पष्ट वैधव्य दीक्षा का विधान है ।

समाधान—इस आक्षेप का उत्तर नम्बर 'घ' में दिया गया है ।

इसके बाद आक्षेपक ने सम्यक्तव बन्ध का कारण है या नहीं इस विषय पर अनावश्यक विवेचन किया है, जिसका विधवाविवाहसे कोई ताल्लुक नहीं है । हाँ, यह बात हम पहिले विस्तार से कह चुके हैं कि सम्यक्तवी विधवा-विवाह कर सकता है ।

## दूसरा प्रश्न

दूसरे प्रश्न के उत्तर में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका उत्तर पहिले प्रश्न के उत्तर में न आया हो । इसलिये यहाँ पर विशेष न लिखा जायगा । पुनर्विवाह करने वाला सम्यक्त्वी

होने पर स्वर्ग जा सकता है या नहीं—इस पर श्रीलालजी तो कहते हैं कि वह सीधा नरक निगोदका पात्र है; जबकि विद्यानन्द लिखते हैं कि उदात्तान् वृत्ति रखने पर स्वर्ग जा सकता है। इस तरह दोनों आक्षेपक एक दूसरे को काटते हैं। दोनों आक्षेपकोंके आक्षेपों पर निम्न में विचार किया जाता है :—

**आक्षेप ( क )**—पुनर्विवाह करने वाला मोक्ष तो तब जाय, जब वह राँड पीछा छोड़े। भाव ही मुनिव्रत के नहीं होते। विधवाविवाह से संतान होगी वह राँड का साँड फिर किसी का लेंडरा बनेगा। ( श्रीलाल )। विधवाविवाह की संतान मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—राँड, साँड, लेंडरा आदि शब्दों का उत्तर देना ब्रूथा है। विधवाविवाह की संतान मोक्ष जा सकती है। जब व्यभिचारजात सुदृष्ट मोक्ष जा सकता है, तब और की बात ही क्या है? विधवाविवाह करने के बाद मुनिव्रत धारण कर सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। इसमें तो विवाद ही नहीं है।

**आक्षेप ( ख )**—पुनर्विवाह करने वाले असच्छूद्र हैं। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—पहिले प्रश्न के उत्तर में इसका समाधान कर चुके हैं। देखो नं०—( ड )

**आक्षेप ( ग )**—सागारधर्माश्रित में लिखा है कि स्वदार-संतोषी परम्प्रा का कभी ग्रहण नहीं करता। विधवा का परस्त्रीत्व किस प्रमाण से दृष्टेगा। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—इस का समाधान उसी सागारधर्माश्रित में है। यहाँ लिखा है कि स्वदार-संतोषी परस्त्री-गमन और वेश्या-गमन नहीं करता। यहाँ पर ग्रन्थकार ने कन्या ( कुमारी ) को भी परस्त्री में शामिल किया है ( कन्यातु भाविकर्तृकत्वा-

विधवादि परतन्त्रत्यागासनाथेत्यन्यस्त्री नो न विशिष्यते) । जब कन्या भी परस्त्री है और विवाह द्वारा उस का परस्त्रीत्व दूर कर दिया जाता है तब कन्या के समान विधवा का भी परस्त्रीत्व दूर कर दिया जावेगा । अथवा जैसे विधुर का परपुरुषत्व दूर होता है उसी प्रकार विधवा का परस्त्रीत्व दूर हो जायगा ।

और, जब सागारधर्मामृत की बात चल पड़ी है नव हम भी कुछ लिज देना चाहते हैं । विधवाविवाहविराधी, अपने अज्ञान तिमिर को हटा कर जग देखें ।

सागारधर्मामृत में वेश्यासेवी को भी ब्रह्मचर्याणुव्रती माना है, क्योंकि ग्रन्थकार के मन से वेश्या, परस्त्री नहीं है । उनका कहना है कि "यस्तु स्वदारवत्साधारण्य स्त्रियोऽपि वन-यितुमशक्तः परदारान्नेव वर्जयति सोऽपि ब्रह्माणुव्रतोप्यते" अर्थात् जो स्वस्त्री के समान वेश्या को भी छोड़ने में असमर्थ है सिर्फ परस्त्री का ही त्याग करता है वह भी ब्रह्मचर्याणुव्रती है । इसका मतलब यह है कि वेश्या, परस्त्री नहीं है, क्योंकि उसका कोई स्वामी मौजूद नहीं है । यदि ऐसी वेश्या का सेवन करने वाला अणुव्रती हो सकता है तो विधवासे विवाह करने वाला क्या अणुव्रती नहीं हो सकता ? वेश्या, परस्त्री नहीं है, किन्तु वह पूर्णरूप से स्वस्त्री भी तो नहीं है । परन्तु जिस विधवा के साथ विवाह कर लिया जाता है, वह तो पूर्णरूप से स्वस्त्री है । कानून से वेश्या स्वस्त्री नहीं कहलानी, जबकि पुनर्विवाहिता स्वस्त्री कहलाती है । इतने पर भी अगर वेश्यासेवी द्वितीय श्रेणी का अणुव्रती कहला सकता है तो विधवाविवाह करने वाला प्रथम श्रेणी का अणुव्रती कहला सकता है ।

सागारधर्मामृत में जहाँ इत्वरिकागमन ओ ब्रह्मचर्याणुव्रत



का अतिचार सिद्ध किया है वहाँ लिखा है कि "चास्य भाया-  
दिना परेण किञ्चित्कालं परिगृहीतां वेश्यां गच्छतो भंगः कथ-  
चित्परदारत्वात्तस्याः । लोकेतु परदारत्वारूढेर्न भंगः इति  
भंगाभंग रूपोतिचारः" । इस वाक्य पर विचार कीजिये ।

जहाँ भंग ही भंग है वहाँ अनाचार माना जाता है ।  
जहाँ अभंग ही है वहाँ घृत माना जाता है । जहाँ भंग और  
अभंग दोनों हैं वहाँ अतिचार माना जाता है । ऊपर के वाक्य  
में वेश्या-सेवन को भंग और अभङ्गरूप मान कर अतिचार  
सिद्ध किया गया है । यहाँ देखना इनका ही है कि भङ्ग अंश  
क्या है और अभङ्ग अंश क्या है ? और उनमें से कौनसा अंश  
विधवाविवाह में पाया जाता है ? ग्रन्थकार कहते हैं कि वेश्या-  
सेवन में घृत का भङ्ग इसलिये होता है कि वह दूसरों के  
द्वारा ग्रहण की जाती है । मतलब यह कि वेश्या के पास  
बहुत से पुरुष जाते हैं और सभी पैसा दे देकर उसे अपनी  
अपनी स्त्री बनाते हैं । इसलिये वह परपरिगृहीता हुई और  
उसके सेवन से घृत का भङ्ग हुआ । लेकिन लोक में वह परम्प्री  
नहीं मानी जाती ( क्योंकि पैसा लेने पर भी पूर्णरूप से वह  
किमी की स्त्री नहीं बनती ) । इसलिये उस के सेवन में घृत का  
अभङ्ग ( रक्षा ) हुआ । पाठक देखें कि विधवाविवाह में घृत का  
अभङ्ग ( रक्षा ) ही है, भङ्ग बिलकुल नहीं है । लोक-व्यवहार  
से, कानून की दृष्टि से, तथा परम्प्री सेवन में जो संकलेश  
होना है वह संकलेश न होने से पुनर्विवाहिता स्त्री ही है,  
इसलिये इस सेवन में वेश्यासेवन की अपेक्षा कई गुणी घृत-  
रक्षा ( अभङ्गांश ) है । साथ ही वेश्या में तो परपरिगृही-  
तता है किन्तु इस में नाममात्र को भी परपरिगृहीतता नहीं  
है । अब कोई मनुष्य वेश्या के पास जाता है तब वह  
उस का पूर्ण अधिकारी नहीं बन सकता, क्योंकि उतना

अधिकार दूसरे पुरुषों को भी प्राप्त है। लेकिन पुनर्विवाहिता के ऊपर दूसरे का विलकुल अधिकार नहीं रहता। इसलिये वेश्यासेवन में तो अभङ्ग के साथ में भङ्ग है, लेकिन पुनर्विवाहिता में अभङ्ग ही अभङ्ग है। इसलिये वेश्या-सेवन अति-चार है और पुनर्विवाह वृत्त है। अनाचार दोनों ही नहीं हैं। सागारधर्मामृत का यह कथन विधवाविवाह का पूर्ण समर्थन करता है।

हम पाठकों से दृढ़ता के साथ कहते हैं कि अकेले सागार-धर्मामृत में ही क्या, किसी भी जैनग्रन्थ में—जां कि भगवान महावीर के परम पवित्र और उच्च सिद्धान्तों के अनुसार बना हो—विधवाविवाह का समर्थन ही मिलेगा। किन्तु उसे सम-झने के लिये विवेक और निःपक्षता की ज़रूरत है।

आक्षेप (घ)—चन्द्राभा अपने निध कृत्य की जीवन भर निन्दा करती रही (विद्यानन्द)। जब उस दुष्ट का साथ छूट गया तब श्रेष्ठमार्ग धारण करने से स्वर्ग गई। वह स्वेच्छा से व्यभिचार न करती थी, किन्तु उस पर मधु बलात्कार करता था। (श्रीलाल)

समाधान—मधु ने चन्द्राभा के साथ बलात्कार किया था या दोनों ही इससे प्रसन्न थे, यह बात प्रद्युम्नचरित के निम्नलिखित श्लोकों से मालूम हो जातो है :—

चाटुमिःसपरिहासयचोमिस्तां तथा समनुनीय स रमे ।  
जातमम्य च यथा चरितार्थं यौवन च मदनो विभवश्च ॥७६६॥  
लोचनान्तक निरीक्षणमन्तःकूजितं च हसितं च तदस्याः ।  
चुम्बितं च धितुतञ्च रतञ्च व्याजहार सुरतोत्सवरागम् ॥७७०॥  
गीतनृत्यपरिहास्यकथाभिर्द्विर्घिकाजलवनान्त विहारैः ।  
तत्रतो रतिसुखार्णव मग्नौ जज्ञतुर्न समयं समतीतम् ॥७१७॥

मधु ने चन्द्राभा को मीठी मीठी और हंसीली बानी

से खुश करके रमण किया जिससे उसका यौघन मदन और विभव सफल हो गया। चन्द्राभा का देखना, किलोले करना, हंसना, चूमा लेना, काम क्रीड़ा करना आदि से उनका सुरतोत्सव रंग जमने लगा। गाना, नाचना, हँसी दिल्लीगी करना, वापिका के जल में और वनों में विहार करना आदि से वे सुख के समुद्र में मग्न हो गये। उन्हें जाता हुआ समय मालूम भी न पड़ा।

पाठक देखें कि क्या यह बलात्कार था ? हाँ, मधु की बात आई है तो एक बात और सुनिये। मधु था तो परस्त्री सेवक और उसका यह पाप विख्यात भी हो गया था। फिर भी उसके यहाँ एक दिन विमलवाहन मुनिराज आहार लेने के लिये आये—स्मरण रहे कि इस समयभी मधु चन्द्राभा के साथ रहता था—तो उसने मुनि को दान दिया।

प्रासुकं नृपतिना विधिपूर्वं संयताय चरदानमदायि ।  
नेन चान्तफलतः सदसैव चित्रपञ्चक मवापि दुर्गपम् ॥७॥६५॥

राजा मधु ने मुनिराज के लिये आहार दान दिया, जिससे तुरन्त ही पंच-आश्चर्य हुए। पाठक देखें कि एक परस्त्रीसेवी, मुनि को आहार देता है जिसको आचार्य महाराज चरदान (उत्कृष्टदान) कहते हैं और उससे तुरन्त पंच-आश्चर्य भी होते हैं। इससे न तो मुनि को पाप लगता है न मधु को। पञ्च-आश्चर्य इसका प्रमाण है। इतना ही नहीं, बल्कि उस परस्त्रीसेवी का अन्न खाने के बाद ही विमलवाहन मुनिको केवल ज्ञान पैदा हुआ। अगर आजकलके टोंगी मुनियोंके साथ ऐसी-घटना हो जाये तो वे दुरभिमान के पुत्रले शुद्धि के नाम पर अंतर्द्वियाँ तक निकाल निकाल कर धोने की चेष्टा करेंगे और बेचारे दाताको तो नरक निगोद के सिवाय दूसरी जगह भेजेंगे ही नहीं। सँर, अब आगे देखिये। राजा मधु और चन्द्राभा

दोनों मरकर सोलहवें स्वर्ग में देव हुए ( इस घटना से नरक के ठेकेदार पंडितोंको बड़ा कष्ट होता होगा । ) । इस पर आक्षेपक का कहना है कि 'वह स्वर्ग गई सो श्रेष्ठ-मार्ग के अवलंबन से गई', परन्तु इससे इतना तो मालूम होगया कि परस्त्रीसेवी को श्रेष्ठमार्ग अवलम्बन करने का अधिकार है—व्यभिचारिणी स्त्री भी शार्यिका के ग्रत ले सकती है । उसका यह कार्य धर्म-विरुद्ध नहीं है । अन्यथा उसे अच्युत-स्वर्ग में देवत्व कैसे प्राप्त होता ?

हमारा यह कहना नहीं है कि विवाह करने से ही कोई स्वर्ग जाता है । स्वर्ग के लिये तो तद्गुरूप श्रेष्ठ मार्ग धारण करना पड़ेगा । हमारा कहना तो यही है कि विधवाविवाह कर लेंने से श्रेष्ठ मार्ग धारण करने का अधिकार या योग्यता नहीं छिन जाती । आक्षेपकों का कहना तो यह है कि पुनर्विवाह वाला सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता, परन्तु मधु के दृष्टान्त से तो यह सिद्ध होगया कि पुनर्विवाह वाला तो क्या, परस्त्रीसेवी भी सम्यक्तवी ही नहीं, मुनि तक बन सकता है ।

### प्रश्न तीसरा

“विधवाविवाह से तिर्यञ्च और नरकगतिका बंध होता है या नहीं”—इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में हमने जो कुछ कहा था उस पर आक्षेपकों ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, जिसका उत्तर दिया जाय ? आक्षेपकों ने बार बार यही दुहाई दी है कि विधवाविवाह धर्म-विरुद्ध है, व्यभिचार है, इसलिये उस से विसंघाद कुटिलता है, उससे नरक तिर्यञ्चगति का बन्ध है । लेकिन इस कथनमें अन्योन्याश्रय दोष है । क्योंकि जब विधवा-विवाह धर्मविरुद्ध सिद्ध हो तब उससे विसंघादादि सिद्ध हो ।

अथ विसंवादादि सिद्ध हों, तब वह धर्मविरुद्ध सिद्ध हो । खैर नाममात्र के आक्षेपों का उत्तर देना भी हम उचित समझते हैं ।

आक्षेप ( क )—राजुल आदि की तपश्चर्याओं के दृष्टान्त शास्त्रों में पाये जाते हैं । अगर उन्हें कोई विवाह का उपदेश देता तां उनकी उन्नति में सन्देह था । ( विद्यानन्द )

समाधान—राजुल आदि के समान बाल ब्रह्मचारिणी ब्राह्मीदेवी, सुन्दरी देवी, नीलीवाई आदि के दृष्टान्त भी तो शास्त्रों में पाये जाते हैं । इसलिये क्या यह नहीं कहा जा सकता कि अगर कुमारीविवाह का उपदेश होता तो ब्राह्मी आदि की तरफकी कैसे होती ? अगर कुमारीविवाह के उपदेश रहने पर भी बालब्रह्मचारिणी मिल सकती हैं तां पुनर्विवाह का उपदेश रहने पर भी वैधव्य-दीक्षा लेने वाली और आर्यिका बन कर घोर तपश्चर्या करने वाली क्यों न मिलेंगी ?

आक्षेपक को राजुलदेवी की कथाका पूरा पता ही नहीं है । जैनियों का यथा यथा जानता है कि नेमिनाथके दीक्षा लेने पर राजुल के माता, पिता, सखियाँ तथा अन्य कुटुम्बियों ने उन्हें किसी दूमरे राजकुमार के साथ विवाह कर लेने का मूष ही समझाया था । फिर भी उनने विवाह न किया । आक्षेपक को समझना चाहिये कि राजुल सरोखी दृढ़मनस्विनी देवियाँ किसी के उपदेश अनुपदेश की पर्याह नहीं करतीं । अगर उन्हें विवाह करना होता तो सब लोग रोकते रहते, फिर भी ये विवाह कर लेतीं । और उन्हें विवाह नहीं करना था तो सब लोग आप्रह करते रहे फिर भी उनने किसी के कहने की पर्याह नहीं की ।

आक्षेप ( ख )—पंडित लोग धेष्टमार्ग का उपदेश देते हैं, इसलिये विसंवादी नहीं हैं । अवरन व्यभिचार की शिक्षा देने वाले कुल अपटुटेष्ट लोहर्ष विसंवादी हैं । ( विद्यानन्द )

समाधान—श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देना बुरा नहीं है, परन्तु जो उस श्रेष्ठमार्ग का अवलम्बन नहीं कर सकते उनको उससे उतर्गती श्रेणी के मार्ग में भी न चलने देना मतके नाम पर मनवाला हो जाना है। क्या विधवाविवाह का उपदेश ब्रह्मचर्यका घातक है ? यदि हाँ, तो गृहस्थधर्म का विधान भी मुनिधर्म का घातक कहलायगा। पहिली आदि प्रतिमाश्रों का विधान भी दूसरी आदि प्रतिमाश्रों का घातक कहलायगा। यदि गृहस्थधर्म आदि का उपदेश देने वाले, बञ्चक, नास्तिक, पाखंडी, पापोंपदेष्टा, पाप पंथ में फँसाने वाले आदि नहीं हैं तो विधवाविवाह के प्रचारक भी बञ्चक आदि नहीं हैं। क्योंकि जिस प्रकार पूर्ण संयम के अभाव में अविरति से हटाने के लिये गृहस्थधर्म ( विरताविरत ) का उपदेश है उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य के अभाव में, व्यभिचार से दूर रखने के लिये विधवाविवाह का उपदेश है। जय विधवा-विवाह आगमविरुद्ध ही नहीं है तब उसमें विस्वाह कैसा ? और उसका उपदेश भी व्यभिचार की शिक्षा क्यों ? विधवाविवाह के उपदेशक ज़बर-दस्ती आदि कभी नहीं करते न वे बहिष्कार आदि की धमकियाँ देने हैं। ये सब पाप तो विधवाविवाह-विरोधी पण्डितों के ही मिर पर सवार हैं।

आक्षेप ( ग )—विधवाविवाह में येश्या-सेवन की तरह शारम्भ भले ही कम हो, परन्तु परिग्रह—ममत्वपरिणाम—कुमारी विवाह से असंख्यात गुणा है। ( श्रीलाल )

समाधान—यदि विधवाविवाहमें असंख्यात गुणा ममत्व है तो विधुरविवाह में भी असंख्यातगुणा ममत्व मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार विधवा पर यह शोषारोपण किया जाता है कि उसे एक पुरुष से सन्तोष नहीं हुआ, उसी प्रकार विधुर को भी एक स्त्री से सन्तोष नहीं हुआ; इसीलिये यह

भी दोषी कहलाया । वास्तविक बात तो यह है कि न विधुर विवाह में ज्यादा: ममत्व परिणाम हैं और न विधवाविवाह में । हाँ, अगर कोई स्त्री एक ही समय में दो पति रखे अथवा कोई पुरुष एक ही समय में दो स्त्रियाँ रखे तो ममत्व परिणाम ( राग परिणति ) ज्यादा: कहलायगा । अगर किसी ने यह प्रतिज्ञा ली कि मैं २००) रुपये सं ज्यादा: न रखूँगा और अब यदि वह २०१) रखे तो उस की रागपरिणति में वृद्धि मानी जायगी । लेकिन अगर वह २००) में से एक रुपया खर्च करदे फिर दूसरा एक रुपया पैदा करके २००) करले तो यह नहीं कहा जायगा कि तू दूसरा नया रुपया लाया है, इसलिये तेरी प्रतिज्ञा भङ्ग हो गई और ममत्व परिणाम बढ़ गया । किसी ने एक घोड़ा रखने की प्रतिज्ञा ली, दुर्भाग्य से वह मर गया, इसलिये उसने दूसरा घोड़ा खरीदा । यहाँ पर भी वह प्रतिज्ञा-रुपुत या अधिक रागी ( परिग्रही ) नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार एक पति के मर जाने पर दूसरा विवाह करना, या एक पत्नी के मरजाने पर दूसरा विवाह करना अधिक राग ( परिग्रह ) नहीं कहा जा सकता । हाँ, पति के या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना, अवश्य ही अधिक रागी होना है । परन्तु पण्डितों के अंधेर नगरी के न्याया-नुसार पुरुष तो एक साथ हजारों स्त्रियों के रखने पर भी अधिक परिग्रही नहीं हैं और स्त्री, एक पति के मर जाने पर दूसरा विवाह करने से ही, असंख्यात गुणी परिग्रहशालिनी हैं ! कैसा अद्भुत न्याय है ?

विधवाविवाह में आरम्भ कम है, परन्तु इसका कारण गुणों का तमाशा नहीं है । तमाशे के लिये तो ज्यादा: आरम्भ की जरूरत है । विधवाविवाह तमाशा नहीं है इसलिये आरम्भ कम है । असली बात तो यह है कि विधवाविवाह में शामिल

होने वाले पुरुष धर्मज्ञ, दयालु, विवेकी और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के धाता होते हैं; इसलिये उसमें किसी भी तरह के ढोंग और कुरूपियों को स्थान नहीं मिलता। इसीलिये उसमें आरम्भ कम होता है। इस तरह विधवाविवाहमें विवाहरूपता है, अल्प आरम्भ है, अधिक परिग्रह नहीं है, वेश्यासेवन जैसा नहीं है। वेश्यासेवन या परस्त्री-सेवन से विधवाविवाह में क्या फरक है, यह बात हम पहिले बतला चुके हैं।

आक्षेप (घ)—जय विधवाविवाह होने लगेंगे, तब बड़े बड़े मोटे मोटे पुरुषत्वहीन पुरुषों की हत्याएँ होंगी और नलाक का बाज़ार गर्म होगा। (श्रीलाल)

समाधान—आक्षेपक के कथन से मालूम होता है कि समाजमें बहुत से बड़े बड़े मोटे मोटे पुरुष ऐसे हैं जो नपुंसक होकर भी स्त्री रखने का शौक रखते हैं। अगर यह बात सच है तो एक ऐसे क़ानून की बड़ी आवश्यकता है जिससे ऐसे धृष्ट, बेईमान, निर्लज्ज और धोखेबाज़ नपुंसकों को आजन्म काले पानी की सज़ा दी जा सके, जो नपुंसक होते हुए भी एक स्त्री के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, उसे जीते जी जीवन भर जलाते हैं—उनका अपराध तो मृत्युदण्ड के लायक है। विष देना पाप है, परन्तु ऐसे पापियोंको विष देना ऐसा पाप है जो क्षम्य कहा जा सकता है। निःसन्देह ऐसे पापी, धीमानों में ही होते हैं। क्योंकि पहिले तो ग़रीबों में ऐसे नपुंसक हांते ही नहीं हैं। अगर कोई दूआ भी, तो जय पुरुषत्व होने पर भी ग़रीबों के विवाह में कठिनाई है तो पुरुषत्वहीन होने पर तो विवाह ही कैसे होगा? धीमान् लोग तो ऐसे के चल पर विवाह करा लेते हैं। अगर ये विवाह न करायेँ तो लोग योंही कहने लगें कि क्या भैयासाहिय नपुंसक हैं? इसलिये ये विवाह कराते हैं और अपने घर में दर्ज़ी, मुनार, लोदी



आदि किसी भी जाति का गुन्डा नौकर रख लेते हैं जिससे श्रीमतीजी की कामवासना शान्त होती रहती है, तथा उन के तो नहीं उनके नाम के बच्चे पैदा होते रहते हैं। ऐसी हालत में विप देने की भी क्या जरूरत है? अगर श्रीमती जी पतिव्रता निकलीं तो वे विप ही क्यों देंगी?

विधवाविवाह होने पर तलाक़ का रिवाज चलाना न चलाना अपने हाथ में है। शताब्दियों से स्त्री-जाति के ऊपर हम नारकीय अत्याचार करते आ रहे हैं। आये दिन कौटुम्बिक अत्याचारों से स्त्रियों की आत्महत्या के समाचार मिलते हैं। उनके ऊपर इतने अत्याचार किये जाते हैं जिनसे पशुओं पर भी नहीं किये जाते। कसबों के पास जाने वाली गाय तो दस पन्द्रह मिनट कष्ट सहती है और उस समय उसे इयादः नहीं तो चिल्लाने का अधिकार अवश्य रहता है। लेकिन नारीरूपी गायको तो जीवनभर यन्त्रणाएँ सहना पड़ती हैं और उसे चिल्लाने का भी अधिकार नहीं होता। पुरुष तो रात रात भर रंडी और परस्त्रियोंके यहाँ पड़ा रहे, वर्षों तक अपनी पत्नीका मुँह न देखे, फिरभी अपनी पत्नीको जीवनभर गुलाम रखना चाहे, यह अन्धेर कयतक चलेगा? हमारा कहना तो यही है कि अगर पुरुष, अपने अत्याचारों का त्याग नहीं करना तो तलाक़ प्रथा जरूर चलेगी। अगर पुरुष इनका त्याग करता है तो तलाक़ प्रथा न चलेगी।

आक्षेप ( २ )—विधवाविवाह वालों को विधवा का विवाह करके भी शर्हा लगी हुई है तो पहिले से ही विधवा से क्यों नहीं पूछ लिया जाता कि तेरी तृप्ति कितने मनुष्यों से होगी?

समाधान—हमने कहा था कि विधवाविवाह कोई पाप नहीं है। हाँ, विधवाविवाह के बाद कोई दूसरा ( हिंसा भूँठ खोरी कुशील आदि ) पाप करे तो उसे पाप ग्रन्थ होगा। सो

तो कुमारी-विवाहके बाद और मन्त्रियेय लेने के बाद भी होता है । हमारे इस वक्तव्य के ऊपर आक्षेपक ने ऊपर का ( ७ ) पैराग्राफ और अप्रासङ्गिक आक्षेप किया है । और, उसपर हमारा कहना है कि स्त्री तो यही चाहती है कि एक ही पति के साथ जीवन व्यतीत हो जाय । परन्तु जब वह मरजाता है तो विवश होकर उसे दूसरे विवाहके लिये तैयार होना पड़ता है । विवाह के समय वह विचारी क्या बतलाए कि कितने पुरुषों से तृप्ति होगी ? वह तो एक ही पुरुष चाहती है । हाँ, यह प्रश्न तो उन निर्लज्जों से पूछो, जो कि एक तरफ तो विधवाविवाह का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ जब पहिली स्त्रीको जलाने के लिये मरघट में जाते हैं तो वहाँ दूसरे विवाह की चर्चा करने लगते हैं और इसी तरह चार चार पाँच पाँच स्त्रियाँ हड़प करके कन्याकुरंगी केसरी की उपाधि प्राप्त करते हैं । अथवा उन धूर्तों से पूछो जो विधवाविवाहवालों का यहिस्कार करने के लिये तो बड़ा गर्जन गर्जन करते हैं, परन्तु खुद एक स्त्री के रखते हुए भी दूसरी स्त्री का हाथ पकड़ने में लज्जित नहीं होते । दैव की सतायी हुई विचारी विधवा से क्या पूछते हो ? शराबियों को भी मात करने वाली असभ्यता और कसाइयों को भी मात करने वाली क्रूरता के बल पर विचारी विधवाओं का हृदय क्यों जलाते हो ।

### चौथा प्रश्न

चौथे प्रश्न के उत्तर में तो दोनों ही आक्षेपक बहुत घुरी-तरह से लड़खड़ाते हैं । इस प्रश्न के उत्तर में हमने कहा था कि परस्त्रीसेवन, घेश्यासेवन और धिना विवाह के पक्षी बना लेना, ये व्यभिचार की तीन श्रेणियाँ हैं । विधवाविवाह किसी में भी शामिल नहीं हो सकता । कुमारी भी परस्त्री है, लेकिन

विवाह से स्वम्प्री बन जाती है । उसी प्रकार विधवा भी विवाह से स्वम्प्री बन जाती है । श्रीलालजी ने व्यभिचार की उपर्युक्त तीन श्रेणियाँ, स्वीकार कीं, जब कि विद्यानन्द उस के विरुद्ध हैं । हर धान के उत्तर में दोनों आक्षेपक यही कहते हैं कि "विधवाविवाह धर्मविरुद्ध है, कन्या का ही विवाह होता है आदि" । इन सब बातों का खूब विवेचन हो चुका है ।

आक्षेप (क)—विधवा कभी भी दूसरा पति नहीं करेगी जबतक कामाधिक्य न हो । लोकलज्जा आदि को तिलाजुली दे जो दूसरे पति को करने में नहीं हिचकती, वह उस दूसरे करे हुए पति में सन्तोष रखे, असम्भव है । अतः उसका तीसरा चौथा और जार पुरुष भी होना सम्भव है । अतएव वह भी एक प्रकार वेश्यासंगम जैसा हुआ । ( श्रीलाल )

समाधान—एक मनुष्य अगर प्रतिदिन आध सेर अनाज खाता है, इस तरह महीने में १५ सेर अनाज खाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह बड़ा अगोरी है, पन्द्रह पन्द्रह सेर अनाज खा जाता है । इसी प्रकार एक स्त्री अगर एक समयमें एक पति रखती है और उसके स्वर्गवास होने पर अपना दूसरा विवाह कर लेती है तो उसे अनेक पति वाली नहीं कह सकते जिससे उसमें कामाधिक्य माना जावे । एक साथ दो पति रखने में या एक साथ दो पत्नी रखने में कामाधिक्य कहा जा सकता है । इस दृष्टिसे पुरुषों में ही कामाधिक्य पाया जा सकता है ।

दूसरी बात यह कि आक्षेपक कामाधिक्य का अर्थ ही नहीं समझा । मानलीजिये कि एक स्त्री ने यह प्रतिज्ञा ली कि महीने में सिर्फ एक दिन ( ऋतु काल के बाद ) काम सेवन करूँगी । वह इस प्रतिज्ञा पर हट रही । ऐसी हालत में अगर वह विधवा हो जावे और फिर विवाह करले और इसके बाद

भी वह पूर्व प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो उसमें कामाधिक्य ( काम की अधिकता ) नहीं कहा जा सकता । और दूसरी स्त्री जो सघवा ही बनी रही है और प्रतिदिन या दो दो चार चार दिन में काम सेवन करती है उसमें कामाधिक्य है । काम की अधिकता कामाधिक्य है, न कि काम के साधनों का परिवर्तन ! इसलिये पति या पत्नीके बदल जाने से कामाधिक्य नहीं कहा जा सकता ।

लोकलज्जा के नामपर अन्याय या अत्याचार सहना पाप है । धर्मविरुद्ध कार्य में लोकलज्जा से डरना चाहिये, लेकिन अर्थात् मूर्खकर लोक की बातों को धर्मसंगत मानना मूर्खता है । जो काम यहाँ लोकलज्जा का कारण है वही अन्यत्र लोकलज्जा का कारण नहीं है । कहीं कहीं तो धर्मानुकूल काम भी लोकलज्जा के कारण होजाते हैं जैसे, अन्तर्जातीयविवाह, चारसाँक में विवाह, स्त्रियों के द्वारा भगवान की पूजा, प्रक्षाल, शत्रुओंको धर्मोपदेश देना, पर्दा न करना, घस्याभूषणोंमें परिवर्तन करना, निर्भीकता से बोलना, स्त्रीशिक्षा, अत्याचारी शासक या पंच के विरुद्ध बोलना आदि । किस किस बात में लोकलज्जा का विचार किया जायगा ? जमाना तो ऐसा गुज़र चुका है कि जैनधर्म धारण करने से ही लोकनिन्दा होती थी, दिगम्बर वेप धारण करने से निन्दा होती थी । तो क्या उसे छोड़ देना चाहिये ? और आजकल भी ऐसे लोग पड़े हुए हैं—जिनमें आक्षेपक का भी समावेश है—जो कि भगवान महावीर की जयन्ती मानना भी निन्दनीय समझते हैं । जय ऐसे धर्मानुकूल कार्यों की निन्दा करने वाले मौजूद हैं तब लोकनिन्दा की कहीं तक पर्वाह की जाय ? इसके अतिरिक्त धर्मविरुद्ध कार्य भी लोक-प्रशंसा के कारण हो जाते हैं या लोक-निन्दा के कारण नहीं होते । जैसे—सीधियन जाति में प्रत्येक पुरुष का प्रत्येक

स्त्री पर और प्रत्येक स्त्री का प्रत्येक पुरुष पर समान अधिकार रहता है, इससे वहाँ सय पुरुष अपने को भाई २ समझते हैं। चीन में भी फूशोके राजत्वकाल तक ऐसा ही नियम था। इसी तरह आयर्लेण्ड की केल्टिक जाति के घारे में भी है। फेलिक्स अरेविया में और कोरम्बा जाति में भी ऐसा ही नियम था। ऑस्ट्रेलिया में विवाह के पहिले समागम करना घुरा नहीं समझा जाता था। वैविलोन में प्रत्येक स्त्रीको विवाह के बाद वहीनस के मन्दिर में बैठकर किसी अपरिचित आदमी के साथ सहवास करना पड़ता था। जय तक वह ऐसा न करे, नय तक वह घर नहीं जा सकती थी। अर्मीनियन जाति में कुमारी स्त्रियाँ विवाह के पहिले वेश्यावृत्ति तक करती हैं परन्तु इसमें लोकलज्जा नहीं समझी जाती। प्राचीन रोम में विवाह के पहिले यदि कोई लड़की व्यभिचारवृत्ति से पैसा पैदा नहीं कर पाती थी तो उसे बहुत लज्जित होना पड़ता था। चिपचा जाति में अगर किसी पुरुष को यह मालूम हो कि उसकी स्त्री का अभी तक किसी पुरुष से समागम नहीं हुआ तो वह अपने को अम्माग समझता था और अपनी स्त्री को इसलिये तुच्छ समझता था कि वह एक भी पुरुष का चिस्ता-करण न कर सकी। बोटियाक लोगों में अगर किसी कुमारी के पीछे नययुवकों का दल न चले तो उसके लिये यह बड़े अपमान की बात समझी जाती है। वहाँ पर कुमागवस्था में ही माता दनजाना बड़े सौभाग्य और सम्मान की बात मानी जाती है। इस विषय में इसी प्रकार के अविमुक्त नियम चियेवे, कैमैगट, ककी, किचनफ, रेंड इन्डियन, चुकची, एरिको, डकाटा, मँगोलकारेन, डोटा, रेंड कारेन, टेडिटियन, आदि जातियों में तथा इनके अतिरिक्त कमेस्क टैल,

अलीटस, उत्तरी एशिया, ट्हीटी, मैक्रोनेशिया, कैएडोन आदि देश और द्वीपों के निवासियों में भी पाये जाते हैं। इसलिये जो लोग लोकलजा और लोकाचार की दुहाई देकर कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करना चाहते हैं वे भूर्ख हैं। हमारे कूपमगडूक परिणत धार धार चिल्लाया करते हैं—“क्योंजी, पेना भी कहीं होता है ?” उन्हें जानना चाहिये कि यह “कहीं” और ‘लोक’ तुम्हारे घर में ही सीमित नहीं हैं। ‘कहीं’ का क्षेत्र व ‘लोक’ बहुत बड़े और विचित्र हैं, और उन्हें जानने के लिये विस्तृत अध्ययन की ज़रूरत है। लोकाचार, क्षेत्र काल की अपेक्षा विविध और परिवर्तनशील है, इसलिये उस को कसौटी बनाना भूर्खता है। हम तो कहते हैं कि अगर विधवा-विवाह धर्मविरुद्ध है तो वह लोकलजा का विषय हो या न हो, वह त्यागने योग्य है; और अगर वह धर्मविरुद्ध नहीं है तो लोगों के एकवाद की चिन्ता न करके उसे अपनाना चाहिये। धर्मानुकूल समाजरक्षा और न्याय के लिये अगर लोकलजा का सामना करना पड़े तो उसको जीतना पण्डित-विजय के समान श्रेयस्कर है।

इसके बाद पुनर्विवाहिताओं के विषय में आक्षेपक ने जो शब्द लिखे हैं वे धृष्टता के सूचक हैं। अगर पुनर्विवाहिता के तीसरा चौथा और जार पुरुष होना भी सम्भव है तो पुनर्विवाहित पुरुष के तीसरी चौथी पाँचवीं तथा अनेक रत्नल माशुकाएँ होना सम्भव है। इस तरह पुनर्विवाह करने वाला—आक्षेपकके कथनानुसार—भँडुआ है। आक्षेपक की सम्भावना का कुछ ठिकाना भी है। एक साथ हजारों स्त्रियाँ रखने वाला पुरुष तो सन्तोषी माना जाय और पुनर्विवाह करके एक ही पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री असन्तुष्ट मानी जाय, यह आक्षेपक की अन्धेर नगरी का न्याय है। पाठक देखें कि

आक्षेपक से जय विधवाविवाह के विरोध में कुछ कहते नहीं धन पड़ा तब उसने यह वेहूदा शकवाद शुरू कर दिया है।

आक्षेप (ख)—विवाह तो कन्या का होता है सो भी कन्यादान पूर्वक। वह विधवा न कन्या है न उसका कोई देने वाला। जिसकी थी वह चल बसा... वह किसी के लिये वसीयत कर गया नहीं, अब देने का अधिकारी कौन ? (श्रीलाल)

समाधान—इन आक्षेपों का समाधान प्रथम प्रश्न के उत्तर में कर चुके हैं। देखा, 'प' 'पे' 'ओ' 'घ'। हमारे विवेचन से सिद्ध है कि स्त्री सम्पत्ति नहीं है। जय सम्पत्ति नहीं है तो उसकी वसीयत करने का अधिकार किसे है। कन्यादान भी अनुचित है। यह जयर्दस्ती का दान है; अतः कुदान है। इसलिये आचार्य सामदेव ने कुदानों की निन्दा करते हुए लिखा है :—

हिरण्यपशु भूमीनाम्कन्याशय्यान्नवाससाम् ।  
दानैर्बहुविधैश्चान्यैर्न पापमुपशाम्यति ॥

चाँदी, पशु, ज़मीन, कन्या, शय्या, अन्न, वस्त्र आदि दानों से पाप शान्त नहीं होता। अगर विवाह का लक्षण कन्यादान होता तो वह कुदान में शामिल कभी न किया जाता। यह यात पण्डितों के महामान्य त्रिवर्णचिार में भी पायी जाती है :—

कन्यावस्ति सुवर्णं घाजि कपिला दासी तिलास्यन्दनं ।  
दमा गेहे प्रतिशुद्धमत्र दशधा दानं दरिद्रेप्सितम् ॥  
तीर्थान्ते जिनशीतलस्यं सुनरामाविश्वकार स्वयं ।  
लुब्धो वस्तुषु भूतिशर्म तनयो-सौमुण्डशालायनः ॥

कन्या, हाथी, सुवर्ण, घोड़ा, गाय, दासी, तिल, रथ, ज़मीन, ये दरिद्रों को इष्ट दश प्रकार के दान हैं, जिन का,

शीतलनाथ के तीर्थ के अन्त में भूतिशर्मा के पुत्र मुण्डशाला-यन ने आधिष्कार किया था ।

इससे सिद्ध है कि कन्यादान, जैनधर्म में नहीं है । शीतलनाथ स्वामी के पहिले कन्यादान का रिवाज ही नहीं था । तो क्या उसके पहिले विवाह न होता था ? तब तो ऋषभदेव, भरत, जयकुमार सुलोचना आदि का विवाह न मानना पड़ेगा । कन्यादान को विवाह मानने से गान्धर्व आदि विवाह, विवाह न कहलायेंगे । श्रीकृष्ण का रुक्मणी के साथ जो विवाह हुआ था उसमें कन्यादान कहाँ था ? क्या वह विवाह नाजायज़ था ? स्मरण रहे कि इसी विवाह के फलस्वरूप, रुक्मणी जी के गर्भ से तद्भवमोक्षगामी प्रद्युम्न का जन्म हुआ था । और, इस विषय में हम पहिले बहुत कुछ लिख चुके हैं । मुख्य बात यह है कि कन्यादान विवाह का लक्षण नहीं है ।

आक्षेप ( ग )—पुरुष भोक्ता है, स्त्री भोज्य है । पुरुष जय अनेक भोज्यों के भोगने की शक्ति रखता है तब क्यों नहीं एक भोज्य के अभाव में दूसरे भोज्य को भोगे । ( श्रीलाल )

समाधान—पुरुष भोक्ता है परन्तु वह भोज्य भी है । इसी प्रकार स्त्री भोज्य है परन्तु वह भोक्ती ( भोगने वाली ) भी है । इसलिये भोज्य-स्त्री के अभाव में, पुरुष को अधिकार है कि वह दूसरी भोज्य-स्त्री प्राप्त करे; इसी प्रकार भोज्य-पुरुष के अभाव में स्त्री को अधिकार है कि वह दूसरा भोज्य-पुरुष प्राप्त करे । शक्ति का विचार किया जाय तो पुरुष में जितनी स्त्रियों को भोगने की ताकत है उससे भी ज्यादः पुरुषों को भोगने की ताकत स्त्री में है ।

जहाँ भोज्यभोजक सम्बन्ध होता है वहाँ यह बात देखी जाती है कि भोग से भोजक को सुखानुभव होता है और भोज्य को नहीं होता । स्त्री-पुरुष के भोग में तो दोनों को



सुखानुभव होता है; इसलिये उनमें से किसी एक को, भोज्य या किसी एक को भोजक नहीं कह सकते। असल में दोनों ही भोजक हैं। अगर स्त्री को भोजक न माना जायगा तो स्त्रियों के लिये कुशील नाम का पाप ही नहीं रहेगा; क्योंकि कुशील करने वाला ( भोजक ) तो पुरुष है न कि स्त्री। इस लिये स्त्री का क्या दोष है ? हिंसा करने वाला हिंसक कहलाता है न कि जिसकी हिंसा की जाय वह। चोरी करने वाला चोर कहलाता है न कि जिसकी चोरी की जाय वह। इसलिये जो व्यभिचार करने वाला होगा वही व्यभिचारी कहलायगा न कि जिसके साथ व्यभिचार किया जाय वह। इसलिये स्त्रियाँ सैकड़ों पुरुषों के साथ सम्भोग करने पर भी व्यभिचार पाप करने वाली न कहलायँगी, क्योंकि वे भोजक ( भोग करने वाली ) नहीं हैं। अगर स्त्रियों को व्यभिचार का दोष लगता है तो कहना चाहिये कि उनमें भी भोक्तृत्व है।

भोक्तृत्व के लक्षण पर विचार करने से भी स्त्रियों में भोक्तृत्व मानना पड़ता है। दूसरी वस्तु की ताकत का ग्रहण करने की शक्ति को भोक्तृत्व कहते हैं ( पर द्रव्यवीर्यादान-सामर्थ्य भोक्तृत्वलक्षणम्—राजवार्तिक)। स्त्री पुरुष के भोगमें हमें विचारना चाहिये कि कौन किसकी ताकत ग्रहण करता है और कौन अपनी शक्तियों को इयादः पर्यादः कर्त्ता है। विचार करते ही हमें मालूम होगा कि भोक्तृत्व स्त्री में है न कि पुरुष में, क्योंकि सम्भोग कार्य में पुरुष की इयादः शक्ति नष्ट होती है। दूसरी बात यह है कि स्त्रीके रजको पुरुष ग्रहण नहीं कर पाता बल्कि पुरुष के वीर्य को स्त्री ग्रहण करलेती है। राजवार्तिक के लक्षणानुसार, ग्रहण करना ही भोक्तृत्व है।

स्त्रीको जूँटी घालीके समान घतलाकर भोज्य ठहराना अनुचित है, क्योंकि पुरुष को भी घने के समान ठहरा कर

भोज्य सिद्ध कर दिया जायगा । यदि एक पुरुष के संगम से स्त्री जूँठी हो जाती है तो एक स्त्रीके संगम से पुरुष भी जूँठा हो जाता है । इसलिये अगर जूँठी स्त्री को सेवन करने वाला चांडाल या कुत्ता है तो जूँठे पुरुषको सेवन करने वाली चांडालिन या कुतिया है । अगर दूसरी घात ठीक नहीं तो पहिली घात भी ठीक नहीं है ।

भोज्य-भोजकके सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह उपभोग का प्रकरण है । भोजन वगैरह तो भोग हैं और वस्त्र वगैरह उपभोग हैं । स्त्री के लिये पुरुष उपभोग सामग्री है और पुरुष के लिये स्त्री उपभोग सामग्री है । इसलिये यहाँ जूँठी धाली आदि भोग सामग्री का उदाहरण ठीक नहीं हो सकता है । उपभोग में यह नियम नहीं है कि एक सामग्री का एक ही व्यक्ति उपभोग करे । जिस विस्तर पर एक आदमी सो लेता है उसी पर अगर दूसरा लेटजावे तो वह जूँठा खानेवाला या उसके समान न कहलायेगा । एक साबुन की बट्टी का चार आदमी उपयोग कर सकते हैं । इसी प्रकार कुर्सी, टेबुल, पलंग, चौकी, मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी, चटार्ड, साइकिल, मोती, माणिक आदि वस्तुओंका अनेक आदमी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई जूँठन खाने वाले के समान नहीं कहलाता । इसलिये अगर थोड़ी देर के लिये स्त्री को भोज्य ( उपभोग-सामग्री ) मान लिया जाय तो भी उसके पुनर्विवाह को घृणित नहीं कहा जा सकता ।

जिस समय माता, अपने बच्चे की सेवा करती है, उस समय माता बच्चे की उपभोग सामग्री है; इसलिये क्या माता अब दूसरे बच्चे की सेवा नहीं कर सकती ? क्या वह जूँठी हो गई ? एक नौकर अपने मालिक के हाथ पैर आदि दयाता ( संघाहन करता ) है तो क्या वह जूँठा होगया ? भोग सामग्री

और उपभोग सामग्रीमें बड़ा फ़रक है, यह सदा स्मरण रखना चाहिये । उपभोग सामग्री दूसरे के लिये घृणित नहीं होजाती । हाँ, अगर एकाध चीज़ थोड़ी बहुत घृणित कहलावे भी, तो यह नियम कदापि नहीं कराया जा सकता कि उपभोग सामग्री हो जाने से घृणित हो ही गई । क्योंकि पेसा मानने से कुर्सी चौकी आदि का दुबारा उपयोग करना भी घृणित कहलाने लगेगा ।

आक्षेप ( घ )—पेसा कहीं न देखा सुना होगा कि एक स्त्री के अनेक पुरुष हों, जिस प्रकार एक पुरुष के अनेक स्त्रियाँ होती हैं: यह सिद्धान्त कितना अटल है ? (श्रीलाल)

समाधान—आक्षेपक के सिद्धान्त की अटलता का तिष्ठत में—जिसे प्राचीनकालमें त्रिविष्टप या स्वर्ग कहते थे—दिवाला निकला हुआ है । वहाँ पर एक स्त्रीके एक साथ चार चार छः छः पति होते हैं । और अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार नहीं है । प्राकृतिक बात यह है कि एक पुरुष और एक स्त्री का दाम्पत्य सम्यन्ध हो । हाँ, अगर शक्तिका दुरुपयोग करना हो तो एक पुरुष अनेक स्त्री रख सकता है और एक स्त्री अनेक पुरुष रख सकती है । अटल नियम कुछ भी नहीं है । अगर थोड़ी देर के लिये आक्षेपक को बात मानली जाय कि एक स्त्री एक ही पुरुष रख सकती है तोभी उसके पुनर्विवाह का अधिकार छिन नहीं जाता । एक आभूषण एक समय में एक ही आदमी के काम में आ सकता है । क्या इसीलिये फिर कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता ? स्त्री तो रत्न है । रत्न एक समय में एक ही आदमी की शोभा बढ़ाता है, लेकिन समयांतर में दूसरे के काम में भी आता है ।

आक्षेप ( ङ )—एक पुरुष अनेक स्त्रियों से एक वर्ष में

प्रकृति ने कोई ऐसी विषमता पैदा की होनी जिससे पुनर्विवाह का निषेध मालूम होता तो कहने को गुँजाइश थी। अगर विधवा हो जाने से स्त्री का मासिकधर्म रुक जाता, स्त्रीत्व के चिन्ह नष्ट हो जाते या बिगड़ जाते तो कुछ अवश्य ही स्त्री के पुनर्विवाह का अधिकार छीना जाता।

आक्षेपक ने जो विषमता यतलाई है उससे तो स्त्रियों को ही विशेष अधिकार मिलने चाहिये, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार ये एक ही सिक्के के दो पृष्ठ ( याजू ) हैं। इसलिये न्यायोचित बात यह है कि जहाँ कर्तव्य अधिक है वहाँ अधिकार भी अधिक है सन्तानोत्पत्ति में स्त्रियों का जितना कर्तव्य है उसका शतांश कर्तव्य भी पुरुषों का नहीं है; इसलिये स्त्रियों को ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिये।

स्त्री सम्पत्ति है, इसके खरडन के लिये देखो प्रश्न पहिला समाधान 'ओ'। स्त्री मायजीव प्रतिष्ठा करती है और पुरुष भी करता है। खुलासे के लिये देखो प्रश्न पहिला समाधान ए ( १-ए )।

अमरकोष और धनञ्जयनाममाला के पुनर्भू शब्द का खुलासा '१-त' में देखिये। विवाह आठ प्रकार के हैं; उनमें विधवाविवाह नहीं है—इसका उत्तर आक्षेप " १-ज " में देखिये।

आक्षेप (छ)—व्यभिचार की तीन ध्रेणियाँ ठोक नहीं हैं। रखैल के साथ सम्भोग करना परस्त्रीसेवन की कोटि का ही पाप है। रखैल और विधवाविवाह में कुछ भेद नहीं है। परस्त्रीसेवन को व्यभिचार मान लेने से विधवाविवाह भी पाप सिद्ध हो गया; इसलिये सव्यसाची निग्रहस्थान पात्र है।

( विद्यानन्द )

समाधान—व्यभिचार की तीन ध्रेणियाँ श्रीलाल जी ने

मानी हैं; विद्यानन्द नहीं मानते हैं। और, परस्त्रीसेवन में वेश्या-सेवन से अधिक पाप है जबकि रखैल स्त्री के साथ सम्भोग वेश्यासेवन से छोटा पाप है। इसका कारण संकलेश की न्यूनता है। परस्त्रीसेवन में वेश्यासेवन की अपेक्षा इसलिये उपादः संकलेशता है कि उसमें परस्त्री के कुटुम्बियों का तथा पड़ोसियों का भय रहता है, और उपादः मायाचार करना पड़ता है। वेश्यासेवन में ये दोनों बातें कम रहती हैं। रखैल स्त्री में ये दोनों बातें बिलकुल नहीं रहती हैं। व्यभिचार को उन दोनों श्रेणियों से यह श्रेणी बहुत छोटी है, यह बात बिलकुल स्पष्ट है। इस तीसरी श्रेणीको व्यभिचार इसलिये कहा है कि ऐसी स्त्री से पैदा होने वाली सन्तान अपनी सन्तान नहीं कहलाती; और इनका परस्पर सम्बन्ध समाज की अनुमति के बिना ही होता है और समाज की अनुमति के बिना ही छूट जाना है। विधवाविवाह में ये दोष भी नहीं पाये जाते। इससे सन्तान अपनी कहलाती है। बिना समाज की अनुमति के न यह सम्बन्ध होता है न टूटता है। व्यभिचार का इससे कोई ताल्लुक नहीं। विवाह के समय जैसे अन्य कुमारियाँ कन्या (दुलहिन) कहलाती हैं, उसी प्रकार विवाह के समय विधवा भी कन्या कहलाती है। व्यभिचार की तीन श्रेणियाँ और विधवाविवाह का उनसे बाहर रहना इतना स्पष्ट है कि विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है। जय विधवाविवाह परस्त्रीसेवन नहीं है तब परस्त्रीसेवनको व्यभिचार मान लेनेसे व्यभिचार कैसे सिद्ध होगया ? आक्षेपक, यहाँ पर अनिग्रह में निग्रह का प्रयोग करके स्वयं निरनुयोज्यानुयोग निग्रहस्थान में गिर गया है।

आक्षेप ( ज )—जहाँ कन्या और घर का विवाहविधि के पूर्व सम्बन्ध हो जाता है वह गांधर्व-विवाह है। इसमें कन्या के साथ प्रवीचार होता है; इसलिये व्यभिचार श्रेणी से हलका

है। कुन्ती का पाण्डु के साथ पहिले गान्धर्वविवाह हो चुका था। बाद में उस अधर्मदोष को दूर करने के लिये नहीं, किन्तु अपनी कुमारी कन्या का विवाह करना माता पिता का धर्म है इस नीति-वाक्य को पालने के लिये उनने अपनी कुमारी कन्या कुन्ती का विवाह किया। गान्धर्वविवाह के अधर्म के दोष को दूर करने के लिये उन्हें कुन्ती का विवाह नहीं करना पड़ा, किन्तु पाण्डु को पात्र चुनना पड़ा। इसलिये विवाह व्यभिचार-दोष को दूर करने का अव्यर्थ साधन नहीं है। (विद्यानन्द)

समाधान—आक्षेपक ने यहाँ पर बड़ा विचित्र प्रलाप किया है। हमने कहा था कि विवाह के पहिले अगर किसी कुमारी से सम्भोग किया जायगा तो व्यभिचार कहलायगा; अगर विवाह के बाद सम्भोग किया जायगा तो व्यभिचार न कहा जायगा। मतलब यह कि विवाह से व्यभिचार दोष दूर होता है। इस वक्तव्य का उत्तर आक्षेपक से न बना। इसलिये उनने कहा कि विवाह के पहिले किसी कुमारी के साथ संभोग करना व्यभिचार ही नहीं है। तब तो पंडित लोग जिस चाहे कुमारी लड़की के साथ संभोग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह व्यभिचार नहीं है। तारीफ़ यह है कि व्यभिचार न मानने पर भी इसे अधर्म मानते हैं। व्यभिचार तो यह है नहीं, चाक्री चार पापों में यह शामिल किया नहीं जा सकता, इसलिये अब कौनसा अधर्म कहलाया? आक्षेपक ने गान्धर्वविवाह के लक्षण में भूल की है। प्रवीचार करना विवाह का अन्यतम फल है, न कि विवाह। गान्धर्व विवाह में घर कन्या एक दूसरे से प्रतिनायक होजाते हैं, तब प्रवीचार होता है। विवाह के पहिले पाण्डु और कुन्ती का जो संसर्ग हुआ था यह व्यभिचार ही था। अगर वह व्यभिचार न होता तो उस संसर्ग से पैदा होने

वाली सन्तान ( कर्ण ) छिपाकर नदी में न बहादी जाती । हम कह चुके हैं कि व्यभिचार से जो सन्तान पैदा होती है वह नाजायज़ कहलाती है और विवाह से जो सन्तान पैदा होती है वह जायज़ कहलाती है । कर्ण नाजायज़ सन्तान थे, इसलिये वे बहादिये गये । और इसीलिये पाण्डु कुन्ती का प्रथम संयोग व्यभिचार कहलाया न कि गान्धर्व विवाह । अब हमें देखना चाहिये कि वह कौनसा कारण है जिससे कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न कर्ण तो नाजायज़ कहलाये, किन्तु युद्धिष्ठिर आदि जायज़ कहलाये, अर्थात् जिस संसर्ग से कर्ण पैदा हुए वह व्यभिचार कहलाया और जिससे युद्धिष्ठिर पैदा हुए वह व्यभिचार न कहलाया । कारण स्पष्ट है कि प्रथम संसर्ग के समय विवाह नहीं हुआ था और द्वितीय संसर्ग के समय विवाह हो गया था । इससे यिलकुल स्पष्ट है कि विवाह से व्यभिचार का दोष दूर होता है । इसलिये विवाह के पहिले किसी विधवा से संसर्ग करना व्यभिचार है और विवाह के बाद ( विधवाविवाह होने पर ) संसर्ग करना व्यभिचार नहीं है ।

आक्षेपक के कथनानुसार अगर पाण्डु कुन्ती का प्रथम संयोग गान्धर्व-विवाह था तो कर्ण नाजायज़ संतान क्यों माने गये ? उनको छिपाने की कोशिश क्यों की गई ? कृष्णजी ने भी रुद्रमणी का हरण करके रैवतक पर्यंत के ऊपर उनके साथ गान्धर्व-विवाह किया था, परन्तु रुद्रमणीपुत्र प्रद्युम्न तो नहीं छिपाये गये । दूसरी बात यह है कि जब पाण्डु कुन्तीका गान्धर्व-विवाह हो गया था तो उनके माता पिता ने कुन्ती का दूसरी बार विवाह ( पुनर्विवाह ) क्यों किया ? क्या विवाहिता का विवाह करना भी माता पिता का धर्म है ? और क्या तब भी वह कन्या बनी रही ? यदि हाँ, तो विधवा का विवाह करना

माता पिता या समाज का धर्म क्यों नहीं ? और वह कन्या भी क्यों नहीं ?

आक्षेपक के होशहवास तो यहाँ तक घिगड़े हुए हैं कि एक यक्षा पैदा कर देने के बाद भी कुन्ती को कुमारी कन्या बतला रहे हैं । जब एक यक्षे की मां कुमारी कन्या हो सकती है तब बेचारी विधवा, कुमारी कन्या नहीं, सिर्फ 'कन्या' क्यों नहीं हो सकती ? कन्या के साथ कुमारी विशेषण लगा कर आक्षेपक ने यह स्वीकार कर लिया है कि कन्या कुमारी भी होती है और अकुमारी ( विधवा ) भी होती है ।

आक्षेप (भू)—कुमारी जैसे स्वस्त्री बनायी जा सकती है उस प्रकार विधवा नहीं बनायी जा सकती । क्योंकि कुमारी परस्त्री नहीं है । आप कुमारी को परस्त्री कहने का साहस क्यों कर गये ? वह तो स्त्री भी नहीं है । भावी स्त्री है ।

समाधान—कुमारी, स्त्री तो अवश्य है, क्योंकि वह पुरुष अथवा नपुंसक नहीं है । परन्तु आक्षेपक ने स्त्री शब्द का भार्या अर्थ किया है । इसलिये उसी पर विचार किया जाता है । आचार शास्त्रों में ब्रह्मचर्याणुवती को कुमारी के साथ सम्भोग करने की गनाई है; इसलिये कुमारी परस्त्री है । अपनी स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों को परस्त्री कहते हैं; इसलिये भी कुमारी परस्त्री है । कुन्ती को अपनी संतान छिपाना पड़ी; इसलिये भी सिद्ध होता है कि कुमारी परस्त्री है । राजनियमों के अनुसार भी कुमारी परस्त्री है । कहना कर लो, अगर पाण्डु अणुवती होते तो विवाह के बिना कुन्ती के साथ सम्भोग करने से उनका अणुवत क्या नष्ट न होता ? जैनशास्त्रों के अनुसार उनका अणुवत अवश्य नष्ट होना । लेकिन विवाह करके अगर सम्भोग करते तो उनका अणुवत नष्ट नहीं होता । क्या इससे यह नहीं मालूम होता कि विवाह के द्वारा परस्त्री,



स्वम्भी वन गई है। खैर ! अगर आक्षेपक की यही मंशा है कि कुमारी को परस्त्री न माना जाय, क्योंकि वर्तमान में वह किसी की स्त्री नहीं है—भावी स्त्री है, तो इसमें भी हमें कोई पेंतराज नहीं है। परन्तु ऐसी हालत में विधवा भी परस्त्री न कहलायगी, क्योंकि वर्तमान में वह किसी की स्त्री नहीं है। जिसकी थी वह तो मर गया, इसलिये वह तो भूत-स्त्री है। इसलिये कुमारी के समान वह स्वस्त्री बनाई जा सकती है।-

आक्षेप ( ज )—विवाह किसी अपेक्षा से व्यभिचार को दूर करने का कारण कहा भी जा सकता है। किन्तु कहा जा सकता है विवाह ही। विधवा सम्बन्ध की विवाह संज्ञा ही नहीं।

समाधान—शास्त्रों में जो विवाह का लक्षण किया गया है वह विधवाविवाह में जाता है। यह बात हम प्रथम प्रश्न में कन्या शब्द का अर्थ करते समय लिख आये हैं। लोक में भी विधवाविवाह शब्द का प्रचार है, इसलिये संज्ञा का प्रश्न निरर्थक है। इस आक्षेप को लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, परन्तु यह इसलिये लिख दिया है कि आक्षेपक ने यहाँ पर विवाह को व्यभिचार दूर करने का कारण मान लिया है। इसलिये विधवाविवाह व्यभिचार नहीं है।

आक्षेप ( ट )—विवाह तो व्यभिचार की ओर रुजू कराने वाला है, अन्यथा भगवान् महावीर को क्या सूझी थी जो उन्होंने ने ब्रह्मचर्यव्रत पाला ?

समाधान—विवाह तो व्यभिचार की ओर रुजू कराने वाला नहीं है, अन्यथा श्रीऋषभदेव आदि तीर्थंकरों को क्या सूझी थी जो विवाह कराया ? सभी तीर्थंकरों को क्या सूझी थी जो ब्रह्मचर्याणुव्रत का उपदेश दिया ? आचार्यों को क्या सूझी थी कि पुराणों को विवाह की घटनाओं से भर दिया और

विवाहविधि के विषय में प्रकरण के प्रकरण लिखे ? विवाह पूर्णब्रह्मचर्य का विरोधी है, ब्रह्मचर्याणुवृत्त का बाधक या व्यभिचार का साधक नहीं है। अगर यह बात मानली जाय तो अकेला विधवाविवाह ही क्या, कुमारी विवाह भी व्यभिचार कहलायगा। अगर व्यभिचार होने पर भी कुमारीविवाह विधेय है तो विधवाविवाह भी विधेय है।

आक्षेप (ठ)—पुरुष इसी भव से मोक्ष जा सकते हैं, पुरुषों के उच्च संस्थान संहनन होते हैं, उनके शिश्न मूँछे होती हैं। स्त्रियों में ये बातें नहीं हैं; इसलिये उन्हें पुरुषों के समान पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है। लक्षण, आकृति, स्वभाव, शक्ति की अपेक्षा भी महान् अन्तर है।

समाधान—आजकल के पुरुष न तो मोक्ष जा सकते हैं, न स्त्रियों से अधिक संहनन रख सकते हैं। इसलिये इन्हें भी पुनर्विवाह का अधिकार नहीं होना चाहिये। संस्थान तो स्त्रियों के भी पुरुषों के समान सभी हो सकते हैं (देखो गोम्मटसार कर्मकांड)। पुरुषों के शिश्न मूँछे होती हैं और स्त्रियों के योनि और स्तन होते हैं। आक्षेपक के समान कोई यह भी कह सकता है कि पुरुषों का पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके योनि और स्तन नहीं होते। लिङ्ग और मूँछे ऐसी चीज़ नहीं हैं जिनके ऊपर पुनर्विवाह की छाप खुदी रहती हो। देवों के और तीर्थकरादिकों के मूँछे नहीं होतीं, फिर भी उनके अधिकार नहीं छिनते। दाढ़ी के बाल और मूँछे तो सौन्दर्य की विघातक और उतने स्थान की मस्तीनता का कारण हैं। उनसे विशेषाधिकार मिलने का क्या सम्बन्ध ? और, विषमता को लेकर स्त्रियों के अधिकार नहीं छीने जा सकते। संसार का प्रत्येक व्यक्ति विषम है। सूक्ष्म विषमता को अलग कर दें तो स्थूल विषमता भी बहुत है। परन्तु विषमता

के कारण अधिकार छीनना अन्याय है । अगर यह नियम बनाया जाय कि जो इतना विद्वान हो उसे इतने विवाह करने का अधिकार है और जो विद्वान नहीं है उसे विवाह का अधिकार नहीं है, तो क्या यह ठीक होगा ? दूसरी बात यह है कि जिस विषय का अधिकार है उसी विषय की समता, विषमता, योग्यता, अयोग्यता का विचार करना चाहिये । किसी के पैर में चोट आ गई है तो बहुत से बहुत बड़े जूता नहीं पहिनेगा, परन्तु वह कपड़े भी न पहिने, यह कहाँ का न्याय है ? किसी भी अधिकार के विषय में प्रायः चार बातों का विचार किया जाता है । योग्यता, आवश्यकता, सामाजिक लाभ, स्वार्थत्याग । पुनर्विवाह के विषय में भी हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे । स्त्रियों में पुनर्विवाह की योग्यता तो है ही, क्योंकि पुनर्विवाह से भी वे सन्तान पैदा कर सकती हैं । संभोगशक्ति, रजोधर्म तथा गार्हस्थ्यजीवन के अन्य कर्तव्य करने की क्षमता उन में पाई जाती है । आवश्यकता भी है, क्योंकि विधवा हो जाने पर भी उनकी कामवासना जाग्रत रहती है, जिसके सीमित करने के लिये विवाह करने की जरूरत है । इसी तरह सन्तान की इच्छा भी रहती है, जिसके लिये विवाह करना चाहिये । वैधव्यजीवन बहुत पराश्रित, आर्थिक कष्ट, शोक, चिन्ता और संकलेशमय तथा निराधिकार होता है, इसलिये भी उन का पुनर्विवाह की आवश्यकता है । कुछ इनीगिनी विधवाओं को छोड़ कर बाकी विधवाओं का जीवन समाज के लिये भार सरीखा होता है । वैधव्यजीवन के भीतर कूद हो जाने से बहुत से पुरुषों को स्त्रियाँ नहीं मिलती । इसलिये उनका जीवन दुःखमय या पतित हो जाता है । समाज की संख्या घटती है । विधवाविवाह से ये समस्याएँ अधिक अंशों में हल हो जाती हैं; इसलिये विधवाविवाह से सामाजिक लाभ

हैं। स्वार्थत्याग तो ज्यादः है ही, क्योंकि स्त्रियाँ सेवाधर्म का पालन ज्यादा करती हैं। सन्तानोत्पत्ति में स्त्रियों को जितना कष्ट सहना पड़ता है, उसका शतांश भी पुरुषों को नहीं सहना पड़ता। विवाह होते ही स्त्री अपने पितृगृह का त्याग कर देती है। मतलब यह कि चाहे विवाह के विषय में विचार कीजिये, चाहे विवाहके फल के बारे में विचार कीजिये, स्त्रियों का स्वार्थत्याग पुरुषों के स्वार्थत्याग से कई गुणा ज्यादा है। स्त्रियों में पुरुषों से विषमता जरूर है, परन्तु वह विषमता उन बातों में कोई झुट्टि उपस्थित नहीं करती, जो कि पुनर्विवाह के अधिकार के लिये आवश्यक है; यदिक वह विषमता अधिकार बढ़ाने वाली ही है। क्योंकि पुरुष विधुर हो जाने पर तो किसी तरह गार्हस्थ्यजीवन गौरव के साथ बिता सकता है, साथ ही आर्थिक स्वातन्त्र्य और सुविधा भी रख सकता है; परन्तु विधवा का तो सामाजिक स्थान गिर जाता है और उसका आर्थिक कष्ट बढ़ जाता है। इसलिये विधुरविवाह की अपेक्षा विधवाविवाह की ज्यादा आवश्यकता है। और स्वार्थ-त्याग में स्त्रियाँ ज्यादा हैं ही, इसलिये विधुरों को विवाह का अधिकार भले ही न हो, परन्तु विधवाओं को तो अग्र्य होना चाहिये।

आक्षेप ( ८ )—स्त्री पर्याय निध है। इसलिये उद्यपर्याय ( पुरुषपर्याय ) प्राप्त करने के लिये त्याग करना चाहिये।

( विद्यानन्द )

समाधान—स्त्रीपर्याय निध है, अथवा अत्याचारी पुरुष समाज ने सहस्राब्दियों के अत्याचारों से उसे निध बना डाला, इसकी मीमांसा हम विचारशील पाठकों पर छोड़ देते हैं। अगर आक्षेपक की बात मानली जाय तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को पुनर्विवाह की सुविधा ज्यादा मिलना चाहिये, क्योंकि—

कि पुरुषों को अपनी उच्चता के लिहाज़ से इत्यादः त्याग करना चाहिये । मुनिपद श्रेष्ठ है और श्रावकपद नीचा । अथ कोई कहे कि मुनि उच्च हैं, इसलिये उन्हें रणडीवाज़ी करने का भी अधिकार है ! गृहस्थ को तो मुनिपद प्राप्त करना है, इसलिये उसे रणडीवाज़ी न करना चाहिये ? क्या उच्चता के नामपर मुनियों को ऐसे अधिकार देना उचित है ? यदि नहीं, तो पुरुषों को भी उच्चता के नाम पर पुनर्विवाह का अधिकार न रखना चाहिये । अथवा स्त्रियों का अधिकार न छीनना चाहिये ।

इसी युक्ति के बल पर हम यह भी कह सकते हैं कि स्त्रियाँ अधिक निर्यल और निःसहाय हैं, इसलिये स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा इत्यादः सुविधा देना चाहिये ।

आक्षेप ( ८ )—विषय-भोगों की स्वच्छन्दता हरएक को दे दी जाय तो वैराग्य का कारण बहुत ही कम मिला करे । छोटी अर्थस्या की विधवा का दर्शन होना कर्मवैचित्र्य का सूचक है, इससे उदासीनता आती है । ( विद्यानन्द )

समाधान—पुरुष तो एक साथ या क्रम से हज़ारों स्त्रियाँ रखते, फिर भी वैराग्य के कारणों में कमी न हो और स्त्री के पुनर्विवाह मात्र से वैराग्य के कारण बहुत कम रह जायें—यह तो विचित्र बात है ! क्या संसार में दुःखों की कमी है जो वैराग्य उत्पन्न करने के लिये नये दुःख बनाये जाते हैं ? क्या अनेक तरह की घोरारियाँ देखकर वैराग्य नहीं हो सकता ? फिर विक्रिसा का प्रयत्न क्यों किया जाता है ? यदि आज जिनियों के वैराग्य के लिये संसार को दुःखी बनाने की ज़रूरत है तो जैनधर्म में और आसुरीलोलामें क्या अंतर रह जायगा ? यह तो गौड्रथ्यान की प्रकृति है । जिनको वैराग्य पैदा करना है उन्हें, संसार वैराग्य के कारणों से भरा पड़ा है । मेघों और विजलियों की क्षणभंगुरता, दिन रात मृत्यु का दौग, अनेक

तरह की वीमारियाँ आदि वैराग्य की ओर मुकाने वाली हैं । पुराणों में ऐसे कितने मनुष्यों का उल्लेख है जिन्हें बालविधवाओं को देखकर वैराग्य पैदा हुआ हो ? कर्मवैचित्र्य की सूचना पुण्य और पाप दोनों से मिलती है । विधवा के देखने से जहाँ पाप कर्म की विचित्रता मालूम होती है वहाँ विधवा-विवाह से पुण्य कर्म की विचित्रता मालूम होती है । जिस प्रकार एक स्त्री मर जाने पर पुण्योदयसे दूसरी स्त्री मिल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष के मर जाने पर भी पुण्योदय से दूसरा पुरुष मिल जाता है । वैराग्य के लिये बालविधवाओं की स्थिति चाहना ऐसी निर्दयता, क्रूरता और रुद्रता है कि जिसकी उपमा नहीं मिलती ।

### पाँचवाँ प्रश्न

इस प्रश्न का सम्बन्ध विधवाविवाह से बहुत कम है । इस विषयमें हमने लिखा था कि वेश्या और कुशीला विधवा के मायाचार में अन्तर है । कुशीला विधवा का मायाचार बहुत है । हाँ, व्यक्तिगत दृष्टि से किसी के अन्तरङ्ग भावों का निर्णय होना कठिन है । इस विषयमें आक्षेपकों को कोई ज्यादा प्तेतराज नहीं है, परन्तु 'विरोध तो करना ही चाहिये' यह सोच कर उनसे विरोध किया है ।

आक्षेप ( क )—वेश्या, माया-मूर्ति है । व्यभिचार ही उसका कार्य है । वह अहर्निशि माया-मूर्ति है । किन्तु यह नियम नहीं है कि कुशीला जन्मभर कुशीला रहे । ( विद्यानन्द )

समाधान—यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि पाप किसका ज्यादा है ? प्रश्न मायाचार का है । जो कार्य जितना छुपाकर किया जाता है उसमें उतना ही ज्यादा मायाचार है । वेश्या इस कार्य को छुपाकर नहीं करती, जबकि कुशीला को छुपाकर

करना पड़ता है। व्यभिचार के लिये नहीं, किन्तु पैसों के लिये वेश्या कृत्रिम प्रेम करके किसी आदमी के साथ मायाचार करती है जबकि कुशीला विधवा अपने पाप को सुरक्षित रखने के लिये सारी समाज के साथ मायाचार करती है। अपने व्यभिचार को छुपाने के लिये ऐसी नारियाँ मुनियों की सेवा सुथूपा में आगे आगे रहती हैं, देव पूजा आदि के कार्यों में अग्रेसर बनती हैं, तप आदि के ढाँग करती हैं जिससे लोग उन्हें धर्मात्मावादी कहें और उनका पापाचार भूले रहें। स्मरण रहे कि व्याघ्र से गोमुख-व्याघ्र भयानक होता है। वेश्या अगर व्याघ्री है तो कुशीला गोमुखव्याघ्री है। सम्भव है कोई स्त्री जन्मभर कुशीला न रहे। परन्तु यह भी सम्भव है कि कोई स्त्री जन्मभर वेश्या न रहे। जब तक कोई कुशीला या वेश्या है, तभी तक उसकी आत्मा का विचार करना है।

**आक्षेप (ख)**—प्रश्न में मायाचार की दृष्टि से अन्तर पूछा गया है अतः पाप-कार्य की दृष्टि से अन्तर घतलाना प्रश्न के बाहर का विषय है। (विद्यानन्द)

**समाधान**—हमने कहा था कि, “जब हम वेश्यासेवन और परस्त्रीसेवन के पाप में अन्तर घतला सकते हैं तब दोनों के मायाचार में भी अन्तर घतला सकते हैं।” इसमें अन्य पाप से मायाचार का पता नहीं लगाया है, परन्तु अन्य पाप के समान मायाचार को भी अपने ज्ञान का विषय घतलाया है। यह भूल तो आक्षेपक ने स्वयं की है। उनसे लिखा है—“व्यभिचार एक पाप-पथ है। उसपर जो जितना आगे बढ़ गया वह उतना ही अधिक सर्व दृष्टि से पापी एवं महामापायी है।” पाप के अन्तर से माया का अन्तर दिखला कर आक्षेपक स्वयं विषय के बाहर गये हैं।

**आक्षेप (ग)**—सद्यसाची ने आन्तरिक भावों का निर्णय

कठिन लिखा है, फिर भी मायाचार की तुलना की है। ये पर-  
स्पर विरुद्ध बातें कैसी? मन का हाल तो मनःपर्ययज्ञानी ही  
जान सकते हैं। ( विद्यानन्द )

समाधान—मनःपर्ययज्ञानी को मन की बात का प्रत्यक्ष  
होता, है लेकिन परोक्ष शक्ति तो श्रुतज्ञान से भी हो सकती है।  
वचन, आचरण तथा मुखाकृति आदि से मानसिक भावों का  
अनुमान किया जाता है। आक्षेपकने स्वयं लिखा है कि "किस-  
का मायाचार किस समय अधिक है सो भगवान ही जानें,  
परन्तु वेश्या से अधिक कभी कुशीला का मायाचार युक्ति  
प्रमाण से सिद्ध नहीं होता।" क्या यह वाक्य लिखते समय  
आक्षेपक को मनःपर्ययज्ञान था? यदि नहीं तो भगवान के  
ज्ञान की बात उनसे कैसे जानली?

आक्षेप ( घ )—कुशीला, पतिव्रता के घेप में पाप नहीं  
करती। जहाँ पति पतिव्रत होगा वहाँ तो कुशीलभाव हो ही  
नहीं सकते। ( विद्यानन्द )

समाधान—आक्षेपक पतिव्रता के घेप और पतिव्रत के  
अन्तर को भी न समझ सके। वेश्याएँ भी सीता सावित्री  
आदि का पाठ लेकर पतिव्रता का घेप धारण करती हैं, परन्तु  
क्या वे इसी से पतिव्रता होती हैं? क्या कुशीलाओं का कोई  
जुदा घेप होता है?

आक्षेप ( ङ )—कुशीला हजार गुप्त पाप करती है,  
परन्तु जिन-मार्ग को क्षुणित नहीं करती। इसलिये विवाहित  
विधवा और वेश्या से कुशीला की कथा ऊँची कही गई है।  
( विद्यानन्द )

समाधान—विवाहितविधवा और वेश्यामें कुशीला की  
कथा विम शाल में ऊँची कही गई है? जरा प्रमाण दीजिये!



हमने विधवाविवाह को धार्मिक सिद्ध कर दिया है, इसलिये विवाहित विधवा जिनमार्ग दूषित करने वाली नहीं कही जा सकती। अथवा जब तक विधवाविवाह पर यह वादविवाद चल रहा है तब तक विधवाविवाह की धार्मिकता या अधार्मिकता की दुहाई न देना चाहिये। नहीं तो अन्योन्याश्रय आदि दोष आचेंगे। इस आक्षेप से यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि पण्डिताऊ जैनधर्म के अनुसार कोई स्त्री रण्डी बनजाय या हजार गुप्त पाप करे तो जिनमार्ग दूषित नहीं होता और दिनाल बनजाय तो भी नहीं होता, नवजात बच्चों के प्राण लेने तो भी नहीं होता, लेकिन अगर वह किसी एक पुरुष के साथ दाम्पत्य बन्धन स्थापित करले तो वेचारे पण्डिताऊ जैनधर्म की मौत ही समझिये। वास्तव में ऐसे जैनधर्म को व्यभिचार-पन्थ समझना चाहिये।

आक्षेप ( च )—इन्द्रियवृत्ति करने में ही प्रसन्नता मानते हो तो आप शौकसे चार्वाक हो जाओ ! ( विद्यानन्द )

समाधान—रण्डी बनाने के लिये, हजारों गुप्त पाप करने के लिये धर्मधुरन्धर कहलाकर लौंडेबाज़ी करने के लिये, भ्रूणहत्या करने के लिये अगर कोई चार्वाक नहीं बनता तो विधवाविवाह के लिये चार्वाक बनने की क्या ज़रूरत है ? यदि जैनधर्म में इन्द्रियवृत्ति को बिलकुल स्थान नहीं है तो अविरत सम्यग्दृष्टि के लिये “षो इन्द्रियेषु विरदां” अर्थात् ‘अविरत सम्यग्दृष्टि जीव पाँच इन्द्रिय के विषयों से विरक्त नहीं होता’ क्यों लिखा है ? जैनी लोग कामल विस्तर पर क्यों सोते हैं ? स्वादिष्ट भोजन क्यों करते हैं ? लड़कों बच्चों के होने पर भी विवाह क्यों कराते हैं ? क्या यह इन्द्रिय विषय नहीं हैं ? अथवा क्या ऐसे सब जैनी चार्वाक हैं ? पुरुष जब दूसरा विवाह करता है तो क्या वैराग्य की भावना के

लिये स्त्री लाता है ? या परिडतों के चेद विवर्णाचार के अनु-  
सार योनि-पूजा के लिये लाता है ? क्या यह इन्द्रिय-विषय  
नहीं है ? क्या विधवाविवाह में ही अनन्त इन्द्रिय-विषय एक-  
त्रित हो गये हैं ? क्या तुम्हारा जैनधर्म यही कहता है कि  
पुरुष तो मनमाने भोग भोगें, मनमाने विवाह करें, उमसे  
चीतरागता को धक्का नहीं लगता, परन्तु विधवाविवाह से  
लग जाता है ? इसी को क्या "छोड़ो छोड़ो की धुन" कहते हैं ?

आक्षेप ( छ )—कुशीला अपने पापों को मार्ग-प्रेम के  
कारण छिपानी है ।.....वह भ्रूणहत्या करती है फिर भी  
विवाहित विधवा या वेश्या से अच्छी है । ( विद्यानन्द )

समाधान—अगर मार्ग-प्रेम होता तो गुप्त पाप क्यों  
करती ? भ्रूणहत्याएँ क्यों करती ? क्या इनसे जिनमार्ग दुषित  
नहीं होता ? या ये भी जैनमार्ग के अङ्ग हैं ? चोर छिपाकर  
धन हरण करता है, यह भी मार्गप्रेम कहलाया । अनेक धर्म-  
धुरन्धर लौंडेयाजी करते हैं, परस्त्री सेवन करते हैं, यह भी  
मार्गप्रेम का ही फल समझना चाहिये । मतलब यह कि जो  
मनुष्य समाज को जितना अधिक धोखा देकर पाप कर लेता  
है वह उतना ही अधिक मार्गप्रेमी कहलाया ! बाहरे मार्ग !  
और बाहरे मार्गप्रेमी !

व्यभिचारिणी स्त्री वेश्या क्यों नहीं बनजाती ? इसका  
उत्तर यह है कि वेश्याजीवन सिर्फ व्यभिचार से ही नहीं  
आजाता । उसके लिये अनेक कलाएँ चाहिये, जिनका कि दुरु-  
पयोग किया जा सके अथवा जिन कलाओं के जाल में अनेक  
शिकार फँसाए जा सकें । कुछ दुःसाहस भी चाहिये, कुछ  
निमित्त भी चाहिये, कुछ स्वाधलम्बन और निर्भयता भी  
चाहिये । जिनमें ये बातें होती हैं वे वेश्याएँ बन ही जाती  
हैं । आज जो भारतवर्ष में लाखों वेश्याएँ पाई जाती हैं

उनमें से आधो से अधिक वेश्याएँ ऐसी हैं जो एक समय कुल-बधुएँ थीं । वे समाज के धर्मदोषी नरपिशाचों के धक्के खाकर वेश्याएँ बनी हैं । व्यभिचारिणी स्त्री पुनर्विवाह क्यों नहीं करती ? इसका कारण यह है कि पुनर्विवाह तो वह तब करे जब उसमें ब्रह्मचर्याणुवन की भावना हो, जैनधर्म का सच्चा ज्ञान हो । जो स्त्री नये नये पार चाहती हो, उसे पुनर्विवाह कैसे अच्छा लग सकता है ? अथवा वह तैयार भी हो तो जिन धर्मात्माओं ने उसे अपना शिकार बना रक्खा है वे क्या उसका पिंड छोड़ेंगे ? पुनर्विवाह से तो शिकार ही निकल जायगा । स्त्रियों की अज्ञानता और पुरुषों का स्वार्थ ही स्त्रियों को विधवाविवाह के पवित्र मार्ग से हटाकर व्यभिचार की तरफ ले जाता है ।

## छठा प्रश्न

कुशीला भ्रूणहत्याकारिणी को और कृतकारित अनुमां-दना से उसके सहयोगियों को पाप-बन्ध होता है या नहीं ? इसके उत्तरमें हमने कहा था कि होता है और जो लोग विधवा-विवाह का विरोध करके ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं उन को भी पाप का बन्ध होता है । इसके उत्तर में आक्षेपकों ने जो यह लिखा है कि "विधवाविवाह व्यभिचार है, उसमें अकलंक-देय प्रणीत लक्षण नहीं जाता, आदि" इसका उत्तर प्रथम प्रश्न के उत्तर में अच्छी तरह दिया जा चुका है ।

आक्षेप ( क )—विधवाविवाह के विरोधी व्यभिचार को पाप कहते हैं तो पाप करने वाले चाहे स्त्रियाँ ही चाहे पुरुष, वह सब ही पापी हैं । ( श्रीलाल )

समाधान—ऐसी हालत में जब विधवाविवाह पाप है तो विधुरविवाह भी होना चाहिये या दोनों ही न होना

चाहिये। क्योंकि जब पाप है तो 'सर्व ही पापी हैं'। व्यभिचार में तो आप सर्व ही पापी बतलावें और पुनर्विवाह में विधुरविवाह को धर्म बतलावें और विधवाविवाह को पाप, यह कहाँ का न्याय है ?

आक्षेप (ख)—चोर चोरी करता है। गवर्नमेन्ट दण्ड देती है इसमें गवर्नमेन्ट का क्या अपराध ? ( श्रीलाल )

समाधान—गवर्नमेन्ट ने अर्थोपार्जन का अधिकार नहीं छीना है। व्यापार से और नौकरी या भिक्षा से मनुष्य अपना पेट भर सकता है। गवर्नमेन्ट अगर अर्थोपार्जन के रास्ते रोकदे तो अवश्य ही उसे चोरी का पाप लगेगा। विधवाविवाह के विरोधी, विधवा को पति प्राप्त करने के मार्ग के विरोधी हैं, इसलिये उन्हें व्यभिचार या भ्रूणहत्या का पाप अवश्य लगता है। यदि स्थितिपालक लोग बतलावें कि अमुक उपाय से विधवा पति प्राप्त करले और वह उपाय सुमाध्य हो, फिर भी कोई व्यभिचार करे तो अवश्य स्थितिपालकों को वह पाप न लगेगा। परन्तु जब ये लोग किसी भी तरह से पति प्राप्त नहीं करने देते तो इससे सिद्ध है कि ये लोग भ्रूणहत्या और व्यभिचार के पापक हैं। अगर कोई सरकार व्यापार न करने दे, नौकरी न करने दे, भिक्षा न माँगने दे और फिर कहे कि—“तुम चोरी भी मत करो, उपवास करके ही जीवन निकाल दो” तो प्रत्येक आदमी कहेगा कि यह सरकार बद्माश है, इसकी मन्शा चोरी कराने की है। ऐसी ही बद्माश सरकार के समान आजकल की पंचायतें तथा स्थितिपालक लोग हैं। इसमें इतनी धान और विचारना चाहिये कि अगर कोई सरकार चोरी की अपेक्षा व्यापारगति करने में ज्यादा दण्ड दे तो उस सरकार की बद्माशी बिल्कुल नंगी हो जायगी। उसी प्रकार स्थितिपालकों की चालाकी भी नंगी हो जाती है,

क्योंकि ये लोग कहते हैं कि व्यभिचार भले ही करलो, परन्तु विधवाविवाह मत करो ! विधवाविवाह करने के पहिले पंडित उदयलाल जी से एक बुजुर्ग परिडत जी ने कहा था कि—“तुम उसे स्त्री के रूप में यों ही रखलो, उसके साथ विवाह क्यों करते हो ?” आप के सहयोगी विद्यानन्द जी ने पाँचवें प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि—‘यद्यपि कुशीला भ्रूणहत्या करती है किन्तु फिर भी जिनमार्ग से भय खाती है। उसमें स्वाभिमान लज्जा है। इसलिये वह विधवाविवाहित या वेश्या से अच्छी है’—क्या अब भी स्थितिपालक लोग व्यभिचारपोषकता का कलंक छिपा सकते हैं ? उस सरकार को क्या कहा जाय जो चोरों को प्रशंसा करती है और व्यापारियों की निन्दा ?

आक्षेप ( ग )—यदि किसी को स्त्री नहीं मिलती तो क्या दया-धर्म के नाम पर दूसरे दे दें ? विधवाविवाह के प्रचार हो जाने पर भी सभी पुरुषों को स्त्रियाँ न मिल जायेंगी तो क्या स्त्री वाले लोग एक एक घण्टे का स्त्रियाँ दे देंगे ।

समाधान—सुधारकों के धर्मानुसार स्त्रियों का देना लेना नहीं बन सकता, क्योंकि स्त्रियाँ सम्पत्ति नहीं हैं । हाँ, स्थितिपालक परिडतों के मतानुसार घटे दो घंटे या महीनों वर्षों के लिये स्त्री दी जासकती है, क्योंकि उनके मतानुसार वह देने लेने की वस्तु है, भोज्य है, सम्पत्ति है । पुरुष की इच्छा के अनुसार नाचने के लिये उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है । सूर, लोगों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे स्त्रियाँ दे दें, परन्तु उनका इतना कर्तव्य अग्रह्य है कि कोई पुरुष स्त्री प्राप्त करता हो या कोई स्त्री पति प्राप्त करती हो तो उनके मार्ग में रोड़े न अटकावें । यह कहना कि “विधवा अपने भाग्योदय से पतिहीन हुई; कोई क्या करे” मूर्खता और पक्षपात है । भाग्यो-

दय से तो विधुर भी बनता है और सभी विपत्तियाँ आती हैं। उनका इलाज किया जाता है। विधुर का दूसरा विवाह किया जाता है। इसी तरह विधवा का भी करना चाहिये। इसका उत्तर हम पहिले भी विस्तार से दे चुके हैं। "पुरुषत्वहीन पुरुषों की सिकारें होंगी" इस आक्षेप के समाधान के लिये देखो "३ घ"।

आक्षेप (घ)—विधवाविवाह के विरोधियों को पापियों की कक्षा में किस आगम युक्तिकर्क के आधार पर आपने घसीट लिया ? (विद्यानन्द)

समाधान—इसका उत्तर ऊपर के (ख) नम्बर में है। उससे सिद्ध है कि कारित और अनुमोदन के सम्बन्ध से विधवाविवाह के विरोधी भ्रूणहत्यारे हैं।

आक्षेप (ङ)—परिडत लोग आगम का अवरणवाद नहीं करना चाहते। वे तो कहते हैं कि परलोक की भी सुध लिया करो।

समाधान—जिन परिडतों के विषय में यह बात कही जा रही है, वे बेचारे अज्ञानतमसावृत्त जीव आगम को समझते ही नहीं। वे तो रुढ़ियों को ही धर्म या आगम समझते हैं और रुढ़ियों के भंडाफोड़ को आगम का अवरणवाद। परलोक की सुध दिलाने की बात तो विचित्र है। जो लोग खुद तो चार २ पाँच पाँच औरतें हज़म कर जाते हैं और यालविधवाओं से कहते हैं कि परलोक की सुध लिया करो ! उन धृष्टों से क्या कहा जाय ? जो खुद तो ठूस ठूस कर खाते हों और दूसरों से कहते हों कि "भगवान् का नाम लो ? इस शरीर के पोपने में क्या रक्खा है ? यह तो पुद्गल है"—उनकी धृष्टता प्रदर्शनी की वस्तु है। वे इस धृष्टता से उपदेश नहीं देते, आदेश करते हैं, जयर्दस्ती दूसरों को भूजों रखते हैं। क्या यह परलोक की

सुध स्त्रियों के लिये ही है ? मर्दों के लिये नहीं ? फिर जैनधर्म ज़रदस्तो त्याग कराने की बात कहाँ कहता है ? उसका तो कहना है कि "ज्यों ज्यों उपशमन कपाया । त्यों त्यों तिन त्याग यताया ।"

आक्षेप ( च )—परिहृतों के कठोरतापूर्ण शासन और पक्षपातपूर्ण उपदेशों के कारण स्त्रियाँ भ्रूणहत्या नहीं करती, परन्तु जो उनके उपदेश से निकल भागती हैं वे व्यभिचारि-णियाँ ही यह पाप करती हैं ।

समाधान—इस बात के निर्णय के लिये एक दृष्टान्त रखना चाहिये । चार विधवाएँ हैं । दो सुधारक और दो स्थितिपालक । एक सुधारक और एक स्थितिपालक विधवा तो पूर्ण ब्रह्मचर्य पाल सकती है और बाकी की एक एक नहीं पाल सकती । पहिली से सुधारक कहते हैं कि "बहिन ! अगर तुम पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य पालन करने को तैयार हो तो एक ब्रह्मचारीके समान हम आपकी पूजा करते हैं और अगर तुम नहीं पाल सकती हो तो आशा दो कि हम आपके विवाह का आयोजन कर दें ।" वह बहिन कहती है कि अभी मैं ब्रह्मचर्य पालन कर सकती हूँ, इसलिए अपना पुनर्विवाह नहीं चाहती । जब मैं अपने मनको वश में न रख सकूँगी तो पुनर्विवाह का विचार प्रगट कर दूँगी । दूसरी बहिनसे यही बात कही जाती है तो वह विवाह के लिये तैयार हो जाती है और उसका विवाह कर दिया जाता है । उसके विवाह को परिहृत लोग ठीक नहीं समझते—सुधारक ठीक समझते हैं । परन्तु जब वह बहिन विवाह करा लेती है तो उसे संतान को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती जिससे वह भ्रूणहत्या करे । इस तरह सुधारक पक्ष में जो दोनों तरह की विधवाओं का पूर्ण निर्वाह है । अब स्थितिपालकों में देखिये ! उनका कहना

है कि 'विधवा-विवाह घोर पाप है, क्योंकि स्त्रियाँ जूँठी थाली के समान हैं। अथ वे किसी के काम की नहीं'। दोनों बहिनों को यह अपमान चुपचाप सह लेना पड़ता है, जिस में पहिली बहिन तो ब्रह्मचर्य से जीवन बिताती है और दूसरी वैधव्यका ढोंग करती है। उसकी वासनाएँ प्रगट न हो जायें, इसलिये वह विधवा-विवाह वालोंको गालियाँ देती है। इसलिये पंडित लोग उसकी यड़ी प्रशंसा करते हैं। परन्तु वह बेचारी अपनी वासनाओं को दमन नहीं कर पाती, इसलिये व्यभिचारके मार्ग में चली जाती है। फिर गर्भ रह जाता है। अथ वह सोचती है कि विधवाविवाहवालों को मैंने आज तक गालियाँ दी हैं, इसलिये जब मेरे बच्चा पैदा होगा तो कोई क्या कहेगा? इसलिये वह गर्भ गिराने की चेष्टा करती है। गिर जाता है तो ठीक, नहीं गिरता है तो वह पैदा होते ही बच्चेको मार डालती है। वह बीच बीच में पुनर्विवाह का विचार करती है, लेकिन परिदृश्यों का यह वक्तव्य याद आजाता है कि "विधवाविवाह से तो जिनमार्ग दूषित होता है लेकिन व्यभिचार या भ्रूणहत्या से जिनमार्ग दूषित नहीं होता", इसलिये वह व्यभिचार और भ्रूणहत्या की तरफ झुक जाती है। सुधारक बहिन का तो ऐसा मौका ही नहीं है जिससे उसे अपना दाम्पत्य छिपाना पड़े और भ्रूणहत्या करना पड़े। उसके अन्दर सन्तान पैदा होगी तो वह हर्ष मनायगी जबकि स्थितिपालक बहिन हाय २ करेगी और उसकी हत्या करने की तत्कालीय सोचेंगी। इससे पाठक समझ सकते हैं कि हत्यारा मार्ग कौन है और दया का मार्ग कौन है?

हम यहाँ एक ही बात रखते हैं कि कोई स्त्री विधवा-विवाह और गुप्त व्यभिचार में से किस मार्ग का अवलम्बन करना चाहती है। सुधारक लोग विधवाविवाह की सलाह



देते हैं। अथ परिडतों से हम पूछते हैं कि उनकी क्या सलाह है ? अगर वे गुप्त व्यभिचार की सलाह देते हैं, तो उसके भीतर भ्रूणहत्या की सलाह भी शामिल है क्योंकि भ्रूणहत्या न करने पर व्यभिचार गुप्त न रह सकेगा। इसलिये इस सलाह से परिडतों को भ्रूणहत्या का दोषी होना ही पड़ेगा। अगर वे विधवाविवाह की सलाह देते हैं तो भ्रूणहत्या के पाप से बच सकते हैं। यदि वे इस पाप से बचना चाहते हैं तो उन्हें विधवाविवाह को व्यभिचार और भ्रूणहत्या से भी बुरा कहने की बात प्रायश्चित्त के साथ चापिस लेना चाहिये। ऐसी हालत में ये परिडत सुधारकों से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि सुधारक लोग भी व्यभिचार आदि की अपेक्षा विधवाविवाह को अच्छा समझते हैं, पूर्णग्रहणचर्य से विधवाविवाह को अच्छा नहीं समझते। इस प्रकृत्य से सिद्ध हो जाता है कि परिडत लोग भ्रूणहत्या आदि का प्रचार खुल्लमाखुला भले ही न करते हों परन्तु उनके भिद्धान्त ही ऐसे हैं कि जिससे भ्रूणहत्या का समर्थन तो होता ही है साथ ही उसको उत्तेजन भी मिलता है। और यह पाप विधवाविवाह करने वाली बहिनों का नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें करना पड़ना है जो परिडतों के कथनानुसार विधवाविवाह को गालियाँ देती हैं या उससे दूर रहती हैं।

**आक्षेप ( ३ )**—आप लिखते हैं कि स्थितिपालकों में सभी भ्रूणहत्या पसन्द नहीं करते परन्तु फीसदी नब्बे करते हैं। इस परस्पर विरोधी वाक्य का क्या मतलब ?

**समाधान**—इस आक्षेप से आक्षेपक ने अपने भाषा-विज्ञान का ही नहीं, भाषाज्ञान का भी दिवाला निकाल दिया है। पूर्णांश के नियम में अल्पांश की विधि भी उन्हें परस्पर विरुद्ध मालूम होती है। अगर कोई कहे कि मेरे पास पूरा रुपया तो नहीं है, चोदेंदू आने हैं। तो भी आक्षेपक यही

कहेंगे कि जब तुमने रुपये का निषेध कर दिया तो चौदह आने की विधि क्यों करने हो ? क्योंकि चौदह आने ना रुपये के मोतर हो हैं। यह विरोध नहीं, विरोध प्रदर्शन की बीमारी है। 'एक के होने पर दो नहीं हैं', (एकसत्त्वेऽपि द्वयं नाम्नि) के समान 'दो न होने पर एक है' को बात भी परस्पर विरुद्ध नहीं है। खेद है कि आक्षेपक को इतना सा भी भाषाशास्त्र नहीं है।

आक्षेप ( ज )—मछली की अपेक्षा बकरा ग्राह्य है या बकरा की अपेक्षा मछली ? सिद्धान्तदृष्टि से दोनों ही नहीं।

( विद्यानन्द )

समाधान—विधवाविवाह और ब्रूणहत्या इन दोनों में समानता नहीं है किन्तु तरतमता है। और ऐसी तरतमता है जैसी कि विधुगविवाह और गरहत्या में है। इसलिये मछली और बकरे का दृष्टान्त विषम है। जहाँ तरतमता नहीं वहाँ चुनाव नहीं हो सकता। प्रसहिमा और स्वाधर हिंसा, अणु-घत और महाघत के समान व्यभिचार और विधवाविवाह में चुनाव हो सकता है जैसा कि विधुगविवाह और व्यभिचार में होता है।

आक्षेप ( झ )—चाणक्य ने कहा है कि राजा और पतिष्ठत एक ही बार बोलने हैं कन्या एक ही बार दी जाती है। ( विद्यानन्द )

समाधान—हमने विधवाविवाह को न्यायोचित कहा है। उसका विरोध करने के लिये ऊपर का नीतिवाक्य उद्धृत किया गया है। आक्षेपक ने भूल से न्याय और नीति का एक ही अर्थ समझ लिया है। असल में नीति शब्द के, न्याय से अतिरिक्त तीन अर्थ हैं। ( १ ) कानून, ( २ ) बाल, ढंग, परिनिती, ( ३ ) रीति विराज। ये तीनों ही बातें न्याय के विरुद्ध भी हो सकती हैं। दक्षिण के एक राज्य में ऐसा कानून

1

है कि लड़का बाप की सम्पत्ति का मालिक नहीं होता। यह कानून है परन्तु न्याय नहीं। प्रजा में फूट डालकर मनमाना शासन करने की पॉलिसी, नीति है, परन्तु यह न्याय नहीं है। इसी तरह "मिलजुल कर पञ्चों में रहिये, प्राण जाँव साँवों नहीं कहिये" की नीति है परन्तु यह न्याय नहीं है। यांगोप में ड्यूअल का रिवाज था और कहीं कहीं त्रय भी है, परन्तु यह न्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें सबल का ही न्याय कहलाता है। 'जिसको लाठी उसकी भैंस' यह भी एक नीति है परन्तु न्याय नहीं। इसलिये नीतिवाक्य का उद्धरण देकर न्यायोचितता का विरोध करना व्यर्थ है।

दूसरी बात यह है कि चाणक्य ने कुटुम्बियों के पुनर्विवाह के कानून बनाये हैं जिनका उल्लेख २७ वें प्रश्न में किया गया था। इस लेख में भी आगे किया जायगा। यहाँ सिर्फ एक वाक्य उद्धृत किया जाता है—'कुटुम्बिद्विलापे वा सुखावस्थैर्विमुक्ता यथेष्टं चिन्देन जीवितार्थम्'। अर्थात् कुटुम्ब की सम्पत्ति का नाश होने पर अथवा समृद्ध बन्धुयौधवों से छाड़े जाने पर कोई छी, जीवननिर्वाह के लिये अपनी इच्छा के अनुसार अन्य विवाह कर सकती है। चाणक्यनीति का उल्लेख करने वाला ज़रा इस वाक्य पर भी विचार करे। साथ ही यह भी ध्यान में रखे कि ऐसे ऐसे दर्जनों वाक्य चाणक्य ने लिखे हैं। जय हम दोनों वाक्यों का समन्वय करते हैं तब चाणक्यनीति के श्लोक से पुनर्विवाह का ज़रा भी विरोध नहीं होता। उस श्लोक से इतना ही मालूम होता है कि बाप को चाहिये कि वह अपनी पुत्री एक ही बार देवे। विधवा होने पर या कुटुम्बियों के नाश होने पर देने की ज़रूरत नहीं है। उस समय तक उसे इतना अनुभव हो जाता है कि वह स्वयं अपना पुनर्विवाह कर सकती है। इसलिये पिता को

फिर कौटुम्बिक अधिकार न बताना चाहिये । अगर चाणक्य-नीति के उस वाक्य का यह अर्थ न होना तो चाणक्य के अन्य वाक्यों से समन्वय ही न हो पाता ।

आक्षेप ( ब )—आपने कहा कि 'अगर हम खूब स्वादिष्ट भोजन करें और दूसरों को एक टुकड़ा भी न खाने दें तो उन्हें स्वाद के लिये नहीं तो जुधाशांति के लिये चोरी करनी ही पड़ेगी । और इसका पाप हमें भी लगेगा । इसी तरह भ्रूणहत्या का पाप विधवाविवाह के विरोधियों को लगता है' परन्तु कौन किस को क्या नहीं खाने देता ? कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है कि 'उपकार तथा अपकार शुभाशुभ कर्म ही करे है' । ( विद्यानन्द )

समाधान—उपकार अपकार तो कर्म करने हैं परन्तु कर्मों का उदय नोकर्मों के बिना नहीं आता । बाह्यनिमित्तों को नोकर्म कहते हैं ( देखो गोमगट सार कर्मकाण्ड ) । अशुभ कर्मों के नोकर्म बनना पाप है । पशु तो अपने कर्मोदय से मारा जाता है परन्तु कर्मोदय के नोकर्म कृत्वा के पाप का बन्ध होता है या नहीं ? विधवा को पापकर्म के उदय से पति नहीं मिलता, परन्तु जो लोग पति नहीं मिलने देते थे तो उसी कृत्वा के समान उस पाप कर्म के नोकर्म हैं । यदि कार्तिकेयानुप्रेक्षा का ऐसा ही उपयोग किया जाय तो परिदुःख लोग गुट्ट बाँध कर डालना, झालना, स्त्रियों के साथ बलात्कार करना आदि का धीमणेश कर दें और जब कोई पूछे कि ऐसा क्यों करते हो ? तो कह दें—“हमने क्या किया ? उपकार तथा अपकार तो शुभाशुभ कर्म ही करे है” । इस तरह से राजदण्ड आदि की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि “उपकार अपकार शुभाशुभ कर्म ही करे है” । और साहिब ! ऐसा ही नहीं । नश तो जिस विधवा का कर्मोदय, थायना उसका पुनर्विवाह

हो जायगा । न आयगा न हो जायगा । इसमें उस दम्पति को तथा सुधारकों को कोमने की क्या ज़रूरत ? क्योंकि यह सब तो "शुभाशुभ कर्म ही करे है" । वाह रे ! 'करे है' ।

आक्षेप ( ८ )—कर्म की विचित्रता ही तो वैराग्य का कारण है । उन जुधातों पर नरम आना है इसलिये हम उन्हें शान्ति से इस कर्मकृत विधिविडम्बना को सहलने का उपदेश देते हैं ।" ( विद्यानन्द )

समाधान—जी हाँ, और जब यह विधिविडम्बना उपदेशदानाओं के मिर पर आती है तब वे स्वयं कामदेव के आगे नंगे नाचते हैं, मरघट में ही नये विवाह की बातचीत करते हैं ! यह विधिविडम्बना सिर्फ स्त्रियों को सहना चाहिये । न सही जाय तो गुप्त पाप करके ऊपर से सहने का ढोंग करना चाहिये । परन्तु पुरुषों को इसके सहने की ज़रूरत नहीं । क्योंकि धर्म पुरुषों के लिये नहीं है । वे तो पाप से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । अथवा यहाँ की आदत के अनुसार मुक्ति का झोंटा पकड़ कर उसे बश में कर सकते हैं । उन्हें पाप-पुण्य के विचार की ज़रूरत क्या है ?

वैराग्य के लिए कर्मविचित्रता की ज़रूरत है । इसलिये आवश्यक है कि सैकड़ों मनुष्य भूखों मारे जाँय, गरम कड़ाहों में पकाए जाँय, बीमारों की चिकित्सा बन्द कर दी जाय । इससे असुरकुमारों के अवतार पण्डितों को और पशुओं को वैराग्य पैदा होगा । अच्छा हो, ये लोग एक कृसाईखाना खोल दें जिस में कृसाई का काम ये स्वयं करें । जब इनकी छुरी खाकर वेचारे दीन पशु चिल्लायेँगे और तड़पेंगे, तब अवश्य ही उनके मून में से वैराग्य का सस्य खींचा जासकेगा । अगर किसी जगह विधवाओं की कमी हो तो पुरुषों की हत्या करके विधवाएँ पैदा की जाँय । क्योंकि उनके कठण क्रन्दन और

आँसुओं में से वैराग्य का दोहन बहुत अच्छा होता है। यह वैराग्य न मालूम कैसा अड़ियल टूटू है कि आता ही नहीं है ! इधर जैनसमाज में मुपनखोरों की इतनी कमी है और जैन समाज के पास इतना धन है कि सूझना ही नहीं कि किसे खिलायें या कैसे संच करें !

## सातवाँ प्रश्न

इसमें पूछा गया था कि आजकल कितनी विधवाएँ पूर्ण पवित्रता के साथ वैधव्यव्रत पालन कर सकती हैं। इसका उत्तर हमने दिया था कि गृहविधवाओं का छोड़कर बाकी विधवाओं में से फी सदी पाँच। यहाँ पूर्णपवित्रता के साथ वैधव्य पालने की यात है। रो धोकर वैराग्य पालन करने वाली तो आधी या आधी से भी कुछ इपादा निकल सकती हैं। आक्षेपकों ने उत्तर का मतलब न समझकर बकवाद शुरु कर दिया। श्रीलाल जी हमसे पूछते हैं कि :—

आक्षेपक—आप को व्यभिचारिणियों का ज्ञान कहाँ से हुआ ? क्या व्यभिचारियों का कोई अट्टा है जो ग़बर देता है या गवर्नमेण्ट रिपोर्ट निकलती है ?

समाधान—मालूम होता है आक्षेपक भूगर्भ में से बिलकुल ताज़े निकले हैं। अन्यथा आप किसी भी शहर के किसी भी मोहल्ले में चले जाइये और ज़रा भी गौर से जाँच कीजिये, आपकी बुद्धि आपको रिपोर्ट देदेगी। इस रिपोर्ट की जाँच का हमने एक अच्छा तरीका बतलाया था—विधुओं की जाँच। स्त्रियों में काम की अधिकता बतलाई जाती है। अगर हम समानता ही मानलें तो विधुओं की कमज़ोरियों से हम विधवाओं की कमज़ोरियों का ठीक अनुमान कर सकते हैं। गृह विधुओं को छोड़कर ऐसे कितने विधुर हैं जो पुनर्विवाह का

कोशिश न करते हों ? किसी प्रान्त में या शहर में जाँच करली जाय तो मालूम होगा कि चालीस पैंतालिस वर्ष से कम उमर में विधुर होकर अपने पुनर्विवाह की कोशिश न करने वाले विधुर फ़ौ मदी पाँच से भी कम हैं । जहाँ पर विधुरविवाह के समान विधवाविवाह का भी पूर्ण प्रचार है वहाँ की रिपोर्ट से भी इस बातका समर्थन होगा । क्या ऐसी स्पष्ट जाँच को श्रृष्टता कहते हैं ?

इस घक्तव्य से विद्यानन्दजी के आक्षेपों का भी उत्तर हो जाता है । हाँ ! उनके बहुत से आक्षेप प्रकरण के बाहर होगये हैं, परन्तु उनका भी उत्तर दिया जाता है जिससे कहने का भी गुंजाइश न रह जावे ।

आक्षेप ( ख )—क्या अभव्य में मोक्ष जाने की ताकत नहीं है ? तो केवल ज्ञानावगुण का सद्भाव कैसे घटित होगा ? राजवार्तिक देखिये ! (विद्यानन्द)

समाधान—आक्षेपक ने राजवार्तिक गौर से नहीं देखा । राजवार्तिक में लिखा है कि द्रव्यार्थिकनय से तो अभव्य में केवलज्ञानादि की शक्ति है, परन्तु पर्यायार्थिकनय से नहीं है । इसलिये द्रव्यार्थिकनय से तो स्त्रियों में वैधव्य-पालन की तो क्या, केवलज्ञानादिक की भी शक्ति कहलायी । ऐसी हालत में तो प्रश्न की काँई ज़रूरत ही नहीं रहती । और जब प्रश्न किया गया है तो निश्च है कि पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा है, और उस नय से अभव्य में मुक्तियोग्यता नहीं है । ज़रा राजवार्तिक के इस वाक्य पर भी विचार कंजिये—“सम्य-फत्वादिपर्यायव्यक्तियोगाहो यः स भव्यः तद्विपरीतोऽभव्यः” अर्थात् जिसमें सम्यफत्वादि को प्रगट करने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं, उससे विपरीत को अभव्य । मतलब यह है कि प्रकट करने की शक्ति अशक्ति की अपेक्षा से भव्य अभ-

व्य का भेद है। हमने मोक्ष जाने तक की बात कही है, शक्ति रूप में मौजूद रहने की नहीं। खैर, यहाँ इस चर्चा से कुछ मतलब नहीं है। अगर आक्षेपक को इस विषय की विशेषज्ञता का अभिमान है तो ये स्वतन्त्र चर्चा करें। हम उनका समाधान कर देंगे।

आक्षेप ( ग )—आजकल भी स्त्रीजाति को पंचम गुण स्थान हो सकता है और पुरुषों को सप्तम गुणस्थान। इसलिये अवस्था का बहाना बताना अधमता से भी अधम है।

समाधान—गुणस्थानों की चर्चा उठाकर आक्षेपक ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारी है। क्या आक्षेपक ने विचार किया है कि मनुष्यों में पञ्चम गुणस्थान के मनुष्य कितने हैं? कुल मनुष्य २६ अरब प्रमाण हैं और पञ्चम गुणस्थानवाले मनुष्यों की संख्या ६ अरब प्रमाण। बीस अरब इयादा हैं। १६ अरब के दस सह्र होते हैं बीस अरब के १०० सह्र हुए। अर्थात् पाँचवे गुणस्थान के मनुष्यों से कुल मनुष्य सौ सह्र गुणे हैं। सौ सह्र मनुष्यों में एक मनुष्य पञ्चम गुणस्थानवर्ती है। इस चर्चा से तो सौ में पाँच तो क्या एक या आधा भी नहीं बैठता! फिर समझ में नहीं आता कि पाँचवें गुणस्थान में जीव होने से दुराचारियों का निषेध कैसे हो गया? अनन्त सिद्धों के होने पर भी उनसे अनन्तगुणे संसारी हैं। असंख्य मध्यदृष्टियों के होने पर भी अनन्तानन्त मिथ्यादृष्टि हैं। इसलिये पाँच सदाचारिणी स्त्रियों के होने से क्या ६५ दुराचारिणी नहीं हो सकती? फिर हमने तां बूझाओं को अलग रक्खा है और युवती विधवाओं में भी ६५ को दुराचारिणी नहीं, किन्तु पूर्ण विधवा न पालने वाली बतलाया है।

सीमा राजकुल आदि स्त्रियों के दृष्टान्त से आक्षेपक की नहीं, किन्तु हमारी बात सिद्ध होती है। सतीय के गीत गाने



घाने बतलायें कि आज कितनी स्त्रियाँ अग्नि में बैठकर अपने सतीत्व की परीक्षा दे सकती हैं ? सीता और राजकुल आज तो असाधारण हैं ही, परन्तु उस ज़माने में भी असाधारण थीं।

आक्षेपकने ज्योतिःप्रसाद जी आदि का उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि विधुर भी ब्रह्मचर्य से रहते हैं। इस सिद्ध करने की धुन में आप अपने असली पक्ष को खो बैठे। अगर ज्योतिःप्रसादजी आदि विधुरों के रहने पर भी फ़ी सदी ६५ विधुर अपने पुनर्विवाह की कांशिश करते हैं अर्थात् निर्दोष वैधुर्य का पालन नहीं कर पाते तो शुद्ध वैधव्य पालन करने वाली अनेक विधवाओं के रहने पर भी फ़ी सदी ६५ विधवाएँ शुद्ध वैधव्य पालन नहीं कर पातीं।

आक्षेप (घ)—विधुरों के समान विधवाओं के विवाह की आज्ञा कौन दे ? क्या हम छद्ममण्यलोग ? शास्त्रों में बहुविवाह का उल्लेख पाया जाता है। शास्त्रकर्ता पुरुष होने से पक्षपाती नहीं कहे जा सकते, क्योंकि न्याय और सिद्धान्त की रचनाएँ गुरुपरम्परा से हैं। यदि उन्हें पुरुषत्व का अभिमान होता तो शूद्रों का पूजनप्रज्ञाल, महायत ग्रहण आदि से वंचित क्यों रखते ? यदि ब्राह्मणत्वका पक्षपात बताया जाय तो उनसे हीनाचारी ब्राह्मण का शूद्रों से भी घुरा क्यों कहा ? इसलिये पक्षपात का इल्जाम लगाना पशुता और दमनीय अविचारता है।

( विद्यानन्द )

समाधान—हमारे उत्तरमें इस विषयका एक अक्षर भी नहीं है और न घुमा फिराकर हमने किसी पर पक्षपात का इल्जाम लगाया है। यह हरिण का सांते शेर का जगाना है।

प्रारम्भ में हम यह कह देना चाहते हैं कि आक्षेपकने जैन शास्त्रों की जैसी आशयें समझी हैं वैसी नहीं हैं। जैन शास्त्र तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की आज्ञा देते हैं, लेकिन जो लोग पूर्ण

ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते उनके लिये कुछ नीची श्रेणी का ( विवाह आदि का ) उपदेश देते हैं । इन नीची श्रेणियों में किस ज़माने के अधिकांश मनुष्य किम् श्रेणी का किस रूप में पालन कर सकते हैं इस बात का भी विचार रक्खा जाता है । भारतवर्ष, तिब्बत और वर्तमान योंरोप की परिस्थितियोंमें बड़ा फर्क है । भारतवर्ष में एक पति, अनेक पत्नियाँ रख सकता है । तिब्बत में एक पत्नी अनेक पति रख सकती है । योंरोप में पति, अनेक पत्नियाँ नहीं रख सकता, न पत्नी अनेक पति रख सकती है । योंरोप में अगर एक पत्नी के रहते हुए कोई दूसरी पत्नी से विवाह करले तो वह जेल में भेज दिया जायगा । क्या ऐसी परिस्थिति में आचार्य, योंरोपियन पुरुषों को बहुविवाहकी आज्ञा देंगे ? जैनाचार्यों की दृष्टिमें भी यहाँ का बहुविवाह अनाचार कहलायगा । परन्तु भारत के लिये पुरुषों का बहुविवाह अनिचार ही होगा । तिब्बत के लिये स्त्रियों का बहुविवाह अतिचार होगा । नात्वर्ष यह है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य से उतर कर समाज का नैतिक माध्यम ( Medium ) जिस श्रेणी का रहता है उसी का आचार्य ब्रह्मचर्याणुव्रत कहते हैं । यही कारण है कि सोमदेव और आशाधरजी ने वेश्यासेवों को भी अणुव्रती मान लिया है । इसमें आश्चर्य की कुछ बात नहीं है क्योंकि यह तो जुदे जुदे समय और जुदे स्थानों के समाज का माध्यम है । इस विषय में इतनी बात ध्यान में रखने की है कि माध्यम चाहे जो कुछ रहा हो परन्तु उनका लक्ष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य रहा है । इसलिये बहुपत्नीक मनुष्य का उनसे अतिचारी कहा है । देखिये सागारधर्मांमृत टीका "यदा तु म्यदारसन्तुष्टो विशिष्टसन्तोपाभावात् अन्यत्कलत्रं परिणयति तदाऽप्यन्यायमतिचारः स्यात्" अर्थात् विशिष्ट सन्तोप न होने के कारण जो दूसरी स्त्री के साथ विवाह करता है उसको ब्रह्मचर्याणुव्रत में दोष लगता है ।

अमल धान तो यह है कि ब्रह्मचर्याणुव्रत भी एक तरह का परिग्रहपरिमाणुव्रत है; परिग्रह परिमाण में सम्पत्ति तथा अन्य भोगोपभोग की वस्तुओं की मर्यादा की जाती है। ब्रह्मचर्य में काम सेवन सम्बन्धी उपभोगसामग्री की मर्यादा की जाती है। परन्तु जिन प्रकार अहिंसा के भीतर चारों व्रत शामिल होने पर भी स्पष्टता के लिये उनका अलग व्याख्यान किया जाता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्याणुव्रत में परिग्रह परिमाण व्रत से अलग व्याख्यान किया गया है। परिग्रह परिमाणव्रतमें परिग्रह की मर्यादा की जाती है, परन्तु वह परिग्रह कितना होना चाहिये यह धान प्रत्येक व्यक्ति के द्रव्य क्षेत्रकालभाव पर निर्भर है। मर्यादा बाँध लेने पर सम्राट् भी अपरिग्रहाणुव्रती है और मर्यादाशून्य साधारण भिखमंगा भी पूर्ण परिग्रही है। ब्रह्मचर्याणुव्रत के लिये आचार्य ने कह दिया कि अपनी कामवासना को सीमित करों और विवाह को कामवासना की सीमा नियत कर दिया। जो वैवाहिक बन्धन के भीतर रहकर कामसेवन करता है वह ब्रह्मचर्याणुव्रती है। यह बन्धन कितना ढीला या गाढ़ा हो यह सामाजिक परिस्थिति और वैयक्तिक साधनों के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर एक पुरुष का अनेक स्त्रियों के साथ विवाह हो सकता है और विवाह ही मर्यादा है इसलिये वह ब्रह्मचर्याणुव्रती कहलाया। तिव्यत में एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ एक साथ ही विवाह कर सकती है और विवाह ही मर्यादा है इसलिये यहाँ पर अनेक पति वाली स्त्री भी अणुब्रह्मचारिणी है। अणुब्रह्मचर्य का भंग यहाँ होगा जहाँ अविविहित के साथ कामादि संघन किया जायगा। इससे साफ मालूम होता है कि अणुव्रत के लिये आचार्य एक अनेक का बन्धन नहीं डालते, ये विवाह का बन्धन डालते हैं। सामाजिक परिस्थिति और साधन सामग्री से जो जितने विवाह कर सकें

उसे वही अणुधृत की सीमा है। एक पति या अनेक पति का प्रश्न सामाजिक या राजकीय, परिस्थिति का प्रश्न है न कि धार्मिक प्रश्न।

ऊपर, निम्न का उदाहरण देकर बहुपतित्व का उल्लेख कर चुका हूँ। और भी अनेक छोटी छोटी जातियों में यह रिवाज है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो एक दिन संसार के अधिकांश देशों में बहुपतित्व की प्रथा प्रचलित थी। बात यह है कि माता का महत्व पिता से अधिक है। माता को ही लेकर कुटुम्ब की रचना होती है। इसलिये एक समय मातृवंश अर्थात् माता के ही शासन की विधि प्रचलित थी। उस समय बहुपतिविवाह अर्थात् एक स्त्री के कई पति होने की प्रथा भी शुरु हो गई। एशिया की कुछ प्राचीन जातियों में अब भी इस प्रथा के चिह्न पाये जाते हैं। कई पतियों में से जो सबसे बलवान और रक्षा करने में समर्थ होता था धीरे धीरे उसका आदर अधिक होने लगा अर्थात् पट्टरानी के समान पट्टपति का रिवाज चला। जो बलवान और पत्नी का ज्यादा प्यारा होता था वही अच्छी तरह घर में रह पाता था। यही रिवाज अङ्गरेजी के हसबैंड, Husband शब्द का मूल है। इस शब्द का असली रूप है Hus bandi अर्थात् घर में रहने वाला। सब पतियों में जो पत्नी के साथ घर पर रहता था वही धीरे धीरे गृहपति या हसबैंड कहलाने लगा, और शक्ति होने से धीरे धीरे घर का पूरा आधिपत्य उस के हाथ में आ गया। घर की मालिकी के बाद जब किसी पुरुष का जाति की सरदागी मिली तो पुरुषों का शासन शुरु हुआ, और बहुपतित्व के स्थान पर बहुपत्नीत्व की प्रथा चल पड़ी। हिन्दू शास्त्रों में द्रौपदी का पाँच पति वाली कथा है और उसे महासती भी माना है। भले ही यह कथा कल्पित

हो परन्तु भारतवर्ष में भी एक समय बहुपतित्व के साथ सतीत्व का निर्वाह होता था, इस बात की सूचक अवश्य है। जैन-समाज में थी कि नहीं, यह जुदा प्रश्न है परन्तु भारतवर्ष में अवश्य थी।

मनलय यह है कि बहुपतित्व और बहुपत्नीत्व की प्रथा सामयिक है। धर्म का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। धर्म तो अणुव्रतों का अविवाहित के साथ संभोग करने की मनाई करता है। विवाहित पुरुष या स्त्री, एक हो या अनेक, धर्म की दृष्टि में अणुव्रतनाशक नहीं है। हाँ, धर्म तो मनुष्य को पूर्णब्रह्मचर्य की तरफ झुकाता है इसलिये बहुपत्नीत्व और बहुपतित्व के स्थान में एक पतित्व, और एक पत्नीत्व का अच्छा सम्बन्ध है और जिसका प्रचार अधिक सम्भव हो उसी पर अधिक जोर देता है। इतना ही नहीं, एक पत्नीत्व के बाद भी वह संभोग की संकथाम करता है। जैसे पर्व के दिन में विषय सेवन मत करो ! ऋतुम्नान दिवस के सिवाय अन्य दिवसों में मत करो ! आदि।

मुनियों के लिये जैसा ब्रह्मचर्य है आर्धिकाओं के लिये भी वैसा है। ब्रह्मचारियों के लिये जैसा है, ब्रह्मचारिणियों के लिये भी वैसा है। बाकी पुरुषों के लिये जैसा है, बाकी स्त्रियों के लिये भी वैसा है। सामयिक परिस्थिति के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों ने जिस प्रकार पालन किया आचार्यों ने उसी प्रकार उसका उल्लेख किया। आचार्य तो बहुपत्नीत्व और बहुपतित्व दोनों नहीं चाहते थे। वे तो पूर्णब्रह्मचर्य के पापक थे। अगर वह न हो सके तो एकपतित्व और एकपत्नीत्व चाहते थे। ज़बरदस्ती से हो या और किसी तरह से हो, स्त्रियों में बहुपतित्व की प्रथा जब नहीं थी तब वे उसका उल्लेख करके पीछे जिसकने का मार्ग क्यों पतलाते ? पिछले

जमाने में जब विधवाविवाह की प्रथा न रही या कम हो गई तब इस प्रथा का उल्लेख भी न किया गया। यदि इसी तरह बहुपत्नीत्व की प्रथा नष्ट हो जाती तो आचार्य इस प्रथा का भी उल्लेख न करते। माध्यम जितना ऊँचा होजाय उतना ही अच्छा है। अगर परिस्थितियों ने स्त्रियों का ब्रह्मचर्यविषयक माध्यम पुरुषों से ऊँचा कर दिया था तो इससे स्त्रियों के अधिकार नहीं छिन जाते। कम से कम धर्म तो उनके अधिकारों में बाधा नहीं डालता। पुरुष समाज का माध्यम तो स्त्री समाज से नीचा है। इसलिये पुरुषों को तो स्त्रियों से कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न यह खड़ा होता है कि विधवाविवाह का प्रचार करके स्त्रियों का वर्तमान माध्यम क्यों गिराया जाता है? इसके कारण निम्नलिखित हैं।

( १ ) यह माध्यम स्त्रियों के ऊपर ज़बरदस्ती लादा गया है, और लादने वाले पुरुष हैं जो कि इस दृष्टि से बहुत गिरे हुए हैं। इसलिये यह त्याग का परिचायक नहीं किन्तु दासता का परिचायक है। इसलिये जब तक पुरुष समाज इस माध्यम पर चलने को तैयार नहीं है तब तक स्त्रियों से ज़बरदस्ती इस माध्यम का पलवाना अन्याय है, और अन्याय का नाश करना धर्म है।

( २ ) माध्यम यही रखना चाहिये जिसका पालन सहूलियत के साथ हो सके। प्रतिदिन होने वाली भ्रूणहत्याएँ और प्रति समय होने वाले गुप्त व्यभिचार आदि से पता लगता है कि स्त्रियों इस माध्यम में नहीं रह सकतीं।

( ३ ) आर्थिक कष्ट, घोर अपमान, तथा अन्य अनेक आपत्तियों से वैधव्य जीवन में धर्मध्यान के बदले आतंश्रयान की ही प्रचुरता है।

( ४ ) स्त्री और पुरुष के माध्यम में इतनी विषमता है

कि. पुरुषसमाज का और स्त्रीसमाज का अधःपतन हो रहा है। इस समय दोनों का माध्यम समान होना चाहिये। इसके लिये पुरुषों को बहुपत्नीत्व की प्रथा का त्याग करने की और स्त्रियों का विधवाविवाह की जरूरत है।

( ५ ) जनसंख्या की दृष्टि से समाज का माध्यम हानिकारी है। भाग्यवर्ष में स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों में बहुविवाह होता है, फिर फ़ोसदी १७ स्त्रियाँ असमय में विधवा हो जाती हैं, इसलिये अनेक पुरुषों को, बिना स्त्री के रहना पड़ता है। उनमें से अधिकांश कुमार्गगामी हो जाते हैं। अगर विधवाविवाह का प्रचार हो तो यह कमी पूरी हो सकती है तथा अनेक कुटुम्बों का सर्वनाश होने से भी बचाव हो सकता है।

( ६ ) बहुपत्नित्व और बहुपत्नीत्व की प्रथा, सीमित होने पर इतनी विस्तृत है कि उसमें विषय वासनाओं का ताण्डव हो सकता है। सामूहिक रूपमें इसका पालन ही नहीं हो सकता इसलिये ये दोनों प्रथाएँ त्याज्य हैं। किन्तु अपत्नित्व और अपत्नीत्व की प्रथा इतनी संकुचित है कि मनुष्य उसमें पैर भी नहीं पसार सकता। और सामूहिक रूपमें इसका पालन भी नहीं हो सकता। इसलिये कुमार और कुमारियों का विवाह कर दिया जाता है। अपत्नित्व की प्रथा से जिस प्रकार कुमारियों की हानि हो सकती है वही हानि विधवाओं की हो रही है इसलिये उनके लिये भी कुमारियों के समान एकपत्नित्व प्रथा की आवश्यकता है।

जब कि बहुपत्नीत्व और बहुपत्नित्व तक ब्रह्मचर्याणुव्रत की सीमा है तब एकपत्नित्वरूप विधवाविवाह की प्रथा, न तो अणुव्रतकी विरोधिनी हो सकती है और न आचार्यों की आज्ञाओंकी आज्ञाके प्रतिकूल हो सकती है। यहाँ पाठक विधवा-

विवाह को बहुपतित्व की प्रथा न समझें । एक साथ अनेक पतियों का रखना बहुपतित्व है । एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरा पति रखना एक पतित्व ही है क्योंकि इसमें एक साथ बहुपति नहीं होते ।

पाठक इस लम्बे विवेचन से ऊब तो गये होंगे, परन्तु इससे “विधवाविवाह की आज्ञा कौन दे ?”, “पुराणों में बहु-विवाह का उल्लेख पाया जाता है” आदि आक्षेपों का पूरा समाधान हो जाता है । शास्त्रोंके कथन की अनेकान्तता मालूम हो जाती है । साथ ही ब्रह्मचर्याणुवृत का रहस्य मालूम हो जाता है । आक्षेपकने पक्षपात के इल्जाम को पशुता और दमनीय अविचारता लिखा है । खैर, जैनधर्म तो इतना उदार है कि उसपर बिना इल्जाम लगाये विधवाविवाह का समर्थन हो जाता है । परन्तु जो लोग जैनशास्त्रों को विधवाविवाह का विरोधी समझते हैं या जैनशास्त्रों के नाम पर बने हुए, जैनधर्म के विरुद्ध कुछ ग्रन्थों को जैनशास्त्र समझते हैं उनसे हम दो दो बातें कर लेना चाहते हैं । ये दो बातें हम अपनी तरफ से नहीं, किन्तु उनके बकील की ईसियत से कहते हैं जिनको आक्षेपकने पशु बतलाया है ।

आक्षेपक का कहना है कि “न्याय और सिद्धान्तकी रचनाएँ गुरुपरम्परा से हैं”, परन्तु उनमें स्वकल्पित विचारों का सम्मिश्रण नहीं हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । माणिक्यनंदि आदि आचार्योंने प्रमाण को अपूर्वार्थग्राही माना है और धारावाहिक ज्ञानको अप्रमाण । परन्तु आचार्य विद्यानन्दीने-मृहीत-ममृहीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति, तत्र लोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम्-कहकर धारावाहिक को अप्रमाण नहीं माना है । ऐसा ही अकलङ्कदेयने लिखा है ( देखो श्लोकवार्तिक, तर्कयस्त्रय, या न्यायप्रदीप ) धर्मशास्त्रमें तो और भी ज़्यादा



अन्धेर है । रविपेण कहते हैं कि सीता जनक की पुत्री व रामको बनवास मिला था । वे अयोध्या में रहते थे । गुण कहते हैं सीता रावण की पुत्री थी । राम को बनवास मिला था । वे बनारस में रहते थे । दोनों कथानकों के सूक्ष्म अंशोंमें पूर्ण पश्चिम का सा फरक है । क्या यह गुरु परम्परा का फल है ? कोई लेखक कहता है कि मैं भगवान् मवीर का ही उपदेश कहता हूँ तो क्या इसीसे गुरुपरम्परा मि होगई ? यदि गुरुपरम्परा सुरक्षित रही तो कथानकों में इ भेद क्यों ? श्रावकों के मूलगुण कई तरह के क्यों ? क्या से यह नहीं मालूम होता है कि अनेक लेखकोंने द्रव्य क्षेत्र लादि की दृष्टिसे अनेक तरह का कथन किया है । अनेक जैनधर्म विरुद्ध अनेक लोकाचारों का जिनवाणी के नाम लिख मारा है; जैसे सोमसेन आदि भट्टारकोंने यानिपूजा आ की गृणित बातें लिखी है । इसीलिये तो मोक्षमार्गप्रकाश लिखा है कि "कोऊ सत्यार्थ पदनिके समूहकष जैन शास्त्र विरि अमत्यार्थपद मिलाने परन्तु जिन शास्त्र के पदनिधिरै कषाय मिटायने का वा लौकिक कार्य घटायने का प्रयोजन है और उम पापी ने जां असत्यार्थ पद मिलाने हैं तिनि विरि कष पांयने का वा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है । ऐसे प्र जन मिलता नाहीं, तातें परोक्षा करि जानी ठिगावते भी ना कोई मूर्ख होय सोही जैन शास्त्र नाम करि ठिगावें हैं कहिये ! अगर गुरु परम्परा में ऐसा कचरा या विष न मि गया होता तो क्यों लिखा जाता कि मूर्ख ही जैन शास्त्र नाम से ठगाये जाते हैं । तात्पर्य यह है कि गुरु परम्प के नाम पर बैठे रहना मुख्यता है । जंतों को तो कोई शा तभी प्रमाण मानना चाहिये जब यह जैन सिद्धान्त मिलान जाता है । अगर यह मिलान न जाये तो श्रुत

केवली के नाम से ही क्यों न लिखा गया हो, उसे कचरे में डाल देना चाहिये। धूर्तों की धूर्तता का छिपाना घोर मिथ्यात्व का प्रचार करना है। जैन सिद्धान्तों के विरुद्ध जाने पर भी ऐसे शास्त्रों का मानना घोर मिथ्यात्वी बन जाना है। गुरु परम्परा है कहाँ ? श्वेताम्बर कहते हैं कि हमारे सूत्र भगवान् महावीर के कहे हुए हैं। दिगम्बर कहते हैं कि कुन्द-कुन्द से लेकर भट्टारकों और अन्य अनेक पौगापन्थियों तक के बनाये हुए ग्रन्थ बीरभगवान की बाणी हैं। अब कहिये ! किसकी गुरु परम्परा ठीक है ? यों तो सभी अपने-बाप के गीत गाते हैं परन्तु इतने से ही सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो जाता। यहाँ तो गुरुपरम्परा के नाम पर मक्खी हाँकने बैठा न रहना पड़ेगा। समस्त साहित्य की मात्मी लेकर अपनी बुद्धि से जैनधर्म के मूल सिद्धान्त खोजने पड़ेंगे और उन्हीं सिद्धान्तों का कसौटी बनाकर स्वर्ण और पीतल की परीक्षा करना पड़ेगी, और धूर्तों तथा पक्षपातियों का भण्डाफोड़ करना पड़ेगा। यह कहना कि "प्राचीन लेखकों में पक्षपाती धूर्त नहीं हुए" बिलकुल धोखेबाज़ी या अज्ञानता है। माना कि बहुत से लेखकों ने आपेक्षिक कथन किया है जैसाकि इसी प्रकरण में ऊपर कहा जा चुका है परन्तु थोड़े बहुत निरे पक्षपाती, उत्सृष्टवादी और कुलजाति मद् के प्रचारक घोर मिथ्यात्वी भी हुए हैं। अगर किसी लेखक ने यह लिखा हो कि "पुरुष तो एक साथ हज़ारों स्त्रियाँ रखने पर भी अणु-प्रती हैं परन्तु स्त्री, एक पति के मर जाने पर भी दूसरा पति रखे तो घोर द्यमिचारिणी है उसको पुनर्विवाह का अधिकार ही नहीं है" तो क्या पक्षपात न कहलायगा ? पक्षपात के क्या साँग होते हैं ? यह पुरुषत्व की उन्मत्तता का नाँव नहीं तो क्या है ? पुरुषों ने शूद्र पुरुषों को भी कुचला है, इससे तो

सिर्फ यही सिद्ध होता है कि उनमें पुरुषत्व की उन्मत्तता के साथ द्विजत्व की उन्मत्तता भी थी। "उनने पुरुषों को भी कुचला, इसलिये स्त्रियों को नहीं कुचला" यह नहीं कहा जा सकता। मुसलमान आपस में भी लड़ते हैं, क्या इसलिये उनका हिन्दुओं से न लड़ना सिद्ध हो जाता है? कहा जाता है कि "उनने दुराचारी द्विजों की भी तो निन्दा की है, इसलिये वे सिर्फ दुराचार के ही निन्दक हैं"। यदि ऐसा है तो दुराचारी शूद्रों की और दुराचारिणी स्त्रियों को ही निन्दा करना चाहिये। स्त्रीमात्र को और शूद्र मात्र को नीचा क्यों दिखाया जाता है? अमेरिका में अपराधी लोग दण्ड पाते हैं और बहुत से हथ्थी नाममात्र के अपराध पर इसलिये जला दिये जाते हैं कि वे हथ्थी हैं, तो क्या यह उचित है? अपराधियों को दण्ड देने से क्या निरपराधियों को सताना जायज़ हो जाता है? प्राचीन लेखकों ने अगर दुराचारियों को कुचला है तो सिर्फ इसीलिये उनका शूद्रों को और स्त्रियों को कुचलना जायज़ नहीं कहला सकता।

यह पक्षपात विशाच, उस समय बिलकुल नंगा हो जाता है जब दुराचारी द्विज के अधिकार, सदाचारी शूद्र और सदाचारिणी महिला से उखाड़ा समझे जाते हैं। दुराचारी द्विज अगर जीते बालकोंको मार मारकर खा जाय तो भी उसके मुनि बनने का और मोक्ष जाने का अधिकार नहीं छिनता (देखा पद्मपुराण सोदास की कथा)। परन्तु शूद्र कितना भी सदाचारी क्यों न हो, उसका आत्मयिकामुक्ति ही क्यों न हो गया हो वह मुनि भी नहीं बन सकता। शूद्र, चोट्टा, व्यभिचारी और लुब्धा द्विज अगर भगवान की पूजा करे तो कोई हानि नहीं, परन्तु शूद्र आत्मन्यागी या अहिंस त्यागी ही क्यों न हो, वह जिन पूजा करने का अधिकारी

इसका कारण यह है कि वे संध्या को ही लोटे दो लोटे पानी गटक जाया करते हैं । खैर ! विधवा होने से जिनकी काम-वासना नष्ट होजावे उनसे विवाह का अनुबंध नहीं किया जाता परन्तु जो कामवासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती हैं उन्हें अवश्य ही विवाह कर लेना चाहिये ।

आक्षेप ( ग )—काम शान्ति को विवाह का मुख्य उद्देश्य बताना मुखता है । शुद्ध सन्तानोत्पत्ति व गृहस्थ धर्म का दानादिकार्य यही मुख्य उद्देश्य है ।.....अतएव काम गौण है, मुख्य धर्म ही है । ( श्रीलाल )

समाधान—आक्षेपक यहाँ इतना पागल होगया है कि उसे काम में और कामवासना की निवृत्ति में कुछ अन्तर ही नहीं मालूम होता । हमने कामवासना की निवृत्ति को मुख्य-फल कहा है न कि काम को । और कामवासना की निवृत्तिको धर्मरूप कहा है । धर्म अगर मुख्य फल है तो कामवासना की निवृत्ति ही मुख्य फल कहलायी । इसमें विरोध क्या है ? पुत्रोत्पत्ति आदि को मुख्यफल कहने के पहिले आक्षेपक अगर हमारे इन शब्दों पर ध्यान देता तो उसे इस तरह निरमल प्रलाप न करना पड़ता—

“मान लीजिये कि किसी मनुष्य में मुनिव्रत धारण करने को पूर्ण योग्यता है । ऐसी हालत में अगर वह किसी आचार्य के पास जावे तो वे उसे मुनि बनने की सलाह देंगे या आद्यक वन कर पुत्रोत्पत्ति की सलाह देंगे” ?

यह कह कर हमने अमृतचन्द्र आचार्य के तीन श्लोक उद्धृत करके बतलाया था कि ऐसी अवस्था में आचार्य मुनिव्रत का ही उपदेश देंगे । मुनिव्रत धारण करने से यशे पैदा नहीं हो सकते, परन्तु कामलालसा की पूर्ण निवृत्ति होती है । इससे मालूम होता है कि जैनधर्म यशे पैदा करने पर जोर नहीं

देना, किन्तु कामलासता की निवृत्ति पर जोर देता है। पूर्ण निवृत्ति में असमर्थ होने पर आंशिक निवृत्ति के लिये विवाह है। उसमें सन्तान आदि की भी पूर्ति हो जाती है। परन्तु मुख्य उद्देश्य तो कामवासना की निवृत्ति ही रहा। अमृतचंद्र के पढ़ाने यह विषय बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। फिर भी आक्षेपक को पद्यों की उपयोगिता समझ में नहीं आती। ठीक है, समझने की अफल भी तो चाहिये।

आक्षेप ( घ )—विवाहको गृहस्थाश्रमका मूल कहकर धर्म, अर्थ, काम रूप तो नियत कर दिया, परन्तु इससे आप हाथ धप्पड़ खाली। जय काम गृहस्थाश्रम रूप है तब उस की शान्ति क्यों? काम-शान्ति से तो गृहस्थाश्रम उड़ता है। काम निवृत्तिको धर्म और प्रवृत्तिको काम कहना कैसा? एक विषय में यह कल्पना क्यों? और अर्थ इस का साधक क्यों? फल तो विवाह के तीन हैं, उलटा अर्थ साधक क्यों पड़ा? साध्य को साधक बनादिया? ( श्रीलाल )

समाधान—यहाँ तो आक्षेपक बिलकुल हथकायशका हो गया है। इसलिये हमारे न कहने पर भी उम्हने काम को गृहस्थाश्रमरूप समझ लिया है। काम की पूर्णरूप से शान्ति हो जाय तो गृहस्थाश्रम उड़ जायगा और मुनिआश्रम आजायगा। अगर काम की निवृत्ति ज़रा भी न हो तो भी गृहस्थाश्रम उड़ जायगा, क्योंकि ऐसी हालत में वहाँ व्यभिचारादि द्रोंपों का दौरदौरा हो जायगा। अगर काम की आंशिक निवृत्ति हो अर्थात् परदार-विषयक काम की निवृत्तिरूप स्वदार-मन्तोप हो तो गृहस्थाश्रम बना रहता है। आक्षेपक ऐसा जड़बुद्धि

⊗ आक्षेपकने ऐसे ही कटुक और एक वचनार्थक शब्दों का जहाँ तहाँ प्रयोग किया है; इसलिये हमें भी " शठम् प्रति

है कि वह अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि कामवासना की आंशिक निवृत्तिकामतलव स्वदारसन्तोष या स्वपतिसन्तोष है। जो लोग स्वदारसन्तोष को विवाह का मुख्य फल नहीं मानते वे जैनधर्म से बिलकुल अनभिज्ञ निरे बुद्ध हैं। वेचारा श्रीलाल, काम निवृत्ति अर्थात् परदार निवृत्ति या परपुरुष-निवृत्तिको धर्म, और स्वदारप्रवृत्तिको काम कहनेमें चकित होता है। बाहरे श्रीलाल के पाण्डित्य ! गृहस्थाश्रम, धर्म अर्थ काम तीनों का साधक है, परन्तु उन तीनों में भी परस्पर साध्य साधकता हो सकती है। जैसे—धर्म, अर्थ काम का साधक है; अर्थ, कामका साधक है आदि। खैर, हमारा कहना इतना ही है कि कुमारी विवाह के जो जो फल हैं वे सब विधवा विवाहसे भी मिलते हैं; इसलिये विधवाविवाह भी विधेय है।

**आक्षेप ( ङ )**—जो पुरुष विषयों को न छोड़ सके वह गृहस्थधर्म धारण करे। यहाँ विषय शब्द से केवल काम की ही सूझी ! ( श्रीलाल )

**समाधान**—विषय तो पाँचों इन्द्रियों के होते हैं, परन्तु उन सब में यह प्रधान है। क्योंकि इसका जीतना सबसे अधिक कठिन है। जिसने काम को जीत लिया उसे अन्य विषयों को जीतने में कठिनाई नहीं पड़ती। इसलिये काम की मर्यादा करने वाला एक मन्तव्य अणुव्रत कहा गया है। अन्य भांगोपभोग सामग्रियों के व्रत को तो गुणव्रत या शिवाव्रत में डाल दिया है। उसका मातिचार पालन करते हुए भी दूती रह सकता है, परन्तु ब्रह्मचर्याणुव्रत में अनिचार लगने से धूत प्रतिमा नष्ट हो जाती है। क्या इससे सब विषयों में काम विषय की प्रधानता नहीं मालूम होती ? ग्रन्थकारों ने इमं शाठ्यमाचरेत् ” इस नीति के अनुसार ऐसा ही प्रयोग करना पड़ा है।

—सव्यसाची ।

प्रधानता का स्पष्ट उल्लेख किया है 'विषयान्-इष्टकामिन्या-दीन्'—सागारधर्मांमृत टीका । क्या इससे काम की प्रधानता नहीं मालूम होती ? विवाह के प्रकरण में तो यह प्रधानता और भी अधिक माननीय है, क्योंकि काम विषय को सीमित करने ( आंशिक निवृत्ति ) के लिये ही विवाह की आवश्यकता

। रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय आदि के विषयों को सीमित करने के लिये विवाह की जरूरत नहीं है । विवाह के बिना अन्य इन्द्रियाँ उच्छृंखल नहीं होतीं, सिर्फ यही इन्द्रिय उच्छृंखल होते हैं । इसलिये सागारधर्मांमृत टीका में परविवाहकरण नाम के अतिचार की व्याख्या में पुत्र पुत्री के विवाह की आवश्यकता बतलाते हुए कहा है कि 'यदि स्वकन्याविवाहां न कार्यते तदा स्वच्छन्दचारिणी स्यात् ततश्च कुलसंमयलोक-घिरोधः स्यात् विहितविवाहात् पतिनियतस्रोत्वेन न तथा स्यात् । एष न्यायः पुत्रेऽपि विकल्पनीयः' अर्थात् 'अगर अपनी पुत्री का विवाह न किया जायगा तो वह स्वच्छन्दचारिणी हो जायगी, परन्तु विवाह कर देने से वह एक पति में नियत हो जायगी । इसलिये स्वच्छन्दचारिणी न हांगी । यही बात पुत्र के लिये भी, समझ लेना चाहिये अर्थात् विवाह से वह स्वच्छन्दचारी न होगी' । यहाँ पुत्र पुत्री के लिये जो बात कही गई है वह विधवा पुत्री के लिये भी लागू है । आक्षेपक में अगर थोड़ी भी अफल होगी तो वह इन प्रमाणों से समझ सकेगा कि विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, और वह विधवाविवाह से भी पूर्ण रूपमें मिट्ट होता है । सागार-धर्मांमृत के इस उल्लेख से आक्षेप नम्बर 'क' का भी समाधान होता है ।

आक्षेप ( च )—समाज की अपेक्षा से सन्तानोत्पत्ति को मुख्य बतलाना भूल है । समाज में १—२ लड़कें न हुए न

सही, परन्तु विवाह वाले के न हुए तो उसका तो घर ही चौपट है ।

समाधान—त्याग के गीत गाने वालों की यहाँ पोल खुल गई । उनके ढोंगों का भण्डाफोड़ होगया । अरे भाई ! घर, गृहिणी को कहते हैं गृहं हि गृहिणीमादुः—सागारधर्मामृत । लड़का न होने से न गृहिणी मरेगी, न गृही मरेगा, न दोनों के ब्रह्मचर्याणुवन में बाधा आयगी, न महाव्रत धारण करने का अधिकार छिन जायगा । मनुष्य जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य हैं उनका एक भी साधन नष्ट न होगा । क्या इसी का नाम चौपट हो जाना है ? बनावटी धर्म के घेप में रंगे हुए ढोंगियों ! क्या यही तुम्हारा जीवन स्वर्गस्व है ? हाँ, सन्तान के न होने से समाज की हानि है, क्योंकि समाज मोक्ष नहीं जाती न मुनि बनती है । अगर वह मुनि बन जाय तो नष्ट हो जाय । एक एक दो दो मिलकर ही तो समाज है । सन्तान के अभाव में समाज नष्ट हो सकती है, परन्तु सन्तान के अभाव में व्यक्ति तो मोक्ष तक जासकता है । अथ समझो कि सन्तान किसके लिये मुख्य फल कहलाया ? क्या इतने स्पष्ट प्रमाणों के रहते हुए भी तुम्हारा मुख्य गौण का प्रश्न बना हुआ है ?

आक्षेप ( ३ )—कुमारी और विधवा को श्रौ समान समझकर समान कर्तव्य बनलाना भूल है । माता यद्दिन यधू सभी स्त्री हैं, परन्तु यद्दिन माता अमोऽय है, यधू भोऽय है ।

( श्रीलाल )

समाधान—भोऽय-भोजक सम्बन्ध की नीच और बर्बर कल्पनाका हम समाधानकर चुके हैं । जो हमारी यद्दिन है वह हमारे यद्दिनेऽ की यद्दिन नहीं है । जो हमारी माता है वह हमारे पिता की माता नहीं है । हमारी यधू दूसरे की यधू नहीं है । इसलिये यह भोऽयभोऽयना आपेक्षिक है । सर्वथा



अभोज्यता किसी में नहीं है। यद्यपि माता आदि ये नातेदारी के शब्द हैं, इसलिये नातेदारी की अपेक्षा से इनकी भोज्याभोज्यता की कल्पना की है। कुमारी और विधवा ये अवस्था-विशेष के शब्द हैं, इसलिये इनकी भोज्याभोज्यता अवस्था के ऊपर निर्भर है। जबतक कुमारी या विधवा हैं तब तक अभोज्य हैं जब उस कुमारी या विधवा का विवाह हो जायगा तब वह भोज्य होजायगी। भोज्य तो वधू है, फिर भले ही वह कुमारी रही हो या विधवा। मातृत्व और भगनीत्व सम्बन्ध जन्म से मरण तक स्थायी हैं। कौमार्य और वैधव्य ऐसे सम्बन्ध नहीं हैं। उनको बदलकर वधू का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। स्त्री होने से ही कोई भोज्य नहीं होजाती, वधू होने से भोज्य होती है। मातृत्व, भगनीत्व अमिट हैं, कौमार्य और वैधव्य अमिट नहीं हैं। इसलिये माता और भगिनो के साथ विवाह नहीं किया जासकता किन्तु कुमारी या विधवा के साथ किया जा सकता है। आक्षेपक के आक्षेप को अगर हम विधुर-विवाह के निषेध के लिये लगायें तो आक्षेपक क्या उत्तर देगा ? देखिये—आक्षेप—“कुमार और विधुर को पुरुष समान समझकर समान कर्तव्य बतलाना भूल है। पिता, भाई, पति सभी पुरुष हैं, परन्तु भाई और पिता अभोज्य हैं, पति भोज्य है”। आक्षेपक के पास इसका क्या उत्तर है ? वही उत्तर उसे विधवाओं के लिये लगा लेना चाहिये।

आक्षेप (ज)—विधवाविवाह के पक्षपाती भी अपने घर की विधवाओं के नाम पर मुँह सकोड़ लेते हैं।

समाधान—यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विधवा का विवाह जरूर करना चाहिये। अगर कोई विधवा विवाह नहीं करना चाहती तो सुधारक का यह कर्तव्य नहीं है कि वह ज़बर्दस्ती विवाह करदें। ज़बर्दस्ती विवाह करने का

रिवाज तो नादिरशाह के अवनार स्थितिपालकों के घर में होता है ।

अगर वास्तव में किसी सुधारक में अपने घर में आवश्यक होने पर भी विधवाविवाह को कार्यरूप में परिणत करने की शक्ति नहीं है तो उसकी यह कमज़ोरी है । वह नैष्ठिक सुधारक नहीं है, सिर्फ पाक्षिक सुधारक है । जिस प्रकार पाक्षिक श्रावकों के होने से नैष्ठिक श्रावकों का अभाव नहीं कहा जा सकता और न वे निन्दनीय हो सकते हैं, उसी तरह पाक्षिक सुधारकों के होने से नैष्ठिक सुधारकों का अभाव नहीं कहा जा सकता और न उनकी निन्दा की जा सकती है ।

आक्षेप (क)—विधवाविवाह यूरुपियनों एवं मोहमडनों ( मुसलमानों ) में भी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह नीच प्रथा है । ( श्रीलाल )

समाधान—यूरोप में तो कुमारी और कुमारों का विवाह भी अनिवार्य नहीं है । फ्राँस में तो इस कौमार्य का रिवाज इतना बढ़ गया है कि वहाँ जनसंख्या घट रही है । दूसरे देशों में भी कौमार्य का काफ़ी रिवाज है । इसलिये विवाह भी एक नीच प्रथा कहलाई । आक्षेपक का अभी कुछ मालूम ही नहीं है । विधवाविवाह अनिवार्य न होने के कई कारण हैं । एक कारण यह है कि विधवा और विधुर हाँते हाँते किसी का आधा जोधन निकल जाता है व किसी का तीन चतुर्थांश या इससे भी ज़्यादा जोधन निकल जाता है, ऐसे लोगों को इसकी आवश्यकता का कम अनुभव होता है । इसलिये वे लोग विवाह नहीं करते । नीचता के डर से वहाँ विधवाविवाह नहीं रुकते । अगर किसी जगह विधुरविवाह नीच प्रथा नहीं कहलाता और विधवा-विवाह नीच प्रथा कहलाना है तो इससे सिर्फ इतना ही सिद्ध

होता है कि वहाँ के लोग तीर्थ मिथ्यान्वी, घोर अत्याचारी, महान् पक्षपाती और अत्यन्त मदांध हैं। इन दुर्गुणों का अनुकरण करके जैनियों को ऐसे मदांध पापी क्यों बनना चाहिये ?

**आक्षेप ( ज )**—लॉर्ड घरानों में कतई विधवाविवाह नहीं होता। विधवाविवाह से उच्च नीच का भेद न रहेगा।

**समाधान**—लॉर्ड घराने का मतलब श्रीमन्त घराने से है। लॉर्ड कोई जाति नहीं है। साधारण आदमी भी श्रीमन्त और महर्द्धिक बनकर लॉर्ड बन सकते हैं। इन सब में विधवा विवाह होता है। हाँ, साधारण विधवाओं की अपेक्षा लॉर्ड घराने की विधवाएँ कुछ कम संख्या में विवाह करती हैं। यह उच्चता नीचता का प्रश्न नहीं, किन्तु साम्प्रतिक प्रश्न है। लॉर्ड घराने की अपार सम्पत्ति छुड़ाकर विवाह कराना उन्हें उचित नहीं जँचता। जिन्हें जँचना है वे विवाह करा ही लेती हैं। दक्षिण के डेढ़ लाख जैनियों में, आर्यसमाजियों में, ब्रह्मन्मज्जियों में, विधवाविवाह होता है परन्तु वे भंगी चमार नहीं कहलाते।

**आक्षेप ( ट )**—सूरजभान का जीवदया की पुकार मचाकर विधवाविवाह को कर्तव्य घतलाना अनुचित है। जीवदया धर्म है, न कि शरीर दया। मन्दिर बनवाना धर्म है और प्याऊ लगवाने से अधर्म है। अगर कोई व्यभिचारिणी काम-मिला माँगे तो वह नहीं दी जा सकती। जो दया धर्मघृष्टि का कारण है, वही वास्तविक दया है। ( श्रीलाल )

**समाधान**—बेचारा आक्षेपक दान के भेदों को भी न समझा। उसे जानना चाहिये कि आत्मगुणों की उन्नति का लक्ष्य में लेकर जो दान दिया जाता है वह पात्रदान है, न कि दयादान। दयादान तो शरीर को लक्ष्य में लेकर ही दिया

जाता है, फिर भले ही उससे धर्म किया जाय या न किया जाय। आक्षेपक प्याऊ लगवाने का अधर्म कहता है, परन्तु सागारधर्मामृत में प्याऊ और सत्र का स्थापित करने का उपदेश दिया गया है—

“सत्रमप्यनुकम्प्यानां संजेदनुजिघृक्षया ।

सत्रमत्रप्रदानस्थानं, अपिशब्दात्प्रपां च” ॥

अर्थात्—दीन प्राणियों के उपकार की इच्छा से सत्र ( भोजनशाला जहाँ गरीबों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है ) और प्याऊ खोलें। दान, गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है। जब आक्षेपक दान के विषय का साधारण ज्ञान भी नहीं रखता तो गृहस्थधर्म कैसे निभाता होगा? जो गृहस्थ प्यासों को पानी पिलाने में भी अधर्म समझता है वह निर्दय तथा क्रूर जीव जैसी कैसे कहला सकता है?

व्यभिचारिणी को कामभिन्ना नहीं दी जा सकती, परन्तु आक्षेपक के मतानुसार व्यभिचारियों को कामभिन्ना दी जा सकती है, क्योंकि अगर द्वितीय विवाह कराने वाली स्त्री व्यभिचारिणी है, तो द्वितीय विवाह कराने वाला पुरुष भी व्यभिचारी है। क्या पुरुष का दूसरा विवाह धर्मवृद्धि का कारण है? यदि हाँ, तो स्त्री का दूसरा विवाह भी धर्मवृद्धि का कारण है, जिसकी सिद्धि पहिले विस्तार से की जा चुकी है।

जो चार चार स्त्रियों को निगलजाने वाले को तो धर्मरत्ना समझता हो, किन्तु पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को व्यभिचारिणी कहता हो, उसकी धृष्टतापूर्ण नीचता का कुछ ठिकाना भी है!

आक्षेपक स्वीकार करता है और हम भी कह चुके हैं कि विवाहका लक्ष्य कामशान्ति, स्वदारसन्तोष, स्व-पतिसन्तोष अर्थात् ब्रह्मचर्याणुमत है। विवाह कामभिन्ना नहीं है। क्या

आक्षेपक अपनी पहिन घेटियों के विवाह को कामभिक्षा समझता है ? यदि नहीं, तो विधवाओं के विवाह का कामभिक्षा नहीं कह सकते । विधवाओं का विवाह धर्मवृद्धि का कारण है, यह बात हम पहिले सिद्ध कर चुके हैं ।

आक्षेप ( ठ )—विवाह से कामलालसा घटती है, इस का एक भी प्रमाण नहीं दिया । विवाह होने पर भी कामलालसा नष्ट नहीं हुई, उल्टी बढ़ी है, जैसे रावणादिक की ।

( विद्यानन्द )

समाधान—आयातगोपाल प्रसिद्ध बातों शास्त्र प्रमाणाँ की ज़रूरत नहीं होती । फिर भी प्रमाण चाहिये तो आशाधर जी के इन शब्दों पर ध्यान दीजिये कि—अगर पुत्र पुत्री का विवाह न किया जायगा तो वे स्वच्छन्दचारी हो जायेंगे (देखो आक्षेप 'ड') । विवाह से अगर कुलसमयलोकविरोधी यह स्वच्छन्दचारा घटना है तो यह क्या कामलालसा का घटना न कहलाया ? विवाह होने पर भी अगर किसी की कामलालसा नष्ट नहीं होती तो इसके लिये हम कह चुके हैं कि उपाय १०० में दस जगह असफल भी होता है । तीर्थङ्करों के उपदेश रहने पर भी अगर अभव्य का उद्धार न हो, सूर्य के रहने पर भी अगर उल्लू को न दिखे तो इसमें तीर्थङ्कर की या सूर्य की उपयोगिता नष्ट नहीं होती है । इसी तरह विवाह के होने पर अगर किसी का दुराचार न रुके तो इससे उसकी उपयोगिता का अभाव नहीं कहा जा सकता । आक्षेपक ने यहाँ व्यभिचार दोष दिखलाकर न्यायनभिद्धता का परिचय दिया है । इस दृष्टि से तो तीर्थङ्कर और सूर्य की उपयोगिता भी व्यभिचरित कहलाई । आक्षेपक को जानना चाहिये कि कारण के सद्भाव में कार्य के अभाव होने पर व्यभिचार नहीं होता, किन्तु कार्य के सद्भावमें कारण के अभाव होने पर व्यभि-

चार होता है। अग्नि कारण है; परन्तु उसके होने पर भी अगर धुआँ न निकले तो अग्नि और धुआँ का कार्य कारणभाव व्यभिचरित नहीं कहलाता। हमने इसी बातके समर्थन में कहा था कि "चिकित्सा करने पर भी लोग मरते हैं, शास्त्री होने पर भी लोग धर्म नहीं समझते"। इस पर आप कहते हैं कि "वह चिकित्सा नहीं, चिकित्साभास है; वह शास्त्री, शास्त्री नहीं है"। बहुत ठीक, हम भी कहते हैं कि जिस विवाह के बाद कामलालसा शान्त नहीं हुई, किन्तु बढ़ी है, वह विवाह नहीं, विवाहभास है। वास्तविक विवाह तो कामलालसा को अवश्य शांत करेगा। इसलिये विधवाविवाह से भी कामलालसा की शांति होती है।

आक्षेप ( ड )—यह कोई नियम नहीं कि विवाहके बिना प्रत्येक व्यक्ति को देखकर पापवासना जागृत हो जाय। वासुपूज्य अकलङ्क आदि के विवाह नहीं हुए। क्या सभी असंयमी थे ?

समाधान—कामलालसा की आंशिक शांति के लिए विवाह एक औषधि है। वासुपूज्य आदि ब्रह्मचारी थे। उनमें कामलालसा थी ही नहीं, इसलिये उन्हें विवाह की भी ज़रूरत नहीं थी। "अमुक आदमी सकुन बीमार है। अगर उसकी चिकित्सा न होगी तो मरजायगा"—इसके उत्तर में अगर यह कहा जाय कि—बैद्य के पास तो मी दोसरे आदमी जाते हैं, याकी क्यों नहीं मरजाते ? तो क्या यह उत्तर ठीक होगा ? अरे भाई ! बीमार को औषधि चाहिये, नीरोगको औषधि नहीं चाहिये। इसी तरह कामलालसा वाले मनुष्य को उसकी आंशिक शांति के लिए विवाह की आवश्यकता है, न कि ब्रह्मचारी को। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि विवाह का मुख्य उद्देश्य लड़के पशे नहीं हैं। बालब्रह्मचारियों के

कि अमृतचन्द्र आचार्य और आशाधरजी ने कहा है, जो कि हम लिख चुके हैं ।

स्त्रीपुरुष के अधिकार भेद के विषय में कहा जा चुका है । विधवाविवाह को ज़हर आदि कहना युक्ति से जीतने पर गालियों पर आजाना है ।

आक्षेप (द)—यदि विवाहसे ही कामलालसा की निवृत्ति मानली जाय तो ब्रह्मचर्य आदि व्रतों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का भी तो काम की निवृत्ति के लिये उपदेश है ?

समाधान—अभी तक आप कामलालसा की निवृत्ति को बुरा समझते थे । इसके समर्थकों को आपने पागल, मोदी, नित्यनिगोदिया ( निगोदिया ), अज्ञानी, रटू तोते आदि लिख मारा था । यहाँ आपने इसे ब्रह्मचर्य का साध्य बना दिया है ।

स्वैर, कुछ तो ठिकाने पर आए । अब इतना और समझ लीजिये कि विवाह, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का मुख्य साधक है । इसलिये विवाह और ब्रह्मचर्यव्रत के लक्ष्य में कोई विरोध नहीं है । ब्रह्मचर्यव्रत अन्तरङ्गसाधक है, विवाह बाह्यसाधक, इस लिये कोई निरर्थक नहीं है । एक साध्य के अनेक साधक होते हैं ।

आक्षेप (ध)—जिनकी कामलालसा प्रबल है, वे बिना उपदेश के ही स्वयमेव इस पथ को पकड़ लेती हैं । फिर आप क्यों अपना अहित करते हैं ?

समाधान—जिनकी कामलालसा प्रबल है, वे अभी स्वयमेव विधवाविवाह के मार्ग को नहीं पकड़तीं, वे व्यभिचार के मार्ग को पकड़ती हैं । उसकी निवृत्ति के लिये विधवाविवाह के आन्दोलन की ज़रूरत है । विवाह न किया जावे तो कुमारियाँ भी अपना मार्ग ढूँढ लेंगी, लेकिन यह व्यभिचार का मार्ग होगा । इसलिये लोग उनका विवाह कर देंगे । फल यह

कुछ होश भी है कि आप ऊपर क्या कुछ लिख आये हैं ? पहिले उसे जलाकर खाक कर डालो तब दूसरी बात कहना ।

समाधान—हमने कहा था कि “यदि विवाह होने पर भी किन्हीं लोगों की कामवासना शान्त नहीं होती तो इससे विधवाविवाह का निषेध कैसे हो सकता है । फिर तो विवाह मात्र का निषेध होना चाहिये ।” पाठक देखें कि हमारा यह चतुष्टय क्या विवाह मार्ग को उड़ाने का है ? हम तो विधवा-विवाह और कुमारी विवाह दोनों के समर्थक हैं । परन्तु जो लोग जिस कारण से विधवाविवाह अनावश्यक समझते हैं, उन्हें उसी कारण से कुमारीविवाह भी अनावश्यक मानना पड़ेगा । असली बात तो यह है कि अगर किन्हीं जगह विवाह ( कुमारीविवाह या विधवाविवाह ) का फल न मिले तो क्या विवाहप्रथा उड़ा देना चाहिये ? हमारा कहना है कि नहीं उड़ाना चाहिये । जब कि आक्षेपक का कहना है कि उड़ा देना चाहिये, क्योंकि आक्षेपक ने विधवाविवाह की प्रथा उड़ा देने के लिये उसकी निष्फलता का जिक्र किया है । ऐसी निष्फलता कुमारीविवाह में भी हो सकती है, इसलिये आक्षेपक के कहनानुसार यह प्रथा भी उड़ा देने लायक ठहरी ।

आक्षेप (त)—आदिपुराण, सागारधर्मांमृत, पं० मेधावी, पं० उदयलालजी, शीतलप्रसादजी, दयाचन्द्र गोयलीय आदि ने पुत्रोत्पत्ति के लिये ही, विवाह कामभोग का विधान किया है, कामवासना की पूर्ति को कामुकता बतलाया है ।

समाधान—कामलालसा की पूर्ति कामुकता भले ही हो परन्तु कामलालसा की निवृत्ति कामुकता नहीं है । स्वस्त्रीरमण को कामुकता भले ही कहा जाय, परन्तु परस्त्रीत्याग कामुकता नहीं है । यह कामलालसा की निवृत्ति है । हमने शास्त्रप्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने की अस-



मर्यता में ही गृहस्य धर्म अङ्गीकार करना चाहिये । श्रमृतचन्द्र जी और आशाधरजी के श्लोक हम लिख चुके हैं । फिर भी आक्षेपक का पूछना है कि प्रमाण बताओ ! छौर, और भी प्रमाण लीजिये ।

सागारधर्मासृत् के द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक—  
“त्याज्यातजस्र” आदि पहिले ही लिखा जा चुका है । ‘यदि कन्या विवाहो न कार्यते’ आदि उद्धरण आक्षेप (ड) में देखो ।

‘विषयसुखापभोगेनैव चारित्रमोहोदयोद्रेकस्य शश्व-  
प्रतीकारत्वात् तद्द्वारेणैव तस्मादधर्मात्मानमिव साधर्मिकमपि  
विषयेभ्यो व्युत्पद्येत् । विषयेषु सुखभ्रान्तिकर्माभिमुखपाक-  
जाम् । द्वित्वात्तदुपगोमेन त्वाजयेत्तान्भवत्परान् ।’

अर्थात्—चारित्रमोह का जब तीव्र उदय होता है तो विषयसुख के उपभोग से ही उसका प्रतीकार ( निवृत्ति ) हो सकता है, इसलिये उसका उपभोग करके निवृत्ति हाँवे और दूसरे को निवृत्त करे ।

सुखभ्रान्ति हटाने का यह वक्तव्य विवाह की आवश्यकता के लिये कहा गया है । छौर, और भी ऐसे प्रमाण दिये जा सकते हैं । निवृत्तिमार्गप्रधान जैनधर्ममें निवृत्तिपरक प्रमाणों की कमी नहीं है । यहाँ पर मुख्य ध्यान है समन्वय की, अर्थात् जब विवाह का उद्देश्य कामलालसा की निवृत्ति अर्थात् आंशिक ब्रह्मचर्य है तब पुत्रोत्पत्ति का उल्लेख प्राचीन लेखकों ने क्यों किया ? नासमझ लोगों से तो क्या कहा जाय, परन्तु समझदार समझते हैं कि पुत्रोत्पत्तिका उल्लेख भी कामलालसा की निवृत्ति के लिये है । जैनधर्म प्रथम तो कहता है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य पालो । अगर इतना न हो सके तो विवाह करके आंशिक निवृत्ति (परदारनिवृत्ति) करो । परन्तु लक्ष्य तो पूर्ण निवृत्ति है इसलिये धीरे धीरे उसके निवृत्ति-अंश बढ़ाये जाते

( ७ ) विधवाविवाह से जो सामाजिक और धार्मिक लाभ हमने सिद्ध किये हैं, क्या शराय से भी वे या वैसे लाभ आप सिद्ध कर सकते हैं ?

( ८ ) विधवाएँ जिस तरह हीन दृष्टि से देखी जाती हैं, क्या उसी तरह शराय न पीने वाले देखे जाते हैं ?

यदि मद्यपान में लाभ हो तो जिसमें उसके त्याग करने की शक्ति नहीं है उसको उसका विधान किया जा सकता है, अन्यथा नहीं ।

पूर्ण ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रगट न होना विधवाविवाह का एक कारण है । जब तक अन्य कारण न मिलें तब तक विधवाविवाह का विधान नहीं किया जाता है । उसके अन्य कारण मौजूद नहीं हैं इसीलिये उसका विधान किया गया है ।

आक्षेप ( ७ — कायों की घटुतसी जातियाँ हैं—( १ ) मुनिधर्मविरुद्ध धावकानुरूप ( २ ) गृहस्थविरुद्ध मुनिअनुरूप ( ३ ) उभयविरुद्ध ( ४ ) उभयअनुरूप । विवाह प्रथम भेद में है ।

समाधान—विधवाविवाह भी विवाह है इसलिये वह मुनिधर्म के विरुद्ध होने पर भी धावकानुरूप है । आप विधुर-विवाह को विवाह मानते और विधवाविवाह को विवाह नहीं मानते—यह बिल्कुल पक्षपात और मिथ्यात्व है । हम पहिले विधवाविवाह को विवाह सिद्ध कर चुके हैं ।

ब्रह्मचर्य की शिक्षा जैनधर्म की शिक्षा नहीं हो सकती । आचार्यों ने विधवाविवाहका कहीं निषेध नहीं किया । हाँ, धूर्तता और मुखौता पुराने जमाने में भी थी । सम्भव है आजकल के पण्डितों के समान कोई अज्ञानी और धूर्त हुआ हो और उसने जैनधर्म के विरुद्ध, जैनधर्म के नाम पर ही कुछ अंठ संठ लिख मारा हो । परन्तु ऐसी

सन्तान नहीं होती, फिर भी वे विवाह नहीं कराते। क्योंकि उन्होंने विवाह का मुख्य उद्देश्य विवाह के बिना ही पूर्ण कर लिया है। मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होने पर गौण उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य नहीं किया जाता।

आज्ञेप ( ढ )—कामवासना के शान्त न होने के कारण विधवाविवाहके विरोधी, विधवाविवाहका विरोध नहीं करते, किन्तु उनसे विरोध कराने का कारण है भगवान महावीर का आगम। आप उत्तर दें। आपके प्रमाण हमें जँच तो हम आप के आन्दोलन में आपका हाथ बटावेंगे।

समाधान—नधमाँ प्रश्न भगवान के आगम के विचार का नहीं था। उसका विचार तो पहिले प्रश्नों में अच्छी तरह होगया। इसमें तो यह पूछागया है कि विवाहसे कामलालसा के परिणामों में न्यूनता आती है या नहीं? यदि आती है तो विधवाविवाह आवश्यक और उचित है। यदि नहीं आती तो विधवाविवाह अनावश्यक है। इसीलिये हमने युक्ति और शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध किया है कि विवाह से संक्लेशता कमती होती है। युक्ति और तर्क के बलपर हमारे आन्दोलन में वही शामिल होगा जो सत्यप्रिय होगा, आत्मोद्धार का इच्छुक होगा, देशसमाज का रक्षक होगा। सव्यसाची, टुके के गुलामों की परवाह नहीं करता। जिस प्रकार प्राचीन सव्यसाची ने कृष्ण का बल पाकर अपने गारुडीय धनुष से निकले हुए बाणों से कौरव दल का अघसान किया था उसी प्रकार आधुनिक सव्यसाची भगवान महावीर का बल पाकर अपने ज्ञान गारुडीय से निकले हुए तर्करूपी बाणों से स्थितिपालक दल का अघसान करेगा।

आज्ञेप ( ए )—सव्यसाची महादय को दृष्टि में व्यभिचार को रोकने का उपाय विवाहमार्ग को उड़ाना है। आपको

होता है कि व्यभिचार मार्ग बहुत कुछ रुक जाता है। ठीक यही बात विधवाओं के लिये है।

## दसवाँ प्रश्न

‘क्या विधवा हो जाने से ही आजन्म ब्रह्मचर्य पालन की शक्ति आजाती है?’ इसके उत्तर में हमने कहा था कि ‘नहीं’। दूसरे आक्षेपक (विद्यानन्द) ने भी हमारी यह बात स्वीकार करली है परन्तु पहिले आक्षेपक कहते हैं कि यह धृष्टता है। इसका मतलब यह निकला कि संसार में जितनी विधवाएँ हुई हैं वे सब व्यभिचारिणी हैं। आक्षेपक की इस मूर्खता के लिये क्या कहा जाय ? प्रत्येक विधवा ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकती है—इसका तो यही अर्थ है कि कोई कोई पाल सकती है, जिनके परिणाम विरक्तिरूप हों। इसलिये हमने लिखा था कि यह बात परिणामों के ऊपर निर्भर है। परन्तु श्रीलाल, न तो परिणामों की बात समझा, न उस वाक्य का मतलब। श्रीलाल यह भी कहता है—‘सरागता से मुनि में भ्रष्टता नहीं आती, न पर पुरुष से रामरूप भाव से विधवा भ्रष्ट होती है।’ हम अपने शब्दों में इसका उत्तर न देकर आक्षेपक के परम सहयोगी पं० मदनमलाल के वाक्यों में लिखते हैं:—

“सरागता से विधवाएँ शीलभ्रष्ट ज़रूर कहलायेंगी। मुनि भी सरागता से भ्रष्ट माना जाता है।” अब ये दोनों दोम्त आपस में निपट लें।

दोनों ही आक्षेपकों ने एक ही बात पर विशेष ज़ोर दिया है। “विधवाविवाह अधर्म है; उसको कोई तीक्ष्ण मार्ग नहीं है; विधवा का विवाह नहीं हो सकता, उसे विवाह नहीं, कराव या धरेजा कहने हैं। आप के पास क्या शक्ति प्रमाण है ? आप अपनी इच्छा से ही विधवाविवाह का उपदेश क्यों

करते हो ?” आदि । इन सब बातों का उत्तर पहिले अच्छी तरह दिया जा चुका है । अब बारबार उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है ।

हाँ, अब दो आक्षेप रह जाते हैं जिनका उत्तर देना है । इनमें अन्य आक्षेपों का भी समावेश हो जाता है ।

आक्षेप—( क )—प्रत्येक मनुष्य में तो शराब के त्यागने की शक्ति का प्रगट होना भी अनिवार्य नहीं है नब क्या शराब पी लेना चाहिये ?

समाधान—विधवाविवाह की जैसी और जिनकी उपयोगिता है, वैसी यदि शराब की भी हो तो पी लेना चाहिये ।

( १ ) विधवाविवाह परस्त्रीसेवन या परपुरुषसेवन से बचाता है । इसलिये अणुवन का साधक है । क्या शराब अणुवन का साधक है ?

( २ ) विधवाविवाह से भ्रूणहत्या रुकती है । क्या शराब से भ्रूण या कोई हत्या रुकती है ?

( ३ ) जैनशास्त्रों में जैसे विधवाविवाह का निषेध नहीं पाया जाता, क्या वैसा शराब का निषेध नहीं पाया जाता ?

( ४ ) पुरुषसमाज अपना पुनर्विवाह करती है और स्त्रियों को नहीं करने देना चाहती । क्या इसी तरह पुरुष समाज शराब पीती है और क्या स्त्रियों को नहीं पीने देना चाहती ?

( ५ ) जिस विधवा के सन्तान न हो और उसे सन्तान की आवश्यकता हो तो उसे विधवाविवाह अनिवार्य है । क्या इसी तरह शराब भी किसी ऐसे कार्य के लिये अनिवार्य है ?

( ६ ) किसी को वैधव्य जीवन में आर्थिक कष्ट है, इसलिये विधवाविवाह करना चाहती है, क्या शराब भी आर्थिक कष्ट को दूर कर सकती है ?

हैं और उससे कहा जाता है कि तुम्हें सन्तान के लिये ही सम्भोग करना चाहिये । जब उसकी यह बात समझ में आ-जाती है तब वह ऋतुम्नान के दिन ही काम सेवन करता है । इस तरह प्रति मास २६ दिन उसके प्रत्यक्षसे शोचने लगते हैं । आचार्यों ने परदारनिवृत्ति के बाद मद्य-सम्भोग-निवृत्ति का भी यथासाध्य विधान बतलाया है । इसलिये कहा है "सन्तानार्थमृतायेव" । अर्थात् सन्तान के लिये ऋतुकालमें ही सेवन करे । इससे पाठक समझ गये होंगे कि सन्तान की वान भी कामलालसा की निवृत्ति का बढ़ाने के लिये है ।

आचार्यों ने जहां सन्तान के उत्पादन, लालन, पालन आदि की बातें लिखी हैं उसका प्रयोजन यही है कि "जब तुम आंशिक प्रवृत्ति और आंशिक निवृत्ति के मार्ग में आये हो तो परोपकार आदि गौण उद्देशों का भी ख्याल रखो, क्योंकि ये कामलालसा की निवृत्ति रूप मुख्य उद्देश का बढ़ाने वाले हैं, साथ ही परोपकार रूप भी हैं ।" यदि अन्नप्राप्ति का मुख्य उद्देश्य सिद्ध हो गया है तो भी भूसा को प्राप्ति का गौण उद्देश्य भी छोड़ने योग्य नहीं है ।

आक्षेप ( थ )—कामलालसा की निवृत्ति तो पेश्यासेवन, परस्त्रीसेवन से भी हो सकती है, फिर विवाह की आवश्यकता ही क्या ?

समाधान—कामलालसा के जिस अंशकी निवृत्ति करना है, वह पेश्यासेवन और परस्त्रीसेवन ही है । इसी कामलालसा से बचने के लिये तो विवाह होता है । इससे विवाह का लक्ष्य आंशिक प्रत्यक्ष या मद्यारसम्तोष कैसे सिद्ध हो सकता है ?

इससे पाठक समझेंगे कि हमारे कथनानुसार विवाह मज्जे के लिये नहीं है, परन्तु तांत्र चारित्र्य मोह के उद्घ के शांत करने के लिये पौषधि के समान कुछ भाग भागने पड़ते हैं जैसा

कुपुस्तकों को पुराने ज़माने का जैनगज़ट ही समझना चाहिये वास्तव में कोई जैन ग्रन्थ विधवाविवाह का विरोधी नहीं सकता और न कोई प्रसिद्ध जैनग्रन्थ है ही । नाना तरह की टीकाएँ जो शास्त्रों में पाई जाती हैं वे विशेष धृतियों के लिये ही हैं—साधारण अणुधृतियों के लिये नहीं ।

वृद्धों को मुनि बनते न देखकर हम में चलमलिन आदि दोष कैसे पैदा होंगे ? इससे तो यही सिद्ध होता है कि ज वृद्ध लोग ब्रह्मचर्य से नहीं रह पाते और उनका ब्रह्मचर्य से रहना इतना निश्चित है कि भद्रबाहु ने पहिले से ही यह दिा है, तब विधवाएँ ब्रह्मचर्य से कैसे रहेंगीं ?

भद्रबाहु श्रुतकेवली ने वृद्धों के मुनि न होने की विशेष बात तो कही, परन्तु विधवाओं के विवाह की विशेष बात कही, इससे मालूम होता है कि विधवाविवाह प्राचीनकाल से चला आता है । यह कोई ऐसी विशेष और अनुचित बात न थी जिसका कि चन्द्रगुप्त को दुःस्वप्न होता और भद्रबाहु श्रुतकेवली उसका फल कहते । जो चाहे, जैसे चाहे, विचार करले, उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि गृहस्थों के लिये जैनधर्म में विधवाविवाह विरोध की परमाणु बराबर भी गुजायश नहीं है ।

इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि धर्मविरुद्ध कार्य किस हालत में ( उससे बढ़कर धर्मविरुद्ध कार्य अनिश्चर्य होने पर ) कर्तव्य हो सकता है या नहीं ? इसके उत्तर में हमने कहा था कि हो सकता है । यह बात अनेक उदाहरणों से भी समझाई थी । विधवाविवाह व्यभिचार है आदि बातों का उत्तर हम ने चुके हैं ।

आक्षेप ( क )—जो कार्य धर्मविरुद्ध है, वह त्रिकाल में भी ( कदापि ) धर्मानुकूल नहीं हो सकता । पाँच पापों को धर्मानुकूल सिद्ध कीजिये । ( श्रीलाल, विद्यानन्द )

समाधान—यदि इस विषय में शास्त्रार्थ की दृष्टि से लिखा जाय तब तो जैसे को तैसा ही उत्तर दिया जा सकता है। जैनशास्त्रों में तो किसी अपेक्षा से गधे के साँग का भी अस्तित्व मिद्ध किया गया है। परन्तु हमें पाठकों की जिज्ञासा का भी खयाल है इसलिये तदनुकूल ही उत्तर दिया जाता है।

पाँच पापों में हिंसा मुख्य है। परन्तु द्रव्य, क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से यह धर्मानुकूल अर्थात् कर्तव्य हो जाती है। जैसे—युद्ध में हिंसा होती है, परन्तु सीता की धर्मरक्षा के लिये रामचन्द्र ने अगणित प्राणियों की हिंसा करवाई। अणुघृती युद्ध में जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कथन है। शूकरन मुनिकी रक्षा करने के लिये सिंह को मार डाला और खुद भी मरा, पुण्यबंध किया और स्वर्ग गया। मन्दिर धनवाने में तथा अन्य बहुत से परंपकार के सारम्भ कार्यों में हिंसा होती है परन्तु वह पुण्यबन्ध का कारण कही गई है। जिन अमृतचन्द्र आचार्य की दुहाई आक्षेपक ने दी है, वे ही कहते हैं—

अविधायापि हि हिंसां हिंसाफलभाजनं भवत्येकः।

कृत्वाप्यपरां हिंसां हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥

कन्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेकमेव फलकाले।

अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्यहिंसाफलं विफलम् ॥

हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिंसा तु परिणामे।

इतरस्य पुनहिंसा दिशत्यहिंसाफलं नान्यत् ॥

एक आदमी हिंसा न करके भी हिंसाभागी होता है, दूसरा हिंसा करके भी हिंसाभागी नहीं होता। किसी की हिंसा, हिंसाफल देती है, किसी की हिंसा, अहिंसाफल देती है। किसी की अहिंसा, हिंसा फल देती है किसी की अहिंसा अहिंसाफल देती है।

क्या इससे यह बात नहीं मिद्ध होनी कि कहीं हिंसा भी



कर्तव्य हो जाती है और कहीं अहिंसा भी अकर्तव्य हो जाती है ? अकृत्येदन पाप है परन्तु बालकों के कर्णछेद आदि में पाप नहीं माना जाता । किसी सती के पीछे कुछ मदमाश पड़े हों तो उसके सतीत्व की रक्षा के लिये भूठ बोलना या उसे छिपा लेना ( चांगी ) भी अनुचित नहीं है । परविवाहकरण अणुघन का दूषण है परन्तु अपनी सम्मान का विवाह करना या व्यभिचार की तरफ झुक्ने वालों को विवाह का उपदेश देना दूषण नहीं है । परिग्रह पाप है परन्तु धर्मोपकरणों का रखना पाप नहीं है । इस तरह पाँचों ही पाप अपेक्षा भेद से कर्तव्याकर्तव्य रूप हैं । आक्षेपक एक तरफ तो यह कहते हैं कि धर्मविरुद्ध कार्य त्रिकाल में भी धर्मानुकूल नहीं हो सकता परन्तु दूसरी तरफ, त्रिकाल की बात जाने दीजिये एक ही काल में, कहते हैं कि पुनर्विवाह विधवा के लिये धर्मविरुद्ध है और विधुर के लिये धर्मानुकूल है । क्या यहाँ पर एक ही कार्य द्रव्यादि चतुष्टय में से द्रव्यअपेक्षा विविधरूप नहीं कहा गया है । ये ही लोग कहते हैं कि अपद्रव्य से जिनपूजन धर्म है, परन्तु भंगी अगर ऐसा करे तो धर्म दूष्य जायगा । यदि जिनपूजन किसी भी तरह अधर्म नहीं हो सकता तो भंगी के लिये अधर्म क्यों हो जायगा ? मतलब यह है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा लेकर एक कार्य को विविधरूप में ये खुद मानते हैं । इसीलिये सप्तम प्रतिमा के नीचे विवाह ( भले ही वह विधवाविवाह हो ) धर्मानुकूल है । ब्रह्मचर्य प्रतिमा से लेकर वह धर्म-विरुद्ध है ।

आक्षेप ( ज )—विवाह क्रिया स्वयं सदा सर्वदा सर्वथा धार्मिक ही है । हाँ ! पात्र अपात्र के भेद से उसे धर्म-विरुद्ध कह दिया जाता है ।

समाधान—जहाँ पात्र (द्रव्य) अपात्र की अपेक्षा है वहाँ सर्वथा शब्द का प्रयोग नहीं होना है। सुधारक यही तो कहते हैं कि द्रव्य (पात्र) क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से किसी कार्य की धर्मानुकूलता या धर्मविरुद्धता का निर्णय करना चाहिये। इसलिये एक पात्र के लिये जो धर्मविरुद्ध है दूसरे के लिये वही धर्मानुकूल हो सकता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करने वाली विधवा को विवाह धर्मविरुद्ध है, अन्य विधवाओं को धर्मानुकूल है। यही तो पात्रादि की अपेक्षा है।

आक्षेप (ग)—सव्यसाची ने विवाह को धर्मानुकूल अर्थात् धार्मिक तो मान लिया। सालभर पहिले तो उसे सामाजिक, सामाजिक चिह्नाते थे।

समाधान—ब्रह्मचर्य प्रतिमा से नीचे कुमार कुमारी और विधवा विधुर के लिये विवाह धर्मानुकूल है—यह मैं सदा से कहता हूँ। परन्तु धर्मानुकूल और धार्मिक एक ही बात नहीं है। व्यापार करना, घूमना, भोजन करना, पेशाव करना आदि कार्य धर्मानुकूल तो है परन्तु धार्मिक नहीं हैं। धर्म का अङ्ग होना एक बात है और धर्ममार्ग में बाधक न होना दूसरी बात है।

आक्षेप (घ)—यह दुन अनर्थ को रोकने के लिये थोड़ा अनर्थ करने की आना जैनधर्म नहीं देना।

समाधान—मैं पहिले ही लिख चुका हूँ कि एक अनर्थ को रोकने के लिये दूसरा अनर्थ मत करो परन्तु महान अनर्थ रोकने के लिये अल्प अनर्थ कर सकते हो। व्यभिचार अनर्थ रोकने के लिये ही तो विवाह अनर्थ किया जाता है। जितने शक्यतात्मक कार्य हैं वे सब अनर्थ या पाप के अंश हैं। जब ये कार्य अधिक अनर्थों को रोकने वाले होते हैं तब ये अनर्थ या पाप शब्द से नहीं कहे जाते। परन्तु हैं तो ये पाप

ही। साधारण पाप की तो बात ही क्या है परन्तु अणुघ्न तक पाप कहा जासकता है (अणुघ्न अर्थात् थोड़ा घ्न अर्थात् चाक्री पाप) जब अणुघ्न की यह बात है तब औरों की तो बात ही क्या है ? प्राणदण्ड सरोखा कार्य भी जैनसम्राटों ने अधिक अनर्थों को रोकने के लिये किया है। निर्विकल्प अवस्था के पहिले जितने कार्य हैं वे सब बहु अनर्थों को रोकने वाले थोड़े अनर्थ ही हैं। प्रकृत बात यह है कि विधवाविवाह से द्यमि-चार आदि अनर्थों का निरोध होना है इसलिये यह ग्राह्य है।

**आक्षेप ( ड )**—जो पुण्य है वह सदा पुण्य है। जो पाप है वह सदा पाप है।

**समाधान**—तब तो पुनर्विवाह, विधुरों के लिये अगर पुण्य है तो विधवाओं के लिये भी पुण्य कहलाया।

**आक्षेप ( च )**—स्वस्त्रीसेवन पाप नहीं, पुण्य है। इसी-लिये यह स्वदारसंतोष अणुघ्न कहलाना है।

**समाधान**—स्वदारसेवन और स्वदारसंतोष में बड़ा अन्तर है। स्वदारसेवन में अस्वदारनिवृत्ति का भाव है। सेवन में सिर्फ प्रवृत्ति है। स्वदारसंतोष, अणुघ्नी का ही होगा। स्वदारसेवन तो अविरत और मिथ्यात्वी भी कर सकता है।

**आक्षेप ( छ )**—अपेक्षाभेद लगाकर तो आप सिद्धों की अपेक्षा म्नातकों ( अर्हनों ) को भी पापी कहेंगे।

**समाधान**—बकुल आदि की अपेक्षा पुलाक आदि पापी कहे जासकते हैं क्योंकि पुलाक आदि में कपाये हैं। कोई जीव सभी पापी कहला सकता है जब कि उसके कपाय हों। कपायरहित जीव पापी नहीं कहलाना। अर्हण कपायानीत है।

**आक्षेप ( ज )**—यदि धर्मविरुद्ध कार्य भी ग्राह्य स्वीकार किये जाय तब त्याज्य कौन से होंगे ?

**समाधान**—धर्मविरुद्ध कार्य, जिस अपेक्षा से धर्मानु-

कूल सिद्ध होंगे उन्ही अपेक्षा से ग्राह्य हैं। याकी अपेक्षाओं से अग्राह्य। प्रत्येक पदार्थ के साथ सप्तभंगी लगाई जा सकती है। अगर नास्तिभंग लगाते समय कोई कहे कि प्रत्येक पदार्थ को यदि नास्तिरूप कहोगे तो अस्तित्व किसे कहोगे ? तब इसका उत्तर यही होगा कि अपेक्षान्तर से यही पदार्थ अस्तित्व भी होगा। इसी प्रकार एक कार्य किसी अपेक्षा से ग्राह्य, किसी अपेक्षा से अग्राह्य है। जो लोग पूर्णब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते उनको विधवाविवाह ग्राह्य है। पूर्ण ब्रह्मचारियों को अग्राह्य।

### वारहवाँ प्रश्न

“छोटे छोटे दुधमुँहे बच्चों का विवाह धर्मविरुद्ध है या नहीं” ? इस प्रश्न के उत्तर में हमने ऐसे विवाह को धर्मविरुद्ध कहा था, क्योंकि उसमें विवाह का लक्षण नहीं जाता। जब वह विवाह ही नहीं तो उससे पैदा हुई सन्तान कर्ण के समान नाजायज़ कहलाई। इसलिये ऐसे नाममात्र के विवाह के हो जाने पर भी वास्तविक विवाह की आवश्यकता है।

आक्षेप (क)—भद्रयाहुसंहितामें लिखा है कि कन्या १२ की और घर सोलह वर्ष का होना चाहिये। इससे कम और अधिक विकार है। (श्रीलाल)

समाधान—भद्रयाहु श्रुतकेवली थे। दिगम्बर सम्प्रदाय में उनका बनाया हुआ कोई ग्रन्थ नहीं है। उनके दो हजार वर्ष बाद एक अज्ञानी धूर्त ने उनके नाम से एक जाली ग्रन्थ बनाया और उसपर भद्रयाहु की छाप लगादी। और, पुराणों। शायद ही कोई विवाह १२ वर्ष की उमर में किया हुआ मेलेंगा। धर्मशास्त्र तो यह कहता है कि जितनी अधिक उमर एक ब्रह्मचर्य रहे उतना ही अच्छा। दूसरी बात यह है कि ठीक

बारह वर्ष पूरे होने का नियम पल नहीं सकता । ये परिडिन लोग शारदा बिल के विरोध में कहा करते हैं कि १४ वर्ष की उमर रक्खी जायगी तो साइत न मिलने से १७ वर्ष की उमर होजायगी । परन्तु बारह वर्षके नियमके अनुसार भी तो साइत न मिलने पर १५ वर्षकी उमर होजायगी । पुरुषों के लिये १६ वर्ष से ज्यादा उमर में विवाह न करने का विधान किया जाय तो विधुर विवाह और बहुविवाह बन्द ही होजायँ, जिसके कि ये परिडिन हिमायती हैं ।

**आक्षेप ( ख )**—बालविवाह को धर्मविरुद्ध और नाजायज़ करार देने से खियाँ छीनी जायँगी ( श्रीलाल )

**समाधान**—खियाँ छीनी न जायँगी परन्तु उन दोनों को फिर सच्चा विवाह करना पड़ेगा । इससे कोई नाजायज़ विवाह (बालविवाह) के लिये आयोजन न करेगा ।

**आक्षेप ( ग )**—अगर भूल से माना पिता ने बालविवाह कर दिया तो वह टूट नहीं सकता । भूल से विष दे दिया जाय तो भी मरना पड़ेगा, धन चोरी चला जाय तो वह गया ही कहलायगा ( श्रीलाल )

**समाधान**—विष देने पर चिकित्सा के द्वारा उसे हटाने की चेष्टा की जाती है । चोरी होने पर चोर को दण्ड देने की और माल बरामद करने की कांशिश की जाती है । बालविवाह हो जाने पर फिर विवाह करना मानो चोरी का माल बरामद करना है । आक्षेपक के उदाहरण हमारा ही पक्ष समर्थन करते हैं ।

**आक्षेप ( घ )**—गांधर्व विवाह का उदाहरण यहां लागू नहीं होता क्योंकि यहाँ ब्राह्मविवाह का प्रकरण है । ( श्रीलाल )

**समाधान**—हमने कहा था कि विवाह में किसी खास विधिकी आवश्यकता नहीं । गांधर्व विवाह में शास्त्रीय विधि

नहीं है फिर भी वह विवाह है। इस दोष का निवारण आक्षेपक न कर सका तो कहता है कि यह ब्राह्मणविवाह का प्रकरण है। परन्तु हमारा कहना यह है कि ब्राह्मणविवाह के अतिरिक्त चाकी विवाह, आक्षेपक के मतानुसार विवाह हैं कि नहीं? यदि वे विवाह हैं और उनमें किसी खास विधि की आवश्यकता नहीं है तो हमारा यह वक्तव्य निरुद्ध हो जाता है कि विवाह में किसी खास विधि की आवश्यकता नहीं है।

आक्षेप (ड)—छोटी आयुवाली विवाहिता स्त्री से उत्पन्न सन्तान को कर्ण के समान कहना उन्मत्त प्रलाप है।

(धीलाल)

समाधान—न्यायशास्त्र की वर्णमाला से शून्य आक्षेपक को यहाँ समानता नहीं दी जाती। यह उसकी मूर्खता के ही अनुरूप है। कर्ण के जन्म में यदि कोई दोष था तो यही कि ये अविवाहिता की सन्तान थे। बालविवाह जब विवाह ही नहीं है तब उससे पैदा होने वाली सन्तान अविवाहिता की सन्तान कहलाई इसमें विषमता क्या है?

आक्षेप (च)—दुधमुँहे का अर्थ विवाह के विषय में नासमझ करने से तो शूद्राचार्य भी दुधमुँहे कहलाये क्योंकि इसी पंचर्षमें वे मगधन मिथ्र की स्त्री से हारे थे। अगर तत्कालीन समाज उनका विवाह कर देता तो आपकी नज़र में नाजायज़ होता। (विद्यानन्द)

समाधान—यगर शूद्राचार्य विवाह के विषय में कुछ नहीं जानते थे तो उनका विवाह हो ही नहीं सकता था। समाज जयदेवी उगका विवाह कराने की चेष्टा करती तो यह विवाह तो नाजायज़ होता ही, साथ ही समाज को भी पाप लगता। विवाह के विषय में शूद्राचार्य को दुधमुँहा कहना अनुचित नहीं है। न्यायशास्त्र में 'बालानाम् बोधाय' की टीका

में घाल शब्द का यही अर्थ किया जाता है कि जिसने व्याकरण काव्य कोपादि तो पढ़ लिये परन्तु न्याय न पढ़ा हो। इसी तरह विवाह के प्रकरण में भी समझना चाहिये।

इस विषय में आक्षेपक ने शुरू में भी भूल जाई है। वास्तव में शङ्कराचार्य विवाह के विषय में अनभिज्ञ नहीं थे। वे कामशास्त्र में अनभिज्ञ थे और इसी विषय में वे पराजित हुए थे। विवाह में, कामवासना में और कामशास्त्र में बड़ा अंतर है। यह घान आक्षेपक को समझ लेना चाहिये।

आक्षेप ( ७ )—पहिले गर्भस्य पुत्रपुत्रियों के भी विवाह होते थे और वे नाजायज़ न माने जाते थे। ( विद्यानन्द )

समाधान—इस आक्षेप से तीन बातें ध्वनित होती हैं—( १ ) पुराने ज़माने में आजकलकी मानी हुई विवाहविधि प्रचलित नहीं थी क्योंकि इस विवाहविधि में कन्या के द्वारा सिद्धमंत्र की स्थापना की जाती है, सप्तपदी होती है, तथा घर कन्या को और भी क्रियाएँ करनी पड़ती हैं जो गर्भस्थ घर-कन्या नहीं कर सकते। ( २ ) गर्भ में अगर दोनों तरफ़ पुत्र हों और माता पिता के वचन ही विवाह माने जाँय और वे नाजायज़ न हो सकें तो पुत्र पुत्रों में भी विवाह कहलाया। अथवा यही कहना चाहिये कि वह विवाह नहीं था। माता पिता ने सिर्फ़ सम्भव होने पर विवाह होने की बात कही थी। ( ३ ) जब गर्भ में विवाह हो जाता था तब गर्भ में ही लड़की सधवा कहलायी। दुर्योधन और कृष्ण में भी ऐसी बात चीत हुई थी। दुर्योधन के पुत्री उदधिकुमारी हुई जो गर्भ में ही प्रद्युम्न की पत्नी कहलायी। परन्तु प्रद्युम्न का हरण हो गया था इसलिये भानुकुमार के साथ विवाह का आयोजन हुआ। गर्भस्य विवाह को आक्षेपक नाजायज़ मानते नहीं हैं इसलिये यह उदधिकुमारी के पुनर्विवाह का आयोजन कह-

लाया । इसलिये अब आक्षेपक को या तो बालविवाह नाजायज़ मानना चाहिये या स्त्री पुनर्विवाह जायज़ ।

बालविवाह को नाजायज़ सिद्ध करने में किसी खास प्रमाण के देने की ज़रूरत नहीं है । विवाह का लक्षण न जाने से ही यह नाजायज़ हो जाता है ।

**आक्षेप ( ज )**—आश्चर्य है कि कर्ण को आप बालविवाह की सन्तान कह कर नाजायज़ कह रहे हैं । वह तो गान्धर्व विवाह की सन्तान होने से नाजायज़ माना गया है ।

**समाधान**—कुछ उत्तर न सूझने पर अपनी तरफ़ से भूटी बात लिखकर उसका खण्डन करने लगना आक्षेपक की आदत मालूम होनी है, या आक्षेपक में हमारे वाक्य को समझने की योग्यता नहीं है । हमने कर्ण को अविवाहिता की सन्तान कहा है और बालविवाह में विवाह का लक्षण नहीं जाता इसलिये उसकी सन्तान भी अविवाहिता की सन्तान कहलायी । कर्ण में और बालविवाह की सन्तान में अविवाहितजन्यता की अपेक्षा समानता हुई । इससे कर्ण को बालविवाह की सन्तान समझ लेना आक्षेपक की अपुन की गूथी है । आक्षेपक को उपमा, उपमेय, उपमान समान धर्म का शिलकुल ज्ञान नहीं मालूम होता ।

कर्ण अगर गान्धर्व विवाह की सन्तान होते तो उन्हें छिपाकर यहा देने को ज़रूरत न होती, अथवा पाँचों पाँडव भी नाजायज़ होते । अगर यह कहा जाय कि कर्ण जन्म के बाद कुन्ती का विवाह किया गया था तो मानना पड़ेगा कि कर्ण-जन्म के पहिले कुन्ती का गान्धर्वविवाह नहीं हुआ, अथवा कर्ण जन्म के बाद उसका पुनर्विवाह हुआ और एक यथा पैदा करने पर भी यह कन्या कहलाई । अगर कन्या नहीं कहलाई तो विवाह कैसे हुआ ?



आक्षेप ( भ )—विवाह का चारित्र्य मोहनीय के उदय के साथ न तो अन्वय है न व्यतिरेक ।

समाधान—यह वाक्य लिखकर आक्षेपक ने अकलङ्काचार्य का विरोध तो किया ही है साथ ही न्यायशास्त्र में असाधारण अज्ञानता का परिचय भी दिया है । आक्षेपक अन्वय व्यतिरेक का स्वरूप ही नहीं समझता । कार्य कारण का जहाँ अविनाभाव बतलाया जाता है वहाँ कारण के सद्भाव में कार्य का सद्भाव नहीं बतलाया जाता किन्तु कार्य के सद्भाव में कारण का सद्भाव बतलाया जाता है । कारण के सद्भाव में कार्य का सद्भाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है । चारित्र्य मोह के उदय ( कारण ) रहने पर विवाह ( कार्य ) हो सकता है और नहीं भी हो सकता । अर्थात् व्यभिचार वगैरह भी हो सकता है । परन्तु विवाह ( कार्य ) के सद्भाव में चारित्र्य मोह का उदय ( कारण ) तो अनिवार्य है । अगर वह न हो तो विवाह नहीं हो सकता । यह व्यतिरेक भी स्पष्ट है ।

चारित्र्यमोह के उदय का फल संभोग क्रिया का ज्ञान नहीं है । ज्ञान तो ज्ञानावरण के क्षयोपशम का फल है । चारित्र्य मोहोदय तो कामलालसा पैदा करता है । अगर उसे परिमित करने के निमित्त मिल जाते हैं तो विवाह हो जाता है, अन्यथा व्यभिचार होता है । आक्षेपक ने यहाँ अपनी आदत के अनुसार अपनी तरफ से 'ही' जोड़ दिया है । अर्थात् 'चारित्र्य मोह का उदय ही' कहकर खसडग किया है, जब कि हमने 'ही' का प्रयोग ही नहीं किया है । जब चारित्र्यमोह के उदय के साथ सद्देश्य की बात भी कही है तब 'ही' शब्द को ज़रूरस्ती घुसेड़ना बड़ी भारी धूर्तता है ।

अकलङ्कदेव ने सद्देश्य और चारित्र्यमोह लिखा है । आक्षेपक ने उसका अभिप्राय निकाला है 'उपभोगान्तराय' ।

क्या गृह्य का अभिप्राय है! आक्षेपक के ये शब्द बिलकुल उन्मत्त-प्रलाप हैं—“विवाह साता-वेदनीय और उपभोगान्तराय के क्षयोपशम से होता है—चारित्रमोह के उदय से नहीं, इसीलिये उन्होंने चारित्रमोहोदयान् के पहिले सद्देय पद डाल दिया है।” चारित्रमोह के पहिले सद्देय पद डाल दिया, इससे एक के बदले में दो कारण होंगये परन्तु चारित्रमोह का निषेध कैसे हो गया और उसका अर्थ उपभोगान्तराय कैसे बन गया ?

आक्षेप ( अ )—विवाह का उपादान कारण चारित्रमोह का उदय नहीं है किन्तु वर बधु है।

समाधान—हमने वहाँ “चारित्रमोह के उदय से होने वाले रागपरिणाम” कहा है। यह परिणाम ही तो विवाह की पूर्व अवस्था है और पूर्व अवस्था को आप स्वयं उपादान कारण मानते हैं। विस्तृत कामवासना का परिचित कामवासना हो जाना ही विवाह है। आपने उपचार से परिणामी (घर कन्या) को उपादान कारण कह दिया है, परन्तु परिणाम के बिना परिणामी वर कन्या नहीं हो सकते। बालविवाह में वर कन्या होने ही नहीं, दो बच्चे होते हैं। जब परिणाम नहीं तब परिणामी कैसे ? यहाँ आक्षेपक अनिग्रह में अप्रतिभा नामक निग्रह कहकर निरनुयोज्यानुयौग नामक निग्रहस्थान में जागिरा है।

आक्षेप ( ट )—जब आप विवाह के लिये नियत विधि मानते हैं तब उसके बिना विवाह कैसा ? नियत विधि शब्द का कुछ खयाल भी है या नहीं ?

समाधान—गांधर्वविवाह को आप विवाह मानते हो। आपको दृष्टि में भले ही वह अधर्म विवाह हो, परन्तु है तो विवाह ही। इस विवाह में आप भी नियत विधि नहीं मानते फिर भी विवाह कहते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियत

विधि का उपयोग करना न करना इच्छा के ऊपर निर्भर है । किसी एक नगर से दूसरे नगर को यात्रा करने के लिये रेलगाड़ी चलती है । इस तरह यात्रियों के लिये रेलगाड़ी नियत कर दी गई है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ-मोंटर से, घोड़े से या अपने पैरों से यात्रा नहीं हो सकती । रेलगाड़ी को यात्रा के साधनों में मुख्यता भले ही दे दी जाय, परन्तु उसे अनिवार्य नहीं कह सकते । इसी तरह नियत शास्त्रविधिको भले ही कोई मुख्य समझे परन्तु अनिवार्य नहीं कह सकते । अनिवार्य तो चारित्र्यमोह आदि ही हैं । रेलगाड़ी के अभाव में यात्रा के समान विवाह विधि के अभाव में भी विवाह हो सकता है ।

आक्षेप ( ठ )—प्रद्युम्न को गांधर्वविवाह से पैदा हुआ कहना धृष्टता है । गांधर्वविवाहजात है कर्ण, इस से वे नाजायज हैं ।

समाधान—कर्ण के विषय में हम पहिले लिख चुके हैं और इस प्रश्न के आक्षेप 'छ' के समाधानमें भी लिख चुके हैं । कर्ण व्यभिचारजात है गांधर्वविवाहोत्पन्न नहीं । रुक्मिणी का अगर गांधर्वविवाह नहीं था तो बतलाना चाहिये कि कौन सा विवाह था । प्रारम्भ के चार विवाहों में आप लोग कन्यादान मानते हैं । रैवतकगिरि के ऊपर कन्यादान किसने किया था ? वहाँ तो रुक्मिणी, कृष्ण और बलदेव के सिवाय और कोई नहीं था । गांधर्वविवाह में "स्वेच्छया अन्यान्यसम्बन्ध" होता है । रुक्मिणी ने भी माता पिता आदि की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से सम्बन्ध किया था । गांधर्वविवाह व्यभिचार नहीं है जिससे प्रद्युम्न व्यभिचारजात कहला सके ।

यहाँ पर आक्षेपक अपने साथी आक्षेपक के साथ भी भिड़ गया है । विद्यानन्द कहते हैं—गांधर्वविवाह, विवाहविधि

गून्य अधर्म विवाह है इस से उत्पन्न संतान मोक्ष नहीं जा-  
सकती । जयकि श्रीलाल जी कहते हैं—“गांधर्वविवाह भी  
शास्त्रीय है अतः उससे उत्पन्न संतान क्यों न मोक्ष जाय” । जब  
दो भूँठे मिलते हैं तब इसी तरह परम्पर विरुद्ध बक्ते हैं ।

### तेरहवाँ प्रश्न

क्या सुधारक और क्या विगाड़क आज तक सभी बाल-  
विवाह को गुष्टा गुट्टी का खेल कहते रहे हैं । हमने ऐसे घर  
बधू को नाटकीय कहा है । ऐसी हालत में उसका वैधव्य भी  
नाटकीय रहेगा । वास्तव में तो वह कुमारी ही रहेगी । इस-  
लिये पत्नीत्व का जबतक अनुभव न हो तब तक वह पत्नी या  
विधवा नहीं कहला सकती । आक्षेपकों में इतनी अक्षल कहाँ  
कि वे पत्नीत्व के अनुभव में और सम्भोग के अनुभव में भेद  
समझ सकें । पहिला आक्षेपक ( श्रीलाल ) कहता है कि सप्त-  
पदी हो जाने से ही विवाह हो जाता है । परन्तु किसी बालिका  
से तोते की तरह सप्तपदी रटवा कर कहला देना या उस की  
तरफ से बोल देना ही तो सप्तपदी नहीं है । सप्तपदी का क्या  
मतलब है और उससे क्या ज़िम्मेदारी आ रही है इसका अनु-  
भव तो होना चाहिये । यही तो पत्नीत्व का अनुभव है । बाल-  
विवाह में यह बात ( यही सप्तपदी ) नहीं हो सकती इसलिये  
उसके हो जाने पर भी न कोई पति पत्नी बनता है न विधवा  
विधुर । उपर्युक्त पत्नीत्व के अनुभव के बाद और सम्भोग के  
पहिले घर भर जाय तो बधू विधवा हो जायगी, और उसका  
विवाह पुनर्विवाह ही कहा जायगा । परन्तु नासमझ अवस्था में  
जो विवाह-नाटक होता है उससे कोई पत्नी नहीं बनती ।

आक्षेप ( क )—विवाह को स्थापना निक्षेपका विषय  
कहना संचमुच विद्वत्ता का नङ्गा नाच है । तब तो व्यभिचार  
भी विवाह कहलायगा । ( विद्यानन्द )

समाधान—जहाँ विवाह का लक्षण नहीं जाता और फिर भी लोग विवाह की कल्पना करते हैं तो कहना ही पड़ेगा कि यह विवाह स्थापना निक्षेप से है, जैसे कि नाटक में स्थापना की जाती है। आक्षेपक का कहना है कि व्यभिचार में भी स्थापनानिक्षेप से परस्त्री में स्त्रयी की स्थापना करली जायगी। परन्तु यही बात तो हमारा पक्ष है। स्थापना तो व्यभिचार में भी हो सकती है परन्तु व्यभिचारी घर बधू नहीं कहला सकते। इस तरह नासमझ बालक बालिकाओं में भी घर बधू की स्थापना हो सकती है परन्तु वे याम्नाय में घर बधू नहीं कहला सकते।

## चौदहवाँ प्रश्न

इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि पत्नी बनने के पहिले क्या कोई विधवा हो सकती है और व्रत ग्रहण करने में व्रती के भावों की जरूरत है या नहीं? इसका मतलब यह है कि आजकल विवाह-नाटक के द्वारा बहुतसी बालिकाएँ पत्नी बना दी जाती हैं परन्तु वास्तव में वे पत्नी नहीं होंगी। उनको (उस नाटकीय पति के मर जाने पर) विधवा न कहना चाहिये। व्रत ग्रहण करने में भावों की जरूरत है। बालविवाह में विवाहानुकूल भाव ही नहीं होते। इसलिये उस विवाह से कोई किसी तरह की प्रशिक्षा में नहीं बँधता।

धीलाल ने ये ही पुरानी बातें कही हैं, जिसका धव (पति) मर गया है वह विधवा अवश्य कही जायगी आदि। परन्तु यहाँ तो यह कहा गया है कि वह नाटकीय पति याम्नायिक पति ही नहीं है। फिर उसका मरना क्या और जीना क्या? उसका पति क्या और पत्यन्तर क्या?

आक्षेप (क)—आठ वर्ष की उमर में जब व्रत लिया

ज़रूरत नहीं है' इसके लिये कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया ।  
 छः वर्ष का यथा अगर कोई अच्छी क्रिया करता है तो क्या  
 आक्षेपक के मतानुसार वह ब्रवी है ? क्या आचार्यों का यह  
 लिखना कि आठ वर्ष से कम उम्र में व्रत नहीं हो सकता  
 झूठ है ? या आक्षेपक ही जैनधर्म से अनभिज्ञ है ? छोटे बच्चे  
 में भी कुछ भाव तो होते ही हैं जिससे वह पुण्यबन्ध या  
 पापबन्ध करता है । जय एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जीव भाव-  
 रहित नहीं हैं नव यह तो मनुष्य है । परन्तु यहाँ प्रश्न तो यह  
 है कि उसके भाव, व्रतग्रहण करने के लायक होते हैं या नहीं ?  
 अर्थात् उसके ये कार्य ब्रूनरूप हैं या नहीं ? हो सकता है कि  
 वह तीस वर्ष के आदमी से भी अच्छा हो, परन्तु इससे वह  
 ब्रवी नहीं कहला सकता । 'कल्याणमन्दिर का जो वाक्य  
 ( यस्मात्क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ) हमने उद्धृत  
 किया है उसके पीछे समस्त जैनशास्त्रों का यत्न है । वह हर  
 तरह की परीक्षा से सौ टक्का उतरता है । आक्षेपक हमें  
 सिद्धसेन के सदभिप्राय से अनभिज्ञ बनलाते हैं परन्तु वास्तव  
 में आक्षेपक ने स्वयं कल्याणमन्दिर और विषापहार के  
 श्लोकों का भाव नहीं समझा है । दोनों श्लोकों के मार्मिक  
 विवेचन से एक स्वतन्त्र लेख हो जायगा । वास्तव में सिद्ध-  
 सेन का श्लोक भक्तिमार्ग की तरफ प्रेरणा नहीं करता किन्तु  
 परिणत धनञ्जय का श्लोक भक्तिमार्ग की तरफ प्रेरणा करता  
 है । उनका मतलब है कि बिना भाव के भी अगर लोग भगवान  
 को नमस्कार करेंगे तो सुधर जायेंगे । सिद्धसेन का श्लोक  
 ऐसी भक्ति को निरर्थक बनलाता है । सिद्धसेन कहते हैं ऐसी  
 भावशून्य भक्ति तो हज़ारों बार की है परन्तु उसका कुछ फल  
 नहीं हुआ । सिद्धसेन के श्लोक में तथ्य है, वह समझदारों  
 के लिये है और धनञ्जय के श्लोक में फुसलाना है । वह

यच्चों ( अज्ञानी ) के लिये है । यच्चों को फुसलाने की बातों को जैनसिद्धान्त के समझने की कुञ्जी समझना मूर्खता है ।

आजकलं शायद् ही किसी ने भावशून्य क्रिया को व्रत कहने की धृष्टता की हो । जो धर्म शुल्कलेश्याधारी नगमग्रैवेयक जाने वाले मुनि को भी ( भावशून्य होने से ) मिथ्यादृष्टि कहता है, उसमें भावशून्य क्रिया से व्रत बतलाना अक्षन्नव्य अपराध है ।

आक्षेप ( घ )—यद्यपि समन्तभद्र स्वामी ने अभिप्राय-पूर्वक त्याग करना व्रत कहा है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि बाल्यावस्था में दिलाए गये नियम उपनियम सब शास्त्रविरुद्ध हैं । बाल्यावस्था में दिये गये व्रत को अकलङ्क ने जीवन भर पाला । ( विद्यानन्द )

समाधान—समन्तभद्र के द्वारा कहे गये व्रत का लक्षण जानते हुए भी आक्षेपक समझते हैं कि बिना भाव के व्रत ग्रहण हो सकता है । इसका मतलब यह है कि वे जाति स्वभाव के अनुसार जैनधर्म और समन्तभद्र के विद्रोही हैं या अपना काम बनाने के लिये जैनी वेप धारण किया है । स्त्री, बाल्यावस्था के नियम शास्त्रविरुद्ध भले ही न हों परन्तु वे व्रतरूप अवश्य ही नहीं हैं । अकलङ्क के उदाहरण पर तो आक्षेपक ने ज़रा भी विचार नहीं किया । अकलङ्क अपने पिता से कहते हैं कि जब आपने व्रत लेने की बात कही थी तब यह व्रत आठ दिन के लिये थोड़े ही लिया था, हमने तो जन्मभर के लिये लिया था । इससे साफ़ मालूम होता है कि व्रत लेते समय अकलङ्क की उमर इतनी छोटी नहीं थी कि व्रत न लिया जासके । उनसे भावपूर्वक व्रत लिया था और उसके महत्त्व को और उत्तरदायित्व को समझा था । क्या यही भावशून्य व्रत का उदाहरण है ?

आक्षेप ( ड )—घृत दो प्रकार के हैं—निवृत्तिरूप, प्रवृत्तिरूप । शुभकर्म में प्रवृत्ति करना भी घृत है । यद्यपि बच्चों को शुभकर्म की प्रवृत्ति में कोई भाव नहीं रहता, फिर भी वे घृती कहे जा सकते हैं । ( विद्यानन्द )

समाधान—जब कि घृत भावपूर्वक होते हैं तब घृतों के भेद भावशून्य नहीं हो सकते । जीव का लक्षण चेतना, उसके सब भेद प्रभेदों में अग्रय जायगा । जीव के प्रभेद यदि जलचर, थलचर, नभचर हैं तो इससे नोका, रेलगाड़ी या वायुयान, जीव नहीं कहला सकते, क्योंकि उनमें जीव का लक्षण नहीं जाता । इसलिये भावशून्य कोई कार्य घृत का भेद नहीं कहला सकता । जो फल फूल या जल भगवान को चढ़ाया जाता है क्या वह घृती कहलाता है ? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या भावशून्यता नहीं है ? क्या भावशून्य जिनदर्शनादि कार्यों को घृत कहने वाला एकाग्र प्रमाण भी आप दे सकते हैं ?

आक्षेप ( च )—संस्कारों को अनावश्यक कहना जैन सिद्धान्त के मर्म को नहीं समझना है । इधर आप संस्कारों से योग्यता पैदा करने की बात भी कहते हैं । ऐसा परस्पर-विरोध क्यों कहते हैं ? ( विद्यानन्द )

समाधान—घृत और संस्कारों को एक समझ कर आक्षेपक के गुरु ने योग्य मूर्खता का परिचय दिया था । हमने दोनों का भेद समझाया था जो कि अथ शिष्य ने स्वीकार कर लिया है । घृत और संस्कार जुदे जुदे हैं इसलिये ये 'अनावश्यक हैं' यह अर्थ कहीं से निकल आया, जिससे परस्परविरोध कहा जानके ? आक्षेपक या उसके गुरु का कहना तो यह है कि "कि गाल्यावस्था में भी संस्कार होते हैं इसलिये घृत कहलाया" । इसी मूर्खता को हटाने के लिये हमने



कहा था कि "संस्कार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और वह प्रभाव प्रायः दूसरों के द्वारा डाला जाता है, परन्तु घन दूसरों के द्वारा नहीं लिया जा सकता। संस्कार तो पात्र श्रद्धा, समझ और त्याग के बिना भी डाले जा सकते हैं परन्तु घन में इन तीनों की अत्यन्त आवश्यकता रहती है"। जय घन और संस्कार का भेद इतना स्पष्ट है तब बाल्यावस्था में संस्कारों का अस्तित्व बतलाकर घन का अस्तित्व बतलाना मूर्खता और धोखा नहीं तो क्या है? संस्कार आवश्यक भले ही हों परन्तु वे घन के भेद नहीं हैं।

**आक्षेप ( छ )**—शुभ कार्य दूसरों के द्वारा भी कराये जा सकते हैं, और उनका फल भी पूरा पूरा होता है। शुभ कार्य में जबरन प्रवृत्ति कराना अधर्म नहीं है। हाँ, यदि कोई विधवा कहे कि मैं तो वैधव्य नहीं लूँगी तब उस पर ज़बर्दस्ती वैधव्य का 'टीका' मढ़ना भी उचित नहीं है। यदि कोई विधवा कहे कि मेरा विवाह कर दो तो वह भी आगमविरुद्ध है।

**समाधान**—शुभ कार्य कराये जा सकते हैं। जो कर्मायगा उसे कदाचित् पुण्यबन्ध भी हो सकता है। परन्तु इससे यह कहाँ निश्चय हुआ कि जिससे किया कराई जा रही है वह भावपूर्वक नहीं कर रहा है। यदि कोई कराना है और कोई भावपूर्वक करता है तो उसे पुण्यबन्ध क्यों न होगा? परन्तु यह पुण्यबन्ध भावपूर्वकता का है। ऊपर भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

आप स्वीकार करते हैं कि अनिच्छापूर्वक वैधव्य का टीका न मढ़ना चाहिये। सुधारक भी इससे ज़ुपादा और क्या कहते हैं? जब उसे वैधव्य का टीका नहीं लगा तो वह आगमविरुद्ध क्यों?

## पन्द्रहवाँ प्रश्न ।

१२, १३, १४ और १५ वें प्रश्न बालविवाहविषयक हैं । इस में बालविवाह को नाजायज़ विवाह सिद्ध किया गया है । जो लोग सम्यग्दृष्टि हैं वे तो विधवाविवाह के विरोधी क्यों होंगे, परन्तु जो लोग मिथ्यात्व के कारण से विधवाविवाह को ठीक नहीं समझते उन्हें चाहिये कि बालविधवा कहलाती हुई स्त्रियों के विवाह को स्वीकार करें क्योंकि बालविधवाएँ वास्तविक विधवाएँ नहीं हैं । एकबार न्यायशास्त्रके एक सुप्रसिद्ध आचार्य ने ( जो कि दिग्गज जैन कहलाने पर भी तीव्र मिथ्यात्व के उदयसे या अन्य किसी लौकिक कारणसे विधवा-विवाह के विरोधी बन गये हैं ) कहा था—कि तुम बड़े मूर्ख हो जो बालविधवाओं को भी विधवा कहते हो । इसी तरह एकबार गोपालदास जी के मुख्य शिष्य और धर्मशास्त्र के बड़े भारी विद्वान् कहलाने वाले पण्डित जी ने भी कहा था—कि 'अक्षतयोनि विधवाओं के विवाह में तो कोई दोष नहीं है' । यहाँ पर भी बालविवाह के विषय में चम्पतराय जी माहव ने जो तर्कियाँ उठाई हैं उनके उत्तरों से यही बात साबित होती है । विवाह का सम्यन्ध ब्रह्मचर्याणुव्रत से है । जिनका बाल्यावस्था में विवाह होगया वे ब्रह्मचर्याणुव्रत वाली कैसे कहला सकती हैं ? इसलिये उनका विवाहाधिकार तो कुमारी के समान ही रक्षित है । अगर वे महाव्रत या सप्तम प्रतिमा धारण करें तब तो ठीक, नहीं तो उन्हें विवाह करनेना चाहिये । यद्यपि हम कह चुके हैं कि बालविधवाएँ विधवा नहीं हैं परन्तु कोई विधवा हो या विधुर, कुमार हो या कुमारी, अगर वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा या महाव्रत ग्रहण नहीं करता तो विवाह की इच्छा से पर विवाह करेगा । धर्म नहीं है ।

आक्षेप ( क )—प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न समझ कर तो उत्तर देते । जो मनुष्य ब्रह्मचर्याणुव्रत धारण नहीं करता उस का विवाह करके क्या करोगे ? वह तो माता बहिन को स्त्री समझना है ।

( श्रीलाल )

समाधान—हमारे उपर्युक्त वक्तव्यको पढ़कर पाठक ही विचारें कि प्रश्न कौन नहीं समझा है । जिसने ब्रह्मचर्याणुव्रत नहीं लिया है, उसे ब्रह्मचर्याणुव्रत देने के लिये ही तो विवाह है । इस आक्षेपक ने विवाह को ब्रह्मचर्याणुव्रत रूप माना है । यहाँ कहता है कि ब्रह्मचर्याणुव्रत रहित का विवाह क्यों करना अर्थात् ब्रह्मचर्याणुव्रत क्यों देना ? मतलब यह कि अणुव्रतको व्रत देना निरर्थक है ! कैसा पागलपन है !

आक्षेप ( ख )—क्या दीक्षा और विवाह यही दो अवस्थाएँ हो सकती हैं ।

( विद्यानन्द )

समाधान—जो दीक्षा नहीं लेना और विवाह भी नहीं करता उससे कोई ज़बर्दस्ती नहीं करता । परन्तु उसे विवाह करने का अधिकार है । अधिकार का उपयोग करना न करना उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है । उपयोग करने से वह पापी न कहा जायगा ।

आक्षेप ( ग )—जब आप विधुर विधवा आदि जिस किसी को विवाह करने का अधिकार देते हैं तब तो एक धर्म की शोभ वञ्ची भी विवाह करावें । आपने तो बाल, वृद्ध, अनमेल विवाह की भी पीठ ठोकी ।

( विद्यानन्द )

समाधान—इससे तो यह बात कही गई है कि वैधव्य, विवाहमें बाधक नहीं है । १२ वर्ष की बच्चों का विवाह तो हाँ ही नहीं सकता यह हम अनेक बार कह चुके हैं । बालविवाह का जैनधर्म और हम विवाह ही नहीं मानते हैं । विवाह के अन्य अन्तरङ्ग बहिरङ्ग निमित्त मिल जाने पर कोई भी विवाह कर

सकता है । हमारा कहना तो यह है कि वैधव्य उसका बाधक नहीं है ।

## सोलहवाँ प्रश्न

“जिसका गर्भाशय गर्भधारण के योग्य नहीं हुआ उस का गर्भ रह जाने से प्रायः मृत्यु का कारण होजाता है या नहीं ?” इस प्रश्न के उत्तर में वैद्यक शास्त्र के अनुसार उत्तर दिया गया था । आक्षेपकों को भी यह बात मंजूर है । परन्तु उसके लिये १६ वर्ष की अवस्था की बात नहीं कहते । आक्षेपकों ने इसपर जोर नहीं दिया । हम अपने मूल लेखमें जो कुछ लिख चुके हैं उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है ।

आक्षेप ( क )—सन्तानोत्पादन के लिये हृष्टपुष्टता की आवश्यकता है, उमर की नहीं । (श्रीलाल, विद्यानन्द)

समाधान—सन्तानोत्पादन के लिये हृष्टपुष्टता की आवश्यकता है और हृष्टपुष्टता के लिये उमर की आवश्यकता है । हाँ, यह बात ठीक है कि उमर के साथ अन्य कारण भी चाहिये । जिनके अन्य कारण बहुत प्रबल हो जाते हैं उनके एक दो वर्ष पहिले भी गर्भ रह जाता है, परन्तु इससे उमर का बन्धन अनावश्यक नहीं होता, क्योंकि ऐसी घटनाएँ लाख में एकाध ही होती हैं । श्रीलाल स्वीकार करते हैं कि कई लोग २०-२४ वर्ष तक भी सन्तानोत्पत्ति के योग्य नहीं होते । यदि यह ठीक है तो श्रीलाल को स्वीकार करना चाहिये कि १२ वर्ष की उमर में विवाह का नियम बनाना या रजस्वला होने के पहिले विवाह कर देना अनुचित है । यदि विवाह और सन्तानोत्पादन के लिये हृष्टपुष्टता का नियम रखा जाय तब १२ वर्ष का नियम टूट जाता है और बालविवाह मृत्यु का कारण है—यह बात सिद्ध हो जाती है ।

## सत्रहवाँ प्रश्न

“पाँच लाख औरतों में एक लाख तैनालीन हजार विधवाएँ क्या शोभा का कारण हैं ?” इसके उत्तर में हमने कहा था कि—“वैधव्य में जहाँ त्याग है वहाँ शोभा है अन्यथा नहीं। जहाँ पुनर्विवाहका अधिकार नहीं, वहाँ उसका त्याग हो क्या ?” इस प्रश्न का उत्तर आक्षरक नहीं दे सके हैं। श्री-लालजी तो नलाक की बान उठा कर यूरोप के नाचदान सूत्रने लग लये हैं। ‘विधवाविवाह घाली ऊँची नहीं हो सकती’ उसे आर्थिका बनने का अधिकार नहीं, आदि वाक्यों में कोई प्रमाण नहीं है। हम इसका पहिले विवेचन कर चुके हैं। आगे भी करेंगे।

आक्षेप (क)—विधवा गृहस्थ है, इसलिये वह सौभाग्यवतियों से पूज्य नहीं हो पाती।

समाधान—गृहस्थ तो ब्रह्मचर्यप्रतिमाधारी भी है। फिर भी साधारण लोगों की अपेक्षा उसका विशेष सम्मान होता है। इसी प्रकार विधवाओं का भी होना चाहिये, परन्तु नहीं होता। इसका कारण यही है कि उनका वैधव्य न्यागरूप नहीं है। अगर कोई विधुर विवाहयोग्य होने और विवाह के निमित्त मिलने पर भी विवाह नहीं कराता तो वह प्रशंसनीय होता है। इसी प्रकार पुनर्विवाह न कराने वाला विधवाएँ भी प्रशंसापात्र हो सकती हैं अगर उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार हो और वे विवाह योग्य हों तो। हाँ, उन विधुरों की प्रशंसा नहीं होती जो चार पाँच बार तक विवाह करा चुके हैं अथवा विवाह की कोशिश करते २ अन्तमें ‘अंगूर खट्टे हैं’ की कहावत चरितार्थ करते हुए, अन्तमें ब्रह्मचारी परिग्रहस्यागी आदि बन गये हैं। विवाह की पूर्ण सामग्री मिल जाने पर भी जो

विवाह नहीं कराते वे ही प्रशंसनीय हैं चाहे वे विधुर हों या विधवा ।

आक्षेप (ख)—पुनर्विवाह वाली जातियों में वैधव्य शोभा का कारण है । क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि पुनर्विवाह न करने वाली शोभा का कारण और करने वाली अशोभा का कारण हैं ? ( विद्यानन्द )

समाधान—उपवास और भूखे मरने का बाह्यरूप एकसा मालूम होता है, परन्तु दोनों में महान् अन्तर है । उपवास स्वच्छापूर्वक है, इसलिये त्याग है, तप है । भूखों मरना, विचशता से है इसलिये वह नारको मरोखा सङ्गेश है । एक समाज ऐसी है जहाँ धाने की स्वतन्त्रता है । एक ऐसी है जहाँ सभी को भूखों मरना पड़ना है । पहिली समाज में जो उपवास करते हैं वे प्रशंसनीय होते हैं, परन्तु इसीलिये भूखों मरने वाली समाज प्रशंसनीय नहीं कही जासकती; फिर ऐसी हालत में जब कि भूखों मरने वाले चुग चुग कर जाते हों । पुनर्विवाह करने वाली जातिमें वैधव्य प्रशंसनीय है क्योंकि उस में प्राप्य भागोंका त्याग किया जाता है, पुनर्विवाहशून्य समाज में ऐसी चीजों का त्याग कहा जाता है जो अप्राप्य हैं । तप तो गधे के सींग का त्यागी भी बड़ा त्यागी कहा जायगा । जिन जातियों में पुनर्विवाह नहीं होना उनकी सभी स्त्रियाँ ( भले ही वे विधवा हों ) पुनर्विवाह कराने वाली स्त्रियों से नीची हैं क्योंकि नपुंसक के बाह्य ब्रह्मचर्य के समान उनके वैधव्य का कोई मूल्य नहीं है । सारांश यह कि पुनर्विवाह वाली जातियों की विधवाओं का स्थान पहिला है ( उपवासी के समान ); पुनर्विवाहिताओं का स्थान दूसरा है ( संयताहारी के समान ) पुनर्विवाहशून्य जाति की विधवाओं का स्थान तीसरा है ( भूखों मरने वालों के समान ) ।

आक्षेप ( ग )—विधुर और विधवाओं का अगर एकसा इलाज हो तो दोनों को शास्त्रकारों ने समान आशा क्यों नहीं दी ? ( विद्यानन्द )

समाधान—जैनधर्म ने दोनों को समान आशा दी है । इस विषयमें पहिले विस्तारसे लिखा जा चुका है । देखो '७ घ' ।

आक्षेप ( घ )—स्त्रीपर्याय पुरुषपर्याय से निन्द्य है । इस लिये जो विधवाएँ पुरुषों के समान पुनर्विवाह का अधिकार चाहती हैं, वे पहिले पुरुष बनने के कार्य संयमादिक पालकर पुरुष बनलें । याद में पुरुषों के समान पुनर्विवाह की अधिकारी बनें । ( विद्यानन्द )

समाधान—अगर यह कहा जाय कि "भारतवासी निन्द्य हैं इसलिये अगर वे स्वराज्य चाहते हैं तो अंग्रेजों की निम्नार्थ सेवा करके पुण्य कमावें और मरकर अंग्रेजों के घर जन्म लेंवें" तो यह जैसी मूर्खता कहलायगी इसी तरह की मूर्खता आक्षेपक के वक्तव्य में है । वर्तमान विधवाएँ अगर मर के पुरुष बन जायँगी तो क्या परलोक में विधवा बनने के लिये परिद्धत लोग अवतार लेंगे ? क्या फिर विधवाएँ न रहेंगी ? क्या इससे विधवाओं की समस्या हल हो जायेगी ? क्या अणुहत्याएँ न होंगी ? क्या विपत्तिग्रस्त लोगों की विपत्ति दूर करने का यही उपाय है कि पारलौकिक सम्पत्ति की भूडो आशा से उन्हें मरने दिया जाय ? खैर, जिन विधवाओं में ब्रह्मचर्य के परिणाम हैं वे तो पुण्योपार्जन करेंगी परन्तु जो विधवाएँ सदा मानसिक और शारीरिक व्यभिचार करती रहती हैं, भोगों के अभाव में दिनरात रोती हैं और हाय हाय करती हैं, वे क्या पुण्योपार्जन करेंगी ? दुःखी जीवन व्यतीत करने से ही क्या पुण्यबन्ध हो जाता है ? यदि हाँ, तब मातृवै नरक के नरकी को सब से बड़ा तपस्वी कहना चाहिये । यदि

नहीं, तो वर्तमान का वैधव्य जीवन पुण्योपासक नहीं कहला सकता ।

## अठारहवाँ प्रश्न

इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि जैनसमाज की संख्या घटने से समाज की हानि है या लाभ ? हमने संख्याघटी की बात का समर्थन करके समाज की हानि बतलाई थी । श्रीलाल तो गवर्नमेन्ट की रिपोर्ट का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते । किम्बदन्ती के अनुसार कुम्भकर्ण ६ महीने मोंना था, परन्तु हमारा यह आक्षेपक कुम्भकर्ण का भी कुम्भकर्ण निकला । यह जन्म से लेकर बुढ़ापे तक मो हो रहा है । खैर, विद्यानन्द ने संख्याघटी की बात स्वीकार करली है । दोनों आक्षेपकों का कहना है कि संख्या घटती है घटने दो, जानि रसातल जानी है जाने दो, परन्तु धर्म का बचाओ ! विधवाविवाह धर्म है कि अधर्म—इस बात की यहाँ चर्चा नहीं है । प्रश्न यह है कि संख्या घटने से हानि है या नहीं ? यदि है तो उसे दूर करना चाहिये या नहीं ? इसके विचारशील आदमी कहेगा कि संख्याघटी रोकना चाहिये । जब विधवाविवाह धर्मानुकूल है और उससे संख्या बढ़ सकती है तो उस उपाय को काम में लाना चाहिये ।

आक्षेप ( क )—जैनी लोग पापी होगये इसलिये उनकी संख्या घट रही है ।

समाधान—बात बिलकुल ठीक है । सेकड़ों वर्षों से जैनीयों में पुण्यपाप का मद्द बढ रहा है । इस समाज के पुण्य स्वयं तो पुनर्विवाह करने हैं, और स्त्रियों को गोबने हैं, यह अन्याचार, पक्षपात क्या क्या पाप है ? इसी पाप के फल से इनकी संख्या घट रही है । पूजा न करने आदि से संख्या घटती तो मनेच्छा की संख्या न बढ़ना चाहिये थी ।



आक्षेप (ख)—मुसलमान लोग तो इसलिये बढ़ रहे हैं कि उन्हें नरक जाना है। और इस निकृष्ट काल में नरक जाने वालों की अधिकता होगी। ( श्रीलाल )

समाधान—आप कह चुके हैं कि जैनियों में पापी हो गये, इसलिये संख्या घटी। परन्तु इस वक्तव्य से तो यह मालूम होता है कि जैनियों की संख्या पाप से बढ़ना चाहिये जिसमें नरकगामी आदमी मिल सके। इस जुरक के टूटने यह भी स्वीकार किया है कि "नीच काम करने से नीच को जितना पाप लगता है उससे कई गुणा पाप उच्च को लगता है", अर्थात् जैनियों को इत्यादा पाप लगता है। इस सिद्धान्त के अनुसार भी जैनियों की संख्या बढ़ना चाहिये क्योंकि इस समाज में पैदा होने से शून्य पाप लगेगा और नरक जल्दी भरेगा। एक तरफ पाप से संख्या की घटी बतलाना और दूसरी तरफ पाप से संख्या की वृद्धि बतलाना विचित्र पागलपन है।

आक्षेप (ग)—विधवाविवाह आदि से, प्लेग हेजा आदि से समाज का सफाचट हो जायगा। ( श्रीलाल )

समाधान—विधवाविवाह से सफाचट होगा इसका उत्तर तो योरोप अमेरिका आदि की परिस्थिति देगी। परन्तु विधवाविवाह न होने से जैनसमाज सफाचट हो रही है यह तो प्रगट ही है।

आक्षेप (घ)—समाज न रहने का डर घृथा है। जैनधर्म तो पंचमकाल के अन्त तक रहेगा। ( श्रीलाल )

समाधान—विधवाविवाह के न होने से संख्या घट रही है। जैनियों की जिन जानियों में पुनर्विवाह है उनमें संख्या नहीं घट रही है। अगर पुनर्विवाह का रिवाज चालू न होगा तो संख्या नष्ट हो जायगी। परन्तु जैनधर्म का इतना हास तो

नहीं हो सकता इससे सिद्ध है कि विधवाविवाह का प्रचार ज़रूर होकर रहेगा । अथवा जिन जातियों में विधवाविवाह का रिवाज है वे ही जानियाँ अन्त तक रहेंगी । रही चिन्ता की बात सो जो पुरुष है उसे तो पुरुषार्थ पर ही नज़र रखना चाहिये । कोरी भविष्यता के भरोसे पर बैठकर प्रयत्न से उदासीन न होना चाहिये । तीर्थंकर अवश्य मोक्षगामी होते हैं फिर भी उन्हें मोक्ष के लिये प्रयत्न करना पड़ता है । इसी तरह जैनधर्म पंचमकाल के अन्त तक अवश्य रहेगा परन्तु उसे तब तक रहने के लिये विधवाविवाह का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये ।

यह छूताछूतविचार का प्रकरण नहीं है । इसका विवेचन कुछ हो चुका है । बहुत कुछ आगे भी होगा ।

आक्षेप ( ३ )—विधवाविवाह से तो बचे खुचे जैनी नास्तिक हो जायेंगे, कौड़ी के तीन तीन विकेंगे । जैनधर्म यह नहीं चाहता कि उसमें संख्यावृद्धि के नाम पर कूड़ाकचरा भर जाय । ( विश्रानन्द )

समाधान—आक्षेपक कूड़ाकचरा का विरोधी है परन्तु विधवाविवाह वालों को कूड़ाकचरा तभी कहा जासकता है जब विधवाविवाह धर्मविरुद्ध सिद्ध हो । पूर्वोक्त प्रमाणों से विधवाविवाह धर्मानुकूल सिद्ध है इसलिये आक्षेपक की ये गालियाँ निरर्थक हैं । विधवाविवाहोत्पन्न तो व्यभिचारज्ञान है ही नहीं, परन्तु व्यभिचारज्ञानता से भी कोई हानि नहीं है । व्यभिचार पाप है ( विधवाविवाह व्यभिचार नहीं है ) व्यभिचारज्ञानता पाप नहीं है अन्वया रविशेणार्च्य पेसा क्यों लिखते—

चिन्तानि विटज्ञानस्य मन्ति मांगेय कानिचित् ।  
अनार्यमाश्रन् किञ्चिज्जापने नोसर्गाश्रयः ॥

व्यभिचारज्ञानता के कोई चिन्ह नहीं होते । दुराचार से ही मनुष्य नीच कहलाना है ।

यदि व्यभिचारज्ञान शूद्र ही कहलाना है तो रुद्र भी शूद्र कहलाये । जब रुद्र मुनि बनते हैं तब आपको शूद्र मुनि का विधान भी मानना पड़ेगा । तद्भवमोक्षगामी व्यभिचार ज्ञान सुदृष्टि सुतार पर विवेचन तो आगे होगा ही ।

आक्षेप ( च )—जैनधर्म नहीं चाहता कि उसमें संख्या-वृद्धि के नाम पर कूड़ा कचरा भर जाय । यदि ६०८ बढ़ते हैं तो ६०८ मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं । जैनधर्म स्वयं अपने में बढ़ा हुई संख्या ६०८ का सिद्धशिला पर सदा के लिये स्थापन कर देता है । ( विद्यानन्द )

समाधान—उदाहरण देने के लिये जिस बुद्धि की आवश्यकता है उस तरह को साधारण बुद्धि भी आक्षेपक में नहीं मालूम होती । आक्षेपक संख्यावृद्धि के नाम पर कूड़ा कचरा न भरने की बात कहते हैं और उदाहरण कूड़ा कचरा भरने का दे रहे हैं । व्यवहारराशि में से छः महीने आठ समय में ६०८ जीव मोक्ष जाते हैं और नित्यनिर्गोद से इतने ही जीव बाहर निकलते हैं । जैनधर्म अगर ६०८ जीव सिद्धालय को भेजता है तो उसकी पूर्ति निर्गोदियों से कर लेता है । अगर जैनधर्म को संख्या घटने की पर्वाह न होती तो वह सिद्धालय जाने वाले जीवों की संख्यापूर्ति निर्गोदियों सरीखे तुच्छ जीवों से करने को उतारू न हो जाता ।

इस उदाहरण से यह बात भी सिद्ध होती है कि जैनधर्म में कूड़े कचरे को भी फलफूल बनाने की शक्ति है । वह कूड़े कचरे के समान जीवों को भी मुक्त बनाने की हिम्मत रखता है । जैनधर्म उस चतुर किसान के समान है जो गाँव भर के कूड़े कचरे का खाद बनाता है और उससे सफल खेती करता

है । वह मोक्ष भेजने के लिये देवलोक में से प्राणियों को नहीं चुनता बल्कि उस समूह में से चुनता है जिस का अधिक भाग कूड़े कचरे के समान है । खेत में जितनी मिट्टी है उतना अनाज पैदा नहीं होता परन्तु इसीलिये यदि कोई मूर्ख किसान यह कहे कि जितना अनाज पैदा होता है उतनी ही मिट्टी रफ़्तो चाक्री फेंकदो तो वह पागल विफल प्रयत्न करेगा । अगर हम चाहते हैं कि दस लाख सस्ये जैनी हों तो हमें जैन समाज में १०-१२ करोड़ भले बुरे जैनी तैयार रखना पड़ेंगे । उनमें से १० लाख सस्ये जैनी तैयार हो सकेंगे । जैनधर्म तो सिद्धालय भेजने पर भी संख्या की दृष्टि नहीं सहता और हम कुगति और कुधर्म में भेज करके भी संख्यादृष्टि का विचार न करें तो कितनी मूर्खता होगी ।

### उत्तीसवाँ प्रश्न

जैन समाज में अविवाहितों की काफी संख्या है । इसका कारण यलाहंधव्य की कुप्रथा है । जैन समाज में कुमारियों की संख्या १-लाख ८५ हजार ५१४ है जब कि कुमारों की संख्या ३ लाख ६ हजार २६५ है । इनमें से ६३२४६ कुमार तो ऐसे हैं जिनकी उमर बीस वर्ष से ज्यादा है । इस उमर के इने गिने कुमारों को छोड़ कर बाकी कुमार अविवाहित रहने वाले ही हैं । एक तो कुमारियों की संख्या यों ही कम है परन्तु तीन चार वर्ष तक के लड़कों के लिये विवाहयोग्य लड़कियाँ आगे पैदा होंगी इन आशा से कुमारियों की संख्या सन्तोषप्रद मानली जाय तो ६१३७१ विधुर मौजूद हैं । ये भी अपना विवाह कुमारियों से ही करते हैं । फल इसका यह होता है कि ६३२४६ पुरुष बीस वर्ष की उमर के बाद भी कुमार रहते हैं । यदि ये ६१३७१ विधुर-विधवाओं से शादी करें तो २० वर्ष से

अधिक उमर के कुमारों की संख्या ६३ हजार से अधिक के स्थान में दो हजार से भी कम रह जाय। जब तक विधवाविवाह की सुप्रथा का प्रचार न होगा तब तक यह विषमता दूर नहीं हो सकती।

अन्तर्जातीय विवाह से भी कुछ सुभीता हो सकता है क्योंकि करीब ४२०० कुमारियाँ ऐसी हैं जिनकी उमर २० वर्ष से ज्यादा होगई है परन्तु उनका विवाह नहीं हुआ। छोटी जातियों में योग्य घर न मिलने से यह परिस्थिति पैदा हो गई है। बड़ी जातियों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अन्तर्जातीय विवाह का प्रचार करने के साथ विधवा-विवाह के प्रचार की भी ज़रूरत है क्योंकि विधवाविवाह के बिना अविवाहितों की समस्या हल नहीं हो सकती।

श्रीलालजी यह स्वीकार करते हैं कि 'लड़का लड़की समान होते हैं परन्तु लोग अविवाहित इसलिये रहते हैं कि वे गरीब हैं'। इस भले आदमी को यह नहीं सूझता कि जब लड़का लड़की समान हैं तो गरीबों को मिलने वाली लड़कियाँ कहाँ चली जाती हैं? भले आदमी के लड़के भी तो एक छी रखते हैं। हाँ, इसका कारण यह स्पष्ट है कि विधुर लोग कुमारियों को हज़म कर जाते हैं। ऐसे अविवाहित कुमारों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनके पास पच्चीस पचास हजार रुपये की जायदाद भले ही न हो या जो हजार दो हजार रुपये देकर कन्या खरीदने की हिम्मत न रखते हों। फिर भी जो चार आदमियों की गुज़र लायक पैदा कर लेते हैं। लड़कियों को लखपति लेजाँय या करोड़पति ले जाँय परन्तु यह स्पष्ट है कि विवाहयोग्य उमर के ६३ हजार कुमारों को लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं। जब इनके लिये लड़कियाँ हैं ही नहीं तब ये लखपति भले ही बन जाँय परन्तु इन्हें अविवाहित रहना

हो पड़ेगा । अगर इनमें से कोई विवाहित हो जायगा तो इसके बदले में किसी दूसरे को अविवाहित रहना पड़ेगा । धन से लड़कियाँ मिल सकती हैं परन्तु धन से लड़कियाँ बन तो नहीं सकती । इसलिये जब तक विधवाविवाह की सुप्रथा का प्रचार नहीं होता तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती ।

आक्षेप ( क )—अविवाहित रहने का कारण तो हमने कर्मोदय समझ रक्खा है । यह ( यलाहैधव्य ) नया कारण तो आपने खूब ही निकाला । ( विद्यानन्द )

समाधान—कर्मोदय तो अन्तर्ज्ञ कारण है और यह तो ऐसे हर एक कार्य का निमित्त है । परन्तु यहाँ तो बाह्य-कारणों पर विचार करना है । विधवाविवाह का प्रचार भी अपने अपने कर्मोदय के कारण है फिर आप लोग क्यों उसके विरोध में हाँ हल्ला मचाते हैं ? चोरी करना, लूट करना, यलाहैकार करना आदि अनेक अन्याय और अत्याचारों का निमित्त कर्मोदय है फिर शासनव्यवस्था की क्या आवश्यकता ? कर्मोदय से बीमारी हुआ करती है फिर चिकित्सा और सेवा की कुछ जरूरत है कि नहीं ? कर्मोदय से लक्ष्मी मिलती है फिर व्यापारदि की आवश्यकता है कि नहीं ? मनुष्यभय दैत्य की गुलामी के लिये नहीं है प्रयत्न के लिये है । इमन्हिये भले ही कर्म अपनी शक्ति आजमाये परन्तु हमें तो अपने प्रयत्न से काम लेना चाहिये ।

'विधवाविवाह कर लेने पर भी कोई विवाहित न कह-  
लायगा क्योंकि विधवाविवाह में विवाह का लक्षण नहीं जाता'  
इसका उत्तर हम दे चुके हैं, और विधवाविवाह को विवाह  
मिन्न कर चुके हैं ।

## बीसवाँ प्रश्न

यहाँ यह पूछा गया है कि ये विधवाएँ न हों तो संख्यावृद्धि होती या नहीं। बहुत जातियों में विधवाविवाह होता है और सन्तान भी पैदा होती है इसलिये संख्यावृद्धि की बात तो निश्चिन है। जहाँ विधवाविवाह नहीं होता वहाँ भ्रूणहत्या आदि से तथा दम्भा विनैक्या आदि कहलाने वाली सन्तान पैदा होने से विधवाओं के जननीत्व का पता लगता है। विद्यानन्द जी का यह कहना निरर्थक प्रताप है कि अगर ये बन्ध्या होती तो ? बन्ध्या हों तो सन्तान न बढ़ती सिर्फ ब्रह्मचर्याणुवन का पालन होता। परन्तु जैनसमाज की सब विधवाएँ बन्ध्या हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है बल्कि उनके अग्रबन्ध्यापन के बहुत से प्रमाण हैं। श्रीलाल का यह कौरा भ्रम है कि विधवाविवाह वाली जातियों की संख्या घट रही है। कोई भी आदमी—जिसके अँखें हैं—विधवाविवाह और सन्तानवृद्धि की कार्यकारणव्यति का विरोध नहीं कर सकता। रोग से, भूखों मर कर या अन्य किसी कारण से कहीं की मृत्युसंख्या अगर बढ़ जाय तो इस में विधवाविवाह का कोई अपराध नहीं है। उससे तो यथासाध्य संख्या की पूर्ति हो जायेगी। परन्तु यत्नाद्बैधव्य से तो संख्या हानि हो जायेगी।

विधवाविवाह से व्यभिचारनियुक्ति नहीं होती, इसका खण्डन हम पहिले करे या न कर चुके हैं। सुदृष्टि की चर्चा के लिये अलग प्रश्न है। वहाँ विचार किया जायगा।

आक्षेप (क)—माता यदि आदि से भोग करने में भी सन्तान हो सकती है। ( श्रीलाल )

समाधान—जिस दिन माताओं और बहनों का पुत्र

भाई को छोड़ कर दुनियाँ में और कोई पुरुष न मिलेगा : पुरुषों को माँ बहिन छोड़कर और कोई स्त्री न मिलेगी, बहिन में और माँ बेटे में गुप्त व्यभिचार की मात्रा बढ़ गयी, भ्रूणहत्याएँ होने लगेंगी, उनकी कामवासना का सीमित न हो के लिये और कोई स्थान न रहेगा, उस दिन माँ बेटे और इन भाई के विवाह की समस्या पर विचार किया जा सकता । आक्षेपक विधवाविवाह से बढ़ने वाली संख्या के ऊपर बहिन के साथ शादी करने की बात कह कर जिस धार लज्जता का परिचय दे रहा है, क्या यह परिचय विधुरविवाह विषय में नहीं दिया जा सकता ? सन्तान के बढ़ाने से अपना विवाह करने वाले विधुर, अपनी माँ बहिन से शादियाँ क्यों नहीं करते ? जो उत्तर विधुरविवाह के लिये है वही उत्तर विधवाविवाह के लिये है ।

इस प्रश्न में यह आक्षेपक अन्य प्रश्नों से अधिक लड़-खड़ागा है, इसलिये कुछ भी न लिखकर यह असभ्य कथन तथा लेंडरा आदि शब्दों का प्रयोग किया है ।

आक्षेप—(ख) शिवाग्रद्वे प्रश्न में आपने कहा था कि प्रतिघर्ष जैतियों की संख्या ७ हजार घट रही है । अब कहते हैं कि घट रही है । ऐसे हरजार्ड ( रिपोर्ट ) का हम विचार नहीं करते । (विद्यानन्द)

समाधान—आपके विश्वास न करने से रिपोर्ट की उपयोगिता नष्ट नहीं होती, न वस्तुस्थिति बदल जाती है । पशु के शीशु मीचने से शिकारी का अस्तित्व नहीं भिन्न होता । जैतियों की जनसंख्या प्रतिघर्ष साल हजार घट रही है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि जैतियों के किसी घर में जनसंख्या बढ़ती नहीं है । ऐसे भी घर हैं जिनमें दू से दूस् आदमी हो गये होंगे परन्तु वे घर कई गुणे हैं जिनमें दू से



दो आदमी ही रह गये हैं। कहीं वृद्धि और कहीं हानि तो होती ही है परन्तु औसत सात हजार हानि का है। किसी किसी जातिमें संख्या घटने से जैन समाज की संख्याहानि का निपेध नहीं किया जा सकता। जिन जातियों में विधवाविवाह का रिवाज है उनमें संख्या नहीं घटती है, या घटनी है। साथ ही जिन जातियों में विधवाविवाह का रिवाज नहीं है उनमें इतनी संख्या घटती है, कि विधवाविवाह वाली जातियों की संख्या-वृद्धि उस घटी को पूरा नहीं कर पाती।

आक्षेप ( ग )—हमारी दृष्टि में तो विधवाविवाह से घटने वाली संख्या निर्जीव है। ( विद्यानन्द )

समाधान—इसका उत्तर तो यूरोप अमेरिका आदि देशों के नागरिकों की अवस्था से मिल जाता है। प्राचीनकाल के व्यभिचारज्ञान सुदृष्टि आदि महापुरुष भी ऐसे आक्षेपकों का मुँह तोड़ उत्तर देते रहे हैं। विशेष के लिये देखो ( १८७ )

आक्षेप ( घ )—विधुरत्व के दूर करने का उपाय शास्त्रा में है। साध्य के लिये औपध विधान है असाध्य के लिए नहीं। एक ही कार्य कहीं कर्तव्य और सफल होता है, कहीं अकर्तव्य और निष्फल।

समाधान—विधुरत्व और वैधव्यके लिये एक ही विधान है, इस विषय में इस लेख में अनेकवार लिखा जा चुका है। असाध्य के लिये औपध का विधान नहीं है परन्तु असाध्य उसे कहते हैं जो विक्रिया करने पर भी दूर न हो सके। वैधव्य तो विधुरत्व के समान पुनर्विवाह से दूर हो सकता है, इसलिये वह असाध्य नहीं कहा जा सकता। एक ही कार्य कहीं कर्तव्य और कहीं अकर्तव्य हो जाता है इसलिये कुमार कुमारियों के लिये विवाह कर्तव्य और विधुर विधवाओं के लिये अकर्तव्य होना चाहिये। पुनर्विवाह यदि विधुरों के लिये अकर्तव्य नहीं है

तो विधवाओं के लिये भी अर्कतव्य नहीं कहा जा सकता ।

आक्षेप ( ड )—मोक्ष जाने वाले ६०८ जीवों की संख्या में कमी न आजाय इसलिये हम विधवाविवाह का विरोध करते हैं । ( विद्यानन्द )

समाधान—जैनधर्मानुसार छः महीने अठ समय में ६०८ जीव मोक्ष जाने का नियम अटल है । उसकी रक्षा के लिये आक्षेपक का प्रयत्न हास्यास्पद है । फिर आक्षेपक जहाँ ( भरत-क्षेत्र में ) प्रयत्न करना है वहाँ तो मोक्षका द्वार अभी बन्द ही है । तीसरी बात यह है कि विधवाविवाह से मोक्ष का मार्ग बन्द नहीं होता । शास्त्रों की आज्ञाएँ जो पहिले लिखी जा चुकी हैं और मुहूर्ति का जीवन इस बात के प्रयत्न प्रमाण हैं ।

आक्षेप ( च )—सव्यसाची, तुम औरतों की भाँति विलख विलख कर क्यों रो रहे हो ? तुम्हें औरत कौन कहता है ? तुम अपने आप औरत बनना चाहो ता १। अबल के बतारों भेज दो । यहाँ से एक तावीज़ भेज दिया जायगा । तुम तो न औरत हो न मर्द । सव्यसाची ( अर्जुन ) नपुंसक हो । ( विद्यानन्द )

समाधान—आक्षेपकों को जहाँ अपनी अज्ञानता का माप्राधिक परिचय हो गया है वहाँ उनसे इसी प्रकार गालियाँ दी हैं । ये गालियाँ हमने उनके भंडपन की पोल खोलने के लिये नहीं लिखी हैं परन्तु इनके टुकड़ों को दिखाने के लिये लिखी हैं । आक्षेपक १। पैसे के बतारों में मुझे खी बना देने का या दुनिया में प्रसिद्ध कर देने का तैयार हैं । जो लोग १। पैसे में मर्द को खी बनाने के लिये तैयार हैं वे भरपेट रोटियाँ मिलने पर धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म कहने के लिये तैयार हो जायें तो इसमें क्या आश्चर्य है ! जो लोग इन पंडितों को टुकड़ों का मुलाम कहते हैं वे लोग कुछ नरम शब्दों का

ही प्रयोग करते हैं। आक्षेपक ने तावीज़ बाँधने की बात कहकर अपने गुप्त जीवन का परिचय दिया है। तावीज़ बाँधने वाले यगुलाभक्त ठगों से पाठक अपरिचित न होंगे। रही नपुंसकता की बात सो यदि कौरवदल का पाप का फल चखाने वाला और उसी भय से मोक्ष जाने वाला अर्जुन नपुंसक है तो ऐसी नपुंसकता गौरव की वस्तु है। उस पर अनन्तपोंगापंधियों का पुरुषस्य न्यायावर किया जा सकता है।

हमने एक जगह लिखा है कि "हमने विधवाविवाह का विरोध करके स्त्रियों के मनुष्यांचिन अधिकारों को हड़पा इमलिये आज हमें दुनियाँ के सामने औरत बनके रहना पड़ता है। कभी २ एक आदमी के द्वारा 'हम' शब्द का प्रयोग समाज के लिये किया जाता है। यहाँ 'हम' शब्द का अर्थ 'जैनसमाज' स्पष्ट है। परन्तु जब कुछ न बना तो आक्षेपक ने इसी पर गालियाँ देना शुरू कर दीं।

इस तरह के वाक्य तो हम भी आक्षेपक के वक्तव्य में से उद्धृत कर सकते हैं। १८वें प्रश्न में आक्षेपक ने एक जगह लिखा है कि "हम विधवाओं के लिये तड़प रहे हैं, उन्हें अपनी बनाने के लिये छुटपटा रहे हैं।" अब इस आक्षेपक से कोई पूछे कि 'जनाब ! आप ऐसी बदमाशी क्यों कर रहे हैं।'

आक्षेप ( छ )—यदि जैनधर्म का सम्यन्ध रक्त मांस से नहीं है तो उसके भक्षण करने में क्या हानि ? ( विद्यानन्द )

समाधान—हानि तो मलमूत्र मधुमद्य आदि के भक्षण करने में भी है तो क्या जैनधर्म के लिये इन सब चीज़ों के उपयोग की भी आवश्यकता होगी ? जिसके भक्षण करने में भी हानि है उसको जैनधर्म का आधार स्तम्भ कहना गृह्य का पाण्डित्य है। यहाँ तो आक्षेपक के ऊपर ही एक प्रश्न

खड़ा होता है कि जब आप रक्त मांस में शुद्धि समझते हैं तो उसके भक्षण करने में क्या दोष ?

आक्षेप ( ज )—द्रव्यवेद ( स्त्री ) पाँचवें तक क्यों ? भाव-वेद नवमें तक क्यों ? क्या यह सब विचार रक्त मांस का नहीं है । ( विद्यानन्द )

समाधान—वेद को रक्तमांस समझना भी अद्भुत पारिडत्य है । खैर, यह प्रश्न भी आक्षेपक के ऊपर पड़ता है कि एक ही माता पिता से पैदा होने वाले भाई बहिन की रक्त-शुद्धि तो समान है फिर स्त्री पाँचवें गुणस्थान तक ही क्यों ? यदि स्त्रियों में रक्त मांस की शुद्धि का अभाव माना जाय तो क्या उनके सहोदर भाइयों से उनकी कुल जाति जुदी मानी जायगी ? और क्या सभी स्त्रियाँ जारज मानी जायँगी ?

आक्षेप ( झ )—विना वज्र वृषभनाराच संहनन के मुक्ति प्राप्त नहीं होती । कहिये शरीर शुद्धि में धर्म है या नहीं ?

समाधान—संहनन को भी रक्त मांस शुद्धि समझना विचित्र पारिडत्य है । क्या व्यभिचारजातों के वज्र वृषभनाराच संहनन नहीं होता ? क्या मच्छों के वज्र वृषभनाराच संहनन नहीं होता ? यदि होना है तो इन जीवों का शरीर ब्राह्मी सुन्दरी सीता आदि देवियों और पञ्चमकाल के श्रुतकेवली तथा अनेक आचार्यों के शरीर से भी शुद्ध कहलाया क्योंकि इनके वज्रवृषभनाराच संहनन नहीं था । कहीं रक्त शुद्धि का अर्थ कुलशुद्धि जातिशुद्धि करना, कहीं संहनन करना वित्तिमत्ता नहीं तो क्या ?

आक्षेप ( ञ )—सुभग आदि प्रकृतियों के उदय से पुण्यात्मा जीवों के संहनन संस्थान आदि इतने प्रिय होते हैं कि उन्हें छाती से चिपटाने की लालसा होती है ।

( विद्यानन्द )

समाधान—इसीलिये तो शरीर के साथ जैनधर्म का कुछ सम्बन्ध नहीं है। शरीर के अच्छे होने से उसे छाती से चिपटाने की लालसा होती है परन्तु किसी को छाती से चिपटाने से मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष दूर भागता है। धर्म और मोक्ष के लिये तो यह विचार करना पड़ता है कि “पल रुधिर राधमन्त थैली, कीकस यसादि तें मैली। नवठार वहं धिनकागी, अस देह करे किम यारी ॥”

आक्षेप ( ८ )—जहाँ रक्त मांस की शुद्धि नहीं है, वहाँ धर्मसाधन भी नहीं है, यथा स्वर्ग आदि। ( विद्यानन्द )

समाधान—देवों के शरीर में रक्तमांस की शुद्धि नहीं है परन्तु अशुद्धि भी ना नहीं है। यदि शरीर का धर्मसे सम्बन्ध होता तो देवों को मोक्ष बहुत जल्दी मिलता। समन्तभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा में तीर्थंकर भगवान को लक्ष्य करके कहा है कि “भगवन् ! शारीरिक महत्त्व तो आपके समान देवों में भी है इसलिये आप महान \* नहीं हैं”। इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। पहिली तो यह है कि परमात्मा यमने के लिये या परमात्मा कहलाने के लिये शरीर शुद्धि की बात कहना मूर्खता है। दूसरी यह कि देवों का शरीर भी शुद्ध होता है फिर भी वे धर्म नहीं कर पाते। अगर ‘रक्तमांस की शुद्धि’ शब्द को ही पकड़ा जाय तो भोगभूमिजों के यह शुद्धि होती है, फिर भी वे धर्म नहीं कर पाते हैं। पशुओं के यह शुद्धि नहीं होती किन्तु फिर भी वे इन सबसे अधिक धर्म पंचमगुणस्थान और शुक्ल लेश्या धारण कर लेते हैं। शरीरशुद्धिधारी भोगभूमिज तो सिर्फ चौथा गुणस्थान और पीत लेश्या तक ही धारण कर पाते हैं।

\* अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादिमहोदयः । दिव्यः सत्यो दिवोकस्त्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ।

स्लेच्छ और सुदृष्टि के मोक्षगमन तथा पूज्यपाद और रविपेण आदि आचार्यों के प्रमाणों से व्यभिचारजात आदि भी मोक्ष जा सकते हैं यह बात लिखी जा चुकी है ।

## इक्कीसवाँ प्रश्न ।

अल्पसंख्या होने से मुनियों को आहार में कठिनाई होनी है । यद्यपि आजकल मुनि नहीं हैं, फिर भी अगर मुनि हों तो वे सब जगह विहार नहीं कर सकते क्योंकि अनेक प्रांतों में जैनी हैं ही नहीं और जहाँ हैं भी वहाँ प्रायः नगरों में ही हैं । मुनियों में अगर इतनी शक्ति हो कि वे जहाँ चाहे जाकर नये जैनी बनायें और समाज के ऊपर प्रभाव डालकर उन नये जैनियों को समाज का अङ्ग स्वीकार करावें तो यह समस्या हल हो सकती है । परन्तु हर जगह तुरन्त ही नये जैनी बनाना और उद्दिष्टत्यागपूर्वक उनसे आहार लेना मुश्किल है, इसलिये जैन समाज को बहुसंख्यक होने की आवश्यकता है । विधवाविवाह संख्यावृद्धि में कारण है, इसलिये विधवाविवाह मुनिधर्म के अस्तित्व के लिये भी अन्यतम साधन है ।

आक्षेप ( क )—जय मार्ग में जैन जनता नहीं तब जो भक्त गृहस्थ अपना काम धन्धा छोड़कर मुनिसेवामें लगे उन के समान दूसरा पुण्य नहीं । मुनियों को हाथ से गंदी घनाकर खाने की सलाह देना धृष्टता है ।

समाधान—मुनियों को ऐसी सलाह देना धृष्टता होगी परन्तु ढोंगियों को ऐसी सलाह देना परम पुण्य है । जैनशास्त्रों के अनुसार उद्दिष्टत्याग के बिना कोई मुनि नहीं हो सकता और उद्दिष्टत्याग इसलिये कराया जाता है कि वे आरम्भजन्य हिंसा के पाप से बचें । निमन्त्रण करने में विशेषारम्भ करना पड़ना है । उद्दिष्टत्याग में सामान्य आरम्भ ही रहता है

सामान्य आरम्भ के अतिरिक्त जितना आरम्भ होता था उससे बचने के लिये उद्दिष्टत्याग का विधान है। इस ज़रासे आरम्भ के बचाने के लिये अगर भावकों को घर बंदोर कर मुनियों के पीछे चलना पड़े और नये नये स्थानों में नये तरह से नया आरम्भ करना पड़े तो यह कीड़ी की रक्षा के नाम पर हाथी की हत्या करना है। दर्जनों कुटुम्बी परदेश में जाकर मुनियों के लिये इतना ज़्यादा आरम्भ करें तो इस कार्य को कोई महा-मह मिथ्यादृष्टि ही पुण्य समझ सकता है। इसकी अपेक्षा तो मुनि कहलाने वाला व्यक्ति हाथ से पकाके खाले तो ही अच्छा है।

आक्षेप ( ख )—अछूतों के हाथ लगने से जल अपेय हो यह अन्धेर नहीं है। ..... उपदेश शक्यानुष्ठान का ही होता है। गेहूँ खाद्य है और खाल अखाद्य। ..... जिनके हृदय में भली चमार ब्राह्मण सब एक हों उस मुण की दृष्टि में सब सन्धेर ही रहेगा। ( श्रीलाल )

समाधान—पण्डितदल की मूढ़तापूर्ण मिथ्यात्ववर्धक मान्यता के अनुसार शूद्र के स्पर्श से जलाशय का जल भी अपेय होजाता है। इसपर हमने कहा था कि जलाशयों में तो खरों शूद्रों से भी नीच जलचर रहते हैं। इसपर आक्षेपक का कहना है कि वह अशक्यानुष्ठान है। खैर ! जलाशयों को जलचरों के स्पर्श से बचाना अशक्यानुष्ठान सही परन्तु स्थलचर पशुओं के स्पर्श से बचाना तो शक्य है। फिर स्थलचर पशुओं के स्पर्श से जलाशयों का जल अपेय क्यों नहीं मानते ? पशुओं के स्पर्श से अपेय न मानना और मनुष्यों के स्पर्श से अपेय मानना घोर धृष्टता नहीं तो क्या है ? इसका स्पष्ट कारण तो यही है कि जिनके आगे तुम जातिमद का नङ्गा नाच कराना चाहते हो उन्हीं के विषय में अस्पृश्यता की बात निकालते हो।

खात का स्पर्श रस गन्ध वर्ण सभी घृणित हैं। उसमें घृमि आदि भी रहते हैं इसलिये वह अस्वाद्य है। गेहूँ में ये घृणाइयाँ नहीं हैं इसलिये स्वाद्य है। क्या आक्षेपक बतलायगा कि जीवित प्राणियों को निगल जाने वाले मगर मच्छों में तथा अन्य अशुचिभोजी पशुओं में ऐसी कौनसी विशेषता है जिससे ये शूद्रों से भी अच्छे समझे जाते हैं।

हमारे सामने तो ब्राह्मण और शूद्र दोनों बराबर हैं। जो सदाचारी है वही उच्च है। तुम सरीखे सदाचारशुश्रूओं और धर्मधंसियों में ही सदाचार का कुछ मूल्य नहीं है। तुम लोग शैतान के पुजारी हो इसलिये दुराचारी को इतना घृणित नहीं समझते जितना शूद्र को। हम लोग भगवान महावीर के उपासक हैं इसलिये हमारी दृष्टि में शूद्र भी भाई के समान है। सिर्फ दुराचारी निन्द्य है।

आक्षेप ( ग )—जब तक शरीर में जीव है तब तक यह हाड़ मांस नहीं गिना जाता। ( भीनाल )

समाधान—तब तो शूद्र का शरीर भी हाड़ मांस न गिना जायगा। फिर उसके हाथ के जल से और उससे छुप छुप जलाशय के जल तक से इतनी घृणा क्यों ?

विद्यानन्द ने हमारे लोख में भाषा की गृहितयाँ निकालने की अन्वयकल चेष्टा की है। हिन्दी में विनक्ति बिन्दु कहाँ लगाना चाहिये, कहाँ नहीं, इसके समझने के लिये आक्षेपक को कुछ अध्ययन करना पड़ेगा। 'जाने नहीं मिलता'—यहाँ 'को' लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 'को' लगाना ऐसा अनिवार्य हो तो 'मैं जाने भी न पाया कि उसने पकड़ लिया' इस वाक्य में 'जाने' के साथ 'को' लगाना चाहिये और 'जाने क भी न पाया' लिखना चाहिये। 'ज्यादा' 'ज्यादाह' 'ज्यादाह्' 'ज्याद्' इनमें से कौनसा प्रयोग ठीक है इस की मीमांसा



का यह स्थल नहीं है। ऐसी अप्रस्तुत बातों को उठाकर आक्षेपक, अर्थान्तर नामक निग्रहस्थान में गिर गया है।

आक्षेप (घ)—नोटिसबाज़ी करते करते किसका दम निकला जाता है। गर्मी की बीमारी मुम्बई में हो सकती है। यहाँ तो नवाबी ठाठ है। (विद्यानन्द)

समाधान—नोटिसबाज़ी का गर्मी की बीमारी से क्या सम्बन्ध? और गर्मी की बीमारी के अभाव का नवाबीठाठ से क्या सम्बन्ध? ये बीमारियाँ तो नवाबी ठाठ वालों को ही हुआ करती हैं। हाँ, इस वक्तव्य से यह बात ज़रूर सिद्ध हो जाती है कि आक्षेपक, समाजसेवा की श्रोत में नवाबी ठाठ से खूब मौज उड़ा रहा है। सो जब तक समाज अन्धी और मूढ़ है तब तक कोई भी उसके माल से मौज उड़ा सकता है।

आक्षेप (ङ)—दुनियाँ दूसरों के दोष देखती है परन्तु दिल खोजा जाय तो अपने से युग कोई नहीं है।

(विद्यानन्द)

समाधान—क्या इस बात का ज़्यादा आक्षेपक ने सुधारकों को सोसते समय भी किया है? मुनिवेणियों के विरुद्ध जो हमने लिखा है वह इसलिये नहीं कि हमें कुछ उन गरीब दीन जन्तुओं से द्वेष है। वे बेचारे तो भूख और मान कषाय के सताये हुए अपना पेट पाल रहे हैं और कषाय की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे निरुपजीव दुनियाँ में अगणित हैं। हमारा तो उन सब से माध्यस्थ्य भाव है। यहाँ जो इन दोगियों की समा-लोचना की है वह सिर्फ़ इसलिये कि इन दोगियों के पोछे सच्चा मुनिधर्म बढ़नाम न हो जाय। अनाद्यविद्या की बीमारी से लोग यों ही मर रहे हैं। इस अपर्यय सेवन से उनकी बीमारी और न बढ़ जाय।

आक्षेप ( च )—मुनियों के साथ श्रावक समूह का चलना नाजायज़ मजमा नहीं है ।

समाधान—फेवली को छोड़कर और किसी के साथ श्रावकसमूह नहीं चलता । हाँ, जब भट्टारकों की सृष्टि हुई और उनमें से जब पिछले भट्टारकों ने धर्मसेवा के स्थान में समाज से पूजा कराना और नयावी ठाठ से रहना ही जीवन का ध्येय बनाया तब अवश्य ही उनमें ऐसी आज्ञाएँ गढ़ डालीं जिससे उन्हें नयावी ठाठ से रहने में सुभीता हो । प्राचीन लोगों के महत्व बढ़ाने के बहाने उनमें अपने स्वार्थ की पुष्टि की । पीछे भाले मनुष्यों ने उसे अपना लिया ।

आक्षेप ( छ )—रोटी तो आठवाँ प्रतिमा धारी भी नहीं बनाता । फिर मुनियों से ऐसी बात कहना तो असभ्य जोशकी चरम सीमा है । ( विद्यानन्द )

समाधान—जिन असभ्य ढोंगियों के लिये रोटी बनाने की बात कही गई है वे मुनि, आठवाँ प्रतिमाधारी या पहिली प्रतिमाधारी तो दूर, जैनी भी नहीं हैं, निकृष्ट मिथ्यादृष्टि हैं । दूसरी बात यह है कि आरम्भ त्याग में आरम्भत्याग तो होना चाहिये । परन्तु ये लोग पेटपूजा के लिये जैसा धार आरम्भ कराते हैं उसे देखकर एक उद्दिष्टत्यागी तो क्या आरम्भत्यागी भी शरमिन्दा हो जायगा । विशेष के लिये देखो २१-क । अद्भुत के विषय में २१-ख में विचार किया गया है ।

आक्षेप ( ज )—मुनियों के लिये अगर केवल अप्राप्तुक्त भोजन का ही विचार किया जाता तो मूलाधार आदि में १६ उद्गम दोष और ४६ अन्तराय टालने का विधान क्यों है ? ( विद्यानन्द )

समाधान—दोष और अन्तराय के भेद प्रभेद जो मूलाधार आदि में गिनाये गये हैं वे तीन बातों को लक्ष्य करके ।

१ भोजन अप्रासुक तो नहीं है, २ मुनि को कोई कषाय भोगा-कांक्षा आदि तो उत्पन्न नहीं होती है, ३ दाता में दाता के योग्य गुण हैं कि नहीं। भोजन के विषय में तो प्रासुकता के सिवाय और कोई विशेषण डालने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध जल से प्रासुकता का भङ्ग होजाना है या कोई और दोष उपस्थित हो जाता है, इस ध्यान का विधान भी मूलाधार में नहीं है। भोज्य के विषय में जितने दोष लिखे गये हैं वे सिर्फ इसीलिये कि किसी तरह से वह अप्रासुक तो नहीं है। जानिमद का नङ्गा नाच दिखाने के लिये जल के विषय में अविचारशून्य शर्तें तो इन मदान्ध ढोंगियों की ही हैं। जैनधर्म का इनके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है।

## वाईसवाँ प्रश्न ।

इस प्रश्नका सम्बन्ध भी बालविवाह से है। इस विषयमें पहिले बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस विषयमें शास्त्रेषकों का लिखना बिलकुल हाम्यारूपद है। अस्तु

आक्षेप (क)—विवाह करके जो ब्रह्मचर्य पालन करे वह अवश्य पुण्य का हेतु है। ( श्रीलाल )

समाधान—क्या विवाह के पहिले ब्रह्मचर्य पाप का हेतु है? ब्रह्मचर्य का किसी समय पाप कहना कामकीटना का परिचय देना है।

आक्षेप (ख)—जिनेन्द्र की आज्ञाका भङ्ग करना पाप है। चारदशवर्ष में विवाह करने की जिनेन्द्राज्ञा है। ( श्रीलाल )

समाधान—जिनेन्द्र, विवाह के लिये कम से कम उमर का विधान कर सकने हैं, परन्तु ज्यादा से ज्यादा उमर का नहीं। १२ वर्ष का विधान जिनेन्द्र की आज्ञा नहीं है। कुछ लेखकों ने समय देखकर ऐसे नियम बनाये हैं, और ये कम से

का उमर के विधान हैं। अन्यथा १६ वर्ष से अधिक उमर के कुमार का विवाह भी पाप होना चाहिये। ऐसी तुच्छ और ब्रह्मचर्यविरुद्ध आशाओं को जिनेन्द्र की आज्ञा बतलाना जिनेन्द्र का अयर्णवाद करना है।

आक्षेप ( ग )—जो ब्रह्मचर्य भी न ले और संस्कार भी समय पर न करे वह अवश्य पापी है। ब्राह्मी आदिनें तो जीवन भर विवाह नहीं किया इसलिये उन का ब्रह्मचर्य पाप नहीं है।  
( श्रीलाल )

समाधान—संस्कार, व्रतादि की योग्यता प्राप्त कराने के लिये है। जब मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता तब आंशिक ब्रह्मचर्य के पालन कराने के लिये विवाहकी आवश्यकता होती है। विवाह 'संस्कार पूर्णब्रह्मचर्य की योग्यता प्राप्त नहीं कराता इसलिये जबतक कोई पूर्णब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है तबतक उसे विवाह संस्कार की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में ऐसी सैकड़ों कुमारियों के उल्लेख हैं जिनें बड़ी उमर में, युवती हो जाने पर विवाह किया है।

विशाल्या—विवाह के समय 'शातोदरी दिग्गजकुम्भशो-भिस्तनद्वयानूतनयौवनस्या' अर्थात् गजकुम्भके समान स्तनवाली थी। पद्मपुराण ६५—७४।

जयचन्द्रा—सूर्यपुरके राजा शकधनुकी पुत्री जयचन्द्रा को अपने रूप और गुणों का पड़ा घमण्ड था। इसलिये पिता के कहने पर भी उस ने किसी के साथ शादी न कराई। अन्त में वह हरिषेण के ऊपर रीझी और अपनी सखीके द्वारा संतति समय हरिषेण का हरण करा लिया। फिर हरिषेण से विवाह कराया। वैवाहिक ध्यातंड्य और उमर के बन्धन को न मानने का यह अच्छा उदाहरण है। पद्मपुराण ८ पर्यं।

पद्मा—गाना, यज्ञाना सीख रही थी। श्रीकण्ठको देखा तो मोहित होगई और माना पितादि की चोरी से श्रीकण्ठ के साथ चला दी। पिता ने श्रीकण्ठका पीछा किया किन्तु लड़ाई के अवसर पर पद्मा ने कहला दिया कि मैं अपनी इच्छा से आई हूँ, मैं इन्हीं के साथ विवाह करूँगी। अन्तमें पिता चला गया और इसने श्रीकण्ठमें विवाह कर लिया। ६५वें पद्मपुराण।

अञ्जना—विवाह के समय 'कुम्भिकुम्भनिभस्तनी' गज कुम्भके समान स्तन वाली अर्थात् पूर्ण युवती थी। पद्मपुराण १५—१७।

केकया—गाना नाचना आदि अनेक कलाओं में प्रवीण, दशरथ को युद्ध में सहायता देनेवाली केकया का धर्षण जैसा पद्मपुराण २४ वें पर्व में विस्तार से मिलता है वह १२ वर्ष की लड़की के लिए असम्भव है।

आठकुमारियाँ—चन्द्रवर्धनविद्याधरकी आठ लड़कियाँ। सीता स्वयम्बर के समय इनने लक्ष्मण को 'मन ही मन घर लिया था परन्तु विवाह उस समय न हो पाया। जब लक्ष्मण रावण से युद्ध कर रहे थे उस समय भी ये लक्ष्मण को देखने पहुँचीं। युद्ध के बाद विवाह हुआ। ये एक ही माता से पैदा हुई थी इसलिये अगर छोटी की उमर १२ वर्ष की हो तो बड़ी की उमर १६ की ज़रूर होगी। फिर सीता स्वयम्बर के समय जिनने मन ही मन लक्ष्मण का धरण किया उनका उस समय विवाह न हुआ, कई वर्ष बाद लंकाविजय के बाद विवाह हुआ, उस समय तक उनकी उमर और भी ज़्यादा बढ़ गई।

आठ गन्धर्व कन्याएँ—एक ही माता से पैदा हुई इसलिये इनकी उमर में अन्तर था। परन्तु ये एक साथ रामचन्द्र

से विवाही गई। विवाह के योग्य उमर हो जाने पर इच्छित वर के न मिलने से इन्हें घाट देखते रहना पड़ा।

**लङ्कामुन्दरी**—हनुमान के साथ इन्होंने घोर युद्ध किया। पद्मपुराण के ५३वें पर्व में इसका चरित्र पढ़ने से इसकी प्रौढ़ता का पता लगता है।

पुराणों में ऐसे सैकड़ों उल्लेख मिलते हैं जिनसे युवनी-विवाह का पूर्ण समर्थन होता है। कन्याएँ कोई प्रतिज्ञा कर लेतीं या किसी श्रास पुरुष को चुन लेतीं जिसके कारण उन्हें वरों याट देखनी पड़ती थी। ऐसी अवस्था में १२ वर्ष की उमर का नियम नहीं हो सकता। कन्याओं के जैसे वर्णन मिलते हैं उनसे भी उनके यौवन और परिपक्वबुद्धिता का परिचय मिलता है जो १२ वर्ष की उमर में असम्भव है।

इन उदाहरणों से यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि पुराने समय में कन्या का स्वतन्त्रता थी और उन्हें पति पसंद करने का अधिकार था। इस स्वतन्त्रता और पसन्दगी का विरोध करने वाले शास्त्रविरोधी और धर्मलोभी हैं।

**आक्षेप (घ)**—यदि ब्रह्मचर्य की इतनी हिमायत करना है तो विधवा के लिये ब्रह्मचर्य का ही विधान क्यों नहीं बनाया जाता?

**समाधान**—चाहे कुमारियाँ हों या विधवाएँ हों, हम दोनों के लिये बलाद् ब्रह्मचर्य और बलाद् विवाह बुरा समझते हैं। जो विधवाएँ ब्रह्मचर्य से रहना चाहें, रहें। जो विवाह करना चाहें, विवाह करें। कुमारियों के लिये भी हमारा यही कहना है। कुमारी और विधवा जब तक ब्रह्मचर्य से रहेंगी तब तक पुरुषबन्ध होगा।

**आक्षेप (ङ)**—जो लोग यह कहते हैं कि जितना ब्रह्मचर्य पल सके उतना ही अच्छा है वे ब्रह्मचर्य का अर्थ ही

नहीं समझते । ब्रह्मचर्य का अर्थ मजबूरी से मैथुन का अभाव नहीं है किन्तु आत्मा की ओर ऋजु होने को ब्रह्मचर्य कहते हैं । कोई कन्या मनमें किसी सुन्दर व्यक्ति का चिंतन कर रही है । क्या आप उसे ब्रह्मचारिणी समझते हैं ?

( विद्यानन्द )

समाधान—कितनी अच्छी बात है ! मालूम होता है छिपी हुई सुधारकता अभावधानी से छलक पड़ी है । यही बात तो सुधारक कहते हैं कि विधवाओं के मैथुनाभाव को वे ब्रह्मचर्य नहीं मानते क्योंकि यह विधवाओं को मजबूरी से करना पड़ता है और यह मजबूरी निरुपाय है । कमारियों के लिये यह बात नहीं है । उन्हें मजबूरी से ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना पड़ना । फिर उनके लिये विवाह का मार्ग खुला हुआ है । विवाहसामग्री रहने पर भी अगर कोई कुमारी विवाह नहीं करती तो उसका कारण ब्रह्मचर्य ही कहा जा सकता है । विधवाओं को अगर विवाह का पूर्ण अधिकार हो और फिर भी अगर वे विवाह न करें तो उनका वैधव्य ब्रह्मचर्य कहलायगा ।

आक्षेप ( च )—सबको एक घाट पानी पिलाना—एक उँडे से हाँकना नीतिविरुद्ध है ।

समाधान—एक घाट से पानी पिलाया जाता है और एक इण्डे से बहुत से पशु हाँके जाते हैं । जब एक घाट और एक इण्डे से काम चलता है तब उसका विरोध करना फिजूल है । कुमार कुमारी और विधुओं को जिन परिस्थितियों के कारण विवाह करना पड़ता है वे परिस्थितियाँ यदि विधवा के लिये भी मौजूद हैं तो वे भी विवाहघाट से पानी पी सकती हैं ।

## तेईसवाँ प्रश्न ।

इस प्रश्न का सम्बन्ध विज्ञातीय विवाह से अधिक है ।  
विज्ञातीय विवाह के विषय में इनना लिखा जा चुका है कि  
अब जो कुछ लिखा जाय वह सब विष्टेपण ही होगा ।

आक्षेप ( क )—सामदेव कहते हैं कि जातियाँ आदि  
हैं । ( श्रीलाल विद्यानन्द )

समाधान—जातियाँ दो तरह की हैं—कल्पित,  
अकल्पित । एकेंद्रिय आदि अकल्पित जातियाँ हैं । याको  
ब्राह्मण क्षत्रियादि कल्पित जातियाँ हैं । एकेंद्रिय आदि  
अकल्पित जातियाँ अनादि हैं । कल्पित जातियाँ अनादि नहीं  
हैं अन्यथा इनकी रचना ऋषभदेव ने की या भरत ने की—  
यह घान शास्त्रों में क्यों लिखी होगी ?

आक्षेप ( ख )—नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने १२ अर्थ  
जातियाँ कही हैं । ( श्रीलाल )

समाधान—आक्षेपक अगर किसी पाठशाला में जाकर  
गोमटसार पढ़ते नां वह नेमिचन्द्रको समझने लगेगा । नेमि-  
चन्द्र ने सिर्फ पाँच ही जातियों का उल्लेख किया । १२ अर्थ  
जातियों का उल्लेख बताने के लिये हम आक्षेपक की चुनौती  
देने हैं । १२ अर्थ कांटी कुलों का उल्लेख नेमिचन्द्र ने उल्लेख  
किया है परन्तु उन कुलों को ज्ञानि समझ लेना घोर भूलना  
का परिचय देना है । गोमटसार टीका में ही कुल भेदों का  
अर्थ शरीरगोपादक वर्गणाप्रकार किया गया है । वर्धमान् शरीर  
बनने के लिये जिनकी तरह की वर्गणाएँ लगती हैं उनमें ही  
कुल हैं । एक ही योनिसँ पैदा होने वाले शरीरोंके कुल लाखों  
होने हैं क्योंकि योनिसँ पैदा होने वाले शरीरोंके कुल लाखों  
ही जाति—में चाहे वह कल्पित हो या अकल्पित—लाखों



नरह की योनियाँ होती हैं। इसलिये योनि या कुलको जातियाँ कहदेना बिलकुल मूर्खता है। शास्त्रकारों ने भी योनिभेद और कुलभेदों का ज्ञान नहीं कहा। नारकियों में जातिभेद नहीं है फिर भी लाखों योनियाँ और मनुष्यों को अपेक्षा दुगुने से भी अधिक कुल हैं।

आक्षेप ( ग )—कालकी पलटनाके अनुसार जातियोंकी संझारें भी बदल गईं। ( विद्यानन्द )

समाधान—तो पुराने नाम मिलना चाहियें या अन्य किसी रूप में इनका उल्लेख होना चाहिये।

आक्षेप ( घ )—ज्ञानि एक शब्द है, उसका वाच्य अगर गुणरूप है तो अनादि अनन्त है। अगर पर्यायरूप है तो ध्रौव्य क्या है। जो ध्रौव्य है वही जानियों का जीवन है।

( विद्यानन्द )

समाधान—सदृशता को जाति कहते हैं। सदृशता गुण पर्याय आदि सभी में हो सकती है। द्रव्य गुण की सदृशता अनादि है और पर्याय की सदृशता सादि है। वर्तमान जानियाँ ( जिनमें विवाह की चर्चा है ) तो न गुणरूप हैं न पर्यायरूप। वे तो बिलकुल कल्पित हैं। नामनिक्षेप से अधिक इनका महत्व नहीं है। यदि इनको पर्यायरूप माना जाय तो इनका मूल जीव मानना पड़ेगा। इसलिये आक्षेपक के शब्दानुसार 'जीवत्व' ज्ञानि कहलायगी। जीव को एक जाति मान कर उसका पुद्गल धर्म अधर्म से विवाह करने का निषेध किया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है।

जिस प्रकार कलकतिया, बंगाली, बिहारी, लखनवी, कानपुरी आदि में अनादित्व नहीं है उन्ही प्रकार ये जातियाँ हैं।

यदि आक्षेपक का दल इन उपजातियों को अनादि

नार भी उन जातियों के कोई अधिकार नहीं। छिन सकते।  
सुदृष्टि के लिये अलग प्रश्न है।

विद्यानन्दजी की बहुतसी बातों की आलोचना प्रथम प्रश्न में ही चुकी है।

आक्षेप (ग)—विधवाविवाह की सन्तान कभी माला-  
धिकारिणी नहीं हो सकती। विधवा का बीज इसलिये भयङ्कर  
नहीं है कि वह विधवा बीज है परन्तु विधवाजोत्पादक होने से  
भयङ्कर है। (विद्यानन्द)

समाधान—यह विचित्र बात है। विधवाज अगम स्वतः  
भयङ्कर नहीं है तो उस के खाने में कोई हानि न होनी चाहिये,  
क्योंकि पैदा होने पर वह विधवाज पैदा नहीं कर सकता।  
व्यभिचारी तो वास्तविक अपराधी है। उस के तो अधिकार  
छिने नहीं और उस की निरपराध सन्तान का अधिकार छिन  
जाय यह अन्धेरे नगरी का न्याय नहीं तो क्या है? सैर।

रविपण्ड आचार्य के कथनानुसार व्यभिचारजात में कोई  
दूषण नहीं होता। यह हम पहिले लिख चुके हैं। सुदृष्टि के  
उदाहरण से भी यह बात सिद्ध होती है।

आक्षेप (घ)—सव्यसाची का यह कहना कि "विधवा-  
विवाह तो व्यभिचार नहीं है। उससे किसी के अधिकार कैसे  
छिन सकते हैं"? यह बात सिद्ध करती है कि व्यभिचार से  
अधिकार छिनते हैं।

समाधान—हमारी पूरी बात उद्धृत न करके आक्षेपक  
ने पूरी धूर्तता की है। समाज की आँखों में धूल भोंकना चाहा  
है। पूरी बात यह है 'व्यभिचारजात सुदृष्टि सुनार ने मुनि  
दीक्षा ली और मोक्ष गया। यह बात प्रसिद्ध ही है। इससे  
मालूम होता है कि व्यभिचार से या व्यभिचारजात होने से

किसी के अधिकार नहीं छिनते । विधवाविवाह तो व्यभिचार नहीं है । उससे किसी के अधिकार कैसे छिन सकते हैं ?

## पच्चीसवाँ प्रश्न ।

जिन जातियों में विधवाविवाह होता है उन में कोई मुनि बन सकता है या नहीं ? इसके उत्तरमें दक्षिण की जातियाँ प्रसिद्ध हैं । शांतिसागर की जाति में विधवाविवाह का आमतौर पर रिवाज है ।

आक्षेप ( क )—जिन घरानों में विधवाविवाह होता है उन घरानेके पुरुष दीक्षा नहीं लेते । पटैल घरानोंमें विधवाविवाह बिलकुल नहीं होता । कोई खंडेलवाल अगर विधवा-विवाह करते तो समगू खंडेलवाल जाति दूषित नहीं हो सकती ।

समाधान—शांतिसागरका भूटापन अच्छी तरह सिद्ध किया जा चुका है । सामना हो जाने पर जैसा वे मुँह छिपाते उमसे उनकी कलई बिलकुल खुल जाती है । पटैल घरानेके वषय में लिखा जा चुका है । खुद शान्तिसागर के भतीजे ने विधवाविवाह किया है । यह बात जैनजगत् में सप्रमाण नकल चुकी है ।

यह ठीक है कि एक खण्डेलवालके कार्यसे यह जातीय रिवाज नहीं बन जाता है । परन्तु अगर सैंकड़ों वर्षोंमें हजारों खण्डेलवाल विधवा-विवाह करते हों, वे जाति में भी शामिल होते हों, उनका रोटी बेटा व्यवहार सब जगह होता हो, तब यह रिवाज ही माना जायगा । शान्तिसागर जी की जाति में विधवाविवाह ऐसा ही प्रचलित है ।

आक्षेप ( ख )—यदि अनधिकारी होकर भी कोई स्वामुनि बनजाय तो मुनिमार्ग का वह विद्वत रूप उपादेय दापि नहीं हो सकता । ( विद्यानन्द )

समाधान—शान्तिसागर का मुनि बनना अगर विद्वान रूप है तो दम्भों का मुनि न बनने देने वाले शान्तिसागर को मुनि क्यों मानते हैं ? अगर मुनि मानते हैं तो किसी का मुनि बनने का अधिकार नहीं छिन सकता ।

होना और सकना में कार्य-कारण भाव है । जहाँ होना है वहाँ सकना अवश्य है । अगर कोई स्वर्ग जाता है तो इससे यह बात आप ही मिट्ट हो जाती है कि यह स्वर्ग जा सकता है । जब शास्त्रों में ऐसे मुनियों के बनने का उल्लेख है, उन्हें मोक्ष तक प्राप्त हुआ है तब उन्हें मुनि बनने का अधिकार नहीं है ऐसा कहना मूर्खता है ।

सबसे शास्त्रोंमें कहीं किसीका कोई अधिकार नहीं छीना गया । अच्छे काम करने का अधिकार कभी नहीं छीना जा सकता । अथवा नरविशाच राजस ही ऐसे अधिकारों को छीनने की गुस्ताखी कर सकते हैं ।

## छठवीसवाँ प्रश्न ।

विधवाविवाह के विरोधियों का यह कहना है कि उससे पैदा हुई सन्तान मोक्षाधिकारिणी नहीं होती । हमारा कथन यह है कि विधवाविवाह से पैदा हुई सन्तान व्यभिचार-ज्ञान नहीं है और मोक्षाधिकारी तो व्यभिचारज्ञान भी होते हैं । आगधना कथा कोप में व्यभिचारज्ञान सुदृष्टि का चमित्र इसका ज्वरदन्त प्रमाण है ।

आक्षेप ( क )—सुदृष्टि श्वयं अपने धीर्य से पैदा हुये थे । ( श्रीलाल ) विनाहिन पुरुष से मित्रवीर्य द्वारा जो सन्तान हो वह व्यभिचारज्ञान सन्तति है । ...यात्पण, क्षत्री, वैश्य इन तीन वर्णों की कोई स्त्री यदि परपुरुषगामिनी हो जाय तो परपुरुषोत्पत्त सन्तान मोक्ष की अधिकारिणी नहीं

है क्योंकि वहाँ कुलशुद्धि का अभाव है । यदि उसी स्त्री के व्यभिचारिणी होने के पहिले स्वपति से कोई सन्तान हो तो वह सन्तति त्रिविध कर्मों का क्षय करने पर मुक्ति प्राप्त कर सकती है । ( विद्यानन्द )

समाधान—कोई अपने वीर्य से पैदा हो जाय तो उसको व्यभिचारजातता नष्ट नहीं हो जाती । कोई मनुष्य वेश्या के साथ व्यभिचार करे और शीघ्र ही मर कर अपने ही वीर्य से उसी वेश्या के गर्भ से उत्पन्न हो जाय तो क्या वह व्यभिचारजात न कहलायगा । विद्यानन्द का कहना है कि पर-पुरुषगामिनी होने के पहिले उत्पन्न हुई सन्तति का मोक्षधिकार है परन्तु सुदृष्टि की पत्नी तो उसके मरने के पहिले ही परपुरुषगामिनी हो चुकी थी । तब वह मोक्ष क्यों गया ? निम्नलिखित श्लोकों से यह बान बिलकुल सिद्ध है कि वह पहिले ही व्यभिचारिणी हो गई थी—

वक्राख्यो दुष्टधीस्तस्या गृहे छात्रः प्रवर्तते ।

तेन स्याद्दुर्गचार सा करोति स्म पापिना ॥ ५ ॥

एकदा विमलायाश्च वाक्यतः सोऽपि वक्रकः ।

सुदृष्टिं मारयामास कुर्वन्तं कामसेवनम् ॥ ६ ॥

अर्थात् विमला के घर में वक्र नाम का एक ब्रह्मशास्त्र रहता था, उस पापी के साथ वह व्यभिचार करती थी । एक दिन विमला के कहने से कामसेवन करते समय उस वक्र ने सुदृष्टि को मार डाला ।

इससे मालूम होता है कि सुदृष्टि के मरने के पहिले उसकी स्त्री व्यभिचारिणी हो चुकी थी, सुदृष्टि अपनी व्यभिचारिणी स्त्री के गर्भ से पैदा होकर मोक्ष गया था । उनके लिये लज्जा जाना चाहिये जो हाड़ माँस में शुद्धि अशुद्धि का विचार करते हैं और जब उन विचारों की पुष्टि शास्त्रों से

नहीं होती तो शम्भों की यानों को छिपाकर लोगों की आँखों में धूल भोंकने हैं ।

आक्षेप ( न )—सुदृष्टि सुनार नहीं था । ( श्रीलाल, विद्यानन्द ) ।

समाधान—पुराने समय में प्रायः ज्ञानि के अनुसार ही लोग आजीविका करते थे, इसलिये आजीविका के उल्लेख से उसकी जाति का पता लग जाता है । अगर किसी को चर्मकार न लिखा गया हो परन्तु जूते बनाने की बात लिखी हो, साथ ही पैसे कोई बात न लिखी हो जिससे वह चमार सिद्ध न हो तो यह मानना ही पड़ेगा कि वह चमार था । यही बात सुदृष्टि की है । उसने रानी का द्वार बनाया था और मग्ने के बाद दूसरे जन्म में भी उसने द्वार बनाया । अगर वह सुनार नहीं था तो ( १ ) पहिले जन्म में वह द्वार क्यों बनाता था ? ( २ ) ब्रह्मचारी नेमिदत्त ने यह क्यों न लिखा कि वह था तो वैश्य परन्तु सुनार का धन्धा करता था ? ( ३ ) दूसरे जन्म में जब राजकर्मचारी सब सुनारों के यहाँ चकर लगा रहे थे तब अगर वह सुनार नहीं था तो उसके यहाँ क्यों आये ?

सुदृष्टि के सुनार होने के काफी प्रमाण हैं । आज से १६ वर्ष पहिले जो इस कथा का अनुवाद प्रकाशित हुआ था और जो स्वतिपालकों के गुरु पं० धर्मालालजी को समर्पित किया गया था उसमें भी सुदृष्टि को सुनार लिखा है । उसकी व्यक्तिचारजानता पर तो किसी को सन्देह हो ही नहीं सकता । हाँ, धोखा देने वालों की बात दूसरी है ।

**सत्ताईसवाँ प्रश्न ।**

सोमसेन त्रिचर्णचार को दम प्रमाण नहीं मानते परन्तु

विधवाविवाह के विगंधों परिलङ्घन इसका पूर्ण प्रमाण मानते हैं, यहाँ तक कि उस पक्ष के मुनिवैपों लाग भी उसे पूर्ण प्रमाण मानते हैं। जिस प्रकार कुंगन पर अपनी श्रद्धा न होने पर भी किसी मुसलमान को समझाने के लिये कुरान के प्रमाण देना अनुचित नहीं है उसी प्रकार त्रिधर्णाचार का न मानते हुये भी स्थितिपालकों को समझाने के लिये उसके प्रमाण देना अनुचित नहीं है।

त्रिधर्णाचार में दा जगह विधवाविवाह का विधान है और दोनों ही स्पष्ट हैं—

गर्भाधाने पुंसवन सीमन्तोन्नयने तथा ।

वधुप्रवेशने ररहापुनर्विवाहमंडने ॥ ८-११६ ॥

पूजने कुलदेव्याश्च कन्यादाने तथैव च ।

कर्मष्वेतेषु च भार्या दक्षिणे नूपवेपयेन् ॥ ८-११७ ॥

गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं वधुप्रवेशं, विधवा-

विवाहं, कुलदेवीपूजा और कन्यादान के समय स्त्री को दाहिनी ओर बैठावे।

इस प्रकरण से यह बात बिलकुल सिद्ध हो जाती है कि सोमसेनजी को स्त्री पुनर्विवाह स्वीकृत था। पीछे के लिपिकारों या लिपिकारकों को यह बात पसन्द नहीं आई इसलिये उनसे 'ररहा' की जगह 'शुद्रा' पाठ कर दिया है। पं० पद्मालालजी सोनी ने दोनों पाठों का उल्लेख अपने अनुवाद में किया था परन्तु पीछे से किसी के बहकाने में आकर छुपा हुआ पत्र फड़वा डाला और उसके बदले दूसरा पत्र लगवा दिया। अब यह फटा हुआ पत्र मिल गया है जिससे वास्तविक बात प्रकट हो गई है। दूसरी बात यह है कि इन श्लोकों में मुनिदान, पूजन, अभिषेक, प्रतिष्ठा तथा गर्भाधानादि संस्कारों की बात आई है इसलिये यहाँ शुद्र की बात नहीं

आसकनी क्योंकि ग्रन्थकार के मतानुसार श्रद्धों को इन कार्यों का अधिकार नहीं है। इसलिये वास्तव में यहाँ 'रगडा पुनर्धियाह' पाठ ही है जैसा कि प्राचीन प्रतियों से निश्चय है।

अथ ग्यारहवें अध्याय के पुनर्धियाह विधायक श्लोकों को भी देख लेना चाहिये। १७१ वें श्लोक में साधारण विवाह-विधि समाप्त हो गई है परन्तु ग्रन्थकार को कुछ विशेष कहना था सो उनसे १७२ वें श्लोक से लगाकर १७७ वें श्लोक तक कहा है। परन्तु दूसरी आवृत्ति में पण्डितों ने १७४ वें श्लोक में "अथ परमतस्मृतिवचनम्" ऐसा वाक्य और जोड़ दिया जो कि प्रथमावृत्ति में नहीं था। और, वे कहीं के हों परन्तु सोमसेनजी उन्हें जैनधर्म के अनुकूल समझते हैं इसलिये उन को उद्धृत करके भी उनका खण्डन नहीं करते। इसीलिये पञ्चालाल जी ने १७२ वें श्लोक की उत्थानिका में लिखा है कि— "परमतके अनुसार उक्त विषयका विशेष कथन करते हैं जिसका जैनमत के साथ कोई विरोध नहीं है।" इसलिये यहाँ जो पाँच श्लोक उद्धृत किये जाते हैं उनके विषयमें कोई यह नहीं कह सकता कि ये तो यहाँ वहाँ के हैं इनमें हमें क्या सम्बन्ध? दूसरी बात यह है कि सोमसेन जी ने यहाँ वहाँ के श्लोकों से जो नां ग्रन्थका आधा क्लेश भर रक्खा है, इसलिये यहाँ वहाँ के श्लोकों के विषय में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि यह रचना दूसरों की है परन्तु मत तो उन्हों का कहलायगा। और, उन श्लोकों को देखिये—

विवाहे दम्पती स्यातां शिरात्रं ब्रह्मचारिणी ।

अलंकृता यधुर्ध्वं सह शय्यामनाशनी ॥ ११—१७२ ॥

विवाह हो जाने के बाद पति परनी तीन रात्रि तक ब्रह्मचर्य से रहे। इस के बाद यधु अलंकृत की जाए और वे दोनों साथ सोवें साथ बैठें और साथ भोजन करें।



वध्वा सहैव कुर्वीत निवासं प्रथमशुरालये ।

चतुर्थदिनमग्नैव केचिदेवं वदन्ति हि ॥

वर, वधू के साथ मसुराल में हो निवास करे परन्तु कोई कोई कहते हैं कि चौथे दिन तक ही निवास करे ।

चतुर्थीमध्ये ज्ञायन्ते दोषा यदि वरस्य चेत् ।

दत्तामपि पुनर्दद्यात् पिनाभ्यर्म्मं त्रिदुर्बुधाः ॥ ११-१७३

चौथी रात्रि का यदि वरके दोष (नपुंसकन्यादि) मालूम हो जायें तो पिता को चाहिये कि दूई-विवाही दूई-कन्या फिर से किसी दूसरे वर को दे दे अर्थात् उस का पुनर्विवाह करदे ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है ।

प्रवरैकयादिदोषाः स्युः पतिसद्भादधो यदि ।

दत्तामपि हरेदद्यादन्यस्मा इति केचन ॥ ११-१७४

अगर पतिसङ्गम के बाद मालूम पड़े कि पति पत्नि के प्रवर गोत्रादि की एकरता है तो पिता अपनी दी हुई कन्या किसी दूसरे को देदे ।

कलौ तु पुनरुद्वाहं वर्जयेदिति गालवः ।

कस्मिंश्चिदेश इच्छन्ति न तु सर्वत्र केचन ॥ ११-१७६

परन्तु गालव ऋषि कहते हैं कि कलिकालमें पुनर्विवाह न करे और कोई कोई यह चाहते हैं कि कहीं कहीं पुनर्विवाह किया जाय सब जगह न किया जाय ।

दक्षिण प्रांतमें पुनर्विवाह का रिवाज होने से भट्टारक जी ने उस प्रांत के लिये यह झूट् चाही है । यों तो उनमें पुनर्विवाह को आवश्यक माना है परन्तु यदि दूसरे प्रांत के लोग पुनर्विवाह न चलाना चाहें तो भट्टारक जी किसी किसी प्रांत के लिये स्नासकर दक्षिण प्रांतके लिये आवश्यक समझते हैं । पाठक देखें इन श्लोकों में श्रीपुनर्विवाह का कैसा ज़बर्दस्त समर्थन है । यहाँ पर यह कहना कि वह पुरुषों के पुनर्विवाह

का निषेधक है घोर अज्ञानता है । १७४-१७५ वें श्लोकों में कन्या के पुनर्दान या पुनर्विवाह का प्रकरण है । १७६ वें श्लोक में पुनर्विवाह के विषय में कुछ विशेष विधि बतलाई गई है । विशेष-विधि सामान्यविधि की अपेक्षा रखती है इसलिये उसका संबन्ध ऊपर के दोनों श्लोकों से हो जाता है जिनमें कि स्त्रीपुनर्विवाह का विधान है ।

'कलौ तु पुनरुद्वाहं' 'कलिकाल में तो पुनर्विवाह' यहाँ पर जाँ 'तु' शब्द पड़ा है वह भी बतलाता है कि इसके ऊपर पुनर्विवाह का प्रकरण रहा है जिसका आंशिक निषेध गालब करते हैं । यह 'तु' शब्द भी इतना ज़रूरत है कि १७६ वें श्लोक का सम्बन्ध १७५ वें श्लोक से कर देता है और ऐसी हालतमें पुरुष के पुनर्विवाह की बात ही नहीं आती ।

दूसरी बात यह है कि पुरुषों के पुनर्विवाह का निषेध किसी काल के लिये किसी प्राचीन ऋषि ने नहीं किया । हाँ एक पत्नीके रहते हुए दूसरी पत्नीका निषेध किया है । परन्तु विधुर होजाने पर दूसरी पत्नीका निषेध नहीं किया है न ऐसी पत्नी को भोगपत्नी कहा है । इसलिये भोगपत्नी के निषेध को पुनर्विवाहका निषेध समझ लेना अज्ञानव्य शाब्दिक अज्ञान है । मतलब यह कि न तो पुरुषों का पुनर्विवाह निषिद्ध है न यहाँ उस का प्रकरण है, जिससे १७६ वें श्लोकका अर्थ बदला जा सके । यह कहना कि हिन्दू ग्रन्थकारों ने विधवाविवाह का कहीं विधान नहीं किया है बिलकुल भूल है । नियोग और विधवाविवाह के विधानोंसे हिन्दू स्मृतियाँ भरी पड़ी हैं । इस का बलेख अमितगति आदि जैन ग्रन्थकारों ने भी किया है ।

स्थितिपालक पण्डित १७५ वें श्लोक के 'पतिमङ्गादधो' शब्दों का भी मिथ्या अर्थ करते हैं । पतिमङ्ग शब्द का पाणिनीय अर्थ करना हद्द दत्त की धारणाही है । पतिमङ्ग = पति-

“सम्भोग” यह स्वीधा सचा अर्थ हरेक आदमी समझता है। १७४ वें श्लोक के चतुर्थी शब्द का भी पाणिपीडन अर्थ किया है और इधर पतिसङ्ग शब्द का भी पाणिपीडन अर्थ किया जाय तो १७४ वाँ श्लोक बिलकुल निरर्थक होजाता है: इसलिये यहाँ पर पाणिपीडन अर्थ लोक, शास्त्र और प्रथा-रचना की दृष्टि से बिलकुल झूठा है।

अधः शब्द का अर्थ है ‘पोछे’, परन्तु ये पण्डित करने हैं ‘पहिले’; परन्तु न तो किसी कांय का प्रमाण देते हैं और न साहित्यिक प्रयोग बतलाते हैं। परन्तु अधः शब्द का अर्थ पीछे या बाद होता है; इसके उदाहरण नों जितने चाहे मिलेंगे। जैसे अधोभक्त अर्थात् भोजनान्ते पीयमानं जलादिकम्—भोजन के अन्त में पिया गया जलादिक। इसी तरह “अधोलिखित श्लोक” शब्द का अर्थ है ‘इसके बाद लिखा गया श्लोक’ न कि ‘इसके पहिले लिखा गया श्लोक’। इसलिये ‘पतिसङ्गादधः’ शब्द का अर्थ हुआ ‘सम्भोग के बाद’। जय सम्भोग के बाद कन्या दूसरे को दी जासकती है तब स्त्रीपुनर्विवाह के विधान की स्पष्टता और क्या होगी ?

अगर ‘अधः’ शब्द का अर्थ ‘पहिले’ भी कर लिया जाय तो भी १७४ वें श्लोक से स्त्रीपुनर्विवाह का समर्थन ही होता है। ‘सम्भोग के पहिले’ शब्द का मतलब हुआ ‘सप्तपदी के बाद’ क्योंकि सम्भोग सप्तपदी के बाद होता है। यदि सप्तपदी के पहिले तक ही पुनर्दान की बात उन्हें स्वीकृत होती तो वे पतिसङ्ग शब्द क्यों डालते ? सप्तपदी शब्द ही डालते। सप्तपदी के होजाने पर विवाह पूर्ण हो जाता है और जय सप्तपदी के बाद पुनर्दान किया जा सकता है तो स्त्रीपुनर्विवाह सिद्ध हो गया।

त्रिवर्णाचार में यदि एकाध शब्द ही स्त्रीपुनर्विवाह-

साधक होता तो यात दूमरी थी, परन्तु उनमें तो अनेक प्रकरणाँ में अनेक तरह से स्त्रीपुनर्विवाह का समर्थन किया है। इस त्रिवर्णाचार में ऐसी बहुत कम बातें हैं जो जैनधर्म के अनुकूल हों। उन बहुत थोड़ी बातों में एक बात यह भी है। इसलिये त्रिवर्णाचार के भक्तों का कम से कम विधवाविवाह का तो पूर्ण समर्थक होना चाहिये।

इतना लिखने के बाद जो कुछ आक्षेपों के आक्षेप रह गये हैं उनका समाधान किया जाता है।

**आक्षेप ( क )**—गालव ऋषि तो पुनर्विवाह का निषेध कर रहे हैं। आप विधान क्यों समझ बैठे? ( श्रीलाल, त्रिद्यानन्द )

**समाधान**—गालव ऋषि ने सिर्फ कलिकाल के लिये पुनर्विवाह का निषेध किया है। इसलिये उनके शब्दों से ही पहिले के युगों में पुनर्विवाह का विधान सिद्ध हुआ। तथा इसी श्लोक के उत्तरार्थ से यह भी सिद्ध होता है कि कोई आचार्य किसी किसी देश के लिये कलिकाल में भी पुनर्विवाह चाहते हैं। इसलिये यह श्लोक विधवाविवाह का समर्थक है।

भोगपत्नी आदि की बातों का खरडन किया जा चुका है। श्रीलालजी ने जो १७२ घं. आदि श्लोकों का अर्थ किया है वह विलकुल वैयुनियाद् तथा उनकी ही पार्टी के पंडित पन्नालाल जी सोनी के भी विरुद्ध है। इन श्लोकों में रजस्यला होने की बात नाँ एक शब्द भी न कहेगा।

**आक्षेप ( ख )**—मनुस्मृति में भी विधवाविवाह का निषेध है।

**समाधान**—आक्षेपक यह बात तो मानते ही हैं कि हिन्दु शास्त्रों में परस्पर विरोधी कथन बहुत हैं। इसलिये वहाँ विधवाविवाह और निषांग का एक जगह जोरदार समर्थन

पाया जाता है तो दूसरी जगह ब्रह्मचर्य की महत्ता के लिये दोनों का निषेध भी पाया जाता है । अगर परिस्थिति की दृष्टि से विचार किया जाय तो इन मन्त्रका समन्वय हो जाता है । खैर, मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में विधवाविवाह या स्त्री पुनर्विवाह के काफी प्रमाण पाये जाते हैं । उनमें से कुछ ये हैं—

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा म्रयेच्छ्रया ।

उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्यते ॥

मनुस्मृति ६-१७५ ॥

सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गणप्रत्यागतापि वा ।

पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ ६-१७६ ॥

पति के द्वारा छोड़ी गई या विधवा, अपनी इच्छा से दूसरे की भार्या हो जाय और जो पुत्र पैदा करे वह पौनर्भव कहलायगा । यदि वह स्त्री अजनयोनि हो और दूसरे पति के साथ विवाह करे तो उसका पुनर्विवाह संस्कार होगा । ( पौनर्भवेन भर्त्रा पुनर्विवाहाख्यं संस्कारमर्हति ) अथवा अपने कौमार पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ चली जाय और फिर लौटकर उसी कौमार पति के साथ आजाय तो उनका पुनर्विवाह संस्कार होगा । ( यद्वा कौमारं पतिमुत्सृज्यान्यमाश्रित्य पुनस्तमेव प्रत्यागता भवति तदा तेन कौमारेण भर्त्रापुनर्विवाहाख्यं संस्कारमर्हति ) । यहां पुनर्विवाह का संस्कार कहा है इसलिये यह सिद्ध है कि वह व्यभिचाररूप या निन्दनीय नहीं है ।

हिन्दुशास्त्रों के अनुसार कलिकाल में पाराशरस्मृति मुख्य है । 'कलौ पाराशराः स्मृताः' । पाराशरस्मृति में वां पुनर्विवाह मिलकुल स्पष्ट है—

नष्टे मृते प्रयजिते क्लीये च पतिते पतौ ।

पंचस्वापस्तु नारीणां पतिरन्यो विधीयते । ४-३० ॥

पति के जो जाने पर, मर जाने, संन्यासी होजाने, तपु-  
मक होने तथा पतित होजाने पर स्त्रियों को दूसरा पति कर  
लेने का विधान है ।

पति शब्द का 'पतौ' रूप नहीं होता—यह वहाना  
निकाल कर श्रीलालजी तथा अन्य लोग 'अपतौ' शब्द निकाल-  
ते हैं और अपति का अर्थ करते हैं—जिसकी सिर्फ सगाई  
हुई हो। परन्तु यह कोग भ्रम है । क्योंकि इस श्लोक को  
जैनाचार्य श्रीअमितगणि ने विधवाविवाह के समर्थन में ही  
उद्धृत किया है । देखिये धर्मपरीक्षा —

पत्यौ प्रव्रजिते क्लीबे प्रव्रष्टे पतिते मृते ।

पंचस्थापत्सु नारीणां पतिरन्यां विधीयते ॥ ११-१२ ॥

दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ 'अपतौ' निकलता  
होता तो 'सपतिरन्या विधीयते' ऐसा पाठ रचना पड़ना जा  
कि यहाँ नहीं है और न छन्दोभङ्ग के कारण यहाँ अकार  
निकाला जा सकता है ।

तीसरी बात यह है कि अपति शब्द का अर्थ 'जिसकी  
सिर्फ सगाई हुई हो ऐसा पति' नहीं होना । अपति शब्द के  
इस अर्थ के लिये कोई नमना पेश करना चाहिये ।

चौथी बात यह है कि पति शब्द के रूप हरि सगीले भी  
चलते हैं । क्योंकि पति का अर्थ जहाँ साधारणतः स्वामी,  
मालिक यह होता है वहाँ समास में ही धि संज्ञा होती है  
इसलिये यहाँ 'पतौ' ऐसा रूप नहीं बन सकता । परन्तु जहाँ  
पति शब्द का लाक्षणिक अर्थ पति अर्थात् 'विवाहित पुरुष'  
अर्थ लिया जाय वहाँ असमास में भी धि संज्ञा हो जाती है  
जिससे पतौ यह रूप भी बनता है । 'पति समास एव' इस  
मूल्य की तत्वयोधिनी टीका में गुलाभा गौर पर यह बात  
लिख दी गई है और उसमें पाराशरस्मृति का "पतिते पतौ"

याला श्लोक भी उद्धृत किया गया है जिससे भी मालूम होना है कि यहाँ 'अपती' नहीं है 'पती' है । "अथ कथं स्नायाः पतये नमः" इति, 'नष्टे मृते प्रयजिते क्लीये च पतिने पर्ना । पंचम्वापत्सु नागीणां पतिरन्यां विधीयते' इति पाराशरध । अत्राहुः पतिरिति आद्यानतः पतिः तत्कगति तदाचष्टे इति णिचि टिलोपे अत्र इः इत्यौणादिकप्रत्यये श्वेरनिटि इति णिलोपे च निष्पन्नोऽयं पतिः "पति समासः एव इत्यत्र न गृह्याते, लाक्षणिकत्वादिति" ।

पति शब्द के विसंज्ञिक रूपों के और भी नमने मिलने हैं तथा वैदिक संस्कृत में ऐसे प्रयोग बहुलता से पाये जाते हैं । पहिले हम यजुर्वेद के उदाहरण देते हैं—

नमो रुद्रायानताग्निने क्षत्राणां पतये नमः, नमः सूताम्हन्त्यै घनानां पतये नमः । १६ । १८ ।

इसी तरह 'कक्षाणां पतये नमः' 'पत्नीनां पतये नमः' आदि बहुत से प्रयोग पाये जाते हैं ।

स्वयं पाराशर ने—जिनके श्लोक पर यह विवाद चल रहा है—अन्यत्र भी 'पती' प्रयोग किया है । यथा—

जारेण जनयेद्गर्भं मृते त्यक्ते गते पर्ना ।

तां त्यजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिणीम् ॥ १०-३१ ॥

अर्थात् पति के मर जाने पर या पति से छोड़ी जाने पर जो स्त्री व्यभिचार से गर्भ धारण करे उस पापिनी को देश से निकाल देना चाहिये । अर्थात् पाराशरजी यह नहीं चाहते कि कोई स्त्री व्यभिचार करे । विधवा या पतिहीन स्त्री का कर्तव्य है कि वह पुनर्विवाह करले या ब्रह्मचर्य से रहे, परन्तु व्यभिचार कभी न करे । जो स्त्रियाँ ऊपर से तां विधवाविवाहको या उसके प्रचारको को गालियाँ देती हैं और भीतर ही भीतर व्यभिचार करती हैं वे सचमुच महापापिनी हैं ।

कभी उद्धृत न किये जाते । पाठक इनके अर्थ पर विचार करें, पूर्वापर सम्बन्ध देखें और नियोग तथा विधवाविवाह के भेद का समझें । ये श्लोक नियोगप्रकरण के हैं ।

नियोग में सन्तानोत्पत्ति के लिये सिर्फ एक बार संभोग करने की आज्ञा है । नियोग के समय दोनों में संभोग क्रिया बिनाकुल निर्लिप्त होकर करना पड़ती है तथा किसी भी तरह की गस्त्रिकता से दूर रहना पड़ता है । देखिये—

ज्येष्ठो यवीयसो भार्यो यवीमान्वाग्रजस्त्रियम् ।

पतितौ भयतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥६-५८॥

अगर विधवा के सन्तान हों (अनापदि=सन्तानाभावात् विना) तो उसका ज्येष्ठ या देवर नियोग करे तो पतित हों जाते हैं ।

देवगृहा सर्पिडाहा स्त्रिया सम्यङ्नियुक्तया ।

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिज्ञये ॥ ६-५९ ॥

सन्तान के नाश हों जाने पर गृहजनों की आज्ञासे विधि-पूर्णक देवर से या और सर्पिड से (कुटुम्बी से) इच्छित सन्तान पैदा करना चाहिये । (आवश्यकता होने पर एक से अधिक सन्तान पैदा की जाती है । हिन्दू पुराणों के अनुसार भूतगण्ड पांडु और विदुर नियोगज सन्तान हैं) ।

विधवायां नियुक्तस्तु गृहान्तो धारयतो निशि ।

एकमुपादयेत्पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥ ६-६० ॥

विधवा में (आवश्यकता होने पर संधयामें भी) संभोग के लिये नियुक्त पुण्य, सारे शरीर में घी का लेप करे मीन रक्तों और एक ही पुत्र पैदा करे ।

विधवायां नियोगार्थे निगृह्ये तु यथाविधि ।

गृहयथ स्तुपावध यत्तैगातां परम्परम् ॥ ६-६१ ॥



नियोग कार्य पूरा हो जाने पर फिर भौजाई या बहू के समान पवित्र सम्बन्ध रहने ।

नियुक्तौ नौ विधिं हित्वा वर्तेयातां नु कामतः ।

नायुभौ पतितौ म्यातां स्नुषागगुरुतल्पगौ ॥६-६३॥

यदि नियोग के समय कामवासना से बह सम्भोग करे तो उसे भौजाई या भ्रातृशू के साथ सम्भोग करने का पाप लगता है, वह पतित हो जाता है ।

पाठक देखें कि यह नियोग कितना कठिन है । साधारण मनुष्य इस विधिका पालन नहीं कर सकते । इसलिये आगे चलकर मनुस्मृति में इस नियोगका निषेध भी किया गया है । वेही निषेधपरक श्लोक पंडित लोग उद्धृत करते हैं और विधिपरक श्लोकों को साफ़ छोड़ जाते हैं ।

हिन्दू शास्त्र न तो नियोगके विरोधी हैं, न विधवाविवाह के । उनमें सिर्फ़ नियोग का निषेध, कलिकाल के लिये किया है क्योंकि कलियुग में नियोग के योग्य पुरुषों का मिलना दुर्लभ है । यही बात टीकाकारने कही है—“अयं च स्वोक्तनियोग-निषेधः कलिकालविषयः” । बृहस्पति ने तीन श्लोकों में तो और भी अधिक खुलासा कर दिया है । इसलिये हिन्दूशास्त्रोंसे विधवाविवाह का निषेध करना सर्वथा भूल है ।

आक्षेप ( घ )—चाणक्यने पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं दी परन्तु पति के पास जाने की आज्ञा दी है । विदूळ लाभे का अर्थ छोड़कर दूसरा पति करने का अर्थ तो इस अन्धेरी दग्धार को ही सूझा ।

समाधान—श्रीलालजी जान बूझकर बात को छिपाते हैं अन्यथा “यथादत्तमादाय प्रमुञ्चैयुः” आदि वाक्यों से पूर्व-विवाह सम्बन्ध के टूट जानेका साफ़ विधान है । खैर, पहिली बात तो यह है कि उन वाक्योंका अनुवाद छपी हुई पुस्तक में

से लिया गया है। हमारे विषय में अर्थ बदलने की कुकल्पना आप भले ही करें, परन्तु अनुवादक के विषय में इस कल्पना की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अनुवादक वेदवज्र विद्याभास्कर, न्यायतीर्थ, सांख्यतीर्थ और वेदान्त विशारद हैं।

दूसरी बात यह है कि 'विदूल लाभे' धातु का प्रयोग विवाह अर्थ में होता है। मनुस्मृति में विन्देत देवगः का पर्याय वाक्य भर्तुः सोदर भ्राता परिणयेत् किया है। इसी तरह श्लोक ६-६० में 'विन्देत सदृशं पति' का 'धरं भयं वृणोत' पर्याय वाक्य दिया है। खुद कौटिलीय अर्थशास्त्र में विदूल धातु का प्रयोग वरण के अर्थ में हुआ है। जैसे—ततः पुत्रार्थी द्वितीयां विन्देत अर्थात् पहिली स्त्री से अगर १२ वर्ष तक पुत्र पैदा न हो तो पुत्रार्थी दूसरी शादी करले। यहाँ विन्देत का अर्थ शादी करे ही है। इसी तरह और भी बहुत से प्रयोग हैं। पहिले हमने थोड़े से प्रमाण दिये थे, अब हम ज़रा अधिक देंगे। उन में ऐसे प्रमाण भी होंगे जिनमें विदूल का अर्थ पास जाना न हो सकेगा।

“मृते भर्त्तरि धर्मकामातदानीमेवास्वाप्याभरणं शुल्कं शेषं च लभेत ॥ २५ ॥ लब्ध्वा वा विन्दमाना सवृद्धिकमुभयं दाप्येत ॥ २६ ॥ अर्थात् पति के मरने पर ब्रह्मचर्य से रहने वाली स्त्री, अपना स्त्री धन और अवशिष्ट शुल्क ( विवाह के समय प्राप्त धन ) ले ले। अगर इस धन को प्राप्त कर घड़ ( विधवा ) विवाह करे तो उससे व्याज सहित वापिस ले लिया जाय।

पांडक विचारें कि यहाँ “विन्दमाना” का अर्थ विवाह करने वाली है न कि पति के पास जाने वाली क्योंकि पति तो मर चुका है। और भी देखिये—

‘कुटुम्बकामातु भवसुरपतिदत्तं निवेशकाले लभेत ॥ २७ ॥

निवेशकालं हि दीर्घप्रवासे व्याख्याम्यायः ॥२८॥ यदि विधवा दूसरा घर बसना चाहे अर्थात् पुनर्विवाह करना चाहे तो श्वसुर और पति द्वारा दी हुई सम्पत्ति को वह विवाह समय में ही पा सकती है । विवाह का समय हम दीर्घ प्रवास के प्रकरण में कहेंगे ।

इसी दीर्घप्रवास प्रकरण के वाक्य हमने प्रथम लेख में उद्धृत किये थे । इससे मालूम होता है कि वहाँ पुनर्विवाह का ही जिक्र है न कि पति के पास जाने का ।

“श्वसुर प्रातिलोम्येन वा निविष्टा श्वसुर पतिदत्तं जीयेत्” ॥ २६ ॥ श्वसुरकी इच्छाके विरुद्ध विवाह करने वाली यधू से, श्वसुर और पति से दिया गया धन ले लिया जाय ।

इससे मालूम होता है कि महागजा चन्द्रगुप्त के राज्य में श्वसुर अपनी विधवा यधू का पुनर्विवाह कर देता था । अगर श्वसुर उसका पुनर्विवाह नहीं करता था तो वह यधू ही अपना स्त्रीधन छोड़कर पुनर्विवाह कर लेती थी ।

शानिहस्तादभिमृष्टाया द्वातयो यथागृहीतं दद्युः ॥ ३० ॥ न्यायोपगतायाः प्रतिपत्ता स्त्रीधनं गोपायेत् ॥ ३१ ॥ अगर उसके पीहर वाले ( पिता भ्राता आदि ) उसके पुनर्विवाह का प्रबन्ध करें तो वे उसके लिये हुए धन को दे दें, क्योंकि न्यायपूर्वक रक्षार्थ प्राप्त हुई स्त्री की रक्षा करने वाला पुरुष उसके धन की भी रक्षा करे ।

पतिदायं विन्दमाना जीयेत् ॥ ३२ ॥ धर्मकामाभुञ्जीत ॥ ३३ ॥ दूसरे पतिकी कामना वाली स्त्री पतिका हिस्सा नहीं पा सकती और ब्रह्मचर्य से रहने वाली पासकती है ।

पुत्रवती विन्दमानास्त्रीधनं जीयेत् ॥ ३४ ॥ तत्तु स्त्रीधनं पुत्रा हरिषुः ॥ ३५ ॥ पुत्रभरणार्थं वा विन्दमाना पुत्रार्थं स्फाती कुर्यात् ॥ ३६ ॥ कोई स्त्री पुत्र वाली होकरकेभी अगर पुनर्विवाह

करे तो वह स्त्री धन नहीं पासकती । उसका स्त्री-धन उसके पुत्र ले लें । अगर पुत्रोंके भरण पोषण के लिये ही वह पुनर्विवाह करे तो वह अपनी सम्पत्ति पुत्रोंके नाम लिख दे ।

हम नहीं समझते कि इन प्रकरणों में कोई पुनर्विवाहका विधान न-देखकर पति के पास जाने का विधान देख सकेगा । इस ग्रन्थ में परदेश में गये हुए दीर्घप्रवासी पति को तो छोड़ देने का विधान है, उसके पास जाने की तो बात दूसरी है ।

नीचत्वं परदेशं वा ऽस्थितो राजकलियपी ।

प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लीबोऽपिवा पति ।

नीच, दीर्घप्रवासी, राजद्रोही, घातक, पतित और नपुंसक पतिको स्त्री छोड़ सकती है । हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्रीलालजी या उनके साथी किसी भी विषय का न तो गहरा अध्ययन करते हैं न पूर्वापर सम्वन्ध देखते हैं और मनमाना बिलकुल वेवुनियाद लिख मागते हैं । खैर, अब हम ह्रस्वप्रवास और दीर्घप्रवास के उद्धारण देते हैं जिनके कुछ अंश पहिले लेख में दिये जा चुके हैं ।

‘ह्रस्वप्रवासिनां शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणानां भार्याः संवत्सरोत्तरं कालमाकांक्षेत्प्रजाता, संवत्सराधिकंप्रजाताः ॥२६॥ प्रतिविहिताद्विगुणं कालं ॥२७॥ अप्रतिविहिताः सुखावस्था विभृ-पुः परं चत्वारिचपाण्यथै वाशातयः । ततो यथादत्तमादाय प्रमुञ्च्युः ॥ २६ ॥

थोड़े समय के लिये याहर जाने वाले शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणों की स्त्रियाँ अगर पुत्रहीन हों तो एक वर्ष और पुत्रवती इससे अधिक समय तक प्रतीक्षा करें । यदि पति आजीविका का प्रबन्ध कर गया हो तो इससे दून समय तक प्रतीक्षा करें । जिनकी आजीविका का प्रबन्ध नहीं है, उनके बंधु बाँधव चार वर्ष या आठ वर्ष तक उनका भरण पोषण करें ।

इसके बाद प्रथम विवाह के समय में दिया हुआ धन वापिस लेकर दूसरी शादीके लिये आजा देदे ।

पाठक देखें कि यहाँ 'प्रमुञ्च्युः' किया है । इसका अर्थ 'छोड़ दे' ऐसा होता है । पति के पास भेज दे ऐसा अर्थ नहीं होता । पति के पास से पिता के पास, या पिता के पास से पति के पास आने जाने में मुञ्च या छोड़ देने का व्यवहार नहीं होता । इसलिये सम्बन्ध विच्छेद के लिये ही इस शब्द का व्यवहार हुआ है ।

ब्राह्मणमधीयानं दश वर्षाण्यप्रजाता, द्वादश प्रजाता राजपुरुषमायुः क्षयादाकाङ्क्षेत ॥३०॥ सवर्णतश्च प्रजाता नाप-  
वादं लभेत् ॥ ३१ ॥

पढ़ने के लिये विदेश गये ब्राह्मण की सन्तानहीन स्त्री दशवर्ष तक, संतान वाली १२ वर्ष तक और राजकार्यप्रवासी की जीवनपर्यन्त प्रतीक्षा करे । हाँ, अगर किसी समान वर्ण के पुरुष से वह गर्भवती होजाय तो वह निन्दनीय नहीं है ।

यहाँ पर प्रतीक्षा करने के बाद पति के पास जाने की बात नहीं लग सकती । जब ऐसी हालत में परपुरुष से गर्भवती होजाने की बात भी निन्दनीय नहीं है तब उनके पुनर्विवाह की बात का तो कहना ही क्या है ।

कुटुम्बदिलोपे वा सुखायस्थेविमुक्ता यथेष्टं विन्देत जीवितार्थम् ॥ ३२ ॥ कुटुम्बकी सम्पत्ति नष्ट होने पर या उनके द्वारा छोड़े जाने पर जीवननिर्वाह के लिये इच्छानुसार विवाह करे ।

श्रीलालजी विन्देत का अर्थ करते हैं पतिके पास जावे । हम सिद्ध कर चुके हैं कि विन्देत का अर्थ 'विवाह करे' है । साथ ही इस ग्रन्थ का सारा प्रकरण ही स्त्री पुनर्विवाह का है यह बात पहिले उद्धरणों से भी सिद्ध है । 'यथेष्ट' शब्द से भी

येवाह करने की बात सिद्ध होती है । इच्छानुसार पति के पास जाये—यहाँ इच्छानुसार शब्द का कुछ प्रयोजन ही नहीं मालूम होता, जब कि, इच्छानुसार विवाह करे—इस वाक्य में इच्छानुसार शब्द आवश्यक मालूम होता है ।

आपद्गतायाधर्मविवाहकुमारी पत्रिगृहीतारमनाख्याय प्रोषितं श्रयमाणं सप्ततीर्थान्याकाङ्क्षेत ॥३३॥ संघत्सरं श्रयमाणमाख्याय ॥३४॥ प्रोषितमश्रयमाणं पञ्चतीर्थान्याकाङ्क्षेत ॥३५॥ दश श्रयमाणम् ॥ ३६ ॥ एक देशदत्त शुल्कं त्रीणीतीर्थान्यश्रयमाणम् ॥३७॥ श्रयमाणम् सप्ततीर्थान्याकाङ्क्षेत ॥३८॥ दत्त शुल्कं पञ्चतीर्थान्यश्रयमाणम् ॥३९॥ दश श्रयमाणम् ॥४०॥ ततः परं धर्मस्थैर्विस्तृष्टा यथेष्टम् विन्देत् ॥४१॥ निर्धनता से आपद्ग्रस्त कुमारी ( अक्षतबानि ) जिसका चार धर्मविवाहों में से कोई विवाह हुआ और उसका पति बिना कहे परदेश चला गया हो तो वह सात मासिकधर्म पर्यंत प्रतीक्षा करे । कहकर गया हो तो एक वर्ष तक । प्रयासी पति की खबर न मिलने पर पाँच मासिकधर्म तक । खबर मिलने पर दश मासिकधर्म तक प्रतीक्षा करे । विवाह के समय प्रतिज्ञात धन का एक भाग ही जिसने दिया हो ऐसा पति विदेश जाने पर अगर उसकी खबर न मिले तो तीन मासिकधर्म तक और खबर मिलने पर सात मासिकधर्म तक उसकी प्रतीक्षा करे । अगर प्रतिज्ञात धन साग दे दिया हो तो खबर न मिलने पर तीन और खबर मिलने पर सात मासिकधर्म तक प्रतीक्षा करे । इसके बाद धर्माधिकारी की आज्ञा लेकर इच्छानुसार दूसरा विवाह कर ले ( यहाँ भी यथेष्ट शब्द पड़ा हुआ है । ) । साथ ही धर्माधिकारीसे आज्ञा लेने की बात कही गई है । पुनर्विवाह के लिये ही धर्माधिकारी की आज्ञा की अकुरत है न कि पति के पास जाने के लिये । फिर

जिस पति की खबर ही नहीं मिली है उसके पास वह कैसे जा सकती है ?

दीर्घप्रवासिनः प्रयत्नितस्य प्रेतस्य वा भार्यासप्ततीर्थान्याकांक्षेत ॥ ४३ ॥ संवत्सरं प्रजाता ॥ ४४ ॥ नतः पतिसोदर्यं गच्छेत् ॥ ४५ ॥ बहुषु प्रत्यामत्रं धार्मिकं भर्म समर्थं कनिष्ठमभार्यं वा । तदभावेऽप्यसोदर्यं सभिण्डं कुल्यं वासत्रम् ॥ ४७ ॥ एतेषां एव एव क्रमः ॥ ४८ ॥

दीर्घप्रवासी, संन्यासी या मर गया हो तो उसकी स्त्री सप्त मासिकधर्म तक उसकी प्रतीक्षा करे। अगर सन्तान वाली हो तो एक वर्ष तक प्रतीक्षा करे, इसके बाद पति के भाई के साथ शादी करले। जो भाई पतिको नज़दीकी हो, धार्मिक हो, पालन पोषण कर सके और पत्नी रहित हो। अगर सगा भाई न हो तो पति के वंश का हो या गोत्र का हो।

यहाँ तो श्रीलाल जी पति के पास जाने की बात न कहेंगे ? क्योंकि पति तो संन्यासी हो गया है या मर गया है। फिर पति के भाई के पास जाने की आशा क्यों है ? अपने भाई या पिता या श्वसुर के पास जाने की क्यों नहीं ? फिर पति का भाई भी कैसा ? जिसके पत्नी न हो। क्या अब भी श्रीलाल जी यहाँ विवाह की बात न समझेंगे।

आक्षेप ( ७ )—आचार्य सोमदेवजी ने जिन स्मृतिकारों के विषय में लिखा है वह सब चर्चा सगाई याद की है। वैष्णवों के किसी ग्रन्थ में भी विधवाविवाह की आशा नहीं है।  
( श्रीलाल )

समाधान—“विकृतपत्युदापि पुनर्विवाहमर्हतीति स्मृतिकाराः” विकृतपति के साथ विवाही गई स्त्री भी पुनर्विवाह कर सकती है। स्मृतिकारों के इस घक्तव्य में सगाई की ही पुनः लगाये रहने वाले श्रीलाल जी का साहस धन्य है।

'तावद्विवाहो नैवस्याद्यायद्यत्सप्तपदी भवेत्' तब तक विवाह नहीं होता जब तक सप्तपदो न हो जाय । इसलिये जिस स्त्री को विवाही गई कहा है वह अभी तक चान्दस्ता ही यनी हुई है, ऐसी बात श्रीलाल जी ही कह सकते हैं । फिर पुनर्विवाह शब्द भी पड़ा हुआ है । यह पुनर्विवाह शब्द ही इतना स्पष्ट है कि विशेष कहने की ज़रूरत नहीं है । खैर, श्रीलाल जी इस वाक्य का जो चाहे अर्थ करें परन्तु उनसे यह बात मालूम है कि सोमदेव जी को इस वाक्य में कुछ आपत्ति नहीं है । अन्यथा उन्हें इस वाक्य के उद्धृत करने की फया ज़रूरत थी, जब कि जगहन नहीं करना था । वैष्णवों के ग्रन्थों में पुनर्विवाह की कैसी आज्ञा है यह बात हम इसी लेख में विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं ।

### प्रश्न श्रद्धार्थिसवाँ

इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि अगर किसी अशोध-कन्या के साथ कोई पलातकार करे तो फिर उसका विवाह करना चाहिये या नहीं । हमने उत्तर में कहा था कि ऐसी हालत में कन्या निरपराध है । इसलिये विधवा-विवाह के विरोधी भी ऐसी कन्या का विवाह करने में सहमत होंगे, क्योंकि उसका विवाह पुनर्विवाह नहीं है, आदि । श्रीलाल जी का कहना है कि 'उसी पुत्र्य के साथ उसका विवाह करना चाहिये या वह प्रत्यचारिणी रहे, तीसरा मार्ग नहीं जँचता ।' जब तक मिथ्यात्व का उद्भव है तब तक श्रीलालजी का कुछ जँच भी नहीं सकता । परन्तु श्रीलालजी, न जँचने का कारण कुछ भी नहीं बतला सके हैं इसलिये उनका यह बतलव्य दुर्ग-ग्रह के सिद्धांत और कुछ नहीं है ।

आज्ञेय ( क )—ऐसी कन्या का विवाह पलातकार करने



वाने पुरुष के साथ ही करना चाहिये । पाण्डु और कुन्ती के चात्रिण से इस प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है । ( विद्यानन्द )

समाधान—पाण्डु और कुन्ती का सम्बन्ध बलात्कार नहीं था जिससे हम पाण्डु को नीच और राक्षसी प्रकृति का मनुष्य कह सकें । और ऐसी हालत में पाण्डु अपात्र नहीं कहा जा सकता । बलात्कार तो शैतानियत का उग्र और बीभत्सरूप है । बलात्कार निर्फ कुशील ही नहीं है, किन्तु वह घोर राक्षसी हिंसा भी है । इसलिये बलात्कार के उदाहरण में पाण्डु-कुन्ती का नाम लेना भूल है । हम पूछते हैं कि बलात्कार, विवाह है या नहीं ? यदि विवाह है तो फिर विवाह करने की आवश्यकता क्या है ? अगर विवाह नहीं है तो वह कन्या अविवाहिता कहलाई; इसलिये उसका विवाह होना चाहिये ।

आक्षेप ( ख )—विलाय अगर दूध को जूठा करदे तो वह अपेय हो जाता है, यद्यपि इसमें दूध का अपराध नहीं है । इसी प्रकार बलात्कार से दूषित कन्या भी समझना चाहिये । ( विद्यानन्द )

समाधान—इस दृष्टांत में अनेक ऐसी विषमताएँ हैं जो दूध के समान कन्या को त्याज्य सिद्ध नहीं करतीं । पहिली तो यह है कि दूध जड़ है । वह अगर नाली में फँक दिया जाय तो दूध का कुछ दुःख न होगा । इसलिये हम दूध के निरपराध होने पर भी उसकी तरफ से लापरवाह रह सकते हैं । परन्तु कन्या में सुख दुःख है । उसकी परवाह करना समाज का कर्तव्य है । इसलिये कन्या के निरपराध होने पर हम ऐसा कोई विधान नहीं बना सकते, जिससे उसका दुःख या उसका अपमान हो ।

दूसरी विषमता भोज्य भोजक की है । स्त्री को हम

भोज्य कहें और पुरुष को भोजक, यह बात सर्वथा अनुचित है। क्योंकि जिस प्रकार स्त्री, पुरुष के लिये भोज्य है उसी प्रकार पुरुष, स्त्री के लिये भोज्य है। इन्हीं लिये स्त्री जूठी हो और पुरुष जूठा न हो, यह नहीं कहा जा सकता। जब पुरुष जूठा होकर के भी स्त्री के लिये भोज्य रहता है तो स्त्री भी क्यों न रहेगी ?

तीसरी बात यह है कि स्त्री पुरुष के सम्बन्ध को आक्षेपक न भोग मान लिया है जबकि वह उपभोग है। भोग का विषय एक बार ही भोगा जाता है, इसलिये उसमें जूठा-पन आजाता है; परन्तु उपभोग अनेकवार भोगा जाता है। सभ्य आदमी अपना ही जूठा भोजन दूसरे दिन नहीं खाता जबकि एक ही वस्त्र को अनेकवार काम में लाना रहता है। अगर स्त्री को भोज्य माना जाय तो जिस स्त्री को आज भोगा गया उसको फिर कभी न भोगना चाहिये। तब तो हर एक पुरुषको महीनेमें चार चार छः छः स्त्रियोंकी आवश्यकता पड़ेगी अन्यथा उन्हें जूठी स्त्री से ही काम चलाना पड़ेगा।

स्त्री और पुरुषके सम्बन्धमें तो दोनोंही सुखानुभव करते हैं, इसलिये कौन किसका जूठा है यह नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो लोग स्त्रियों में जूठेपन का व्यवहार करते हैं वे माता को भी जूठा कहेंगे, क्योंकि एक बच्चे ने एक दिन जिस माता का दूध पीलिया वह दूसरे दिन के लिये जूठी हो गई। और दूसरे बच्चे के लिये और भी अधिक जूठी हो गई। इतना ही नहीं इस दृष्टि से पृथ्वी, जल, वायु आदि जूठे कहलायेंगे, सारा संसार उच्छिष्टप्रभय हो जायगा, क्योंकि किसी भी इन्द्रिय का विषय होने से जब पदार्थ उच्छिष्ट माना जायगा तो स्पर्श करने से पृथ्वी, जल और वायु जूठी कहलायगी और आँखों से देख लेने पर सारा संसार जूठा कहलायगा। यदि

रसना इन्द्रिय के विषय में ही उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट का व्यवहार किया जाय तो कन्याको हम उच्छिष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वह चयाने खाने की वस्तु नहीं है, जिससे वह जूठे दूधके समान समझी जाय ।

## उन्तीसवाँ प्रश्न ।

“त्रैवर्णिकाचार से तलाक़ के रिवाज का समर्थन होता है ।”—यह बात हमने संक्षेप में सिद्ध की थी । परन्तु ये दोनों आक्षेपक कहते हैं कि उसमें तलाक़ की बात नहीं है । भले ही तलाक़ या ( Divorce ) आदि प्रचलित भाषाओं के शब्द उस ग्रन्थ में न हों परन्तु वैवाहिक सम्बन्ध के त्याग का विधान अवश्य है और इसी को तलाक़ कहते हैं—

अप्रजां दशमे वर्षे स्त्री प्रजां द्वादशे त्यजेत् ।

मृतप्रजां पंचदशे सद्यम्भवप्रियवादिनीम् ॥११-१६७॥

व्याधिता स्त्रीप्रजा बन्ध्या उन्मत्ता विगनार्तवा ।

अदुष्टा लभते त्यागं तार्थतो न तु धर्मतः ॥१२-१६८॥

अगर दस वर्ष तक कोई संतान न हा तो दसवें वर्षमें, अगर कन्याएँ ही पैदा होती हां तो बारहवें वर्षमें, अगर संतान जीवित न रहती हो तो १५वें वर्ष में स्त्री को छोड़ देना चाहिये और कठोर भाषिणी हो तो तुरन्त छोड़ देना चाहिये ॥ १६७ ॥ रोगिणी, जिसके केवल कन्याएँ ही पैदा होती हों, बन्ध्या, पागल, जो रजस्वला न हांती हां ऐसी स्त्री अगर दुष्ट न हो तो उसके साथ संभोग का ही त्याग करना चाहिये; बाकी पत्नीत्व का व्यवहार रखना चाहिये ॥ १६८ ॥ इससे मालूम होता है कि १६७ वें श्लोक में जो त्याग बतलाया है उसमें स्त्री का पत्नीत्व सम्बन्ध भी अलग कर दिया गया, है । यह तलाक़ नहीं तो क्या है ?

श्रीलाल जी कहते हैं कि दक्षिण में तलाक़ का रिवाज ही नहीं है। सौभाग्य से दक्षिणप्रान्त आज भी बना हुआ है। कोई भी आदमी यहाँ जाकर देख सकता है कि चतुर्थ पंचम सेतवाल आदि दिग्म्बर जैनियों में विधवाविवाह और तलाक़ का रिवाज आमनौर पर चालू है या नहीं। बल्कि यहाँ पर विधुर कुमारियों के साथ शादी नहीं करते। इमलिये कुमारियों के साथ पहिले किमी अन्य पुत्र की शादी करदी जाती है इसके बाद तलाक़ दिलाया जाता है, फिर उस विधुर के साथ उस तलाक़ वाली स्त्री की शादी होती है। इसके अनि-रिक्त अन्य स्त्रियाँ भी तलाक़ देती हैं, पुनर्विवाह करती हैं ॥

दक्षिणप्रान्त में तलाक़ का अभाव यतला कर श्रीलाल जी या तो कूपमगडूकता का परिचय दे रहे हैं या समाज को धोखा दे रहे हैं।

### तीसवाँ प्रश्न ।

पुराणों में विधवा-विवाह का उल्लेख क्यों नहीं मिलता, इसके कारणोंका समग्र दिग्दर्शन किया था। दोनोंही आक्षे-पकों से यहाँ पर भी कुछ खण्डन नहीं बन सका है। परन्तु इस प्रश्नमें विद्यानन्द जीने तो सिर्फ अपनी अनिच्छाही ज़ाहिर की है, परन्तु पण्डित श्रीलालजी ने खण्ड खण्ड लिख माग है। बल्कि धृष्टताका भी पूर्ण परिचय दिया। जैगजगत् आदि पत्रों का काला मुँह करने का उपदेश दिया है। खैर, यहाँ हम संक्षेप में अपना बकव्य देकर आक्षेपोंका उत्तर देंगे।

अ—पुराणों में विधवा-विवाह का उल्लेख नहीं है और विधुर विवाह का उल्लेख नहीं है। परन्तु यह नहीं कहा जास-कना कि पहिले ज़माने में विधुर विवाह नहीं होते थे। न यह कहा जासकता है कि विधवाविवाह नहीं होते थे।

आ—आजकल भी प्रथम विवाह के समय ही विशेष समारोह किया जाता है। द्वितीय विवाहके समय विशेष समारोह नहीं किया जाता। इसी तरह पहिले ज़माने में भी स्त्री पुरुषों के प्रथम विवाह के समय विशेष समारोह होता था; द्वितीयादि विवाहों के समय नहीं। रामचन्द्र आदि के प्रथम विवाह का जैसा उल्लेख मिलता है वैसा द्वितीयादि विवाहोंका नहीं मिलता। इसी तरह स्त्रियोंके भी प्रथम विवाहका उल्लेख मिलता है द्वितीय विवाहों का नहीं।

इ—पुरुषोंके द्वितीयादि विवाहोंका जो साधारण उल्लेख मिलता है वह उन के बहुपत्नीत्व का महत्व बतलाने के लिए है। पुराने ज़मानेमें जो मनुष्य जितना बड़ा वैभवंशाली होता था वह उतनी ही अधिक स्त्रियाँ रखता था। इसीलिए चक्रवर्ती के ६६ हजार, अर्द्धचक्रीके १६०००, बलभद्रके २००० तथा साधारण राजाओंके सैकड़ों स्त्रियाँ होती थीं। स्त्रियाँ अपना पुनर्विवाह तो करती थीं, परन्तु उनका एक समय में एक ही पति होना था; इसलिये उनके बहुपत्नित्व का महत्व नहीं बतलाया जासकता था। तब उनके दूसरे विवाहका उल्लेख क्यों होता ?

इ—आजकल लोग अपनी लड़कियों का विवाह जहाँ तक धनता है कुमार के साथ करते हैं, विधुरके साथ नहीं। स्वासकर श्रीमान् लोग तो अपनी लड़की का विवाह विधुरोंके साथ कदापि नहीं करते। परन्तु इस परसे यह नहीं कहा जासकता कि आज विधुरविवाह नहीं होता, या विवाह करने वाले विधुर जातिच्युत समझे जाते हैं। इसी प्रकार पुराने समय में लोग यथाशक्ति कुमारियों के साथ शादी करते थे और श्रीमान् लोग नो विधवाओं के साथ शादी करना ही नहीं चाहते थे। परन्तु इससे विधुर विवाह के समान विधवाविवाह का भी निषेध नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों को विवाह के

बाद एक कुटुम्ब छोड़कर दूसरे कुटुम्ब में जाना पड़ना है । इसलिये भी धीमन्त घरानों की स्त्रियाँ पुनर्विवाह नहीं करती थीं, क्योंकि ऐसी अवस्थासे उन्हें गरीब घरमें जाकर रहना पड़ता था । चूँकि धीमान् लोगों को तो कुमारियाँ ही मिल जाती थीं इसलिये वे विधवाओं से विवाह नहीं करते थे । गरीब घरानों में होने वाले वैवाहिक सम्बन्धों का महत्व न होने से शास्त्रों में उनका उल्लेख नहीं है ।

उ—प्रायः कुमारियाँ ही स्वयम्बर करती थीं और स्वयम्बर बड़े २ विग्रहोंके तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के स्थान थे; इसलिये शास्त्रों में स्वयम्बर का जिक्र आता है । विधवाओं का स्वयम्बर न होने से विधवाविवाह का जिक्र नहीं आता ।

ऊ—हिन्दू पुराणों में द्रौपदी के पाँच पति माने गये हैं । दिगम्बर जैन लेखकोंने द्रौपदीके प्रकरणमें इस बातका खण्डन किया है । हिन्दू शास्त्रों के अनुसार मन्दादरीका भी पुनर्विवाह हुआ था, परन्तु मन्दादरी के प्रकरण में उसके पुनर्विवाह का खण्डन नहीं किया गया, इससे मालुम होता है कि दिगम्बर जैन लेखक बहुपतित्व (एक साथ बहुत पति रखना) की प्रथा के विरोधी थे, परन्तु विधवाविवाह के विरोधी नहीं थे ।

शु—हमारे पुराण जिस युग के बने हैं उस युग में भारत में सतीप्रथा जोर पकड़ रही थी, विधवाविवाहकी प्रथा लुप्त होरही थी । ऐसी अवस्थामें दिगम्बर जैन लेखकोंने जमाने का दृष्ट देखाकर विधवाविवाह वाली घटनाओंको अलग कर दिया, परन्तु कोई आदमी विधवाविवाह को जैनधर्म के विरुद्ध न समझते, इसलिये उनने विधवाविवाहका विरोध नहीं किया ।

लृ—हिन्दू पुराणों से और स्मृतियों से पैंदिक धर्मावलम्बियों में विधवाविवाह का रिवाज सिद्ध है । गौतम गणधर ने हिन्दू पुराणों की बहुतसी बातोंका खण्डन किया, परन्तु

विधवाविवाहका खण्डन नहीं किया। इससे भी विधवाविवाह की जैनधर्मानुकूलता मालूम होती है।

ए—प्रथमानुयोग, पुण्य और पापका फल यतलाने के लिये है, इसलिये उसमें रीतिरिवाजों का उल्लेख नहीं होता है। इसलिये उसमें ऐसे किसी भी विवाहका उल्लेख नहीं है जो असाधारण पुण्य या पुण्य फल का द्योतक न हो। ऊपर हम कह चुके हैं कि विधवाविवाह में ऐसी असाधारणता न होने से उसका उल्लेख नहीं हुआ।

ऐ—ऐसी बहुत बातें हैं जो जैनधर्मके अनुकूल हैं, शास्त्रोक्त हैं, परन्तु पुराणों में जिनका उल्लेख नहीं है—जैसे विवाहमें होनेवाली सप्तपदी, वैधव्यदीक्षा, दीक्षान्वय क्रियाएँ आदि।

ओ—परम्वीमेवन आदि का जिम प्रकार निन्दा करने के लिये उल्लेख है, उस तरह शास्त्रमें विधवाविवाहका खण्डन करने के लिए उल्लेख नहीं है।

औ—गगवान महावीर के द्वारा जितना प्रथमानुयोग कहा गया था उतना आजकल उपलब्ध नहीं है। सिर्फ मोटी मोटी घटनाएँ रह गई हैं इसलिये भी विधवाविवाह सरीखी साधारण घटनाओं का उल्लेख नहीं है।

उपर्यक्त चारह छेदकों में मेरे चक्रव्य का सारांश आगया है और आक्षेपों का खण्डन भी हो गया है। फिर भी कुछ बाकी न रह जाय, इसलिये आक्षेपकोंके निःसार आक्षेपोंका भी समाधान किया जाता है। लेखनशैली की अनभिज्ञता से श्रीलालजी ने जो आक्षेप किये हैं उन पर उपेक्षा दृष्टि रखनी जायगी।

आक्षेप ( क )—दमयन्तीने अपने पति नलको दूँदने के

लिये स्वयम्बर रत्नदिया तो क्या हिन्दू शास्त्रोंमें पुनर्विवाह सिद्ध होगया ? [ श्रीलाल ]

समाधान—दमयन्ती पुनर्विवाह चाहती थी, यह हम नहीं कहते; परन्तु उस समय हिन्दुओं में उसका रिवाज था यह वान सिद्ध होजाती है। दमयन्ती के स्वयम्बर का निमन्त्रण पाकर किसीने इसका विरोध नहीं किया—सिर्फ दमयन्ती के पति नल को छोड़कर और किसी को इसमें आश्चर्य भी न हुआ। सब राजा महाराजा स्वयम्बर के लिये आये। यदि विधवा-विवाहका रिवाज न होता तो राजा महाराजा क्यों आते ?

आक्षेप ( अ )—अन्तराल में चाहे धर्म कर्म उठ जाय परन्तु सजातीयविवाह नष्ट नहीं हुआ करता है। [ श्रीलाल ]

समाधान—अन्तरालमें धर्मकर्म उठ जाने पर भी अगर सजातीय विवाह नष्ट नहीं हुआ करता तो इससे सिद्ध हो जाता है कि सजातीय विवाह से धर्मकर्म का कुछ सम्बन्ध नहीं है। ऐसी हालत में सजातीय विवाह का कुछ महत्व नहीं रहता।

सजातीय विवाह का बन्धन तो पौराणिक युग में कभी रहा ही नहीं। जातियाँ तो सिर्फ व्यापारिक क्षेत्र के लिये थीं। भगवान् ऋषभदेव के समय से जातियाँ हैं और उनके पुत्र सम्राट् भरतने ३२००० विवाह श्लेच्छ कन्याओं के साथ किये थे। तीर्थङ्गों ने भी श्लेच्छों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध किये थे। अनुसोम और प्रतिलांभ दोनों तरफके उदाहरणोंसे जैन-पुराण भरे पड़े हैं। विजातीयविवाह और श्लेच्छ कन्याओं से होने वाले विवाहके फलस्वरूप होने वाली मन्तान मुक्तिगामी हुई है इसकेभी उदाहरण और प्रमाण बहुतसे हैं। यहाँ विजातीय विवाह का प्रकरण नहीं है। विजातीय विवाह की खर्चा उठाकर श्रीलाल जी धूप के दरसे मष्टी में फूद रहे हैं। अन्त-



राल में विजातीय विवाह रहे चाहे जाय परन्तु जब उस समय जैनधर्म की प्रवृत्ति नहीं थी तब वैदिकधर्म के अनुसार विधवाविवाह का रिवाज अवश्य था और पौछे के जैनी भी उन्हीं की सन्तान थे ।

आक्षेप ( ग )—मुसलमानों में भी सैय्यद का सैय्यद के साथ और मुगल का मुगल के साथ विवाह होता है ।

( श्रीलाल )

समाधान—विधवा विवाह के विरोध के लिये ऐसे ऐसे आक्षेप करने वाले के हाँश इवाज दुरुस्त हैं इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास किया जा सकता है । सैय्यद सैय्यद से विवाह करे इसमें विधवाविवाह का खरडन क्या हो गया ? बल्कि इससे तो यही सिद्ध हुआ कि जैसे मुसलमान लोग (श्रीलाल जी के मतानुसार) सजातीय विवाह करते हुये भी विधवाविवाह करते हैं तो अन्यत्र भी सजातीय विवाह होने पर भी विधवाविवाह हो सकता है । इसलिये अन्तराल में सजातीयविवाह के बने रहने से विधवाविवाह का अभाव सिद्ध नहीं होता । फिर मुसलमानों में विजातीयविवाह न होने की बात तो धृष्टता के साथ धोखा देने की बात है । जहाँगीर यादशाह की माँ हिन्दु और बाप मुसलमान था । मुसलमानों में आधे से अधिक हिन्दुरक्तमिश्रित हैं । आज भी मुसलमान लोग चाहे जिस जाति की स्त्री से शादी कर लेते हैं ।

आक्षेप ( घ )—विजातीयविवाह से एक दो सन्तान के पाद विनाश हो जाता है । वनस्पतियों के उदाहरण से यह बात सिद्ध है ।

समाधान—आक्षेपक को वनस्पति शास्त्र या प्राणिशास्त्र का ज़रा अध्ययन करना चाहिये । प्राणिशास्त्रियों ने

विजातीय सम्बन्धों से कौसी विचित्र जातियों का निर्माण किया है और उनकी कौसी वंशपरम्परा चल रही है, इस बात का पता आप को थोड़े अध्ययन से ही लग जाना। किसी मूर्ख माली की अधूरी बात के आधार पर सिद्धान्त गढ़ लेना आप ही सरीखे कूपमंड़क का काम हो सकता है। खैर, मान लीजिये कि विजातीय सम्पर्क की वंश परम्परा नहीं चलती, परन्तु मनुष्य में तो विजातीयविवाह की वंशपरम्परा चलती है। जहाँगीर हिन्दू माँ और मुसलमान बाप से पैदा हुआ था। इसके बाद के भी अनेक बादशाह इसी तरह पैदा हुए जिनकी परम्परा आज तक है। कई शताब्दियों तक तो यह वंश राज्य ही करता रहा। बाद में १८५७ के स्वतन्त्र-युद्ध के बाद भी उसी वंश के बहुत से मनुष्य शरीरों की हालत में गुज़र करते थे और उनमें बहुत से आज भी बने हुए हैं। यदि यह सिद्धान्त मान लिया जाय कि विजातीयविवाह की सन्तान परम्परा अधिक नहीं चलती तो इससे विजातीय विवाह का निषेध नहीं होगा किन्तु मनुष्यों में होने वाला विजातीय-विवाह, विजातीय नहीं है अर्थात् मनुष्यमात्र एक जाति के हैं यही बात सिद्ध होगी, क्योंकि मनुष्यों में विजातीय सम्बन्ध से भी वंश परम्परा चलती रहती है।

आक्षेप ( ६ )—क्या श्रेणिक के समय में रामायण आदि ग्रन्थ बन गये थे ?

समाधान—ये ग्रन्थ बहुत प्राचीन हैं यह बात ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है। साथ ही अपने पद्मपुराण में भी यह लिखा है।

देखिये पद्मपुराण द्वितीय पर्व—

ध्यानं लौकिके ग्रन्थे राक्षसाः रावणादया ॥ २३० ॥

एवंविधं क्लिष्टग्रन्थं रामायणमुदाहृतं ॥ २३७ ॥

अथर्द्धेयमिदं सर्वं वियुक्तमुपपत्तिभिः ॥ २४८ ॥

ये भव श्रेणिक के मुंह से निकले हुए वाक्य हैं । रामायण का नाम तक आया है । श्रेणिक ने रामायण की अन्य बातों की तो निन्दा की, परन्तु विधवाविवाह को कहीं भी निन्दा न की, न गौतम ने ही निन्दा की, इससे विधवाविवाह की जैनधर्मानुकूलता सिद्ध होती है ।

आक्षेप ( च )—अब कुछ न घना तो एक श्लोक ही बतार कर लिख दिया । इस मायाचार का कुछ ठिकाना है !

( श्रीलाल )

समाधान—

यथा च जायते दुःखं सद्भायामात्मयोपिति ।

नरान्तरेण सर्वेषामियमेव व्यवस्थितिः ॥ १५-१६२ ॥

इस श्लोक में यह बताया गया है, कि परस्त्री रमण से परस्त्री के पति को कष्ट होता है इसलिये परस्त्री सेवन नहीं करना चाहिये । यह श्लोक पद्मपुराण का है जिसे श्रीलाल जी ने मेरा कह कर मुझे मनमानी गालियाँ दी हैं । इतना ही नहीं ऐसे अच्छे श्लोक के खण्डन करने की भी शक्त चेष्टा की है । परन्तु इससे हमारा नहीं पद्मपुराण का खण्डन और आचार्य रविवेरु का अपमान होता है ।

इस श्लोक से यह बात सिद्ध होती है, कि परस्त्री रमण से पति को कष्ट होता है, इसलिये यह पाप है । इसी आधार पर यह कहा जाता है कि विधवाविवाह से पति को कष्ट नहीं होता, क्योंकि पति मर गया है इसलिये विधवाविवाह पाप नहीं है । ऐसी सीधी बात भी श्रीलाल जी न समझे तो पलिहारी इस समझ की ।

श्रीलाल जी ने यह स्वीकार किया है कि 'अपनी विशा-

हिता को छोड़ कर शेष सब में व्यभिचार है चाहे वह कुमारी हो सधवा हो या विधवा हो'। श्रीलालजी के इस वक्तव्य का हम पूर्ण समर्थन करते हैं और इसीसे विधवा-विवाह का समर्थन भी हो जाता है। जिस प्रकार कुमारी के साथ रमण करना व्यभिचार है, किन्तु कुमारी को विवाहिता बना कर रमण करना व्यभिचार नहीं है। उसी प्रकार विधवा के साथ रमण करना व्यभिचार है परन्तु विधवा के साथ विवाह कर लेने पर उसके साथ रमण करना व्यभिचार नहीं है। विधवा के साथ विवाह करने पर उसे अविवाहिता नहीं कहा जा सकता, जिससे यहाँ व्यभिचार माना जाये। इस तरह श्रीलाल जी के वक्तव्य के अनुसार भी विधवा-विवाह उचित ठहरता है।

**आक्षेप ( छ )**—महर्षिगण आठ विवाह यताने वालों की हम मानें या नौमी प्रकार का ये विधवा-विवाह यताने वाले तुम्हारी मानें।

**समाधान**—विधवा-विवाह नवमा भेद नहीं है किन्तु जिस प्रकार कुमारीविवाह के आठ भेद हैं उसी प्रकार विधवा-विवाह के भी आठ भेद हैं। इस विषय में पहिले विस्तार से लिखा जा चुका है।

**आक्षेप ( ज )**—प्राचीन समय में लोग विधवा होना अच्छा नहीं समझते थे। यदि पहिले समय में विधवाविवाह का रिवाज होता तो फिर विधवा शब्द से इतने डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ( विद्यानन्द )

**समाधान**—आज मुसलमानों में ईसाइयों में या अन्य किसी समुदाय में, जिसमें कि विधवाविवाह होना है, क्या विधवा होना अच्छा समझा जाता है? यदि नहीं तो क्या वहाँ भी विधवा-विवाह का अभाव सिद्ध हो जायगा? आजकल या

प्राचीन ज़माने में क्या लोग अपनी स्त्री का मरजाना अच्छा समझते थे ? यदि नहीं तो विधुर होना भी बुरा कहलाया । तब तो विधुर-विवाह का भी अभाव सिद्ध हो जाना चाहिये ।

प्राचीन ज़माने में विधवा को अच्छा नहीं समझते थे, इससे विधवा-विवाह का अभाव सिद्ध नहीं होता बल्कि सद्भाव सिद्ध होता है । विधवा होना अच्छा नहीं था, इसलिये विधवा विवाहके द्वारा उसे सधवा बनाते थे । क्योंकि जो चीज़ अच्छी नहीं होती उसे हटाने की कोशिश होती है । निरोग अगर रोगी हो जाय तो उसे फिर निरोग बनाने की कोशिश की जाती है । इसी प्रकार सधवा अगर विधवा हो जाय तो उसे फिर सधवा बनाने की कोशिश की जाती थी । इस तरह विद्यानन्द का तर्क भी विधवा-विवाह का समर्थन ही करता है ।

इस प्रश्न में कुछ आक्षेप ऐसे भी हैं जो कि पहिले भी किये जा चुके हैं और जिनका उत्तर भी विस्तार से दिया जा चुका है । इसलिये अब उनको पुनरुक्ति नहीं की जाती ।

## इकतीसवाँ प्रश्न ।

'सामाजिक नियम या व्यवहार धर्म बदल सकते हैं या नहीं' इसके उत्तर में हमने कहा था कि बदल सकते हैं, क्योंकि व्यवहार धर्म साधक है । जिस कार्य से हमें निश्चय धर्म की प्राप्ति होगी वही कार्य व्यवहार धर्म कहलायगा । प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और प्रत्येक समय की परिस्थिति एकसी नहीं होती । इसलिये सदा और सब के लिये एकसा व्यवहार धर्म नहीं हो सकता । अनेक प्रकार के मूलगुण, कभी चार संयम, कभी पांच संयम, किसी को कमण्डलु रचना,

किसी को नहीं रखना आदि शास्त्रोक्त विधान व्यवहार धर्म की विविधता बतलाते हैं ।

सामाजिक नियमों के विषय में विद्यानन्द कहते हैं कि "सामाजिक नियम व्यवहार धर्म के साधक हैं अतः उनमें तबदीली करना मोक्ष मार्ग की ही तबदीली है" सामाजिक नियमों में रहोयदल करने और मोक्षमार्ग में रहोयदल करने का एक ही अर्थ है ।" परन्तु इनके सहयोगी पण्डित श्रीलाल जी कहते हैं कि "सामाजिक नियम भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न कालों में और भिन्न भिन्न जातियों में प्रायः भिन्न भिन्न हुआ करते हैं ।..... लौकिक विधि उसी रूप में करना चाहिये जैसा कि जहाँ हो" । इस तरह ये दोनों आक्षेपक आपन में ही मिट गये हैं । यह कहने की जरूरत नहीं कि विद्यानन्दजी ने सामाजिक नियम का कुछ अर्थ ही नहीं समझा और वे प्रस्तावमात्र कर गये हैं । सामाजिक नियमों के विषय में श्रीलालजी का कहना ठीक है और यह हमारे यक्तव्य को टोका मात्र है । श्रीलालजी कहते हैं कि सामाजिक नियम धर्म की द्वाया में ही रहते हैं । हमने भी लिखा था कि सामाजिक नियम धर्मपोषक होना चाहिये । अथ व्यवहार धर्मविषयक मन-भेद रह जाता है, इसलिये उसके आक्षेपों का समाधान किया जाता है ।

आक्षेप ( क )—व्यवहार धर्म निश्चय का साधक है । न संसारी आत्मा की अवस्था पलटती है न निश्चयधर्म की, न उसके साधक व्यवहार धर्म की । ( श्रीलाल )

समाधान—किसी भी द्रव्य की गुणधर्मों का तबद की नहीं होती परन्तु अनुभावस्था अनेक तरह की होती है, क्योंकि गुणधर्मों का स्वरूप ही और अनुभावस्था परिवर्तित है । यह द्रव्य अनन्त है इसलिये उसके भिन्न-भिन्न में होने वाली

अशुद्धि भी अनन्त तरह की हैं। इसलिये उनका उपचार भी अनन्त तरह का होगा। लोक और शास्त्र दोनों ही जगह साध्य की एकता होने पर भी साधन में भिन्नता हुआ करती है। श्रीलालजी का यह कहना बिलकुल भूठ है कि संसारी आत्माओं की अवस्था नहीं पलटती। अगर संसारी आत्मा की अवस्था न पलटे तो सब संसारियों का एक ही गुणस्थान, एक ही जीवसमास और एक ही मार्गणा होना चाहिये। निम्नलिखित बातों पर दोनों आक्षेपकों को विचार करना चाहिये।

१—मनुष्य अगर अणुवत पाले तो वह पानी छानकर और गर्म करके पियेगा, जब कि अणुवती पशु ऐसा न कर सकेगा। वह वहता हुआ पानी पीकरकेभी अणुवती बनारहेगा। व्यवहार धर्म अगर एक है तो पशु और मनुष्य की प्रवृत्ति में अन्तर क्यों ?

२—कोई कमण्डलु अवश्य रक्खेगा, कोई न रक्खेगा, यह अन्तर क्यों ?

३—किसी के अनुसार तीन मकार और पाँच फल का त्याग करके ही [ बिना अणुवतोंके ] मूलगुण धारण किये जा सकते हैं, किसी मत के अनुसार मधु सेवन करते हुएभी मूलगुण पालन किये जा सकते हैं क्योंकि उसमें मधु के स्थान पर दूत का त्याग बतलाया है। इस तरह के अनेक विधान क्यों हैं ? अगर कहा जाय कि इसमें सामान्य विशेष अपेक्षा का भेद है तो कौनसा सामान्य और कौनसा विशेष है ? और इस अपेक्षा भेद का कारण क्या है ?

४—२२ तीर्थङ्करों के तीर्थ में चार संयमों का विधान क्यों रहा ? और दो ने पाँच का विधान क्यों किया ? [ कोई सामायिकका पालन करे, कोई छेदोपस्थापना का, यह एक

वात है, परन्तु छेदोपस्थान का विधान न होना दूसरी बात है। ]

ऐसे और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। परन्तु इन सबके उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता होती है या जिस युग में जैसे व्यक्तियों की बहुलता रहती है व्यवहार धर्म का रूपभी वैसा ही होता है। हाँ, व्यवहार धर्म हाँ कैसा भी, किंतु उस की दिशा निश्चय धर्म की ओर रहती है। अगर निश्चय साधकता सामान्य की दृष्टिसे व्यवहार धर्म एक कहा जाय तो किसीको विवाद नहीं है परन्तु वाह्यरूप की दृष्टि से व्यवहार धर्म में विविधता अवश्य होगी।

अब इस कसौटी पर हम विधवाविवाह को कसते हैं। धार्मिक दृष्टि से विवाह का प्रयोजन यह है कि मनुष्य की कामवासना सीमित हो जाय। इस प्रयोजनकी सिद्धि कुमारी विवाह से भी है और विधवाविवाह से भी है। निश्चय साधकता दोनों में एक समान है। अगर दोनों आक्षेपक निश्चय साधकता सामान्य को दृष्टि में रखकर व्यवहार धर्म को एक तरह का मानें तो कुमारीविवाह और विधवाविवाह दोनों एक सरीखे ही रहेंगे। दोनों की समानता के विषय में हम पहिले भी बहुत कुछ कह चुके हैं।

आक्षेप (ख)—जो लोग अजितनाथसे लेकर पार्श्वनाथ तक के शासन में छेदोपस्थापनाका अभाव बतलाते हैं उनकी विद्वत्ता दयनीय है। (विद्यानन्द)

समाधान—मेरी विद्वत्ता पर दया न कीजिये, दया कीजिये उन यष्टकेर स्वामी की विद्वत्ता पर जिनने मूलाचारमें यह बात लिखी है। देखिये—



बाधोसं तित्थयग सामाह्य संजमं उवदिसन्ति ।  
छेदुच ठावणियंपुण भयवं उसहो य वीरोय ॥ ५३३ ॥

‘अर्थात् चार्ल्स तीर्थङ्कर सामायिक संयम का उपदेश देते हैं और भगवान् ऋषभ और महाबार छेदोपस्थापना का। अगर आप बट्टकेर ग्यामी की विद्वत्ता पर दया न बतला सकें तो अपनी विद्वत्ता को दयनीय बतलायें, जो कूप-मण्डूक की तरह हंस के विशाल अनुभव को दयनीय बतला रही है।

आक्षेप ( ग )—विना व्यवहारका आलम्बन लिये मोक्ष मार्ग के निकट पहुंच नहीं हो सकती । ( विद्यानन्द )

समाधान—व्यवहार का निषेध मैं नहीं करता, न बर्हो किया है। यहाँ तो प्रश्न व्यवहारके विविध रूपों पर है। कुमारीविवाह में जैसी व्यवहार-धर्मता है वैसी ही विधवाविवाह में भी है। यहाँ व्यवहार के दो रूप बतलाये हैं—व्यवहार का अभाव नहीं किया गया।

आक्षेप ( घ )—जय पथ-भ्रष्टता हांचुकी तो लक्ष्य तक पहुंचे ही कैसे होगी ?

समाधान—मार्ग की विविधता या यान की विविधता पथभ्रष्टता नहीं है। कोई बी०बी० सी० आई० लाइनसे दंडली जाना है, कोई जी० आई० पी० लाइन से, कोई ऐक्सप्रेस से, कोई मामूली गाड़ी से, कोई फ़र्स्टक्लास में, कोई चर्ट-क्लास में, परन्तु इन सब में पर्याप्त विविधता होने पर भी कोई पथभ्रष्ट नहीं है; क्योंकि समय-भेद मार्ग-भेद होने पर भी दिशाभेद नहीं है। विधवाविवाह, कुमारीविवाह के समान निरर्गल कामवासनाको दूर करता है। इसलिये दोनोंकी दिशा एक है, दोनों ही लक्ष्यके अनुकूल हैं, इसलिये उसे पथ-भ्रष्टता नहीं कह सकते ।

इस तरह विधवाविवाह जैनधर्म के अनुकूल सिद्ध हो गया । मैं विधवाविवाह के प्रत्येक विरोधी का निमन्त्रण देता हूँ कि उसे विधवाविवाह के विषय में अगर किसीभी तरहकी शङ्का हो तो वह जरूर पूछे । मैं उसका अन्त तक समाधान करूँगा ।

